राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का छठा दिवस संख्या 5

शनिवार,

दिनांक 16 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खाद्य, सहकारिता, राजस्व, अकाल सहायता, पंचायत, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, गृह भाषा, उपनिवेशन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, चिकित्सा विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री विट्ठलप्रसाद ।

अवैध गल्ला मध्य प्रदेश ले जाने के मामले

87. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा):** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अकलेरा तहसील से अवैध गल्ला मध्य प्रदेश ले जाते हुए कितने ट्रक, कितनी बैलगाड़ियां या ऊंट आदि वाहन पकड़े गये।

(2) कुल कितने व्यक्तियों का चालान किया गया।

(3) कुल कितना गल्ला पकड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ पकड़े गये व्यापारियों को केवल इस लिये छोड़ दिया गया कि उन्होंने 2 दिन बाद तहसील से परमिट लेकर पुलिस को दे दिया था ?

(5) यदि यह सही है कि व्यापारियों ने परमिट लिया था तो गल्ला ले जाते समय परमिट उनके पास क्यों नहीं रहा ?

उप-मंत्री खाद्य : (श्री रामदेव सिंह):

(1) 1966 से अब तक कुल 19 बैलगाड़ियां, 3 ऊंट, 3 गधे एवं 35 सिर बोझ जिनमें एक साईकिल सवार भी शामिल है, पकड़े गये हैं।

(2) 109 व्यक्तियों का चालान किया गया है।

(3) कुल 115 क्विन्टल 49 किलो 400 ग्राम गल्ला पकड़ा गया है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि सीमावर्ती मध्यप्रदेश राज्य होने के नाते 0 मील के एरिया में बैल्ट घोषित किया हुआ है।

श्री रामदेवसिंह : जी !

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि 0 मील एरिया में गल्ला ले जाते हुए अनाज ले जाते हुए किसी को पकड़ा गया है?

श्री रामदेव सिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जो सूची आपने दी है उसमें संख्या 2, 3, 4 में 5 किलो 6 किलो और 21 किलो गल्ला जो पकड़ा गया है, वे कौन लोग थे? क्या वे लोग गल्ला अपने खाने के लिये ले जा रहे थे?...

श्री रामदेवसिंह : मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में गल्ले की कीमत ज्यादा थी और ऐसा भी होता था कि उन्होंने इसको अपनी कमाई का जरिया बना लिया था।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जो पांच किलो गल्ला पकड़ा गया था, वह खाने के लिये ले जा रहे थे?...

श्री अध्यक्ष : जो पांच किलो अनाज पकड़ा गया है, क्या वह खाने के लिये ले जा रहे थे?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो 5 किलो ज्वार खाने के लिये ले जा रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अगर 5 किलो का आफेन्स है और कानून के अन्दर वह आफेन्स है और निश्चित तौर से बैल्ट एरिया में ले जा रहा है, तो उन आदमियों को पकड़ा जायेगा। कानून में इसका प्रावधान है तो उसका अनुपालन किया जायेगा। बैल्ट एरिया में कानून के खिलाफ किसी ने कार्यवाही की, चाहे वह 5 किलो गल्ला हो, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह आप मुनासिब समझते हैं कि 5 किलो गल्ले के लिये लोग मनोहर थाने से अकलेरा जांय परमिट लेने के लिये, जबकि उनकी दूरी 25 मील है? क्या आपकी यह व्यवस्था सन्तोषप्रद और न्यायोचित है?

श्री परसराम मदेरणा: यह बहुत पहले की बात है। सन् 1966–67 का आपने पूछा है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस वक्त उनका चालान किया गया है, जो 5 किलो गल्ला ले जा रहे थे अपने खाने के लिये और जो ट्रक के ट्रक ले जा रहे थे उनको नहीं पकड़ा गया है। यह कारगुजारी है आपके कर्मचारियों की?

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मंशा नहीं है कि 5–10 किलो गल्ला जो खाने के लिये ले जा रहे हैं, उनको पकड़ा जाये...

श्री दुर्गालाल बाउदार (हवामहल, जयपुर) : मन्त्री महोदय की यह बात, अध्यक्ष महोदय कि जो कानून का प्रावधान है, उसके अनुसार चाहे वह 5 किलो गल्ला

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

..., कानून के इन्टरप्रिटेशन के अनुसार ... होगी । परन्तु क्या राज्य सरकार ... यह विचार है कि बैल्ट एरिया में लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाये । लोग-बाग जो अनाज अपने खाने के लिये ले जाते हैं उनको कानून से छूट दी जाये । एक न एक दिन राज्य सरकार को इस पर विचार करना होगा ताकि लोगों का अननैसेसरी हरेसमेंट रुक जाय । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार इस प्रकार का संशोधन नियमों में करेगी या कोई ऐसा निर्देश अपने अधिकारियों कर्मचारियों को देगी जिससे कि लोगो को बैल्ट एरिया में खाने के लिये अनाज ले जाने में असुविधा न हो ।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने कहा कोई हाईपोथिटीकल क्वेश्चन न पूछें तो मैंने उसका जवाब दिया है । मैंने यह कहा है कि टैक्नीकली चाहे कोई 5000 क्विंटल या किलो अनाज ले जावे कानून में वह वन आफ दी आफेन्डर है । जो क्वेश्चन पूछा है वह 66-67 का पूछा है कि उसमें इस तरह के कितने केसेज हुए हैं . . .

श्री अध्यक्ष : संशोधन का सुझाव दिया है नियमों में ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बीच में ही फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग कानून बन गया । इसलिये यह परेशानी हो गई । फिर फेमिन हो गया तब यह जरूरी हो गया कि अनाज का यहां से एक्सपोर्ट न किया जाये । फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट इसलिये बंद कर दिया गया कि राजस्थान में अकाल है और राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां कि भारत सरकार की कान्फरेंस से यहां पाबंदी लगाई गई थी ताकि यहां के लोगों को सुविधा रह सके । यह पाबन्दी टैम्परेरी है । परमिट तो बैल्ट एरिया में लेना होगा । इसके लिये कलक्टर से लेकर इन्टरनली तहसीलदार को परमिट देने का अधिकार दे दिया है । अगर माननीय सदस्य यह महसूस करते हों कि लोगों को दिक्कत है तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी और यह व्यवस्था करेगी कि लोगों को सुविधा मिल सके ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मन्त्री महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर माननीय सदस्य . . .

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जिन लोगों का पुलिस ने चालान किया है, उन्होंने तहसील में जाकर बैक डेट में परमिट बना लिया । क्या यह करप्शन नहीं हुआ है कि माल पकड़े जाने के बाद तहसील में जाकर चार रोज बाद पहले की डेट में परमिट दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है । नेक्स्ट । श्री सहकारिता मन्त्री ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितने दिन में राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश जारी कर देगी ? . . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सहकारिता मन्त्री !

नॉन-गजेटेड कर्मचारियों का होम डिस्ट्रिक्ट से स्थानान्तरण

*88. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने

Page No. 4

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित न करने का निर्णय ले रखा है ?

(2) क्या यह सच है कि सहकारिता विभाग में हाल ही में राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध लोगों को स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह):

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दुर्गालाल बाढदार : प्रथम प्रश्न के उत्तर में क्या राज्य सरकार बतायेगी कि किसी प्रकार के स्थानान्तरण के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : नॉन-गजेटेड के कहिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह बताने की कृपा करें कि इस आर्डर के बाद किसी भी कर्मचारी का कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री रामदेवसिंह : जो नीति थी राज्य सरकार की, सहकारी विभाग ने उस पर पुनर्विचार किया और यह आदेश प्रसारित किया गया कि जो सहकारी विभाग में 1 अगस्त, 68 से इन्स्पेक्टर्स और सहायक इन्स्पेक्टर्स हैं, और जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको इससे मुक्त समझा जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : सहकारी विभाग के जो निरीक्षक हैं, उनको उनके जिले से बाहर रखा जाये क्या इससे विभाग को फायदा हुआ है ?

श्री रामदेवसिंह : उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिवली यह ठीक समझा गया था कि जिले में नहीं रखा जावे।

श्री नत्थीसिंह : क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने की स्थिति में है क्योंकि इनसे मुनासिब फायदा नहीं हुआ है ?

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कब तक विचार करके निर्णय दे देंगे ? यह उत्तर बहुत सुन चुके हैं। स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं अध्यक्ष जी, यही कह सकता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट . . .

श्री नाथजी मन्दिर के प्रशासक

89. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री देवपुरा, रिटायर्ड तहसीलदार, नाथद्वारा श्रीनाथजी के मन्दिर के प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किसके आदेश से और कब से. व किस तनख्वाह पर ?

(2) क्या श्री देवपुरा अवकाश प्राप्त तहसीलदार भ्रष्टाचार के आरोपों में राज॰

(श्री विजयसिंह)

कीय सेवाओं में रहते हुए निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो कब और किन आरोपों पर ?

(3) क्या उक्त अवकाश प्राप्त तहसीलदार वर्तमान राज्य मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा के सगे भाई हैं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी हां। राजस्व अधिकारी के पद पर वाइस प्रेसीडेन्ट नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने 200) मासिक वेतन पर एतदर्थ रूप में एक साल के लिये 1314168 को नियुक्ति की थी, अब श्री देवपुरा नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड में किसी पद पर भी कार्यरत नहीं थे।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुमेरसिंह।

ग्राम गोठियाना के सिंचाई के तालाब की मरम्मत

90. **श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) :** क्या अकाल राहत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़ के ग्राम कोठियाना के सिंचाई के नये तालाब की मरम्मत आदि के कार्य के लिए 15000 रु. मन्जूर हुए और यह रुपया इस तालाब पर खर्च नहीं करके गांवाई तालाब पिवड़िया पर खर्च किया गया ?

(2) यदि हां तो जिस तालाब के नाम की मन्जूरी हुई उस पर यह रुपया खर्च नहीं किया जाकर गांवाई तालाब पर क्यों खर्च किया गया ? इसका दोषी कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह पिवड़िया तालाब सिंचाई का नहीं है और नया तालाब ही सिंचाई का है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, तहसील किशनगढ़ के ग्राम गोठियाना में सिंचाई के नये तालाब की मरम्मत आदि के लिए 15 हजार रुपये स्वीकृत हुए थे और सिंचाई के तालाब की आव की सफाई एवं मरम्मत पर ही खर्च किया गया है।

(2) चूंकि दोनों तालाबों की आव एक ही है, अतः मरम्मत का आंशिक लाभ पिवड़िया तालाब को भी मिला है। इसलिए किसी के दोषी होने व उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

चरागाह के पेड़

91. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चरागाहों के सब पेड़ राजस्व विभाग के अधीन होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत श्यामपुरा की चरागाह के हजारों पेड़ों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
का ठेका विकास पंचायत श्यामपुरा ने देना चाहा है जिसके लिए पंचायत समिति मांडलगढ़ ने भी सिफारिश की है ?

(3) क्या पंचायत समिति की सिफारिश पर चरागाह के पेड़ काटने की तहसील तथा उप-जिला और जिला अधिकारी से स्वीकृति मिल चुकी है ?

(4) क्या पंचायत श्यामपुरा ने स्वीकृति की आशा में पेड़ काटना प्रारम्भ कर दिया है ?

(5) इस प्रकार की प्रवृति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(6) क्या सरकार को विदित है कि पंचायतों की निगाह अब पेड़ों पर जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे राजस्थान की पंचायतों को आग्रह करने हेतु इस प्रकार का परिपत्र निकालने का विचार रखती है जिसके अनुसार पेड़ काटना भयंकर अपराध माना जावे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):
(1) चारागाह के सब पेड़ वगैरा पंचायतों के ही अधीन होते हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) सब-डिवीजनल ऑफिसर, मांडलगढ़ ने सर्किल के पटवारी एवं लैण्ड रेकार्ड इन्स्पेक्टर को वृक्ष न कटने पावे इसके लिए पाबन्द कर दिया है।

(6) प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कई जगह पंचायतों के प्रस्ताव पास हो गये हैं कि पेड़ काटने की इजाजत दी जाय। इस तरह से इजाजत मिल गई तो राजस्थान में सब जगह जैसलमेर ही जैसलमेर हो जायगा। इसलिए कोई चरागाह के पेड़ के हाथ न लगाये क्या इस प्रकार के आदेश दिये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिस पर्टीकुलर चरागाह के लिये प्रश्न पूछा था उसके लिए पाबन्द कर दिया है। साधारणतः सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि पंचायतों को पेड़ काटने का ठेका न दिया जाय।

जिला बून्दी की पंचायत समितियों के अध्यापक एवं अध्यापिकायें

92. **श्री केशरीसिंह हुड़ा (हिन्डोली) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बून्दी की चारों पंचायत समितियों में अलग अलग कितने अध्यापक व अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं ?

(2) उक्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में सालाना व्यय गत तीन सालों में वेतन, भत्ते व मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट हेतु कितनी राशि स्वीकृत थी और कितनी व्यय हुई ?

(3) क्या हर एक पाठशाला को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया हुआ है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(4) क्या यह सत्य है कि इन पाठशालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और बच्चे घर घर भटकते रहते हैं ?

Page No. 7

उप-मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) पंचायत समिति नेनवा में 111, तालेडा में 175, केशोरायपाटन में 174 व हिन्डोली में 154 अध्यापक अध्यापिकायें नियुक्त हैं।

(2) गत तीन वर्षों के स्वीकृत तथा वास्तविक व्यय के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। केवल 4 पाठशालाओं में पूरे समय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केसरीसिंह हाडा: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि पाठशालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं तो वहां पीने के पानी की क्या व्यवस्था है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: अध्यापक एवं सरपंच मिल कर इसकी व्यवस्था कराते हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा: क्या सरपंच खुद जाते हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: खुद नहीं मंगवाते हैं?

श्री केसरीसिंह हाडा: पाठशालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था न होने से बच्चे प्यास लगने पर अड़ौस पड़ौस में पानी पीने के लिए जाते या अपने घर जाते हैं इससे समय भी काफी बरबाद होता है। मैं यह निवेदन करूंगा समस्त पाठशालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कराई जाय। क्या आप यह आश्वासन देंगी?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह मामला पंचायत समिति में सुलझाया जा सकता है वैसे सरपंच और हैडमास्टर महोदय कर लेते हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा: व्यवस्था नहीं की जाती है, यह सफेद झूठ है।

श्री मनोहरसिंह (मांडलगढ़): ऐसी पंचायत समितियों को स्कूल चलाने का क्या हक है, ऐसी पंचायत समितियों के हाथ में स्कूल रहे ही क्यों?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट श्री गंगासहाय।

मतदान पत्रों की छपाई

93. **श्री गंगासहाय (कठूमर सु.):** क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चतुर्थ आम चुनाव 196 के मतदान पत्रों की छपाई के समय राज्य मुद्रणालय अलवर के कुछ कर्मचारियों ने अनुचित एवं राष्ट्र विरोधी कार्यवाही की?

(2) क्या यह सही है कि प्रहलाद दत्त व्यास सहायक, अधीक्षक ने अपने एक गोपनीय पत्र फरवरी, 1967 द्वारा निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर का ध्यान उन कर्मचारियों की राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों की ओर आकर्षित किया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट पर निदेशक ने 3 कर्मचारियों को निलम्बित करने के आदेश भेज दिये थे?

(4) क्या यह सही है कि निदेशक ने 27-‑-67 को उन कर्मचारियों के निलम्बित किये जाने के आदेश रद्द कर दिये थे?

Page No. 8

(श्री गंगासहाय)

(5) यदि हां, तो उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध, जिन्होंने ग्राम चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में राष्ट्र विरोधी कार्यवाही की, निदेशक ने क्या कदम उठाये ?

(6) यदि कुछ कदम उठाये गये हैं, तो अब तक क्या प्रगति की गई है ?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम चुनाव में इस वर्ष राज्य मुद्रणालयों में मत पत्रों की छपाई सही ढंग से नहीं की गई थी एवं कागज अधिक मात्रा में खर्च किया गया था और मत-पत्रों की छपाई दो या तीन बार की गई ?

उप-मन्त्री (श्री शिवचरणसिंह) : (1) चतुर्थ ग्राम चुनावों के लिये मत-पत्रों के मुद्रण काल में अलवर प्रेस के कुछ कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता पूर्वक कार्यवाही की थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5 व 6) सर्वश्री बनवारीलाल, राम लहरी एवं श्री राम क्रमशः मुद्रक प्रथम श्रेणी हैड कम्प्यूटर एवं अक्षर योजक प्रथम श्रेणी के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स के तहत नियमानुसार जांच करके उनको पदावनत कर अन्य मुद्रणालयों में स्थानांतर कर दिया गया है इन कर्मचारियों को दो वर्ष तक पुनः अलवर प्रेस में स्थानांतर न करने का निर्णय भी लिया गया है।

(7) चतुर्थ ग्राम चुनावों के मतपत्रों की छपाई सही ढंग से ही की गई थी। कागज नियमित मात्रा में ही खर्च किया गया। मतपत्रों का मुद्रण निर्वाचन विभाग के प्रतिनिधि के अनुमोदन कर देने के पश्चात् ही किया गया। अशुद्धि पाये जाने पर निर्वाचन विभाग एवं संबंधित आफिसर के आदेशानुसार कहीं कहीं मत पत्रों का मुद्रण पुनः भी किया गया था।

श्री गंगासहाय : क्या इतने बड़े अपराध पर केवल स्थानान्तरण ही उचित समझा ?

श्री शिवचरणसिंह : सिर्फ ट्रांसफर ही उपयुक्त समझा गया। इसके अलावा डिग्रेड भी किया गया।

श्री गंगासहाय : उन आदेशों को वापिस क्यों लिया गया ?

श्री शिवचरणसिंह : दो साल तक अलवर वापिस नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

ग्राम महाजन में मीठे पानी का कुआ

94. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के ग्राम महाजन में एक बहुत बड़ा मीठे पानी का कुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार महाजन ने नाजायज ढंग से इस कुए का कब्जा कर रखा है ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(3) क्या यह सही है यह जागीरदार ग्रामीण गरीब जनता को परेशान व तंग करता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके ग्रामीणों को उस नाजायज कब्जा किये गये कुए से पानी लेने का अधिकार उपलब्ध करायेगी ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां ।

(2) कब्जा विवादग्रस्त है ।

(3) जागीरदार के छोटे भाई की लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत है ।

(4) कानूनी कार्यवाही संबन्धित न्यायालय में चल रही है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि गांव वालों को अभी तक भूतपूर्व जागीरदार पानी नहीं भरने दे रहा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस सम्बन्ध में मुकदमा कोर्ट में चल रहा है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : महाजन का कुआ सार्वजनिक कुआ है । भूतपूर्व जागीरदार ने इस पर नाजायज ढंग से कब्जा कर रखा है । उसके अलावा वहां कोई मीठे पानी का कुआ नहीं है । नाजायज कब्जा करके गांव वालों को परेशान कर रहे हैं । अब क्या राज्य सरकार वहां की जनता को उस कुए से पानी लेने के बारे में कार्यवाही करेगी ? यह कांग्रेस का जागीरदार है इसीलिये नाजायज कब्जा कर रखा है । वहां की जनता को बीस बीस मील से पानी लाना पड़ता है । उस नाजायज कब्जे को सरकार तुड़वायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह मामला सब-जुडिस है इसलिये अदालत ही फैसला करेगी । माननीय सदस्य जानते हैं इस साल भी वहां की जनता के लिये पानी की व्यवस्था की गई, ट्यूब-वेल्स खोदे गये, बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन ने खोदे थे उनसे पानी लेकर बराबर दे रहे हैं । यह मामला कोर्ट में चल रहा है । पंचायत एक तरफ जागीरदार दूसरी तरफ । जिस किसी के फेवर में फैसला होगा राइट डिक्लेयर हो जायगा ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : शंकराचार्य जी के भाषण से जो स्थिति पैदा हो गई थी यह तो आपको विदित ही है अभी तक जागीरदार ऐसा कौन है जो हरिजनों को पानी नहीं लेने देता ? इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न क्या है और आप इस प्रश्न को हरिजनों के साथ मिला रहे हैं । आपको रिलेवेन्ट सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहिये । यहां हरिजनों का मामला नहीं है । यह दो पार्टियों का मामला है । यह मामला सब–जुडिस है । इसमें राज्य सरकार निर्णय नहीं दे सकती । डेमोक्रेसी का डाइमेन्शन है जुडिशियरी जो फैसला देती है वह पंचायत को और जागीरदार को मान्य होना चाहिये । जागीरदार कांग्रेसी है तो क्या हुआ ? अपने राइट के लिये लड़ रहा है । आपके साथ भी जागीरदार हैं । इस बारे में कोर्ट में मामला है अतः ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) अध्यक्ष महोदय, यह कुआ कब से विवादग्रस्त है और कोर्ट में कब से इसका मामला चल रहा है, क्या प्रश्न विचाराधीन है और किस कोर्ट में कहां चल रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : फिर सब-जुडिस कैसे कह रहे हैं ?

हमारा पूछने का अधिकार है और आपका दिखलाई देने का कर्त्तव्य है। आप मजबूर करें इस तरह से....

श्री परसराम मदेरणा : आप आंखें नहीं निकाल सकते इस तरह से। आपकी आंखों से नहीं डरने वाला हूं।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विवाद कब से है, किस कोर्ट में किस मुद्दे पर कब से है, क्या नेचर है विवाद का ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : पहले वाले प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। आर्डर प्लीज। एक प्रश्न आ चुका है। इसका उत्तर आने दीजिए। इसके बाद आप रखिये। एक माननीय सदस्य ने पूछ लिया है कि मामला कहां, कब से विवादग्रस्त है, क्या नेचर है उसकी। तो उसका पहले उत्तर आने दीजिए। यस! मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह विवादग्रस्त मामला कौनसी कोर्ट में कब से चल रहा है-इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। जो सूचना पंचायत समिति से आई है वह इतनी ही है कि मामला डिस्प्यूटेड है और कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी कार्यवाही चल रही है।

सिविल कोर्ट में चल रहा है इसकी इन्फोर्मेशन मुझे मिली है। सिविल कोर्ट का मतलब मुंसिफ कोर्ट होगी।

श्री मदनसिंह : प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : श्री नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरगढ़): मेरे खयाल से यह तो पक्का होना चाहिए मंत्री महोदय को कि गांव में जो कुआ है उस पर पानी नहीं पीने देते हैं इस तरह का कोई विवाद है क्या? अगर ऐसा विवाद है तो मेरे खयाल में सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार बराबर करना चाहिए।

यह सब-जुडिस है तो आपकी जानकारी के अनुसार यह भी हो सकता है। पर सारे गांव में वह एक मीठे पानी का कुआ हो और फिर उसमें से जनता को पानी नहीं पीने देना यह तो शोचनीय स्थिति है। इस बारे में आपकी जानकारी हो तो प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान सरकार ने दूसरे कुए की व्यवस्था की है अब और जब, जरूरत थी तो तहसीलदार को लगा कर पानी का वितरण लोगों में कराया था। इस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। बाद में वह स्टे वेकेट करा दिया। अब फिर मामला कोर्ट

(श्री परसराम मदेरणा)
में चल रहा है बीकानेर में मुंसिफ मजिस्ट्रेटी में। जब मामला सब-जुडिस है तो विवाद का प्रश्न नहीं रहता।

अब दूसरा कुआ बोर कर दिया है वाटर वर्क्स का उससे पानी मिल रहा है। तीसरा ट्यूब वैल और खोद दिया गया है। वह भी सरकार चला रही है। तो अब जहां दो-दो कुए मीठे पानी के चल रहे हैं तो यह कहना कि लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है यह सूचना सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह बोर तो अब किया है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दौता।

श्री मदनसिंह : सवाल सीधा सा है। कोर्ट में मामला राइट का चल रहा है। यह तो नहीं चल रहा है कि अमुक हरिजन इस कुए पर पानी के लिए नहीं चल सकता। प्रश्न यह है कि क्या हरिजन उस कुए पर से पानी पी सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : अलग से नहीं है। इसी से सम्बन्धित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह मामला कोर्ट में कब से विचाराधीन है ? नम्बर दो पंचायत समिति होने से पहले अगर यह कुआ सार्वजनिक था तो रेवेन्यू विभाग में इसका रिकार्ड होगा और उस पर से सरकार को भी इसमें अधिकार बनता है। अब यदि झगड़ा था तो सरकार स्वयं मुद्दई बनकर इसकी एक पार्टी क्यों नहीं बनी ? सरकार का इस पर क्या एटीट्यूड रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जो अदालत में चल रहा है पिछले दो साल से चल रहा है और इस पर चल रहा है कि पानी पीने का राइट किसका है। अब राइट के सम्बन्ध में तो फैसला कोर्ट करेगी, पर गांव वालों की डिफिकल्टी नहीं है। वहां दो दो कुए हैं जैसा मैंने अर्ज किया है। दोनों चालू हालत में हैं और टैंक ओवरहैड भी बन चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें कुए का ओनरशिप डिस्प्यूटेड नहीं है। पानी लेने का राइट डिस्प्यूटेड है। कुए की ओनरशिप किसकी मानी है ? सार्वजनिक पंचायत की या जागीरदार की ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं नहीं कह सकता कि कोर्ट में क्या इस्यूज हैं। क्या तनकियां बनी हैं ? पर जैसा बताया गया वहां पर पानी के राइट्स के बारे में डिस्प्यूट चल रहा है, ओनरशिप का भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, राइट ऑफ ओनरशिप का प्रश्न है। यह पंचायत का है या भूतपूर्व जागीरदार का, यह इनके बीच में विवाद चल रहा है। अब यह भी कहा जाता है कि यह सार्वजनिक कुआ है। इस स्थिति में जैसी शंका प्रकट की है यह स्पष्ट जानकारी आनी चाहिये कि यह झगड़ा कब से चल रहा है किस बात पर चल रहा है, किस कोर्ट में चल रहा है। और क्या

Page No. 12

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार की तरफ से भी कोई पैरवी हो रही है इसमें ? अगर सार्वजनिक कुआ यह है तो ? ये सारे प्रश्न के मुद्दे हैं जिन पर उत्तर स्पष्ट नहीं है। अब इन पर आप स्पष्टीकरण कर सकें तो अच्छा है नहीं तो दूसरा मौका दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने निवेदन किया कुआ जागीरदार ने अपने पजेसन में कर रखा है और उसने रेलवे से एग्रीमेन्ट कर लिया है। रेलवे को वह पानी दे रहा है। गांव वालों को नहीं दे रहा था इसलिए डिस्प्यूट हुआ कि हम लोगों को भी पानी पीने का हक है। उस हक के मुतल्लिक मामला कोर्ट में चल रहा है। अब यह किस स्टेज पर है यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। कोर्ट ने क्या तनकियां कायम की हैं, यह जानकारी होती तो मैं बता देता।

श्री दौलतराम सारण : यह गांव आबाद हुआ तब से आज तक यह सार्वजनिक कुआ है। इसके अलावा कोई कुआ नहीं है क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : कुए दो और हैं इस गांव में और कुआ नहीं है, यह बात सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो अब बोरिंग हुआ है। इससे पहले कोई कुआ नहीं था। यही एक था और इसी कुए से लोग पानी पीते आये हैं और अब जाकर आबादी आने के बाद में जागीर रिजम्पशन के बाद में जागीरदार का बन गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, श्री भीमसेनजी, उपमन्त्री से पूछ लिया जावे कि इस पर कब्जा किसका था ?

(श्री भीमसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : पूछा जाये यह प्रश्न मेरे विचाराधीन है। आप तो सम्बन्धित मंत्री नहीं हैं ?

श्री भैरोंसिह : ब्रीफ ही ले लें उनसे आप।

श्री अध्यक्ष : आप देना चाहें तो दे दीजिये, पर बाकी मैं पूछने की हालत में नहीं हूं।

श्री भैरोंसिह : यदि इस प्रश्न पर पूरी इन्फोर्मेशन नहीं है तो इसे स्थगित रखा जावे और जो प्रश्न का उत्तर न दे पाये हैं वे उसकी जानकारी प्राप्त करके अगले सप्ताह उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह कब से मुकदमा दायर हुआ है ? कहां ? किस अदालत में है ? यह सारी जानकारी देने के बाद स्थगित करना नहीं करना–इस पर निर्णय दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर) : पब्लिक के काम में और जगह तो आप पब्लिक पर्पज की आड में हजारों रुपया खर्च कर देंगे, पर यहां गांव के लोगों के पीने के पानी के नाम पर उनकी पानी पीने की समस्या को हल करने के लिये उस कुए को रिक्वीजीशन करके नहीं ले सकते ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा। आर्डर प्लीज। श्री बोहरा।

ग्राम असनावर में दुकानें एवं गुमटियां हटाने का मामला

95. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि असनावर ग्राम में झालरापाटन-अकलेरा रोड पर जो दुकानें एवं गुमटियां बनी हुई हैं उन्हें हटाने के लिये केस चलाये गये हैं? यदि हां, तो किन किन पर? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह दुकानें आदि बहुत साल पहले से बनी हुई हैं? यदि हां, तो फिर इन्हें हटाने को अभी क्यों मजबूर किया जा रहा है?

(3) क्या यह दुकानें आदि सड़क से दूर स्थित हैं?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां, जिन पर अब तक अभियोग चलाये गये हैं उनकी सूची प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, निर्माण विभाग की भूमि में अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं, यह दुकानें निर्माण विभाग की रोड बाउन्डरी में हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि यह जमीन ग्राम पंचायत के द्वारा दी गयी है और ग्राम पंचायत को पार्टी नहीं बनाया गया है?

श्री माधोसिंह : जमीन ग्राम पंचायत ने दी है जरूर लेकिन हमारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है उनको पार्टी बनाया गया। ग्राम पंचायत को पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : ग्राम पंचायत ने जमीन दे दी है तो उसको पार्टी बनाया जाना चाहिए था और दूसरा प्रश्न यह है कि सूची में केवल 7 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है लेकिन वहां पर 33 आदमियों को परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा है। क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि 33 के खिलाफ केस चलाया जा रहा है?

श्री माधोसिंह : केस और भी किये गये हैं और जिनके खिलाफ नाजायज कब्जा साबित होगा उनके खिलाफ जरूर चलाये जायेंगे।

श्री रामप्रसाद बोहरा : इस समय 33 आदमियों के ऊपर केस हैं?

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : यह गुमटियां कब बनीं?

श्री माधोसिंह : 1965 के अन्दर ग्राम पंचायत से अलाटमेन्ट कराया और मकान बनाये और उत्तर में भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन दी गयी है तो कानूनन

(श्री माधोसिंह)
वाजिब हुआ तो ग्राम पंचायत को पार्टी बनाया जायेगा।

श्री जुझारसिंह : जब 1965 में इजाजत मिली तो 69 तक आपने क्या किया? जिस समय इनको इजाजत मिली उस समय से रोकने की क्या कार्यवाही की आपने?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : ऐसा है कि एन्क्रोचमेन्ट के लिए भी रास्ते होते हैं। पहले इजाजत ली जाती है, तगारी लेकर बैठ जाते हैं, फिर उसके आगे कच्चा काम करते हैं, फिर पुख्ता इमारत बनाई जाती है एक दम एन्क्रोचमेन्ट नहीं होता है। यह हालत है सड़कों की एन्क्रोचमेन्ट की।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन गुमटियों के बारे में चर्चा हो रही है उनके बनाने में भी चार-छः महीने लगे होंगे तो जब वह बननी शुरू हुई नहीं थी तो आपने उस समय उनको रोका नहीं था?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, एन्क्रोचमेन्ट जिन्होंने किया और विभाग को मालूम हुआ तो पहले यह कोशिश की जाती है कि इसको कोर्ट में नहीं ले जायें और आदमियों को समझा दें कि तुम एन्क्रोचमेन्ट मत करो। उसके अलावा अन्य लोगों को भी कहा। जब वह मानने के लिए तैयार नहीं थे तो ऐसा करना हमारे लिए जरूरी हो गया।

श्री अध्यक्ष : समझाइश में कितना समय लगा?

श्री माधोसिंह : जो एन्क्रोचमेन्ट करता है उसको हम समझाते हैं। आखिर पक्का मकान बना लिया तो अदालत की शरण लेनी पड़ी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी तौर पर आपने आफिशियली दावा किया है वह तो टिपीकल आफिशियल दावा है ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हर चीज के दो पक्ष होते हैं। कहीं कहीं यह भी देखने में आया है कि रिश्वत खाने की गरज से लोगों के मकान, लोगों की दुकानों के ऊपर अतिक्रमण लोग करते हैं तो बीच-बचाव के रूप से, सरकार ऐसा मध्यमार्गी रास्ता नहीं बना सकती कि सड़क का कुछ रुख पलट करके गुमटियों को ज्यों का त्यों रख दिया जाये क्योंकि इनका कब्जा तो पक्का है और पुराना है तो आपको चाहिए कि सड़क को इस तरह से मोड़ कर बनाया जाये कि लोगों को परेशानियां नहीं हों। यह तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। इसमें प्रेस्टीज और फाल्स सेन्स आफ प्रेस्टीज का सवाल नहीं है कि इन गुमटियों को तो तोड़ कर ही रहेंगे। यह ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। आपको उदारतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक इस तरह से विचार करना चाहिए। आखिरकार लोगों की मिल्कियत का सवाल है। मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि इस संबंध में गंभीरतापूर्वक और निष्पक्षतापूर्वक नौकरशाही की नहीं सुनते हुए कोई मध्यम मार्ग अपनायें। लेकिन आजकल नौकरशाही की अंधाधुंधी के बारे में मैं विशेष अनुभव कर रहा हूं। इस कारण से मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह केस अभी सब-जुडिस है और हमारे लिए कुछ भी कार्य

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
करना बिलकुल गलत कार्यवाही होगी। लेकिन जब फैसला हो जाता है और हमसे कोई एप्रोच करता है तो वह अपने तरीके पर करता है। जरूर हम भी यह चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह किस अदालत में सब-जुडिस है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोटा में एस्टेट ऑफिसर के पास चल रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) : इनके अपने आफिसर्स होते हैं और अपने कायदे बना रखे हैं। केस भी चालान कर दिया और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स होते हैं उनके सामने न तो डाकुमेंट्स के बारे में विचार करते हैं, न एवीडेन्स का मौका देते हैं और जो निर्णय कर लेते हैं। अगर यह इस परिणाम का बेसिस है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि पहले उनको आल्टरनेटिव एकोमोडेशन दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि यह जनरल क्वेश्चन है। एन्क्रोचमेंट रोड्स के ऊपर करीब-करीब सारे राजस्थान में हो रहे हैं और कम से कम हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या पी. डब्लू. डी. जल्दी कार्यवाही करने के लिये कोई ऐसा कानून बनायेगा जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं हों। जब सब काम हो जाता है, मकान बन जाते हैं आदमी रह लेते हैं तो चार चार और छः छः साल के बाद एक्शन लेते हैं इससे लोगों को परेशानी होती है। तो क्या कानून बनाये जा रहे हैं कि जिससे ऐसी चीज पैदा नहीं हो और एन्क्रोचमेंट होते ही उनको बेदखल किया जाये?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो यही की जाती है कि जल्दी से जल्दी ज्योंही इत्तिला आये एन्क्रोचमेंट के खिलाफ कार्यवाही की जाये। यदि इत्तिफाक से इत्तिला नहीं आती या नहीं मालूम हो तो जितनी देर लगती है वह ज्यादातर नेगोसियेशन्स में देरी लग सकती है। इस कार्यवाही में टाइम लगता है लेकिन हमारी यही कोशिश है कि एन्क्रोचमेन्ट नहीं होने दिया जाये और उसका कानून बना हुआ है। उसमें तो ऐसी बात नहीं है।

श्री जुझारसिंह : यह तो प्रश्न को भुगताने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा है कि 65 से चल रहा है यह एक केस आपके सामने लाया गया और ऐसे सैंकडों केसेज हैं और कार्यवाही नहीं हुई है।...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा नल लगवाने के लिए एकत्रित राशि

96. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कठूमर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में नल लगवाने के लिये ग्रामवासियों से कुछ फण्ड इकट्ठा करने का फैसला किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
था ? यदि हां, तो यह फण्ड प्रति परिवार कितना कितना वसूल करना तय किया था ?

(2) क्या इस फैसले के अनुसार कुछ फण्ड ग्रामवासियों से वसूल किया गया ? यदि हां, तो कितना ?

(3) इस फण्ड के लिये वसूली करने के लिये रसीदें किस किस के हस्ताक्षरों से काटी गईं ?

(4) क्या यह सही है कि जितना रुपया जनता से वसूल किया गया वह पूरा पंचायत की रोकड़ में जमा नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो बतावें कि कुल कितनी रसीदें काटी गई थीं और उन पर कितना वसूल होना पाया जाता है ?

(5) क्या इस नल योजना के लिए चन्दे की वसूली में स्थानीय विकास अधिकारी का भी हाथ था ? यदि हां, तो क्या उनके हाथ से जितनी रसीदें कटीं उसका रुपया उन्होंने पंचायत में जमा करा दिया ?

(6) क्या यह सही है कि इस नल योजना के लिये जनता से फण्ड की वसूली के बारे में जनता ने गबन की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(3) ग्रामवासियों के सार्वजनिक सभा में लिये गये निश्चय के अनुसार चन्दा वसूल किया गया । रसीदें उस समय के विकास अधिकारी के हस्ताक्षरों से काटी गईं ।

(4) जी नहीं, 630 रु. वसूल हुआ । रसीदों की संख्या ज्ञात नहीं ।

(5) रुपया पंचायत समिति में जमा है ।

( ) जी नहीं, शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं । जिससे जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कुल कितनी रसीदें काटी गईं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया संख्या मालूम नहीं है । 630 रुपये की रसीदें कटी हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल तो यही है जितनी रसीदें काटी हैं उन सब का पैसा जमा नहीं हुआ । 630 रुपये एकत्रअली वसूल किये गये यह आपने कैसे जानकारी की ? जो रसीदें नहीं काटी थीं इनकी आपने कैसे जानकारी की ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, 630 रुपये पंचायत समिति के पास जमा हैं और ऐसी कोई शिकायत पंचायत समिति के पास या राज्य सरकार के पास नहीं आई है कि 630 रुपये से ज्यादा जमा हुआ है क्योंकि गत वर्ष में भी ग्रामवासियों ने पंचायत के हाल में दो बार चन्दा इकट्ठा करने के लिए मीटिंग की थी और उन्होंने पुष्टि की है कि 630 रुपया पंचायत समिति के पास जमा रहने दिया जाये और

(श्री परसराम मदेरणा)
आगे चन्दा इकट्ठा किया जाये। ऐसी शिकायत अगर होती तो ग्रामवासियों की जो ग्राम सभा हुई उसमें ऐसी शिकायत आती और उसका एतराज भी होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शिकायत के सबूत का क्वेश्चन तो यह है कि शिकायत करने वाले पहुंचे हैं तभी यह क्वेश्चन आया है। दूसरे वह कहना केवल मीटिंग में काफी नहीं है यह अकाउन्ट की बात है। रसीदें कितनी काटी हैं उसमें कितनी रकम है और वह एक्चुअल से मेल खाती है या नहीं? मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या आपने यह अश्योर कर लिया है कि जितनी रसीदें छपी हैं और जितनी कटी हैं उसका रुपया 630 रु. होता है? यह अश्योर कर लिया है तो कह सकते हैं गबन नहीं हुआ है और मीटिंग में शिकायत नहीं की लोगों ने। इसके मेरे पास सबूत हैं शिकायत उनकी आई है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास शिकायत नहीं आई है। माननीय सदस्य मुझे शिकायत दें तो मैं जांच करवा लूंगा। जो कुछ चन्दा दिया है उसकी एन्ट्री होगी। 630 रु० की रसीद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्पेयर कराया गया है या नहीं? जो अमाउन्ट जमा हुआ है उसको आप कम्पेयर करा कर कहते हैं कि...

श्री परसराम मदेरणा : इसी बात को मैं कह रहा हूं। चेकिंग से नहीं कह सकता, ओरीजनल को देखा नहीं है। इस तरफ इशारा नहीं था कि जितनी रसीदें काटी हैं उतने ही पैसे जमा हुये तो जानकारी करा लेता। जो कुछ जानकारी आई है वह यही है। जो कम्प्लेन्ट है उसको आप मुझे दे दीजिये उससे मैं सदन को और माननीय सदस्यों को जैसा होगा अवगत करा दूंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न में साफ़ तौर से पूछा गया है कि कितनी कितनी रसीदें काटीं, किस किस के हस्ताक्षर से रसीदें कटीं? जो रसीदें काटी गई हैं उसके लिए अलग कम्प्लेन्ट की क्या आवश्यकता है? आपको यह जवाब देना चाहिये था। पहले आपको जांच करके अश्योर कर लेना चाहिये था। आप क्लीयर कट जवाब दे दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा अभी उत्तर में निवेदन किया जा चुका है रसीदें विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से काटी गई हैं। जो रकम जमा हुई है 630 रु. वह पंचायत समिति में जमा हुई है। यह ग्राम पंचायत का रिजोल्यूशन था नहीं। ग्रामवासियों ने नल योजना के लिये मीटिंग बुलाई और प्रेरित किया, विकास अधिकारी का पंचायत समिति में रिजोल्यूशन था— आप रसीदें काट दीजिये। विकास अधिकारी ने रसीदें काटीं और पंचायत कोष में जमा हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट!

श्री गंगासहाय (कठूमर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है चूंकि यह मेरे क्षेत्र से भी

(श्री गंगासहाय)
सम्बन्धित है। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे यह पैसा किस अकाउन्ट में जमा है? क्या यह पैसा किसी बैंक में जमा कराया है?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मुझसे पूछी नहीं गई है?

श्री गंगासहाय : यह विकास अधिकारी ने अपने नाम से पैसा जमा कराया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 97।

कांटेदार तार की खरीद

97. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि मंत्रालय जयपुर द्वारा किस किस वर्ष में किस किस फर्म से किस किस दर से कितना कितना कांटेदार वायर खरीदा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वायर किस किस जगह कितना कितना कार्य में आया, कितना शेष बचा है और वह कहां पर है?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) :

(1) कांटेदार तार 65–66 से 67–68 तक विभिन्न दरों पर विभिन्न सप्लायर्स से क्रय की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) क्रय किया हुआ वायर अलग अलग साल में अलग अलग विभिन्न कार्यों पर दिया गया। यह विभिन्न कार्य विभिन्न सरकारी विभागों के थे। शेष वायर भन्डार में है। इन सबका ब्यौरा संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री श्रवणलाल : यह जो वायर खरीदा गया है इसके लिये टेन्डर इनवाईट किया गया था?

श्री हरिसिंह : 65-66 में जो वायर खरीदा गया है इसका ब्यौरा इस सूची में उल्लिखित है।

श्री श्रवणलाल : मेरा कहना है बाहर से आपके विभाग ने टेण्डर इनवाईट किया था और किया था तो किन किन के टेन्डर आये और किसका टेन्डर मंजूर किया गया।

श्री हरिसिंह : जो खरीद की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार की गई है और जो टेन्डर काल किये गये हैं वे उसी प्रकार किये गये हैं। आप टेन्डर की डिटेल की बात पूछते तो मैं इस तरह का पूरा जवाब दे देता।

श्री श्रवणलाल : कितने टेन्डर आये?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बता दें। जो सूची दी है उसमें यह लिखा है एक टन विभिन्न जोब्स पर, इस जोब्स का क्या मतलब है?

श्री हरिसिंह : सुनाई नहीं दिया।

श्री श्रवणलाल : कितने टन आपने जो सूची के कालम 1 में 140 विभिन्न जोब्स पर दिया गया इसका क्या मतलब है?

श्री हरिसिंह : यह अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्य के लिये हैं इस कारण डिटेल्स

(श्री हरिसिंह)
दिये गये हैं। कालम नं. 3 में विभिन्न कालम के डिटेल्स दिये गये हैं। कितनी कितनी मात्रा में तार दिया गया है यह भी इसमें अंकित है।

श्री श्रवणलाल : आपने जो विभाग के द्वारा विभिन्न जोब्स विभाग के कार्य के लिये दिया गया है यह माना जाय। अब आप यह बता दीजिये यह सूची जो दी है जिसमें करीब 26 हैं तो क्या ये दिये हुये इन विभागों के लिये बेचे गये हैं। जो आपने अपने विभाग के द्वारा उन विभागों को बेचा हुआ है ?

श्री हरिसिंह : कृषि मंत्रालय द्वारा जिस विभाग की जैसे जैसे मांग आई वैसे वैसे दिये गये हैं ?

श्री श्रवणलाल: और तो आपने सब लिख रखा है। जिस विभाग को दिया है उसका हवाला नं. 1 और 3, 4 में आपने लिखा है। कितना टन विभिन्न जोब्स पर दिया गया–क्या उसको बेचा हुआ समझा जाय या फ्री में दिया हुआ समझा जाय–क्या समझा जाय ?

श्री हरिसिंह : कृषि मंत्रालय द्वारा सिरियल नं. 1 से 7 जो जोब्स मेन्टेन की गई हैं वही कृषि मंत्रालय का विवरण है यह सिरियल नं. 1 से 8 में है। अब सीरीयल नं. 8 से 26 तक है उसमें बेचा गया है।

श्री श्रवणलाल : मेरा पर्टीक्यूलर प्रश्न यह है कि कृषि मंत्रालय द्वारा किस किस फर्म को किस किस वर्ग को कितना कितना वायर बिक्री किया गया है दूसरा उपरोक्त वायर जो बचा है वह किस किस काम में आया ? कहां कितना आया, और कहां कितना आया, शेष कितना रहा। अगर विभिन्न पर्टीक्यूलर विभिन्न जोब्स पर आया तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता इसलिये यह जानकारी चाहिये विभिन्न जो शब्द लिया वह किस किस जगह काम में लिया गया है।

श्री हरिसिंह : इसमें 26 अलग अलग कालम हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आ रहा है····

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष जी, करीब एक टन कांटेदार तार थे एग्रीकल्चर वर्कशाप के काम में आये जो 1 से 7 कालम तक बाकी 8 से 26 कालम तक दीगर विभागों को बेचे गये हैं। इसमें आप देखेंगे 60 टन के करीब दीगर विभागों को बेचे गये। दीगर विभागों को जो माल सप्लाई किया उसकी वजह यह है कि वह अपने एग्रीकल्चर फार्म्स को फेनसिंग करते थे जो फेनसिंग पाईप को हमारा वर्कशाप बनाता था इसलिये जो पाईप बनाये जाते थे उनमें वह फेनसिंग वायर लगाकर सप्लाई करते थे। 61 टन 60 टन के करीब विभिन्न विभागों ने डिमान्ड पेश की, उनको दिया गया है और जो उनकी एग्रीकल्चर वर्कशाप की जरूरत थी वह करीब सवा डेढ़ टन की थी। जो दीगर विभागों की रिक्वायरमेंट थी वह विभिन्न कार्यालयों में इस्तेमाल की गई।

श्री श्रवणलाल : क्या ये कृषि मंत्रालय में काम में आ रहे हैं ?

श्री शोभाराम : कुछ काम में आये कुछ पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरे पास कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री अवणलाल : अध्यक्ष महोदय मैंने यह जानकारी चाही थी कि शेष जो बचे हुये हैं वह कहां पर हैं। यह नहीं बताया गया है कि किस स्थान पर है ?

श्री शोभाराम : आयन्दा जो डिमान्ड की जावेगी वो पड़े हुये तार में से सप्लाई किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर !

आई. पी. एस. एवं आर. पी. एस. अधिकारियों की पदोन्नतियां

98. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 7 मार्च, 67 को जयपुर नगर में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने हेतु कौन कौन आई. पी. एस. एवं आर. पी. एस. अफसरान लगाये गये थे ? इनमें से किन-किन को कब-कब पदोन्नत किया गया अथवा उनके पदों को अपग्रेड कर दिया गया ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उस समय उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त हैड कान्स्टेबल से ऊपर के और कौन-कौन व्यक्ति ड्यूटी पर थे ? उनमें से भी किन किन को कब कब पदोन्नत किया गया अथवा उनके पद को अपग्रेड किया ? इसकी भी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) वांछित तालिका "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित तालिका "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 7 मार्च, 67 को जो अफसरान ड्यूटी पर लगाये हुये थे जयपुर शहर में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसमें सूची तालिका "अ" में 17 नम्बर, 21 नम्बर और 24 नम्बर पर जिनके नाम अंकित हैं, क्या यह सही है कि वे उस तारीख को आई. पी. एस. नहीं थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 17, 21 व 24 नम्बर वालों को आर. पी. एस. की पोस्ट पर काम करने के लिए प्रमोशन कर दिया गया था। उनका कन्फर्मेशन उस समय नहीं हुआ था। कन्फर्मेशन बाद में हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका आर. पी. एस. में कन्फर्मेशन राज्य सरकार ने कब किया ? जयपुर में जो गोलीकाण्ड हुआ उसके बाद हुआ ? इन आफिसर्स में से जो जयपुर में लगे हुए थे जो कि आर. पी. एस. नहीं थे उनका सिलेक्शन आर. पी. एस. में बाद में हुआ किसी का ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बाद में ही कन्फर्मेशन हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 7 मार्च, 67 को जयपुर शहर में जो गोलीकाण्ड हुआ उस समय और भी अफसरान लगे हुए थे। अधिकांश को आपने प्रमोशन दिया है तो बाकी के लोगों को क्यों छोड़ दिया है। सरकार ने कब उनको प्रमोशन दिया है ?

Page No. 21

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने 7 मार्च, 67 को जो ड्यूटी पर लगे हुए थे उनके बारे में पूछा है उन्हीं की सूची दी है बाकी का प्रमोशन औरों का भी हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ कि बाकी को क्यों छोड़ दिया इनाम देने से? उन्होंने तो आपका राज्य बनवाया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनमें से किन किन अधिकारियों को रैकार्ड में हेर फेर करने के कारण प्रमोशन दिया गया है और किन को गोलियां चलाने के कारण?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो कारण आप बता रहे हैं उन कारणों से किसी को प्रमोशन नहीं मिला है। जिनका प्रमोशन ड्यू था उनको प्रमोशन मिला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाबूलाल सब-इन्सपेक्टर को जो प्रमोशन दिया गया था वह सीनियर मोस्ट एस. आई. नहीं था उसको प्रमोशन किस आधार पर दिया गया?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो प्रमोशन दिया गया है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे जनरल सवाल के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उसी के बारे में निवेदन कर रहा हूँ। ये सीनियर थे या नहीं मैं इस वक्त नहीं कह सकता हूँ। जो प्रमोशन किये जाते हैं उनसे यदि कोई अधिकारी असन्तुष्ट हो तो उसको अपील करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया है इसके बारे में।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : इनमें से कितने व्यक्तियों को रिटायर्ड होने के बाद रिएपोइन्ट किया गया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय के तात्कालिक गृह मंत्री को प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया बाकी के सब को दे दिया?

श्री अध्यक्ष : वे चीफ मिनिस्टर थे उनको प्रमोशन की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : उनके लिए चीफ मिनिस्टर का प्रमोशन ....

एक माननीय सदस्य : उनको चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं। वे खुद प्रमोशन कैसे ले सकते थे?

श्री अध्यक्ष : यह वाजिब फर्माया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये नहीं थे उस समय गृह मंत्री। उस समय गृह मंत्री अध्यक्ष महोदय थे उनको प्रमोशन नहीं मिला बाकी सबको मिल गया।

श्री अध्यक्ष : सदन ने इतना बड़ा प्रमोशन दे दिया। इससे अधिक नहीं हो सकता था।

Page No. 22

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब इस जगह को छोड़कर नहीं जायं नहीं तो अध्यक्षों की बड़ी हालत खराब होती है ।

श्री अध्यक्ष : मैं अकेला नहीं जाऊंगा । आपको साथ लेकर जाऊंगा ।

भाषा नीति

99. **श्री रामकिशन (बैर)** : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने कोई भाषा नीति घोषित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ।

(2) क्या उक्त भाषा नीति पर पूर्ण रूपेण आचरण करने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित कर ली है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या उक्त अवधि के अनन्तर पूर्ण घोषित नीति के अनुसार आचरण आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने भाषा नीति पर अमल करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या भाषा नीति पर अमल कराने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई हैं ? यदि हां, तो क्या उनके निवारणार्थ सरकार ने निर्धारित अवधि के दौरान कोई प्रयत्न किये हैं, यदि किये हैं, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

भाषा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां, इस संबंध में आदेश दिनांक 27-1-65 तथा 8-12-67 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां । उक्त आदेश में कुछ अपवादों को छोड़कर निश्चित तिथि 26-1-68 है ।

(3) जी हां, विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है ।

(4) जी हां, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(5) जी हां, प्रयत्नों का विवरण संलग्न है । परिणाम अधिकांशतः संतोषजनक निकला है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन : आपने जो सीमा दी थी उसके अन्दर कितने गैर हिन्दी भाषी अधिकारी 45 से ज्यादा उम्र के थे और कितने लोग 45 से कम उम्र वाले थे ? इस अवधि में कितनों ने हिन्दी सीखकर राज्य भाषा में काम चालू कर दिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार को इसका इल्म नहीं है । आप अलग से पूछ लें ।

श्री रामकिशन : आपने जो जबाब दिया है उसमें रेफरैन्स आपने दिया है तो अन्दाज कैसे लगा सकते हैं ? आपने कहा कि इतना प्रतिशत हो गया है तो पर्सेन्टेज की जानकारी कैसे मालुम पड़ सकती है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पर्सेन्टेज की जानकारी विभिन्न विभागों से की गई है कि आपके यहां कितने पर्सेन्ट काम हिन्दी में हो रहा है ? उनके यहां से जो जानकारी आई है

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
उसका विस्तृत विवरण आपको दिया गया है। इसमें इस प्रकार की जानकारी नहीं की गई है कि आपके यहां कितने अधिकारी ऐसे हैं कि जिनकी 45 वर्ष की उम्र है और जो गैर-हिन्दीभाषी हैं और कितने अधिकारी 40 के और 45 से कम उम्र के हैं और पांच साल की उनको छूट है। इस बारे में अलग से सवाल पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके पास मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग है उसमें कितना परसेन्ट काम हिन्दी में होने लगा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामकिशन : आपने जो दूसरी अवधि निश्चित की है इसमें कितना पर्सेन्ट काम पूरा हो गया है और कितना बाकी रहा है हिन्दीकरण में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : विवरण में सारी पर्सेन्टेज दी हुई है।

श्री रामकिशन: विवरण में कुछ भी नहीं है। इसमें खाली यह है कि विभाग में कितने सर्क्यूलर हिन्दी में हुए हैं ? कितने नियम हिन्दी में हुए हैं ? इसमें कितना पर्सेन्ट काम हिन्दी में शुरू हो गया है उसका कोई विवरण इसमें नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : विभाग की पूर्व निर्धारण शाखा की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लगभग सभी अतकनीकी विभागों में हिन्दी में ही कार्य हो रहा है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न अधीनस्थ विभागों के सचिवालय स्थित विभागों में हिन्दीकरण का कार्य उनके सामने अंकित प्रतिशत के अनुसार हो रहा है।

पुलिस विभाग	90 प्रतिशत
सचिव, प्राथमिक एवं माध्यम शिक्षा बोर्ड	90 प्रतिशत

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जितने आपके अधिकारीगण हैं उनमें से कितने अंग्रेजी में पत्र लिखकर हिन्दी में दस्तखत करते हैं और कितने हिन्दी में पत्र लिखते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो विभाग की सूचनाओं के ओवरआल एवरेज के आधार पर डेटा कलेक्ट करवाये गये हैं उसी आधार पर सूचना दी गई है।

श्री अध्यक्ष : जो अंग्रेजी में पत्र होता है और हिन्दी में हस्ताक्षर होते हैं उनको हिन्दी का मान लेते हैं या उसको अंग्रेजी का मान लेते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अंग्रेजी का पत्र हो तो अंग्रेजी का कहते हैं चाहे हिन्दी में हस्ताक्षर हों।

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय इस स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं कि पत्र हिन्दी में हों और दस्तखत अंग्रेजी में हों ? यह करने को तैयार हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक कोशिश होती है यही करते हैं कि सारा पत्र हिन्दी में लिखा जाय। परन्तु जब भारत सरकार और दूसरी जगहों के पत्र आते हैं तो उनका जवाब अलग से अंग्रेजी में होता है।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां भी पत्र अंग्रेजी में आते हैं मुश्किल यही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मैं कबूल करता हूं। वैसे कई जगहों पर कई हिन्दी भाषा में लिखते नहीं हैं। लेकिन उनको यहां तक सुविधा दी गई है, सेक्रेटेरियेट में वे टेलिफोन पर जब कभी ट्रान्सलेशन की जरूरत पड़ती है किसी शब्द की जरूरत पड़ती है तो पूछ सकते हैं। दूसरा कोई शब्द हो सकता है उसकी जरूरत पड़े तो टेलिफोन सेवा नियुक्त कर दी है।

श्री नत्थीसिंह : भाषा विभाग में कितना काम हिन्दी में होता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भाषा विभाग में मैं समझता हूं कि हिन्दी में ही होना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : अच्छी तरह देखकर बतायें।

श्री अध्यक्ष : कागज कहीं अंग्रेजी का लिखा हुआ इनके पास नहीं हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक बात निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाषा विभाग का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि मेरे सामने जितनी भी टिप्पणियां आती हैं वे हिन्दी में आती हैं। यदि भाषा विभाग में कहीं ऐसा हुआ है और वह जाहिर हुआ तो एक्शन लिया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सारे मंत्री महोदय, हिन्दी में ही कार्य करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई मंत्री हिन्दी में कार्य करते हैं और कई अंग्रेजी में कार्य करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : कितने मंत्री ऐसे हैं जो हिन्दी में नहीं समझ पाते हैं इसलिए अंग्रेजी में कार्य करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपवाद स्वरूप टेक्निकल मामलों में ही अंग्रेजी में कार्य करते हैं।

श्री रामकिशन : क्या एक भी मंत्री ऐसा है जो अंग्रेजी समझता है ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : जो शुद्ध अंग्रेजी बोले और लिख सकते हैं।

श्री रामकिशन : यह क्या सही है कि भाषा विभाग में अभी तक कई टाइपराइटर्स अंग्रेजी के हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भाषा विभाग में जहां तक मेरी जानकारी है एकाध टाइपराइटर अंग्रेजी का होगा, बाकी सभी हिन्दी के हैं।

श्री रामकिशन : सूची में किन विभागों में कितना काम हिन्दी में होता है वह बताया गया है। भाषा विभाग का नाम इसमें नहीं है। इससे पता नहीं लगता है कि वे हिन्दी में काम कर रहे हैं या अंग्रेजी में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भाषा विभाग का काम सेन्ट पर्सेन्ट हिन्दी में होगा इसलिए नहीं आया है।

श्री रामकिशन : सेन्ट पर्सेन्ट वालों का भी दिया है। भाषा विभाग का इसमें जिक्र नहीं है।

(12 मध्याह्न)

सुनेल झालरापाटन सड़क कार्य

100. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुनेल-झालरापाटन रोड कब मंजूर की गई थी और उस पर कितने माइल में काम पूरा किया जा चुका है ?

(2) चालू वर्ष में इस सड़क पर कितनी मंजूरी है और कितना काम किया जा चुका है ? कृपया मय गांवों व मील के नम्बरों के बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सड़क को बनाने में चालू रास्ते से अलग नई सड़क बनाई जा रही है व बिना गजट नोटिफिकेशन बिना मुआवजा व बिना लोगों की मंजूरी के जोर जबरदस्ती काम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सड़क का एलाटमेंट तब्दील किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसे स्थगित किया जावे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न पर मुलाहिजा फरमायें। इस प्रश्न पर क्या परेशानी आ पड़ी है जिसका जवाब जयपुर में नहीं मिल सकता है। 15 दिन या एक महीने में इसका उत्तर आ सकता था।

श्री माधोसिंह : फिर जवाब दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या जाता है ? इधर उधर देखकर उत्तर दे दीजिए।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर फिर दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट

फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन

101. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के विस्थापितों को राजस्थान नहर में भूमि आवंटन के आदेश जारी किये हैं ?

(2) यदि हां, तो कितनी भूमि प्रति व्यक्ति मिलेगी और कितनी कीमत पर और कितनी किस्तों में रकम देनी पड़ेगी या भूमि बिना मूल्य दी जावेगी ?

(3) आज तक कितने ऐसे आदमियों को भूमि आवंटित की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं की गई और भविष्य में सरकार कब तक भूमि आवंटन कर देगी ?

(4) क्या यह सही है कि पंजाब व हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के लिये लाखों एकड़ भूमि रिजर्व की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि आज तक जैसलमेर के विस्थापितों के लिये कोई भी भूमि आरक्षित नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों नहीं की गई ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) जी हां।

(श्री मनफूलसिंह)

(2) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(3) प्रश्न विचाराधीन है।

( ) जी हां। पंजाब व हिमाचल प्रदेश विस्थापितों के लिए राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 2·15 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।

(5) प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री बालसिंह सोढ : कब से विचाराधीन है?

श्री म. शन : जब से सरकार बनी है।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, कब से विचार हो रहा है? क्या विचार हो रहा है?

श्री मनफूलसिंह : जहां तक कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट का प्रश्न है, 4 हजार एकड़ भूमि इसके लिए आरक्षित कर दी गई है। उसकी एक मीटिंग होना बाकी है। यह मीटिंग होने के बाद यह भूमि उनको एलाट कर दी जाएगी।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि राजस्व विभाग और कोलोनाइजेशन विभाग से हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों की तरह भी माना जाएगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय खण्ड 4 में उत्तर में हां कहते हैं। खण्ड 4 में यह है, क्या यह सही है कि पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के लिए लाखों एकड़ भूमि रिजर्व की गई है? मन्त्री महोदय ने हां कहा है। कुछ भूमि आरक्षित की गई है। खण्ड 4 में यह है कि जैसलमेर के विस्थापितों के लिए आरक्षित नहीं की गई है। इस प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर दिया है कि विचाराधीन है। जब आप बाहर के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, राजस्थान के लोगों को यह उत्तर देते हैं कि समस्या विचाराधीन है मैं समझता हूं कि यह सरकार की नीति और प्रायोरिटी के सिद्धान्त के विपरीत है। जो राजस्थान के लोग हैं, उनको विस्थापित किया गया है तो उनकी सर्वप्रथम व्यवस्था होनी चाहिए। तब तो आप कुछ काम करके बताएंगे वरना विचाराधीन कह कर कुछ नहीं होगा।

श्री मनफूल सिंह : अध्यक्ष महोदय, फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के विस्थापित लोगों की उनकी जितनी जमीन पूरी लेनी थी, वह पूरी तौर से अवाप्त नहीं की गई है। यही कमी है। जब पूरी की पूरी जमीन कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट के पास आ जायगी तो हम एलॉट कर देंगे। उससे पहले होने वाला नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पहले अवाप्त करेंगे, फिर देंगे?

श्री बालसिंह सोढ : जिनको गांवों से निकाल दिया गया है, वह कहां रहेंगे? सन् 66 से निकाल दिया गया है। उनको बसाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय

(श्री सती चन्द्र अग्रवाल)

को यह समस्या खड़ी हो सकती है लेकिन क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बतायेंगे · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री सती चन्द्र अग्रवाल : क्या माननीय मुख्यमन्त्री जी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर ! प्रश्नकर्ता का समय है।

श्री मनफूल सिंह : अध्यक्ष महोदय, भूमि जितनी है कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट को वह हमने रिजर्व कर दी है। अनूपगढ़ में 3 एच. से 7 एच. तक कर दी है। जब कार्य पूरा हो जायगा, उसके बाद में इमीजिएट एलाटमेंट हो सकता है। उसमें रेवेन्यू और कोलोनाइजेशन दोनों डिपार्टमेंट का प्रश्न है।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि अनूपगढ़ क्षेत्र में जैसलमेर फायरिंग रेंज के लोग बसाये जायेंगे ?

श्री मनफूल सिंह : पहले यह लिखकर भेजा था हमने। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने लिखकर भेजा। जिन विस्थापितों को जमीन देनी है, 16 एकड़ जमीन देनी थी। यह आधार बनाया है। हम जल्दी से जल्दी एलाटमेंट कर देंगे।

श्री देवीदत्त गंडिया (बांरा) : जल्दी से जल्दी का कोई मापदण्ड नहीं है। आप यह तो बताइये · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गंडिया : 6 महीने में, दो महीने में। कितने समय में कर दिया जाएगा ?

श्री मनफूल सिंह : बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी, उन लोगों का भी करेंगे ?

श्री मनफूल सिंह : जिनकी जमीन सरकार ने ले ली है उसके बदले में उनको भूमि दी जायेगी

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं थी। जो खेतिहर मजदूर थे या मजदूरी करते थे। दूसरे के खेतों पर काम करते थे। वह भी विस्थापित हुए हैं। उनका भी प्रश्न है।

श्री मनफूल सिंह : जिनकी जमीन सरकार ने ले ली है उन्हीं को बदले में जमीन दी जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनके पास जमीन थी उसके बदले में तो जमीन देंगे ही। जो भूमिहीन आदमी थे उनको जमीन देंगे या नहीं। जब कि राज्य सरकार की पालिसी यह है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाये। उनको जमीन देते हैं या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : फील्ड फायरिंग जैसलमेर रेंज बनी है इस स्थान में भी राजस्थान नहर आयेगी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, वह प्रश्न नीति सम्बन्धी है। जो भूमिहीन हैं। जो

(श्री अध्यक्ष)
उधर गये हैं। उनका प्रश्न भी विचारणीय है।

श्री मनफूलसिंह : जिनकी भूमि नहीं थी उनको भूमि नहीं दी जाएगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो तीन वर्ष से उनको हटाया गया है। तीन सालों से वह भूमिहीन हो गये हैं। उनकी क्षति पूर्ति करने का मामला सरकार के सामने नहीं है ?

श्री मनफूलसिंह : जिनके पास भूमि नहीं है, उनको बाद में देंगे। जिनकी भूमि अवाप्त की गई है पहले उनको देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न माननीय मन्त्री यह है, जो डिले हो रही है, उसके कारण जिन विस्थापितों का नुकसान हो गया है। दो साल में कुछ नहीं ला सके हैं। उनके सम्बन्ध में क्या नीति है ?

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिनका नुकसान हुआ है, जमीन छोड़ी है, मकान छोड़े हैं और नुकसान हुआ है, किसी तरह का नुकसान हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश के लोगों का नुकसान हुआ है। वह इनके साथ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मानवता का, व्यवस्था का प्रश्न है। आखिरकार जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए क्या सरकार चाहती है कि वह भूखे मरें और त्रिशंकू की तरह लटकते रहें। आखिरकार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि उनके खाने पीने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करे but it just left out the ball and did not care to fulfil their duty.
इससे बढ़ कर और क्या दुर्व्यवस्था हो सकती है, मेरे ख्याल में। मंत्री महोदय को कम से कम यह चाहिए था कि यदि यह दो डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है तो दोनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाकर जोइन्ट कान्फ्रेन्स करके फौरन इस सम्बन्ध में डिसीजन कर दिया जाय और जो फैसला हो जाय, उसको अनाउन्स कर दिया जाय और जो लोग विस्थापित हो गये हैं उनको जमीन का एलाटमेंट कर दिया जाय। यदि यह नहीं हो सकता है तो आखिरकार सरकार के सामने क्या मुश्किलें हैं, उनके बारे में सदन में प्रकाश डालें ताकि हम उनके बारे में कुछ सोच सकें। यह sitting on fence है, हां भी नहीं, ना भी नहीं, जो कि आप खुद मंजूर कर रहे हैं। यह क्या संतोषजनक व्यवस्था है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, यह काफी उलझा हुआ सवाल बन गया है, इस दृष्टि से कि एक तरफ फील्ड फायरिंग रेंज के लिए इसको एक्वायर करने की बात हुई है उसके साथ इस जमीन के मुआवजे के लिए लैंड एक्वीजीशन आफिसर का एवार्ड हो चुका है। उस एवार्ड के मुताबिक पेमेन्ट के लिए जब सवाल खड़ा हुआ तो डिटेल्स तो आफ हैंड मैं बता नहीं सकता लेकिन इसका जो बैकग्राउन्ड है वह बता देना चाहता हूँ। कम्पेन्सेशन के बारे में लोगों में असंतोष रहा कि जो कम्पन्सेशन तय किया गया है वह कम है। उसके लिए डिफेन्स मिनिस्ट्री को हमने लिख कर भेजा कि एक्वीजीशन आफिसर का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लीगल एवार्ड हो गया है लेकिन इनको कम्पन्सेशन ज्यादा मिले तो ठीक है। इस सम्बन्ध में डिफेन्स मिनिस्ट्री का एटीट्यूड यह रहा है कि लीगली जो एवार्ड दिया जाता है, उस एवार्ड के अन्दर अपील के जरिये बढ़ोतरी हो जाय तो हम ज्यादा दे सकते हैं लेकिन कोई लीगल एवार्ड आफ कम्पन्सेशन के बिना एडहोक पेमेन्ट करने में डिफेन्स मिनिस्ट्री को मुश्किल पड़ेगी। एक स्टेज यह है और दूसरी स्टेज यह है कि डिफेन्स मिनिस्ट्री ने इस रेंज के बारे में तय किया, उसके बाद वहां के लोगों ने भी, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी और दूसरे लोगों ने भी गवर्नमेंट आफ इंडिया को एप्रोच किया कि इस एरिया को फील्ड फायरिंग रेंज से निकाल दिया जाय और उतना ही इक्वीलेंट एरिया जो नार्थ में है, उसको इन्क्लूड कर लिया जाय जिससे यहां जो लोग रहते हैं उनका लैंड बच सकता है। यह डिफेन्स मिनिस्ट्री को मूव किया गया। इस स्टेज पर यह सारा प्रश्न चल रहा है। फाइनल एग्रीमेंट क्या हो–वह उनको सोचना है। और डिफेन्स मिनिस्ट्री कुछ नहीं मानती है तो मुआवजा तो देंगे ही। जो लीगल बात का एतराज हो सकता है वह, यह हो सकता है कि बिना मुआवजे के लें। तो मुआवजा तो दे रहे हैं। अब ह्यूमन कन्सीडरेशन पर गवर्नमेंट विचार कर रही है कि मुआवजे के लिए राजस्थान कैनाल के नीचे जमीन देकर उनको वहां बसाने का काम करे। इसलिए बिना मुआवजे के लेने की बात नहीं है। मुआवजा देने का डिसीजन हो गया है। झंझट इस बात के लिए है कि वह ज्यादा मांगते हैं। वह इस लीगल पोजीशन को सामने रखते हैं कि इसको फाइनेन्स मिनिस्ट्री और दूसरे ज्यादा देने के लिये तैयार नहीं हैं। अब राजस्थान इस प्रश्न को टालना चाहती हो या और कुछ करना चाहती हो–वह प्रश्न नहीं है, लेकिन उनको वहां से नहीं हटाया जाय, यह बेसिक प्रश्न चर्चा में है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आपके कथन में और आपके (राज्य मंत्री के) कथन में अन्तर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसको एक हद तक मैं मानता हूं कि पर्याप्त है। मेरी आपत्ति केवल मात्र इतनी है, आखिरकार उन लोगों के लिए जमीन तो बतानी चाहिए। डिफेन्स मिनिस्ट्री के लेबल पर कम्पन्सेशन, मुआवजे का प्रश्न विवाद में पड़ा हुआ है, वह ठीक है। आप सरकार हैं, और सरकार में ऐसे मामले तो चलेंगे लेकिन ह्यूमन आस्पेक्ट है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्षमा करें। अभी तो वह खुद कहते हैं, हमको यहां से हटाया नहीं जाय, उसकी पैरवी चल रही है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि वह डिस्पेजेस हो चुके हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पैरवी चल रही है, नक्शे इधर उधर हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। वह कहते हैं कि यहां से हटाया नहीं जाय, उसके लिए कोरसपोंडेंस हुई है कि यहां से इनको हटाया नहीं जाय। इस पर वहां डिस्कशन हो रहा है, उसके पहले ही इनको एलाटमेंट करना मुश्किल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि अभी किसी को हटाया नहीं गया है?

श्री दुर्गालाल बादद.र : मंत्री महोदय यह कह चुके हैं कि कुछ लोगों को बेदखल किया जा चुका है। आपका कहना यह है कि बेदखल नहीं किये गये हैं। यह दो इनकन्सिस्टेन्ट बात हैं। आपका कहना सही है या उनका कहना ठीक है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कुछ को कम्पन्सेशन देकर के जमा कर दिया। डिफेन्स मिनिस्ट्री ने कहा कि लैंड पजेशन में हो गया। उसके बाद इस पर कह रहे हैं कि इस पर चर्चा की जाय। यह पाइन्ट इसमें है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोल दिया था, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अवशेष प्रश्नों के उत्तर भेज दिये जायेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास दर्ज मामले

124. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास ऐसे कौन कौन से मामले कब कब से दर्ज हैं जिनकी जांच जारी है और अभी अदालतों में चालान नहीं हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1966-67 और 68 में कौन कौन से मामले उक्त विभाग में किन किन के खिलाफ कब कब दर्ज हुए और उनमें किन किन मामलों में किन किन का किस किस आरोपों में कब कब चालान किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

पाक निर्मित हथियारों का तस्कर व्यापार

125. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आज के दो ढाई वर्ष पूर्व सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन पर पाक निर्मित हथियार किसी गिरोह से पकड़े गये थे? यदि हां तो किस गिरोह से क्या क्या हथियार पकड़े गये?

(2) क्या सरकार ने राजस्थान में हो रहे पाक हथियारों के तस्कर व्यापार व षड़यंत्र की जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां दिनांक 30-10-67 को रेलवे पुलिस द्वारा सवाई माधोपुर स्टेशन पर श्री जोगेन्द्रसिंह व भगवानसिंह को संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया था। दौरान तफतीश श्री जोगेन्द्रसिंह से एक 32 बोर रिवाल्वर नं. 3981 बबले भी बरामद हुआ था, जो पाकिस्तान निर्मित था।

(2) उपरोक्त घटना पर अ. सं. 43 दिनांक 30-10-67 पंजीबद्ध किया गया था व बाद

(गृह मंत्री)
तफतीश चालान अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है जो जेर तजवीज अदालत है। अतः इस स्टेज पर किसी रिपोर्ट की प्रति देना सम्भव नहीं है।

मा इलों व ज्वार का आयात

126. श्री गंगासहाय कमल (कठूमर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
राजस्थान सरकार ने बिहार व मध्य प्रदेश को कितनी माइलो व ज्वार किस किस भाव से आयात की? इसकी क्वालिटी कैसी थी?

उत्तर

बिहार तथा मध्यप्रदेश से निम्न मात्रा एवं भावों पर माइलो व ज्वार आयात की गई:—

	मात्रा (टनों में)	भाव
मध्यप्रदेश	8910	रु. 65) प्रति कि. एफ. ओ. आर.
बिहार	1870	रु. 51) प्रति क्विन्टल।

ज्यादातर माल खाने योग्य पाया गया। कुछ माल खराब भी पाया गया है जिसको वापस करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं भारत सरकार से पत्र व्यवहार जारी है।

जिला बूंदी में लेवी के गल्ले की खरीद का ठेका

117. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में गल्ले की खरीद का ठेका किस किस को दिया गया?

(2) ठेके की शरायत क्या है? ठेकेदार को क्या कमीशन दिया जायगा?

(3) क्या सरकार हानि-लाभ रहित आधार पर गल्ला जनता को देना चाहती है? यदि हां, तो खर्चे का फी क्विन्टल क्या अनुमान लगाया गया है?

(4) जनता को किस दर से गेहूं दिये जायेंगे?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति पाली के मेम्बर्स पर बकाया की वसूली

128. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली पंचायत समिति के मेम्बर्स में राज्य सरकार की कितनी कितनी रकम कब कब से आज तक बकाया निकलती है? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार उन सदस्यों से रकम वसूल करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? और नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बकाया की वसूली तहसील द्वारा होती है पंचायत समिति द्वारा इन बकाया की वसूली हेतु मांग पत्र तहसील में भिजवाये जा चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

Page No. 32

पंचायत समिति पाली द्वारा बीज की खरीद

129. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 67 से 69 तक पंचायत समिति पाली ने कितना बीज कितनी धन-राशि का किस किस से किस किस भाव खरीदा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि काश्तकारों को जो बीज दिया गया वह अच्छी किस्म का नहीं था ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं। बीज रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर्स से खरीदा गया और खराब होने की कोई शिकायत नहीं आयी।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

दांता रामगढ़ के सेवा निवृत्त अध्यापक के पेन्शन का मामला

130. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दांता रामगढ़ पंचायत समिति के भूतपूर्व अध्यापक स्व. श्री बालूसिंह शेखावत किस तारीख को सेवा निवृत्त हुए थे और किस तारीख को उन्हें पेन्शन की पहली किश्त दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि महीनों तक पेन्शन का मामला नहीं निपटने पर उक्त अध्यापक ने आत्म हत्या कर ली ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) स्वर्गीय श्री बालूसिंह अध्यापक दिनांक 1-7-67 को सेवा निवृत्त किए गए थे दिनांक 30-11-67 को विकास अधिकारी ने अध्यापक का पेन्शन केस विद्यालय निरीक्षक, सीकर को भेजा जिनके द्वारा दिनांक 2-12-67 को महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर दिया गया था। इसकी सूचना संबंधित अध्यापक को भी दे दी गई थी।

महालेखाकार, जयपुर से पेन्शन की स्वीकृति की सूचना दिनांक 12-2-68 को जिला निरीक्षक, शिक्षणालय, सीकर के कार्यालय में प्राप्त हुई थी, इससे पूर्व ही दिनांक 27-12-67 को श्री बालूसिंह की मृत्यु हो गयी। इसलिये पेन्शन की पहली किस्त देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) यह सही नहीं है कि पेन्शन नहीं मिलने के कारण श्री बालूसिंह ने आत्म हत्या की।

पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों व अध्यापकों के पोस्टिंग का नियम

131. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि होम पंचायत समिति के निवासी उसी पंचायत समिति में

Page No. 33

(पंचायत मन्त्री)

ग्राम सेवक व मास्टर नहीं रह सकते ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

उत्तर

ग्राम सेवकों को उनके निवास स्थान की पंचायत समिति में नहीं लगाया जाता है। अध्यापकों के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। ग्राम सेवकों के लिए यह रोक प्रशासनिक कारणों से लगाई गई है।

पंचायत समिति नोखा में कुओं का निर्माण

132. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर में कितने नए कुए बनाये गये व किस किस गांव के कुओं के निर्माण अधूरे है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ऐसे अधूरे कुओं को सम्पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कुल 41 कुओं का निर्माण कार्य हुआ। इनमें से अधूरे कुओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति नोखा को सन् 1968–69 में 4,000) रु. आवंटित किये गये थे। इस वर्ष पेय जल कूप निर्माण हेतु पांच लाख रुपये की राशि विभागीय बजट में रखी गई है। इसके वितरण के समय अधूरे कार्यों को पूरे कराने के लिए प्राथमिकता दी जावेगी।

(कृपया-परिशिष्ट 8 देखिये)

कोटडा तहसील पर व्यय की गई धनराशि

133. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कोटडा तहसील को सरकार ने शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया माना है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को राजस्थान सरकार व भारत सरकार की तरफ से सालाना कितनी धन-राशि दी जाती है ?

(2) सन् 1968 में कितना रुपया खर्च किया तथा कितनी रकम लेप्स मानी गई ?

(3) इन रुपयों का खर्च करने में किसका अधिकार है तथा इन्हें किस मद में खर्च किया जाता है ?

(4) सन् 1967-68 में कुए तालाबों पर कहां कहां रुपया खर्च किया ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत समिति

134. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 अक्टूबर, 1963 से अब तक किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य खोले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
गए और इनमें प्रत्येक पर कितना कितना व्यय हुआ है ?

(2) इस अवधि में किस किस जिले में जिला अकाल राहत समिति की कब कब बैठकें हुई ?

(3) किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य ऐसे हैं जिनकी जिला अकाल राहत समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई ? कृपया ऐसे कार्यों की तहसीलवार तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(4) किस किस जिले में किस किस प्रकार के ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति की सिफारिश के बावजूद नहीं खोला गया और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

मंत्रियों व अधिकारियों द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिये दी गई आर्थिक सहायता

135. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1 अक्टूबर, सन् 68 से लेकर अब तक राज्य के किन मंत्री, राज्य मंत्रीं, उप-मंत्री, आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों ने अकाल राहत कार्यों के लिए किस किस प्रकार की और कब कब कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

136. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झालावाड़ जिले में अकाल सहायता कार्य कहां कहां खोले गए हैं ? इन पर कितना कितना धन खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

मोठ व गंवार की निकासी

137. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मोठ और गंवार की निकासी की छूट किस तारीख को दी गई और यह छूट कब तक रही है ?

(2) इस अवधि में कितने मोठ और गवार किस किस जिले से राज्य के बाहर भेजी गई ? जिलेवार इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) निर्यात के सिलसिले में जो परमिट जारी किए गए हैं उनसे कितनी आमदनी सरकार को हुई है और उसका अलग कोई फण्ड बनाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि ये परमिट सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कहां कहां पर ?

(5) निर्यात खोलने के एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद दालों के प्रमुख नगरों के बाजारों में क्या भाव थे ?

Page No. 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(6) निर्यात छूट देने का निर्णय लिया गया उस रोज राजस्थान में गंवार और मोठ का कितना पुराना स्टाक था ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में अकाल राहत कार्य

138. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किन किन जिलों से कितने कितने पशु अकाल के कारण राज्य के बाहर चले गये और कितने कितने पशु हर जिले में इस अवधि में मौत के शिकार हुए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार द्वारा अब तक कितना चारा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में बिल्कुल मुफ्त बांटा गया है ? और कितने रुपये के मूल्य का आगे आठ महीनों में बांटने का विचार है ?

(3) सरकार द्वारा कुल कितने केम्प खोले गये हैं जहां पर इन मवेशियों को रखा जा सकता है ?

(4) अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूख के कारण मनुष्यों के मरने के जो समाचार सामने आये हैं क्या सरकार ने उनकी कोई विधिवत् जांच करवाई है ? यदि हां, तो किन किन के द्वारा और उससे क्या तथ्य सामने आये ?

(स्थगित किया गया)

जिला बूंदी में चारे की खरीद

139. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश बूंदी द्वारा कितना कितना चारा किस किस तहसीलदार द्वारा खरीदा गया और कितनी धनराशि का ?

(2) क्या चारा अजमेर जिले के लिए भेजा गया।

(3) कितना किराया किस किस दर से चारा भेजने में व्यय किया गया ?

(4) क्या इसका ठेका दिया गया था ? यदि विभाग द्वारा भी भेजा गया तो उस किराया किसके द्वारा और कितना दिया गया ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में अकाल राहत कार्य

140. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में इस वक्त कितने जोहड़ तलाइयों के राहत कार्य रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये चल रहे हैं व किस किस जिले में किस किस तहसील में कब से खोले गये ? चालू करने की तारीख मजदूर संख्या व केम्प के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में किस किस अकाल-ग्रस्त जिलों में कितनी कितनी विदेशी सहायता किस किस रूप में खर्च की गई है व की जा रही है व कितने फेमीन केम्प विदेशी सहायता द्वारा चल रहे हैं ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(3) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व बीकानेर में विदेशी सहायता से प्राप्त कपड़े, कोट, कम्बल, स्वेटर, गिफ्ट व्हीट व दूध तेल इत्यादि पोस्टिक, भोजन वितरण किये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस तहसील में कितने कितने वितरण किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अकालग्रस्त तहसील में पशु कैम्पों को दी गई आर्थिक सहायता

141. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किस किस अकाल-ग्रस्त जिलों में व किस किस तहसील में पशु कैम्प सरकार की तरफ से व कितने प्राइवेट एजेन्सी की तरफ से चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या जो प्राइवेट एजेन्सियां कैटल कैम्प चला रही हैं उनको सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी मात्रा में दी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) आज तक कितने कैटल कैम्पों को कितनी कितनी सहायता दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में अभावग्रस्त जिलों में जो पशु कैम्प सरकार की तरफ से व प्राइवेट एजेन्सीज की तरफ से चल रहे हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, जो प्राइवेट एजेन्सियां कैटल कैम्प चला रही हैं, उनको सरकार द्वारा उनके खर्चे का 50 प्रतिशत जो 62 पैसे प्रति पशु प्रतिदिन से अधिक न हो तक सहायता दी जा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 20 देखिये)

झालरापाटन सुनेल सड़क

142. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन सुनेल रोड को पहले के प्लान से हटाकर दूसरी ओर से निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो पहले कहां कहां होकर निकाला जाना था ? कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अब किन किन गांवों से निकाले जाने का निर्णय किया गया है तथा क्यों ?

(3) क्या अभी उक्त सड़क का कार्य सलोतिया से पाटन की ओर चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इधर से सड़क का कार्य कराने में किन किन गांवों के किन किन किसानों के खेत सड़क में आते हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(4) क्या यह सही है कि आने वाले खेतों या जायदाद को लेने के पहले नोटिस नहीं दिये गये और वैसे ही खेतों पर जबरन कब्जा कर सड़क बनाना शुरू कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(5) इस सड़क पर अभी चालू कार्य में कितना रुपया खर्च किया गया है और कितना और होना है?

(6) इसके लिये बजट में कितना खर्च करने का प्रावधान है?

(स्थगित किया गया)

रानी खुर्द में डिस्पेन्सरी भवन निर्माण

143. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रानी खुर्द, जिला पाली में डिस्पेंसरी भवन बनाने हेतु क्या एक ड्राफ्ट रुपये चालीस हजार का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जोधपुर को मिला है? यदि हां, तो कब मिला है व सम्बन्धित निर्माणारम्भ कब किया जायेगा? निर्माणारम्भ में इतनी देरी का क्या कारण है?

(स्थगित किया गया)

रानी से फालना तक बनने वाली सड़क के नीचे आई भूमि का मुआवजा

144. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रानी से फालना तक बनने वाली सड़क के नीचे कुछ काश्तकारों की भूमि आई है? यदि हां, तो कितनी खातेदारी की और कितनी गैर खातेदारी की भूमि है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी? और उनके लगने वाला राजस्व लगान माफ करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह रोड अकाल कार्यों में बनी है। अकाल रोड्स का लेखा राजस्व अधिकारियों की अनुमति से किया जाता है। सड़क निर्माण में कितनी भूमि खातेदारों की आई है इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) यह सहायता विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित है।

जौहरी बाजार, जयपुर स्थित चन्द्रावत हाउस के किरायेदार

145. **श्री अव [illegible] (हिन्डौन):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जौहरी बाजार, जयपुर में चन्द्रावत हाउस को सरकार ने पट्टे पर दिया है? यदि हां, तो कब व किसको दिया है? पट्टे की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति को यह पट्टे में दिया गया है उसको उसे बेचने का भी सरकार ने अधिकार दे रखा है?

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त चन्द्रावत हाउस में किरायेदार रहते है ? यदि हां, तो कितने किरायेदार रहते हैं और कितना कितना किराया प्रति माह देते हैं और कब से दे रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त हाउस का किराया वसूल करने का अधिकार किस को है और इन रुपये को कौन वसूल कर रहा है ?

(5) इस प्रकार के जयपुर के अन्दर कितने मकान हैं जो सरकार ने पट्टे पर दे रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 31 जनवरी सन् 1912 में श्री चत्रसाल को महकमा आलिया कौंसल जयपुर की कैफियत के अनुसार रहने के लिये दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) किरायेदारान ठाकुर श्री नाहरसिंह व श्री रामसिंह पुत्रान उमरावसिंह चन्द्रावत द्वारा रखे हुए हैं। ऐसे कुल कितने किरायेदार हैं और वे उनको कितना किराया देते हैं जानकारी नहीं है।

(4) इस तरह की किरायेदारी गैर कानूनी है और किराया वसूल करने का हक उनको नहीं है।

(5) भूतपूर्व जयपुर रियासत के जमाने में जो जायदाद बजरिए पट्टा व सीगे उदक इनाम बख्शीश पुण्य भोग आदि में दी गई थी उनकी सूची यह विभाग नहीं रखता।

कठूमर तहसील लक्ष्मणगढ़ की सड़कों पर तारकोल किया जाना

146. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि विभाग के नियमानुसार जो सड़क पक्की बन जाती है उस पर पांच वर्ष बाद तारकोल हो जाना चाहिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि कठूमर तहसील लक्ष्मणगढ़ की सड़क का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था ? क्या इन सब सड़कों पर तारकोल किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई नियम नहीं है।

(2) जी हां। जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

राजगढ़-सांगोद सड़क में आई भूमि के मुआवजे का भुगतान

147. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजगढ़-सांगोद रोड पर ग्राम राजगढ़, अड़ूसा कुराड़िया, कुन्दनपुर, कांगला, विनोद व दूसरे गांवों में कुल कितना कितना रकबा कब कब से पी. डब्ल्यू. डी. सड़क के नीचे आया हुआ है ?

Page No. 39

(श्री जुझारसिंह)

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने हर जिले में एक राजस्व अधिकारी इसलिये कायम किया हुआ है कि वह जल्दी से जल्दी मुआवजे की रकम निश्चित करके लोगों की रकम का भुगतान करवाये ? कोटा जिला में कौन राजस्व अधिकारी कब से इस काम हेतु लगाया हुआ है और उसको नियुक्त किये जाने के बाद से किन किन स्थानों पर मुआवजे का भुगतान किया गया है ?

(3) राजगढ़-सांगोद रोड पर इतने अर्से तक मुआवजे का भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजगढ़-सांगोद रोड के 11 ग्रामों में भूमि वर्ष 1964-65 तथा मील 11 से 17/1 तक भूमि फरवरी 1966 में निर्माण कार्य में आई है। ग्रामवार रकबे की सूची संलग्न ।

(2) जी हां। सूची (ब) संलग्न है।

(3) अवार्ड 54,694.74 का दे दिया गया है। भुगतान हेतु चैक 21-7-69 को भिजवा दिया गया है। 50,000 रु. का वितरण हो चुका है। शेष वितरण हेतु काश्तकारों की पता रसीदें की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ब्यावर-अजमेर सड़क पर मांगलियावास के पास किसानों की ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान

148. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर-अजमेर रोड पर मांगलियावास के पास सड़क का मोड़ निकालने का कार्य किया गया था ? उसमें जिन किसानों की भूमि ली गई थी उनको राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त न होने के कारण अब तक मुआवजा नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो अवार्ड प्राप्त करने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मुआवजे का भुगतान अधिक से अधिक कितने समय में कर दिया जाना चाहिए और अब सम्बन्धित किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

जिला गंगानगर में नाजायज तावान के मुकदमे

149. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)**: क्या राजस्व मंत्री यह बता की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नारायण सिंह पुत्र बागसिंह जाट सिख सा. चोहिलावाली तहसील हनुमानगढ़ के 91.4 बीघा भूमि पर नाजायज तावान लगाया गया जिसका उक्त तहसील में किया तो हर बार तारीख रविवार की दी गई और दिनांक 21-9-67,

(श्री रामचन्द्र आर्य)
को तहसील रैवेन्यू में सारा रिकार्ड पेश करने पर तावान माफ हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार से नाजायज तावान कायम करके नारायणसिंह को रिश्वत के लिये ही परेशान किया गया था ? यदि हां, तो संबंधित पटवारी व रविवार को तारीख पेशी देने वाले अहलकार के विरुद्ध जांच की जाकर नारायणसिंह को खर्चा व हर्जाना क्यों नहीं दिलाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में हजारों की तादाद में नाजायज त न के मुकदमे तहसीलों व जिलाधीश की अदालत में चल रहे हैं ? तहसीलवाइज व ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) श्री नारायण पुत्र बागसिंह जाट सिख सा. चौहिलांवाली पर कोई तावान कायम नहीं किया । सिर्फ रिपोर्ट पटवारी पर जांच की गई थी और यह भी गलत है कि इसे हर बार तारीख इतवार को दी गई है सिर्फ एक बार तारीख 20-8-67 को छुट्टी के दिन तारीख पेशी भूल से दी गई थी और 21-9-67 को ही बाद जांच फैसला कर दिया गया है ।

(2) जी नहीं । जब तावान ही कायम नहीं हुआ तो रिश्वत लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता । किसी क्लर्क के खिलाफ जांच करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । एक दिन भूल से छुट्टी के दिन तारीख पेशी की दी गई थी और अगले रोज फैसला कर दिया गया है इसलिए हर्जाना दिये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(3) जिला गंगानगर में नाजायज कब्जे के मुकदमे की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

टोंक तहसील में अतिक्रमण के केसेज

150. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक तहसील में कितने केस लैन्ड रैवेन्यू एक्ट की दफा 91 के अधीन कब से पड़े हैं ? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अतिक्रमण के केस कितने ऐसे किसानों पर बने हैं जिनके पास पहले से हो दस एकड़ से ज्यादा जमीन है ? ऐसे किसानों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तहसील टोंक में धारा 91 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत केसेज की सालवार सूची संलग्न है ।

(2) तहसील टोंक में 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों के विरुद्ध जो केसेज बने हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

आर. टी. एस. परीक्षा पास नायब तहसीलदार

151. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में कितने नायब तहसीलदार हैं जो कि आर. टी. एस. परीक्षा पास हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आर. टी. एस. परीक्षा पास नायब तहसीलदारान को समय में प्रमोशन नहीं दिया जाकर अन्य जूनियर्स जो आर. टी. एस. परीक्षा पास नहीं हैं रेवेन्यू बोर्ड या अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारी द्वारा प्रमोशन किया गया है ?

(3) यदि हां, तो कौन कौन आर. टी. एस. परीक्षा पास नायब तहसीलदार हैं जो सीनियर हैं और जिनको प्रमोशन नहीं दिया जाकर अन्य जूनियर्स को जो आर. टी. एस. परीक्षा पास नहीं हैं प्रमोशन दिया गया है ?

(4) आर. टी. एस. परीक्षा पास नायब तहसीलदार जो सीनियर हैं उनको प्रमोशन नहीं देने का क्या कारण है व उनको प्रमोशन अब कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

1, केवल दो।

2. जी नहीं।

3. ऐसा कोई केस नहीं है।

4. वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिये जाते हैं।

गांव बिसरासर (तहसील नोहर) में गैर खातेदारी व खातेदारी के फर्जी पट्टों का वितरण

152. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नोहर के गांव बिसरासर का कुल कितना रकबा है ? खातेदारी कितनी है, आराजी राज कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि गांव बिसरासर में भू-प्रबन्धक विभाग बीकानेर द्वारा गैर खातेदारी के व खातेदारी के फर्जी पट्टे जारी किये गये थे ? यदि हां, तो कितने गैर खातेदारी व कितने खातेदारी के पट्टे दिये गये ?

अलग अलग नाम व तादाद रकबा सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

उत्तर

1. ग्राम बिसरासर तहसील नोहर का कुल क्षेत्रफल 41745॥3 बीघा है। जिसमें से 15572॥) बीघा क्षेत्रफल राज दर्ज है।

2. जी हां, यह सही है कि ग्राम बिसरासर में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी के दस व गैर खातेदारी के चार गलत पर्चे खतौनी जारी किये गये थे। इसकी आसामीवार सूची, क्षेत्रफल सहित सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

तहसील लाडनूं में लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत दर्ज मुकदमें

153. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा

Page No. 42

(श्री हरजीराम बुरड़क)
करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं, जिला नागौर में 1 जनवरी, 1963 से लेकर अब तक लैण्ड रैवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत दर्ज मुकदमों में नाजायज कब्जों को नियमित करने के फैसले किये गये? यदि हां, तो किन किन मुकदमों का कब कब फैसला दिया गया और उनमें कब कब तहसील से सनद (पट्टा) जारी किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) फैसला करने के बाद सनद जारी होने में देरी होने के क्या कारण हैं?

(3) फैसलों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल बरामद हुआ या नहीं? अगर हुआ है, तो कब कब और नहीं हुआ, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 19 मुकदमे नाजायज कब्जों के तय किये गये हैं। मुकदमों के फैसले होने की तिथियों के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रीमियम की रकम जमा नहीं कराने से सनद अब तक जारी नहीं की गई है।

(2) प्रीमियम की रकम जमा न होने से सनद जारी करने में देरी हुई है।

(3) जी नहीं। सनद जारी होने पर ही अमल बरामद किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिए)

ग्राम मुड़वा, जिला नागौर में डेयरी के लिये भूमि का अलाटमेन्ट

154. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुड़वा, जिला नागौर की फर्म सांवरा मिल्क प्रोडक्ट्स का ग्राम भड़ाणा तहसील नागौर जिला नागौर में डेयरी के लिये भूमि एलोट करने का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश नागौर व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब और उसने कौन से खसरा नम्बरों की भूमि मांगी तथा वह भूमि मौजूदा समय में क्या काम आती है और राजस्व रेकार्ड में क्या इन्द्राज है?

(2) उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कोई भूमि एलॉट की गई? यदि हां, तो कब, कहां पर व कौन सी भूमि कितने बीघा एलॉट की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की प्रार्थना-पत्र भूमि के लिये पेश होने पर गांव के लोगों ने कोई शिकायतें इस आशय की कि उक्त भूमि नहीं दी जावे? यदि हां, तो कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुईं और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सांवरा मिल्क प्रोडक्ट्स फर्म ग्राम मुंडवा में डेरी फार्म हेतु भूमि आवंटन के लिए जिलाधीश नागौर के कार्यालय में दिनांक 22-1-68 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि का

(राजस्व मन्त्री)
विवरण निम्न प्रकार है:—

ग्राम मुंडवा में खसरा नं. 100 रकबा 71।, गोचर

ग्राम मडांणा में ख. नं. 350 रकबा 712।। 2 गैर मुमकिन

ग्राम मडाणा में ख. नं. 525 रकबा 20)3 गैर मुमकिन मगरा

ग्राम मंडाणा में ख. नं. 526 रकबा 222।।)2 गै. मु. राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 100 चरागाह व अन्य गैर मुमकिन दर्ज है। इस पर मवेशी चरते हैं।

(2) उक्त प्रार्थना-पत्र पर अभी तक कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।

(3) जी हां यह सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधीश नागौर के कार्यालय में ग्राम मुडांणा के वासिदगान व प्रधान पंचायत समिति, मुंडवा द्वारा क्रमशः दिनांक 1-1-69 व 8-1-69 को उज्रदारियां पेश की गई हैं जिन पर अभी जिलाधीश नागौर के यहां जांच की जा रही है।

ग्राम जसवन्तगढ़ की पुराने हवाले की बिल्डिंग

155. श्री हुजीर मबारडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं जिला नागौर में कोई पुरानी हवाले की बिल्डिंग थी जिसको सरकार ने किसी संस्था के बहाने मुफ्त में ही किन्हीं को दे दी ? यदि हां, तो कितने मूल्य की बिल्डिंग थी, कितनी जमीन थी और किसको कब क्यों दी गई ?

(2) उक्त संस्था जिसको कि यह बिल्डिंग दी गई थी क्या रजिस्टर्ड हुई थी इसका क्या कार्यक्षेत्र था इसके तत्कालीन विधान की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार की सरकारी इमारतों को देने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

( ) इस जमीन को देने की आज्ञा किसके द्वारा कब किसके नाम दी गई थी ? आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

( ) क्या यह जमीन और मकान संस्था को दिया गया या किसी व्यक्ति को और सरकार द्वारा पट्टा दिया गया हो, तो पट्टा किसके नाम से बना हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं की पुरानी हवाले की बिल्डिंग तथा जमीन श्री जसवन्तगढ़ हितकारिणी सभा को सार्वजनिक उपयोग हेतु रु. 3400.66 पैसे में राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या एफ 1 (88) राजस्व/ग्रा./7 दिनांक 1?-12-59 के आधार पर कीमतन दी गई थी। हवाले की बिल्डिंग की कीमत 26 0) रु. तथा 3235 वर्ग गज भूमि की कीमत उस समय उक्त स्थान पर प्रचलित पड़ता रेट पर वसूल किये जाने के आदेश होने के कारण

(राजस्व मन्त्री)

800.66 पै. वसूल की गई। बिल्डिंग व भूमि कब्जा उक्त संस्था को दिनांक 29-1-61 को दिया था।

(2) इस संस्था के रजिस्टर्ड होने बाबत अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) सरकारी इमारतों को देने के संबंध में कोई नियम नहीं हैं।

(4) आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(5) यह जमीन और मकान श्री जसवन्तगढ़ हितकारिणी सभा को सार्वजनिक उपयोग हेतु दी गई थी। उक्त भूमि के विक्रय का पट्टा जारी नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

तहसील लाडनूं में काश्तकारों से गलत रूप से वसूल की गई वृक्षों की कीमत

156. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर में कुछ काश्तकारों से वृक्षों की कीमत गलत रूप से वसूल कर ली गई थी जो वापिस काश्तकारों को देनी थी? यदि हां तो किन किन काश्तकारों से कितनी कितनी रकमें कब कब वसूल की गईं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कुछ काश्तकारों ने उपरोक्त रकम को वापिस करने के लिए तहसील कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश कर रखे हैं? यदि हां, तो किस किस काश्तकार ने कब कब कितनी कितनी रकम के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था और अब तक उनमें क्या कार्यवाही हुई?

(3) अब उपरोक्त रकम काश्तकारों को कब तक लौटा दी जावेगी? और आज तक नहीं लौटाने के क्या कारण थे?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले में अभावग्रस्त क्षेत्रों से भू-राजस्व के अतिरिक्त बकाया धनराशि व तकावी आदि की वसूली

157. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष चूरू जिले में भू-राजस्व के अतिरिक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों से कुल कितनी चालू व बकाया धनराशि ऋण तकावी आदि वसूल की गई है? कृपया तहसीलवार सूची दें।

(2) चालू व बकाया वसूली अभावग्रस्त क्षेत्रों से करने के लिए कितनी कुर्कियां जारी कीं? कहां कहां, क्या क्या सामान कुर्क किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) अभावग्रस्त क्षेत्रों से किसी प्रकार की वसूली न करने के आदेश के पश्चात् कहां कहां से कितनी कितनी वसूलीं की?

(4) क्या अभावग्रस्त क्षेत्र के सिंचाई के ऐसे कुओं के ऋण की किश्तें भी वसूल की गई हैं जिनसे अभी तक सिंचाई न हो सकी है अधूरे पड़े हैं, पानी खारा निकल गया है? यदि हां, तो कहां कहां से? क्या ऐसी वसूलियों के साथ पेनेल्टी भी ली गई है?

(श्री दौलतराम सारण)

(5) क्या इस प्रकार की वसूलियां राज्य सरकार की घोषणा और नीति के विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने गलत वसूलियां की हैं ?

उत्तर

(1) संलग्न सूची के अनुसार वसूलियां की गई हैं।

(2) केवल ग्राम रामपुरा पंचायत गुलेरिया, तहसील सुजानगढ़ में बकरियां कुर्क की गई लेकिन बाकीदार द्वारा ऋण की राशि जमा कराने पर उन्हें कुर्की से मुक्त किया गया।

(3) अभावग्रस्त क्षेत्रों से संलग्न परिपत्र के अनुसार वसूलियां करने के आदेश हैं। इसके विरुद्ध कोई वसूली नहीं की गई।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार के आदेश व नीति के विरुद्ध कोई वसूली नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

कृषि भूमि के हस्तान्तरण की रजिस्ट्रियां

158. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीलिंग कानून में पाबन्दी के पश्चात् सन् 1958 से सन् 1966 के अंत तक राजस्थान में कुल कितने मूल्य की व कितनी कृषि भूमि के हस्तान्तरण की रजिस्ट्रियां हुई हैं ?

(2) राज्य सरकार को उससे कितनी आय हुई ?

(3) उस रजिस्ट्री शुदा भूमि में से कितनी के इन्तकाल चढ़ाये गये और कितनी भूमि के इन्तकालात नहीं चढ़ाये गये और क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यह सब सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) यह सब सूचना सूची में अंकित है।

(3) यह सब सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई]

बाली तहसील की गोचर भूमि

159. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाली तहसील के कौन कौन से गांवों में गोचर भूमि उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में चरागाह उपलब्ध करवाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? और इन गांवों में कब तक चरागाह उपलब्ध करवा सकेगी ?

उत्तर

1–बाली तहसील के 32 ग्राम ऐसे हैं जहां गोचर भूमि घोषित नहीं की गई है इनमें से 13 ग्रामों में गोचर हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। 15 ग्रामों में गोचर घोषित करने

(राजस्व मन्त्री)

की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन ग्रामों की मवेशी की चराई हेतु जंगलात विभाग की भूमि में व्यवस्था है। 4 ग्रामों में गोचर घोषित करने की कार्यवाही परगना अधिकारी बाली के पास विचाराधीन है। जिन जिन गांवों में गोचर हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हैं जंगलात क्षेत्र में मवेशी चरती हैं व परगना अधिकारी बाली के पास विचाराधीन हैं उनकी तफसील संलग्न सूची में व्यक्त की गई है।

2. जिन गांवों की मवेशी जो जंगलात क्षेत्र में चरती है उनके लिए चरागाह कायम करने की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है, जिन ग्रामों में चरागाह हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है उनके लिए पड़ौस के गांवों में ज्यादा भूमि होने की हालत में भूमि चरागाह हेतु देने की भी व्यवस्था की जायगी। इसके अतिरिक्त जो मामले परगना अधिकारी के पास विचाराधीन हैं उन्हें शीघ्र निपटाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिए)

मांडलगढ़ तहसील के ऊपर माल क्षेत्र बिजोलिया में बीड़ों पर नाजायज कब्जा

160. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडलगढ़ तहसील के ऊपर माल क्षेत्र बिजोलिया में कौन कौन से जंगलात के बीड़ राजस्व में आ चुके हैं ?

(2) इस प्रकार राजस्व में आये हुए बीड़ कितने बीघों के हैं ? और क्या उनकी जमीन अलोट हो चुकी है।

(3) उक्त बीड़ों पर किसी का नाजायज कब्जा तो नहीं है ? यदि है, तो कब्जा हटाने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

(4) यदि किसी ने नाजायज कब्जा किया है तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मांडलगढ़ तहसील के ऊपर माल क्षेत्र बिजोलिया में वन विभाग से राजस्व में निम्नलिखित बीड़ परिवर्तन हुए हैं:—

1—बीड़ लसोड़ा।

2—ब्लोक तीखी।

3—बीड़ मंडोल।

4—बीड़ रोजआंतरी।

(2) राजस्व में आये हुए बीड़ों का रकबा निम्न प्रकार है:—

1—बीड़ लसोड़ा 641 बीघा 13 बिस्वा।

2—बीड ब्लोक तीखी 310 बीघा 11 बिस्वा

3—बीड मंडोल 486 बीघा 19 बिस्वा

4—बीड़ रोज आंतरी 234 बीघा 15 बिस्वा।

उपरोक्त बीड़ों की जमीन अभी अलोट नहीं हुई है ?

(राजस्व मन्त्री)

(3) बीड लसोडा में श्री महेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह राजपूत द्वारा 80 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा होना पाया जाता है, जिन्होंने धारा 83 रा. टि. एक्ट के अन्तर्गत दावा अतिरिक्त कलेक्टर की अदालत मांडलगढ़ में कर रखा है।

(4) केवल महेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह बिजोलिया का 80 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा होना पाया गया है।

ग्राम स्वरूपगढ़ तहसील हिन्डौली की जमीन का अलाटमेन्ट

161. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( ) तहसील हिन्डौली में ग्राम स्वरूपगढ़ में क्या कल्याणसिंह मीना को ग्राम के पास बीड को काबिल काश्त करार देकर तहसीलदार ने अलोट की है ?

( ) ग्रामवासियों के विरोध के बावजूद यह जमीन तहसीलदार ने किस कारण से अलट की ?

( ) क्या यह सत्य है कि आबादी के विस्तार की दृष्टि से यह अलाटमेंट अनुपयुक्त है ?

(4) क्या यह सही है कि जो ग्राम रास्ता इस भूमि से गुजरता था वह भी अब रोक दिया गया है ?

(5) जनता के विरोध के कारण क्या सरकार इस अलाटमेन्ट को खारिज करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(6) इस ग्राम में कितनी चरागाह हैं और उसमें से कितनी जमीन कल्याणसिंह ने आबाद कर रखी है ? और कब से ? सरकार की नीति के अनुसार चरागाह से इसको बेदखल तहसीलदार ने अब तक क्यों नहीं किया और जब दूसरे लोगों की फसलें चरागाह में नष्ट कराई तो इसकी क्यों नहीं कराई गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम स्वरूपगढ़ में कल्याणसिंह मीना को खसरा नं० 226 मि० रकबा 10 बीघा मिसल नम्बर 421 दिनांक 12-7-66 से अलाट किया गया है। किस्म जमीन बीड़ है। नियमानुसार किस्म जमीन काबिलकाश्त में तब्दील की जा चुकी है।

(2) कोई ऐतराज किसी की ओर से नहीं है और ग्रामवासीगण अपील में परास्त हो चुके हैं।

(3) यह नम्बर आबादी के विस्तार के लिए रिजर्व नहीं था।

(4) बन्दोबस्ती रेकार्ड में उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता नहीं है। अतः रास्ते का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटन को खारिज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) इस ग्राम में 182 बीघा 18 बिस्वा चरागाह है। कल्याणसिंह का चरागाह में कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः आगामी कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तहसीलदार केशोरायपाटन द्वारा ग्राम सूनगर की भूमि की नीलामी

162. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार केशोरायपाटन ने ग्राम सूनगर की भूमि खसरा नम्बर 542/516/338 मि. जिसका क्षेत्रफल 15 बीघा 13 बिस्वा है की नीलामी श्री गोपसिंह के नाम खत्म की थी? यदि हां तो कितने रुपयों पर?

(2) यह क्या सत्य है कि तहसीलदार केशोरायपाटन द्वारा ग्राम सूनगर की आर. जी. नं. 516/338 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा छोटूसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम पर कितने में खत्म की गई थी?

(3) क्या उपरोक्त भूमि के प्रमाण-पत्र तहसीलदार पाटन द्वारा खरीददारों को दे दिये गये थे? यदि हां, तो कब?

(4) क्या भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा उपरोक्त भूमि को तीन साल बाद ओंकार पुत्र रामकल्याण माली निवासी सूनगर के नाम पर कर देने के आदेश प्रदान किये गये हैं? यदि हां तो यह आदेश किस तारीख को दिया गया था?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है। सत्य यह है कि 3(11) बीघा भूमि श्री गोपसिंह के नाम 420 रुपये पर खत्म की गई।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। सत्य यह है कि आराजी नं. 516/338 में 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि 680 रुपये में खत्म की गई है।

(3) जी हां प्रमाण-पत्र तहसीलदार पाटन द्वारा दिनांक 19-6-67 को खरीददारों को दे दिये गये थे।

(4) जी हां। यह आदेश श्री ओंकार माली की निगरानी पर दिनांक 22-1-68 को हुए।

तहसील सांगोद व रामगंज मंडी की पंचायतों द्वारा आबादी की जमीन की मांग

163. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रामगंज मंडी व सांगोद की कितनी पंचायतों ने राजस्व विभाग से आबादी की जमीन के लिये मांग की हुई है व कब से?

(2) क्या सरकार पंचायतों द्वारा आबादी हेतु मांगी गई जमीनों के विषय में फैसला करने की कोई अवधि तय करेगी जिससे इनमें परिवर्तन के होने वाले आवश्यक विलम्ब को रोका जा सके?

(3) रेवेन्यू लेंड पर अनधिकृत रूप से मकान बना लेने के कितने मामले उपरोक्त तहसीलों में सरकार के विचाराधीन हैं?

(स्थगित किया गया)

तहसील सांगोद व रामगंज मंडी में भूमि पर नाजायज कब्जा

164. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जुझारसिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्व विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जा किये हुए काश्तकारों को फौरन बेदखल करने व चरनोट की जमीन को मवेशियों से चरा देने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो तहसील सांगोद व रामगंज मंडी में कितनी कितनी जमीन पर किन किन स्थानों पर नाजायज कब्जा शुदा व्यक्तियों से जमीन छुडाई गई है ?

(2) क्या उपरोक्त छुडाई गई जमीन के अतिरिक्त भी ऐसी सरकारी जमीन, रास्ते चरागाह आदि है जिन पर से अतिक्रमण करने वालों का कब्जा अभी हटाना बाकी है ? यदि हां, तो कितनी और किन किन स्थानों पर और क्यों ?

(3) सरकार ने कब कब और किन किन परिस्थितियों में ट्रेसपासर्स के नाजायज कब्जे को रेगूलेराइज करने के आदेश दिये हैं और फाइनल रेगूलेराइज करने की आखिरी तारीख कौनसी रखी गई है ?

(4) भविष्य में अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यावहारिक कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील सांगोद में 2366 बीघा व रामगंज मण्डी में 655 बीघा भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, छुड़ाई गई। सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त छुड़ाई गई जमीन के अतिरिक्त भी ऐसी सरकारी जमीन, रास्ते, चरागाह आदि हैं जिन पर से अतिक्रमण करने वालों का कब्जा अभी हटाना बाकी है। तहसील सांगोद की 9513 बीघा 18 बिस्वा व रामगंज मण्डी की 11241 बीघा भूमि अभी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। स्थानों की सूची तैयार कराई जा रही है।

(3) सरकार द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के नियमन के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेश एवं परिपत्र दिनांक 5–10–67 के परिपत्र के साथ में जारी किये गये हैं। इस आज्ञा के अन्तर्गत दिनांक 31–12–66 से पूर्व किये गये अनधिकृत अतिक्रमण को नियमन करने के प्रावधान हैं।

(4) अधिकृत कब्जों को रोकने के लिए धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पटेलाई व नम्बरदारी प्रथा

165. श्री जुझार सिंह (रामगंजमंडी)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पटेलाई व लम्बरदारी प्रथा खत्म किये जाने के बाद से राज्य की भूमि कर वसूली में कितनी कमी आई है या इजाफा हुआ है ? कोटा व झालावाड़ जिलों की अलग अलग तहसील के वसूली के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) पटवारियों द्वारा कर वसूल करने के बाद पूरी रकम वसूल नहीं करने, गबन

(श्री जुझारसिंह)

करने या दो दो, तीन तीन बार कर वसूल करने आदि की कोटा व झालावाड़ जिलों की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ?

(3) पटेल व लम्बरदारी प्रथा में पर्सेन्टेज के रूप में कितनी रकम दी जाती थी व पटवारियों के अलाउन्स व वसूली भत्ते के रूप में कितना अधिक व्यय किया जा रहा है ? तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का कष्ट करें। नये इन्तजाम के कारण राज्य को होने वाली बचत कितनी है ?

(4) क्या सरकार अनुभव करती है कि पटेल व लंबरदार के जिम्मेदार पद को खत्म कर देने से गांवों में भूमि अतिक्रमण, अव्यवस्था व गैर जिम्मेदारी को बढ़ोतरी मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर फिर से विचार करेगी।

उत्तर

(1) पटेलाई व लम्बरदारी प्रथा समाप्त होने से झालावाड जिले की वसूली में कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। वर्ष 1966–67 व 1967–68 में अकाल के कारण वसूली में कुछ कमी हुई। कोटा जिले में वसूली में कुछ इजाफा हुआ है। दोनों जिलों की वसूली के तुलनात्मक आंकड़ों की तालिकायें संलग्न हैं।

(2) झालावाड जिले के गबन की चार शिकायतें हुई तथा कोटा जिले में कुल मिला कर 38 शिकायतें प्राप्त हुई है।

(3) कोटा व झालावाड जिलों में पटेलों को वसूली की रकम पर 5 प्रतिशत रसूम के रूप में दी जाती थी। इस प्रथा के समाप्त होने पर पटवारियों को 15 रु. विशेष वेतन दिया जाता था। दोनों जिलों में इस प्रथा के समाप्त होने पर राज्य सरकार को निम्न रूपेण बचत हुई है:—

1. 1963 में पटेलाई प्रथा में दी गई राशि 2,66,406.74।

2. 1967 में पटवारियों को दिया गया अलाउन्स भत्ते आदि 1,82,756.40।

3. यदि लम्बरदारी प्रथा में 5 प्रतिशत के हिसाब से 1967 में भुगतान किया जाता तो 3,95 473.00 होता।

खर्चे में कुल कमी 2,12,716.60

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील रामगंज मंडी व सांगोद में काश्तकारों के कुए

156. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ऐसे कुए जो काश्तकार की स्वयं की भूमि पर स्थित है व अपने होते हुए भी सरकारी दर्ज हो गये हैं उन्हें 25 रु. तहसील में जमा करके खातेदार के नाम कर देने के आदेश सरकार की ओर से हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) तहसील रामगंज मंडी व सांगोद में कुल कितने कुए हैं जो काश्तकारों के

Page No. 51

(श्री जुझारसिंह)

नाम होने के हैं और उनमें से अब तक उनके नाम कितने हो चुके हैं ? कितनों की दर्ख्वास्तें सरकार के विचाराधीन हैं व कितनों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त आदेश के बाद अपनी ओर से ही इस प्रकार के कैसेज की निश्चित अवधि में किसान के नाम तब्दील करने का विचार रखती है, जिससे उनका अदालती खर्चा बच सके, सिवाय ऐसे कैसेज के जिनमें एक से ज्यादा क्लेमेन्ट हो और उनमें आपसी झगड़ा पैदा हो गया हो ?

(4) सरकार के आदेश के बाद भी इन मामलों के सुलझाने में विलम्ब के क्या कारण है ?

उत्तर

(5) जी हां, यह सही है। इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार राजस्व (ख) विभाग के पत्र संख्या एफ. 4 (10) राजा/ख/ ग्रुप–1/63, दिनांक 4 जून, 1 6 द्वारा जारी हुए हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) तहसील रामगंज मंडी में 4 व तहसील सांगोद में 270 यानि कुल 70 कुए काश्तकारों के नाम होने के थे जो सब ही काश्तकारों के नाम हो चुके हैं। किसी के भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं हैं व किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

(3) जी हां, बिलानामी कुओं के स्वामित्व के समस्त मामले दिनांक 31-12-68 तक निपटाने के निर्देश, राजस्व (भूमि सुधार) विभाग के अन्तिम परिपत्र संख्या एफ. 2 (7) राजा/भू. सु/ 67, दिनांक 30-10-68 में निहित हैं।

(4) तहसील रामगंज मंडी व सांगोद के उक्त मामलों के निपटाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

पटवारी सांजू, तहसील डेगाना से किराये की वसूली

167. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मौजूदा पटवारी सांजू, तहसील डेगाना जिला नागौर जिस जगह रहते हैं, यह भूतपूर्व जागीरदार का निजी सम्पत्ति है और उस जमीन के कुछ हिस्सों में दूसरे लोगों से पैसे लेकर उनकी निजी सम्पत्ति से मिला रहे हैं ?

(2) क्या पटवारी सांजू से वहां रहने का किराया वसूल किया जावेगा और उस सम्पत्ति को नष्ट करवाने का मुआवजा भूतपूर्व जागीरदार को दिलाया जायगा ?

(3) क्या उपरोक्त पटवारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सांजू पटवारी जिस पटवार खाने में आज कल रहता है उसमें कोर्ट आफ वार्डस् के समय से उसका निवास है। उसे जागीरदार ने अपनी निजी संपत्ति में क्लेम किया है जिसकी जांच हो रही है।

पटवारी द्वारा जमीन बेचे जाने की शिकायत प्राप्त होना नहीं पाई जाती।

Page No. 52

(राजस्व मंत्री)

(2) निजी संपत्ति का निर्णय हो जाने पर ही इस पर विचार हो सकेगा।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

ग्राम श्याणा तहसील हिन्डोली के काश्तकारों की जमीन पर सरकारी फार्म

168. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1965 में ग्राम श्याणा तहसील हिन्डोली के काश्तकारों को कितनी कितनी जमीन कहां की किस किसको आवंटन की थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि वही जमीन काश्तकारों से छीन कर के अब सरकारी फार्म में परिणित कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) सन् 1965 में ग्राम श्याणा तहसील हिन्डोली के काश्तकारों को कोई भूमि आवंटन नहीं की थी।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जयपुर तहसील में कृषकों के आवागमन के रास्तों से सम्बन्धित मुकदमे

169. श्री ल दूर.म सुल्तानि .ा ,फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर तहसील में कृषकों के आवागमन के रास्तों से संबंधित कितने मुकदमे किस किस अदालत में कब कब से चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि रास्तों के झगड़े निपटाने के अधिकार पंचायतों को दिये गये थे ? यदि हां, तो पंचायतों द्वारा निपटाने गये मामलों को पुनः तहसीलों द्वारा क्यों और किन नियमों के अन्तर्गत उठाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जयपुर तहसील में कृषकों के आवागमन के रास्तों से सम्बन्धित 5 अभियोग धारा 251 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) इन मुकदमात में शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह क्षेत्र नगरपरिषद् के अन्तर्गत होने के कारण यह मामले तहसील द्वारा निपटाये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

लेबर कोर्ट के जज की नियुक्ति

170. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लेबर कोर्ट की स्थापना कब की गई ?

(2) क्या इसके जज की नियुक्ति के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ? अगर हां, तो प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

Page No. 53

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(3) अब तक कोर्ट में किन किन जजों की नियुक्ति थी तथा वे कब से कब तक रहे?

(4) वर्तमान में जज कौन है व उनकी नियुक्ति कब की गई थी?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जज सेवा निवृत्त हो चुके हैं?

(6) क्या यह सही है कि सेवा से निवृत्त अधिकारियों को पुनः नियुक्त किये जाने की सरकारी नीति है?

उत्तर

(1) दिनांक 16-4-1959 को।

(2) इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट, 1947 (केन्द्रीय अधिनियम XIV आफ 1947) की धारा 7 (3) के अन्तर्गत नियुक्ति की जाती है। इस नियम की प्रति संलग्न है।

(3) श्री आनन्द नारायण कौल दिनांक 16-4-59 से 26-8-63।

श्री किशनलाल धाभाई दिनांक 2?-?-63 से 10-11-65।

श्री सोहनलाल अग्रवाल दिनांक 10-11-65 से 24-12-65।

श्री किशन लाल धाभाई दिनांक 5-1-66 से 4-1-67।

श्री रोशनलाल मेहता दिनांक 7-1-67 से 30-6-67।

श्री विपिनचन्द्र ओझा दिनांक 30-10-67 से अब तक।

(4) श्री विपिनचन्द्र ओझा दिनांक 30-10-67 से अब तक कार्य कर रहे हैं।

(5) जी हां। सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं।

(6) राज्य सरकार को राजस्थान सेवा नियम 346 के अन्तर्गत पुनः सेवा में रखने का अधिकार है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

न्यूनतम वेतन

171. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अभी तक किन किन क्षेत्रों में और राजस्थान के किस किस हिस्से में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं हुआ है?

(2) राजस्थान में किन किन जगहों पर किस किस हिसाब से और किस किस आधार पर कितना कितना न्यूनतम वेतन श्रमिकों के लिये मुकर्रर किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि वर्तमान मंहगाई को देखते हुए यह न्यूनतम वेतन जो मुकर्रर किया गया है वह कम है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 समस्त राजस्थान में लागू है।

(2) न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम वेतन

(श्रम मंत्री)

निश्चित किया जाता है। इसका आधार क्षेत्रीय न होकर उद्योगों के वर्गीकरण, मूल्य सूचनांक एवं जीवन उपयोगी न्यूनतम स्तर है। निश्चित किये वेतन दरों की सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में 1965 में रिविजन किया था। पुनः रिविजन करने के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी व गैर सरकारी कारखानों के मजदूरों की मजदूरी व बोनस

172. श्री रामचन्द्र अर्य (नोहर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सरकारी व गैर सरकारी कारखानों के मजदूरों की मजदूरी में अन्तर है? यदि हां, तो यह अन्तर कितना है? सरकारी कारखानों में मजदूरों को प्रतिदिन क्या मजदूरी दी जाती है और गैर सरकारी कारखानों में कितनी मजदूरी दी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो बोनस किस रूप में व कितना दिया जाता है? सरकारी व गैर सरकारी कारखानों के मजदूरों की तादाद क्या है? स्थाई व अस्थाई की तादाद अलग अलग दी जाय?

(3) क्या यह सही है कि मजदूरों के रहने के लिये मकान का प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कितने मजदूरों को रहने का मकान का प्रबन्ध है और कितनों को नहीं है? कारखानेवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

(1) जी हां। कुछ हद तक सरकारी व गैर सरकारी कारखानों में मजदूरों की मजदूरी में अन्तर है। कारखाने दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं। एक वह जिनमें श्रमिक व्यवस्थित (Organised) रूप से कार्य करते हैं तथा दूसरे जिनमें श्रमिक अव्यवस्थित रूप (Unorganised) से कार्य करने वाले कारखानों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के नीचे दिये परिशिष्टों में आते हैं तथा सरकार की ओर से इनमें इस समय 60 रुपया प्रति माह न्यूनतम वेतन, अकुशल कारीगरों के लिये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार इन कारखानों में काम करने वाले अर्द्ध कुशल एवं कुशल कारीगरों के लिये, न्यूनतम वेतन क्रमशः 80 रु. तथा 100 रु. प्रति माह निर्धारित किया गया है। व्यवस्थित रूप से कार्य करने वाले कारखाने में, जो केन्द्रीय वेतन मंडलों की सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं, विभिन्न वेतन दरें दी जाती हैं। उदाहरणतः कपड़ा उद्योग में इस समय न्यूनतम वेतन लगभग 118 रु. है। सीमेन्ट उद्योग में 170 रु. इंजिनियरिंग उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन इस समय 125 रु. प्रतिमास से कम नहीं है।

सरकारी उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं उन्हें इस समय 81 रु. प्रतिमास से 103 रु. प्रतिमास तक मिलता है। केवल दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले

(श्रम मंत्री)

(केजुअल) कर्मचारियों को 2.31 रु. प्रतिदिन अथवा 60 रु. प्रतिमास के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित दरों के अनुसार है ।

(2) जी हां, बोनस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उन समस्त कारखानों में जो फैक्ट्री की परिभाषा में आते हैं अथवा जहां 20 अथवा 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, श्रमिकों को बोनस दिया जाता है । राजस्थान में केवल 816 प्रतिष्ठान बोनस अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । इनमें अधिकांश कारखानों ने अपने श्रमिकों को नियमित बोनस का भुगतान कर दिया है । जिन प्रतिष्ठानों ने बोनस का भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्यवाही की है । अभी तक 332 संस्थानों के विरुद्ध चालान किये जा चुके हैं ।

सरकारी प्रतिष्ठानों में जो राज्य के जरिये चलाये जाते हैं बोनस भुगतान नहीं किया गया है । चूंकि इन्हें अधिनियम की धारा 32 (iv) के अन्तर्गत छूट है । इसके अतिरिक्त ऐसे कारखाने, जो लिमिटेड कम्पनी अथवा कारपोरेशन की तरह कार्य कर रहे हैं उनमें बोनस का भुगतान हुआ है । राजस्थान विद्युत मंडल ने अपने कर्मचारियों को 4 % बोनस का भुगतान किया है । इसी प्रकार राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने भी अपने कर्मचारियों को बोनस भुगतान किया है, गंगानगर शुगर मिल्स ने भी बोनस भुगतान अपने कर्मचारियों को किया है । राजस्थान-रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन भी एक्सग्रेशिया (Ex-gratia) बोनस का भुगतान अपने कर्मचारियों को करती रही है ।

(3) जी हां । श्रमिकों के आवास का प्रबन्ध सरकार की ओर से, मालिकों तथा श्रमिकों की सहकारी समितियों की ओर से किया गया है । सरकार द्वारा जयपुर, भीलवाड़ा, पाली, जावर माईन्स, गंगानगर तथा सवाई माधोपुर स्थानों पर किया गया है । 240 मकान बनाये गये हैं ।

मालिकों की ओर से भी आवास का प्रबन्ध सवाई माधोपुर, फलोदी, भरतपुर, कोटा, रामगंज मंडी, चित्तौड़, जावर माइन्स, किशनगढ़ स्थानों पर किया गया है ।

श्रमिकों की सहकारी समितियों की ओर से उदयपुर एवं ब्यावर में आवास का प्रबन्ध किया गया है । आवास के सम्बन्ध में सरकार इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मालिकों को भवन निर्माण के हेतु 50 % लोन तथा 25 % सबसिडी देती है तथा श्रमिक सहकारी समिति को 65 % लोन तथा 5 % सबसिडी मिलती है । तथा सरकार द्वारा निर्मित मकानों पर 50 % लोन तथा 50 % सबसिडी मिलती है ।

बीकानेर स्थित दाऊजी के मंदिर की चल व अचल सम्पत्ति

173. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर स्थित दाऊजी के मंदिर का ट्रस्ट कब बना और उसके कौन कौन सदस्य थे ? किन किन सदस्यों का स्थान कितने कितने समय के लिये खाली रहा और क्यों ?

(श्री भैरोंसिंह)

(2) सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत इसका पंजीकरण कब हुआ ? पंजीकरण के समय चल व अचल सम्पत्ति के मूल्य का क्या विवरण दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस मन्दिर की काफी मात्रा में चल सम्पत्ति गायब है ? यदि हां, तो क्या क्या, किस किस मूल्य की और कब से ?

(स्थगित किया गया)

मंदिरों पर आय व व्यय

174. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के निर्माण के समय अलग अलग जिलों में कितने मन्दिर देवस्थान बजट के अन्तर्गत आये और उनका उस समय क्या सालाना सरकारी खर्चा था ?

(2) वर्ष 1968 में ऐसे मन्दिरों का सालाना सरकारी खर्चा क्या था ?

(3) निजी आय से चलने वाले किस किस जिले में कितने कितने मन्दिर हैं ? उनकी सालाना आय क्या है और खर्च क्या है ?

(4) राज्य में जिलेवार कुल कितने मन्दिर हैं जिनको सालाना सरकारी सहायता दी जाती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान निर्माण के समय जो मन्दिर देवस्थान बजट के अन्तर्गत आये उसकी जिलेवार सूची संलग्न है। इनका 1155726 रुपया वार्षिक व्यय था।

(2) सन् 1967-68 में इन मन्दिरों का वार्षिक व्यय 839388 रुपया था।

(3) निजी आय से चलने वाले मंदिरों की जिलेवाइज सूची आय व्यय सहित संलग्न है।

(4) सहायता प्राप्त मन्दिरान की जिलेवाइज सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

सुजानगढ़ अस्पताल की एक्स-रे की मशीन

175. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सुजानगढ़ जिला चूरू के अस्पताल की एक्स-रे मशीन खराब हो गई जो लम्बे समय तक ठीक नहीं हुई और ठीक होने के लिये बाहर भेजी गई ? यदि हां, तो कब खराब हुई, क्या खराब हुई उसको कहां पर ठीक करवाई गई और ठीक करवाने में कितना खर्चा हुआ ?

(2) उक्त मशीन किस अधिकारी की देखरेख में चलती है और खराब होने के समय इस पर कौन अधिकारी कार्य कर रहा था ?

(3) इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी की यदि कोई गलती पायी गई तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) इतने लम्बे समय तक मशीन खराब पड़ी रहने के क्या कारण हैं ?

Page No. 57

(चिकित्सा मंत्री)

(1) जी हां ... ांक 20-7-68 से, ट्यूब हैड सम्बन्धित खराबी होने के कारण मरम्मत हेतु कम्पनी की फैक्ट्री फरीदाबाद भेजी गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देख रेख में एक्स-रे टेक्नीशियन चलाता था।

(3) जी नहीं।

(4) सम्बन्धित कम्पनी के पास सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण।

ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा भूख से मरने वालों की दी गई सूचना

176. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) 1 अक्टूबर सन् 68 से लेकर अब तक बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू जिले के किस किस ग्राम में कितने कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और किन कारणों से ?

(ख) किस किस जिलाधीश को किन किन ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा कुछ व्यक्तियों के भूख से मरने की सूचना दी गई, कितने कितने व्यक्तियों की और कब ?

उत्तर

(1) इस विभाग की सूचना के अनुसार ...क्त सूची संलग्न है।

(2) इसकी जानकारी इस निदेशालय को नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

मांडलगढ़ डिस्पेंसरी के भवन का एक्सटेन्शन

177. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मांडलगढ़ उप जिले का प्रधान केन्द्र है ? यदि है, तो गत चालीस वर्षों में क्या स्टेट डिस्पेंसरी के भवन में किसी भी प्रकार का अन्तर आया है ?

(2) यदि डिस्पेन्सरी में किसी भी प्रकार का एक्सटेन्शन हुआ हो तो कितनी रकम इन दस वर्षों में कब कब खर्च हुई ?

(3) क्या निकट भविष्य में डिस्पेन्सरी भवन को उन्नत करने की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, भवन में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया हैं।

(2) इस डिस्पेन्सरी में समय समय पर सालाना मरम्मत का काम हुआ है। सन् 1969-70 के करीब 3,500/- खर्च हुआ है।

(3) जी नहीं।

भीलवाड़ा अस्पताल

178. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(1) आजादी के बाद भीलवाड़ा अस्पताल को किस श्रेणी में लिया गया था ?

(2) क्या इन बीस वर्षों में भीलवाडा अस्पताल में रोगी शैया की संख्या बढ़ाई गई है ?

(3) यदि हां, तो इस समय कितनी शैया हैं ?

(4) क्या आप यह अनुभव करते हैं कि रोगी शैया तुरन्त बढ़ानी चाहिए ?

(5) क्या उक्त अस्पताल को 'बी' ग्रेड में लेने तथा शैया बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

(6) वर्ष भर के लिये भीलवाड़ा अस्पताल के लिये दवाओं का प्रावधान कितना है ?

(7) क्या दवाओं के लिये जो बजट बना हुआ है वह अपर्याप्त है ? यदि है, तो क्या इसे बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आजादी के बाद महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में सन् 1950 में 25 रोग शय्याऐं थीं अतः यह पंचम श्रेणी में था।

(2) जी हां, 40 रोग शय्याऐं बढ़ाई गईं।

(3) वर्तमान काल में 65 शय्याओं की व्यवस्था है।

(4) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) भीलवाड़ा अस्पताल को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में परिवर्तित करने सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) वर्ष 1968-69 के लिये भीलवाड़ा अस्पताल के लिये इस ड्रग्स एवं मेडिसियन के मद में 30,000.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(7) जी नहीं। फिर भी आवश्यकतानुसार जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिक राशि के लिये आवेदन कर सकते हैं, जिस पर बजट की सुविधानुसार विचार लिया जाता है।

प्राईमरी हेल्थ सेन्टर, बिचून के भवन का निर्माण

179. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बिचून के भवन निर्माण हेतु जनता ने दस हजार रुपया सरकार को दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि 90 प्रतिशत भवन निर्माण का खर्चा सरकार द्वारा किया जावेगा ?

(3) क्या सरकार उक्त हैल्थ सैन्टर का भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो आज तक कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ?

(श्री सूश्रालाल चौधरी)

(4) क्या '68-69 के बजट में उक्त भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त राशि उप केन्द्रों के भवन के लिए जमा की गई है ?

(2) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आवास गृह निर्माण पर सरकार शत प्रतिशत खर्च करती है।

(3) जी हां। योजना के मद में धनाभाव के कारण निर्माण नहीं हो सका है। धन राशि प्राप्त होने पर निर्माण होना संभव होगा ?

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान में 46 स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवनों का निर्माण होगा। धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य पूरा होगा।

रूमानिया से आये हुए ट्रैक्टरों का आवंटन

180. राजश्री श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रूमानिया से आयातित 75 ट्रैक्टरों का आवन्टन समिति द्वारा जिन जिन काश्तकारों को वितरण किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आवन्टन समिति ने जिस क्राइटेरिया या रूल्स के आधार पर ट्रैक्टर वितरण किये हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) आयन्दा दूसरे देशों से जो ट्रैक्टर भारत में आने वाले हैं उनमें से राजस्थान को कितने मिलेंगे और इनका आवंटन कब तक होने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) रख दी गई है।

(2) नियमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निम्न ट्रैक्टर राजस्थान को

1—मीटर 25 अश्व शक्ति 350 संख्या

2—डी. टी.-14 14 अश्वशक्ति 125 ,,

3—जरमन आर. एस. टी. 09.25 अश्वशक्ति 350 ,,

4—बुलगार 30 अश्वशक्ति बैन टाईप 60

डी. टी.—14 तथा भोलमार ट्रैक्टर के आवंटन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बाकी के ट्रैक्टरों का आवंटन सम्बन्धित कार्यवाही उस समय की जावेगी जब वे ट्रैक्टर उपलब्ध हो जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

भू-जल की उपलब्धि के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण पर हुआ व्यय

181. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भू-जल मण्डल ने जिला नागौर, पाली, चित्तौड़-

Page No. 60

(श्री हरजीराम बुरडक)
गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर और जोधपुर में भू-जल की उपलब्धि के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया था ? यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रति जिलेवाईज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सर्वेक्षण करने के पीछे क्या योजना थी और उक्त योजना की पूर्ति कहां तक हुई ?

(3) उक्त सर्वेक्षण के आधार पर उक्त जलों में पानी की व्यवस्था कहां तक हो पाई है ?

(4) उक्त सर्वेक्षण पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान भू-जल मण्डल की सर्वेक्षण एवं अन्वेक्षण योजनाओं के अन्तर्गत नागौर जिले के कुछ भागों व बीकानेर, झुंझुनूं जिलों की कुछ पंचायत समितियों तथा भरतपुर, अलवर, पाली व जोधपुर के सम्पूर्ण जिलों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है चित्तौड़गढ़ में प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं जोधपुर तथा नागौर जिलों के कुछ भागों में विस्तृत सर्वेक्षण जारी है। डूंगरपुर जिले के प्रारम्भिक सर्वेक्षण का प्रावधान इस वर्ष के कार्यक्रम में रखा गया है। इन सर्वेक्षणों की रिपोर्ट बनाई जा रही हैं। जो रिपोर्ट अब तक तैयार हो चुकी है उनकी एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन जिलों के भू-जल भंडारों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त करना।

(3) विस्तृत सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण होने पर ही भू-जल उपलब्धि के लिये मास्टर प्लान बनाया जा सकेगा।

(5) उक्त सर्वेक्षणों पर अब तक 34, 64, 728 रु. (मार्च 1969 तक) व्यय हो चुके हैं।

घाटे में चल रहे पंचायत समितियों के कृषि फार्म

182. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ कृषि फार्म पंचायत समितियों को सौंपे थे ? यदि हां तो कौन कौन सा फार्म किस किस पंचायत समिति को कब कब सौंपा गया और उन फार्मों का क्या क्या क्षेत्रफल व क्या क्या साज सामान व मकान तथा सिंचाई के साधन थे और बुक वैल्यू के आधार पर कितने कितने मूल्य के थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त फार्मों को पंचायत समितियों को सौंपते समय और आज दिन घाटे नफे की क्या क्या स्थिति है ?

(3) जिस उद्देश्य से कृषि फार्मों की स्थापना की थी उस उद्देश्य की पूर्ति अब हो रही है या नहीं ?

(4) उक्त फार्मों के घाटे में जाने के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिये क्या क्या उपाय काम में लिए गये और लिये जायेंगे ?

(5) इस प्रकार लगातार घाटे में जा

(श्री हरजीराम बुरडक)

रहे फार्मों से आगे चलकर इस योजना का भविष्य क्या होगा ?

(स्थगित किया गया)

भू-जल सर्वेक्षण

183. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से किन किन जिलों में सर्वेक्षण किया गया ? उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट मय नक्शों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में भूजल प्राप्ति की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों में सर्वेक्षण किया गया:––

1. नागौर 2. जोधपुर 3. जयपुर 4. सवाईमाधोपुर 5. अलवर 6. भरतपुर 7. भीलवाड़ा 8. चित्तौड़गढ़ 9. पाली. 10. बीकानेर 11. झुन्झुनू 12. कोटा 13. चूरू 14. जालोर।

उक्त जिलों में की गई सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो तैयार की जा चुकी तथा उपलब्ध है उन्हें सदन की मेज पर रखा जा रहा है। सम्बन्धित नक्शे भी रिपोर्ट के साथ ही संलग्न हैं।

किसानों को अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध कराना

184. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गेहूं के हाई ईल्डिग वेराइटी सीड प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा किस किस किस्म का बीज किस किस कीमत पर कृषकों को बांटा गया है ?

(2) राजस्थान सरकार द्वारा यह बीज किन किन स्थानों से किस किस कीमत पर उपलब्ध किया जाता है ?

(3) पन्त नगर से खरीदा गया हाई ब्रीडिंग वेराइटी सीड सरकार द्वारा कितने लाभ पर बेचा जा रहा है ? कीमत खरीद व बेचान बताने की कृपा करें। क्या यह सही है कि उपरोक्त बीज की कीमत दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि को-आपरेटिव विभाग द्वारा सीड वितरण प्रोग्राम के कारण बीज उपलब्ध करने में कृषकों को दिक्कत आती है और Defaulting Societies के Non defaulting सदस्यों व गैर सदस्यों को क्रेडिट पर बीज नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या अधिक तादाद में कृषकों को अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध कराने के लिये मौजूदा नियमों में व्यवहारिक परिवर्तन करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हाई ईल्डिग वेरायटीज सीड प्रोग्राम के तहत निम्न गेहूं की जातियों को उनके आगे दी हुई दर पर वितरण किया गया था :––

1. गेहूं कल्याण सोना	650)	रु. प्र. क्वि.
2. गेहूं एस. 227	275)	रु. प्र. क्वि.
3. गेहूं एस. 307	275)	रु. प्र. क्वि.
4. गेहूं एस. 308	275)	रु. प्र. क्वि.

(कृषि मन्त्री)

(2) कृषि विभाग द्वारा निम्न स्थानों से बीज उनके आगे दी हुई दर पर खरीदा गया था :—

कृषि विश्वविद्यालय, पंत-
नगर-कल्यान सोना 500) प्र. क्विंटल

एस. 227 175) प्र. क्विंटल
सूरतगढ़ फार्म एस. 307 175) रु. प्र. क्वि.
एस. 308 175) रु. ,,

(3) पंतनगर से खरीद व बेचान की दर उपरोक्त प्रश्न में दे दी गयी है। दूसरे राज्य में किस दर पर बीज वितरण किया गया यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। इन बीजों का वितरण सहकारी विभाग द्वारा नहीं होता। अतः दिक्कत आने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि अभियांत्रिक मंडल में एडहाक बेसिस पर की गई नियुक्तियां

185. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि अभियांत्रिक मन्डल बनने के बाद कितने आदमियों को किस किस केडर में कब कब से एडहाक बेस पर नियुक्त किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन व्यक्तियों को एडहाक बेसिस पर रखा था क्या वे वरिष्ठ थे तथा उस पद लायक योग्यता रखते थे?

(3) क्या उपरोक्त जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हैं उनमें बहुत से ओवरएज भी थे? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुल 83 आदमियों (कर्मचारियों) की नियुक्ति की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभागीय सर्विस रूल्स विचाराधीन है। कुछ कर्मचारियों को सिनियोरिटी व अनभव के आधार पर एडहोक पदोन्नति दी गई है। व कुछ पद पर नियुक्ति एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज व विज्ञप्ति द्वारा की गई है।

(3) जहां तक ज्ञात है इस प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र के कस्बा रावतसर में मन्डी बनाने की योजना

186. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के कस्बा रावतसर में मन्डी बनाने की योजना है? यदि हां, तो इस मन्डी में कुल कितनी दुकानें व कितने रिहायशी मकान बनाने की योजना है?

(2) क्या यह सही है कि इस मन्डी की दुकानें व रिहायशी मकानों के प्लाट नीलाम कर दिए गए हैं? यदि हां, तो कुल कितनी दुकानों के व कितने रिहायशी प्लाट नीलाम किए जा चुके हैं व कितने बाकी हैं?

(3) क्या यह सही है कि कुछ दुका व रिहायशी प्लाट काफी ऊंची कीमत पर बेचे गये हैं और काफी दुकानें व रिहायशी

Page No. 63

(श्री रामचन्द्र आर्य)

प्लाट सस्ते दाम पर बेचे गये हैं? यदि हां, तो ऊंची से ऊंची कीमत पर कितनी दुकानें व कम से कम कीमत पर कितनी दुकानें बेची गई हैं? अलग अलग दुकानों व रिहायशी प्लाटों की सूची नामवाइज सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मन्डी क्षेत्र में काश्तकारों के पुराने आबाद शुदा मकान हैं? यदि हां, तो कुल कितने मकान मन्डी क्षेत्र में आबाद हैं?

(5) क्या यह सही है कि मण्डी क्षेत्र में आबाद शुदा मकानों को उठाने के नोटिस दिए गए हैं? यदि हां, तो नोटिस कब दिए गए और अब उन मकानों को उठाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(6) क्या यह सही है कि उन आबाद शुदा मकान मालिकों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कितना मुआवजा देना तय किया गया है? और क्या उन मकान मालिकों को मुआवजा के अलावा प्लाटों के तबादले में दूसरे स्थान पर प्लाट भी दिये जाना तय हुआ है? यदि हां, तो कहां पर और नहीं, तो क्यों नहीं?

(7) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों के मण्डी क्षेत्र में मकान आ चुके हैं उनके पास दूसरे मकान नहीं हैं और मकान मालिक निहायत ही गरीब हैं? यदि हां, तो उनके मकान तुड़वाने से पहले उनको सरकार द्वारा मकान बनवा कर क्यों नहीं दिए जाते?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। इस समय 304 दुकानें तथा 301 रिहायशी मकान का प्लान बन चुका है तथा बाकी स्थान का उप नगर नियोजक द्वारा प्लान बनाया जा रहा है जिसमें और रिहायशी मकान तथा अन्य विकास कार्यों की योजनाएं होंगी।

(2) जी हां। यह सही है कि मंडी की दुकानें नीलाम हुई हैं परन्तु रिहायशी मकान नीलाम में अभी तक किसी ने नहीं खरीदे हैं। आज तक इस मंडी में 269 दुकानें नीलाम हो चुकी हैं तथा 35 दुकानें बाकी रहती हैं तथा रिहायशी प्लाट सारे बकाया पड़े हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि कुछ दुकानें ऊंची कीमत पर नीलाम हुई हैं और कुछ दुकानें कम कीमत पर नीलाम हुई हैं जिसका कारण यह है कि जो दुकानों की जगह थी मौके के लिहाज से अच्छे स्थान पर पड़ती है उनके खरीददार अधिक होते हैं इसलिए उनकी कीमत बोली में ऊंची चली जाती है और जो दुकानों की जगह मौके के लिहाज से अच्छे स्थान पर नहीं होती है उनके खरीददार कम होते हैं इसलिये बोली अधिक नहीं बढ़ती है। अतः यह कम कीमत पर नीलाम होती है। परन्तु फिर भी सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से काफी अधिक मूल्य पर दुकानें नीलाम हुई हैं। उनमें ऊंची कीमत पर 48) रुपये प्रति गज के हिसाब से एक दुकान तथा कम से कम कीमत पर 12) रुपये प्रति गज के हिसाब से एक दुकान नीलाम हुई है। बाकी दुकानें उक्त दरों के बीच अलग 2 दरों पर नीलाम हुई जब कि सरकार द्वारा

(उपनिवेशन मन्त्री)
9.25 रु. प्रति वर्ग गज मूल्य निर्धारित किया गया है। नीलाम की गई दुकानों की नामवाइज सूची संलग्न है।

(4) तमाम कस्बा मंडी क्षेत्र के मास्टर प्लान के अन्दर आता है, जिनमें से ग्रेन मार्किट तथा जनरल मार्किट में कोई मकान नहीं आता है। प्लान शुदा रिहायशी प्लाटों में उस समय 12 मकान आते हैं।

(5) जिन व्यक्तियों ने बिना मंजूरी के नाजायज कब्जा कर रखा है उनको कब्जे हटाने के नोटिस दिए गए हैं जब 2 नाजायज कब्जा करते हैं तब तब उनको नोटिस दिए जाते हैं। नाजायज कब्जों को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) नाजायज कब्जों को हटाने का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। क्योंकि नियमों में नाजायज कब्जों का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार नाजायज कब्जों के तबादले में कोई प्लाट नहीं दिया जाता है यदि किसी को रिहायशी प्लाट की आवश्यकता हो तो जो प्लाट नीलाम किये जाते हैं उनमें खरीद सकते हैं या अलग-आप योजनान्तर्गत किसी गैर आवंटन के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर कितना आवंटन किया जा सकता है।

(7) जिन व्यक्तियों के मकान जायज हैं उनको भूमि अवाप्ति के नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा और जिन व्यक्तियों ने नाजायज मकान बना रखे हैं उनका कब्जा हटाने पर मुआवजा या मकान बनाकर देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित 'चम्बल क्षेत्र के किसानों से' नामक पुस्तक

187. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित "चम्बल क्षेत्र के किसानों से" नामक पुस्तक छपाई गई थी और उसमें दिये गये सुझाव कौनसी एक्सपर्ट ओथोरिटी की सलाह के ऊपर दिये गये थे?

(2) उक्त पुस्तिका में बतलाई गई किस्म 5 व 6 की करीब करीब 2 लाख 30 हजार एकड़ जमीन जिसको काश्त के लिये अनुपयोगी व अहितकर बताया गया था किन कारणों से कहां कहां कितनी काश्त के लिये रिलीज कर दी गई है और क्यों? क्या यह सही है कि उक्त भूमि में से कोलोनाइजेशन द्वारा चार किस्मों में विभाजित बहुत सा रकबा भी शामिल है जो बेचान किया गया है?

(3) चम्बल क्षेत्र में जमीन की सुरक्षा व्यवस्था के लिये सम्बन्धित भिन्न भिन्न विभागों में समन्वय की क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) 'चंबल क्षेत्र के किसानों से' नामक पुस्तिका में दिये गये सुझाव कृषि रसायन विशेषज्ञों की राय पर दिये गये हैं।

(2) उपरोक्त पुस्तिका में बतलाई गई किस्म 5 व 6 की भूमि का क्षेत्रफल 2,20,115

(उपनिवेशन मंत्री)

एकड़ दिखलाया गया है जबकि पुस्तिका के भू-उपयोगिता विभाजन अध्याय के अनुसार लगभग 20,000 एकड़ होता है उपनिवेशन विभाग द्वारा कृषि के लिये उपयुक्त पाई जाने वाली भूमि ही विक्रय की गई है जिसका वर्गीकरण चार श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ में किया गया है।

(3) चम्बल क्षेत्र में जमीन की सुरक्षा व्यवस्था एवं सर्वांगीण विकास के लिये एक उच्चस्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की हुई है जिसे चम्बल समन्वय समिति कहा जाता है।

बारां कृषि उपज मंडी क्षेत्र में मंडी निर्माण के लिए प्लाट्स की नीलामी

188. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बारां कृषि उपज मंडी क्षेत्र में मंडी निर्माण के लिए प्लाट्स की नीलामी की थी ? यदि हां, तो किस किस तारीख को कितने कितने रुपयों में किस किस व्यक्ति को कितने वर्गगज के कितने प्लाट्स नीलाम किए और उनसे कितनी अग्रिम राशि जमा करवाई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा मंडी विकास निर्माण के लिए कितने प्लाट्स नीलाम करने का निर्णय लिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों से नीलामी में अग्रिम राशि ली गई उनको अभी तक उन प्लाट्स का कब्जा नहीं दिया ? यदि हां. तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने अब प्लाट्स की नीलामी करने का निर्णय करा लिया है ? यदि हां तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि बारां कृषि उपज मंडी कमेटी क्षेत्र में जितनी सड़कें बनाई जाने वाली थीं वह पूरी नहीं बनी ? यदि हां, तो क्यों और पूरी सडकों पर कुल कितना रुपया खर्च होने वाला था और अब तक कितन लम्बी सड़कों पर कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) तब तक 58 प्लाट्स काटे गये हैं।

(4) जिस वक्त नीलाम किया गया था उस वक्त मौके पर निशांदेही की जाकर क्रेताओं को प्लाट्स की स्थिति का ज्ञान करा दिया गया था जिसके अनुसार तथा संपादित दस्तावेज के अनुसार प्लाट्स का कब्जा हस्तांतरित हो चुका है जहां तक पुनः मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दिये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी क्रेता की ओर से इसके लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। मई में नीलाम प्रोग्राम था अब आगे स्थिति अनुसार समय पर नीलाम प्रारम्भ किया जावेगा।

(5) जी हां यह सही है। बजट के अभाव में सड़कें पूरी नहीं बन सकी। अभी तक 6 फर्लांग 564 फुट लम्बी सड़क पर

(उपनिवेशन मंत्री)
3 लाख 2 हजार रुपया खर्च हो चुका है कुल रुपया 4 लाख 40 हजार खर्च करना था।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

ग्राम सुलतानपुर में भूमि की नीलामी

189. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के ग्राम सुलतानपुर के निवासी श्री मूलचन्द आत्मज श्री रामनारायण खटीक (अनुसूचित जाति) ने दिनांक 14-9-66 को कोलोनाइजेशन विभाग से बोली लगाकर नीलामी में 10 बीघा भूमि खसरा नं० 1629 की खरीद की थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के नीलामी का चौथान 1395 रु. दिनांक 14-9-66 को जमा करा दिया था? यदि हां, तो क्या उसको अभी तक कब्जा नहीं दिया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(स्थगित किया गया)

जिला गंगानगर में अवकाश प्राप्त सैनिकों की कृषि सहकारी समिति

190. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर में अवकाश प्राप्त सैनिकों की कृषि सहकारी समिति कुल कितनी व कहां कहां पर है और उनकी सदस्य संख्या कितनी है? प्रत्येक सहकारी समिति को भूमि कितनी व कौन से चकों में अलॉट है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या यह सही है कि अवकाश प्राप्त सैनिकों की कृषि भूमि को हड़पने के लिए अन्य प्रकार के सदस्यों की भर्ती हो रही है? यदि हां, तो इस प्रकार के सदस्य कौन कौन सी सहकारी समितियों में भर्ती किए गए हैं और इस प्रकार की सदस्यता किस नियम के तहत दी गई है? उन नियमों की प्रति व अन्य सदस्यों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या नियम विरूद्ध भर्ती किये गए सदस्यों की समिति से पृथक करने का अधिकार राज्य सरकार को है? यदि हां, तो इस प्रकार के सदस्यों को पृथक करने की कार्यवाही कब की जावेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अवकाश प्राप्त सैनिक कृषि सहकारी समितियों का ऑडिट सालाना होता है? यदि हां, तो सन् 1966–67 व 67-68 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

सहकारी विभाग के निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

191. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची समय समय पर प्रकाशित

(श्री हरजीराम बुरड़क)
की जाती है ? यदि हां, तो सन् 1958 से लेकर अब तक जारी की गई वरिष्ठता सूचियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) वरिष्ठता सूची बनाते समय विभाग द्वारा नियुक्त व दूसरे विभागों से सरप्लस हुए कर्मचारियों को इस विभाग से नियुक्त कर्मचारियों को किस आधार पर वरिष्ठता में माना गया है ?

(3) उपरोक्त समय में विभागीय तरक्कियों के मामले में वरिष्ठता सूची क कहां तक पालन किया गया

(4) वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में किसी सेवा के सदस्य द्वारा एतराज किया जाता है तो उक्त एतराज का फैसला कितने समय में कर दिया जाता है ? यदि अभी भी कोई ऐतराज शेष हैं, तो किन-किन का कब कब से ?

उत्तर

(1) हां । सहायक निरीक्षकों की तथा निरीक्षक (कार्यकारी) एवं निरीक्षक (ऑडिट) की जो सम्मिलित वरिष्ठता सूचियां जारी की गई हैं उनकी प्रतियां परिशिष्ट (क) पर संलग्न है ।

(2) इस बारे में सहायक निरीक्षकों की जो वरिष्ठता सूचियां अक्टूबर, 1968 व फरवरी 1969 में जारी की गई है संलग्न आदेश में अंकित मानदण्ड का अवलोकन करें । निरीक्षक के पद पर समावेश किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची भी समावेश किये गये सहायक निरीक्षकों के बारे में अपनाये गये मानदण्ड के अनुसार ही तैयार की जा रही है ।

(3) उपरोक्त वरिष्ठता सूचियां जारी होने के पश्चात् पदोन्नतियों में इनका पूर्णरूप से पालन किया गया है ।

(4) इस बारे में कोई समय निधारित तो नहीं है किन्तु प्राप्त एतराज पर जल्दी से जल्दी फैसला किये जाने का प्रयत्न किया जाता है । सहायक निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची के बारे में प्राप्त ऐतराजात का फैसला किया जा चुका है । निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची के बारे में वर्ष 1957 में राजस्थान जन सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये गये श्री गणेशनारायण माथुर निरीक्षक (आडिट) द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है जिसके कारण इनकी वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., नागौर की ऑडिट रिपोर्ट

192. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., नागौर का अन्तिम ऑडिट कब किस अधिकारी द्वारा किया गया ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना में क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)
पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. नागौर का वर्ष 67-68 का ऑडिट श्री हरिसिंह रावत, कानकरैन्ट आडिटर द्वारा दिनांक 1-7-67 से 30-6-68 तक किया गया। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालनार्थ रिपोर्ट की एक प्रति बैंक को दिनांक 2-11-68 को भेजी गई। बैंक द्वारा जो अनुपालना रिपोर्ट भेजी गई, उसकी प्रति सूची परिशिष्ट (ख) संलग्न है। यह अनुपालना रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण बैंक को पुनः दिनांक 26-2-69 को भेजी गई, लेकिन अभी तक अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के कार्यालय के भवन का किराया

193. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का कार्यालय किस किस भवन में कितने कितने किराये पर अब तक रखा गया है और अब किस भवन में कितने किराये पर है? अब अधिक किराये का मकान लेने के क्या कारण हैं?

उत्तर

राजस्थान राज्य सहकारी, भूमि विकास बैंक का कार्यालय बैंक की स्थापना के पश्चात् दिनांक 1-10-57 से 30-9-61 तक राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर के किराये के भवन में चौड़े रास्ते में 100) रु. प्रतिमाह के किराये पर था इसके पश्चात् 1-10-61 से 11-12-65 तक बैंक का कार्यालय राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर के नये भवन में स्थानांतरित किया गया। इस अवधि में किराया 215) रु. प्रतिमाह था। दिनांक 12-12-65 से 11-7-68 तक बैंक का कार्यालय चंदालाल भवन, मोती डूंगरी रोड, जयपुर पर 520) रु. प्रतिमाह की दर से किराये पर था। अब बैंक का भवन सी. स्कीम, सुभाष मार्ग के चौराहे पर दिनांक 19-6-68 से 1100) रु० प्रतिमाह के किराये पर है। अब अधिक किराये पर भवन लेने का कारण बैंक के बढ़ते हुये कार्य व बैंक के लिये उपयुक्त स्थान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रख अधिक किराये पर लिया गया है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, उदासर

194. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति उदासर तहसील नोखा, जिला बीकानेर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ व कुल सदस्य कितने हैं? नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

Page No. 69

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति को एक ही बार ऋण 6 माह के लिये केन्द्रीय बैंक बीकानेर से मिला है ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को व कितने रुपये मिले ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऋण अभी तक केन्द्रीय बैंक बीकानेर में जमा नहीं करवाया ? यदि हां, तो क्यों और यदि जमा करवाया, तो कितना रुपया व बकाया की वसूली के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में उक्त सेवा सहकारी समिति, उदासर पर गम्भीर आरोप लगाये गये ?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., उदासर जिला बीकानेर का रजिस्ट्रेशन 301 एफ. पर दिनांक 30—6—60 को हुआ है एवं इसके 50 सदस्य हैं जिसकी सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उदासर को ऋण एक ही बार 9 माह के लिये दिनांक 7—7—61 को 10960) रु० केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, बीकानेर से मिला है।

(3) जी हां ! समिति के मंत्री श्री बालूसिंह द्वारा सदस्यों से ऋण की वसूली की जाकर रकम को अपने पास ही रख ली है, जो अभी तक जमा नहीं करवाई। इस सम्बन्ध में समिति का रेकार्ड जो श्री बालूसिंह के पास है उसे पुलिस के जरिये प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं ! समिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से वर्ष 61—62 के बाद समिति का आडिट नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

बजरंग श्रमिक ठेका सहकारी समिति, झोटवाड़ा

195. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर तहसील के ग्राम झोटवाडा में बजरंग श्रमिक ठेका सहकारी समिति नाम की कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो उस समिति का पंजीयन किस तिथि को कितने नम्बर पर हुआ है तथा इसके वर्तमान पदाधिकारी कौन कौन हैं ? सूची मय पदाधिकारियों के नाम, पिता का नाम जाति निवासस्थान के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सहकारी समिति का चुनाव समय समय पर होता आया है ? यदि हां, तो इस समिति के गठन से अब तक समय समय पर चयन की गई प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पिता के नाम, जाति, निवासस्थान के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस समिति का ऑडिट समय समय पर होता रहा ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की

(श्री लादूराम सुबानिया)
प्रमाणित प्रतियां मय अनुपालना रिपोर्टों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या इस समिति को राज्य सरकार अथवा किन्हीं संस्थाओं द्वारा ऋण व अनुदान आदि दिया गया है ? यदि हां, तो किस विभाग व संस्था द्वारा कितना कितना व किस किस तिथि को ? सूची मय पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह भी सत्य है कि दिये गये ऋण की वसूली हो चुकी है यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) उनकी समिति में साधारण सदस्य कितने हैं तथा उनका शेयर केपिटल कितना कितना ह ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. जी हां ! समिति का पंजीयन क्रमांक 1474।एल. पर दिनांक 19-8-60 को हुआ । समिति के वर्तमान पदाधिकारी जो जो हैं उनके नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

2. जी हां । समिति के गठन से 31-8-65 तक समिति की प्रबन्धकारिणी के चुनाव समय समय पर होते आये हैं। नये चुनाव सितम्बर 1969 तक करवा दिये जावेंगे । पदाधिकारियों के बारे में वांछित सूचना परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न हैं।

3. समिति का आॅडिट समय समय पर होता रहा है । अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है । वर्ष 1965-66 की अंकेक्षण रिपोर्ट इस समय उपलब्ध नहीं है । अनुपालना रिपोर्ट समिति से वर्ष 1960-61 व 1961-62 की प्राप्त हुई हैं। जो सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है । वर्ष 1966-67 व 1967-68 का आॅडिट 7-6-69 को हुआ है । और आॅडिट रिपोर्ट समिति को 14-8-69 को भेजी गई है ।

4. जी हां । वांछित सूचना परिशिष्ट "घ" में संलग्न है ।

5. कोई ऋण नहीं दिया गया इसलिए वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

6. समिति में 18 साधारण सदस्य हैं इनका शेयर कैपिटल जितना जितना है की सूची परिशिष्ट "ड" संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

(12.04 म. प.)

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री पुखराज कालानी, सभापति, जनलेखा समिति प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री पुखराज कालानी (सभापति, जनलेखा समिति): अध्यक्ष महोदय, मै जनलेखा समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो—

(श्री पुखराज कालानी)

(1) विनियोग लेखे 1966-67

(2) वित्त लेखे 1966-67, तथा

(3) वर्ष 1966-67 के लेखों पर अंकेक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित हैं।

श्री भैरोंसिंह : पोस्टपोन कितने क्वेश्चन किये गये।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन नहीं, जो अवशेष हैं उनके उत्तर भेज दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आज या कल ?

श्री अध्यक्ष : एक दो दिन में पहुंच जायेंगे।

श्री पुखराज कालानी : इसमें वर्ष 1965-66 के अंकेक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित राजस्व वाणिज्यिक कर तथा सामान्य प्रशासन विभागों के मामले भी सम्मिलित हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल वाढदार!

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री ओमदत्त भाटी पांच याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जोधपुर के वार्ड नं. 6, 7, 8 व 24 में पीने के पानी की नलों द्वारा अपर्याप्त सप्लाई के सम्बन्ध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

दूसरे, मैं, जोधपुर के कोली बेरी से सोढा की ढाणी तक सडक निर्माण के सम्बन्ध में 6 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरदारपुरा क्षेत्र में कच्ची सडकों को पक्का बनाने तथा नालियां बनाने के सम्बन्ध में 11 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरदारपुरा रातानाडा महा मन्दिर व पावटा व सूर सागर में गटर लाइन डालन के सम्बन्ध में 8 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चोपासनी मन्दिर से ताला, खानिया, उखालिया, मदेरसिया व नाइयां की बेरी सडक निर्माण के सम्बन्ध में 7 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलालसिंह खर्रा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम जयपुसर तहसील श्री माधोपर के 8 कृषकों को कृषि प्रयोजन हेतु विद्युत् कनक्शन दिलाने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

Page No. 72

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : एक मेरी भी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, मानेरा-सांगोर सडक व कथौन-बानाहेडा सडक पर बजट प्रावधान होते हुए भी कार्य न करने से सम्बन्धित चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक दो याचिकायें प्रस्तुत करेंगे ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं लाडनू से निम्बी जोधा सडक के नीचे आई जमीन का काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिना मुआवजा दिये काश्तकारों के खेतों में से सडकें निकालने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव ।

जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के निर्वाचन के लिए मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के निर्वाचन के लिए निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीती से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1969-70 के लिए 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 222(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1969-70 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थानविधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 1969-70 के लिए 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव पर सदन को अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

Page No. 73

(श्री अध्यक्ष)

इस सिलसिले में निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है ,

1. तीनों वित्तीय समितियों के निर्वाचन की घोषणा सम्बन्धी सदन के माननीय नेता द्वारा प्रस्ताव किया जाना

2. नामजदगी के पर्चों का पेश करना

3. नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें

16 अगस्त, 1969

18 अगस्त, 1969 को 1.30 बजे मध्याह्नोत्तर तक

18 अगस्त, 1969 को 3 बजे मध्याह्नोत्तर तक

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी अगस्त ? 16।

श्री दौलतराम सारण : सोलह तो आज है।

श्री अध्यक्ष : हो गया। उसकी सूचना की पुनरावृत्ति हो गई।

4. नामजदगी के पर्चों को वापस लेना ।

20 अगस्त 1969 को 3 बजे मध्याह्नोत्तर तक ।

5. चुनाव यदि आवश्यक हों तो ?

22 अगस्त 1969 को प्रातः 11 बजे से 3 बजे मध्याह्नोत्तर तक ।

6. मतों की गणना

22 अगस्त, 1969 मध्याह्नोत्तर 3 बजे से ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसका पीरियड क्या रखा है ? 6 महीने या एक वर्ष चुनाव के पश्चात् ?

श्री अध्यक्ष : That is under the Rules.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : There was a decision of the House and the time was extended. Now there is another...

श्री अध्यक्ष : Always one year.

स्थगन प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 22 अगस्त लास्ट डे आफ दी सैशन है। फिर 6 महीने के लिए आप असाधारण शक्तियों से उनका समय बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिजनस 22 अगस्त तक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिजनेस का तो 22 अगस्त लास्ट डे है। फिर उस दिन सदन को स्थगित कर दिया अचानक फिर 6 महीने के लिए अवधि बढ़ायेंगे। या पावर्स लीजिए 6 महीने बढ़ाने की।

श्री अध्यक्ष : आप बड़े प्रिकाशन्स ले रहे हैं इस तारीख के समाप्त होने के बाद भी क्यों यदि संभव हुआ सदन को स्थगित करने का तो, अन्यथा कुछ बिजनेस है इसके बाद भी।

Page No. 74

(श्री अध्यक्ष)
इसलिए 6 महीने का प्रश्न नहीं आएगा रिलेक्सेशन का।

श्री भैरोंसिंह : इनके कहने का मतलब है कि इन एडवान्स अधिकार ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं तो समझ गया, फिर से दोहराना कहीं निगेटिव कराने का प्रश्न तो नहीं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : परम्परा बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : परम्परा तो नहीं बनाई है।

श्री रामकिशन (वैर) : पांचों बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तो मान लिया कि परम्परा हो गई।

श्री रामकिशन : हम तोड़ने की कह रहे हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री गंगासहाय, श्री जयनारायण सालोदिया व श्री लाभचन्द वैद ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें पुलिस चौकी नौगांवा जिला अलवर में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस चौकी में पुलिस द्वारा पीटे जाने से हुई हत्या का उल्लेख किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी इस विषय में सोमवार को वक्तव्य द्वारा स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : On Wednesday.

श्री अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की और सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

1. श्री भैरोंसिंह व श्री कृष्ण कुमार गोयल ने राजस्थान के समस्त इंजीनियरिंग उद्योगों में आज से अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल किए जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य ने भी दी है।

2. श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, ने 11-8-69, के दिन 10.30 बजे मंडी सादूलशहर जिला गंगानगर में कच्ची तह-बाजारी के उठाने के विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. श्री जयनारायण सालोदिया व श्री दिग्विजयसिंह, सदस्य विधान सभा, ने दिनांक 13/14-8-1969 की रात को टोंक शहर में पुराने नीलकंठ महादेवजी के मंदिर से टीन की चद्दर उतार कर ले जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा ने पाली जिले में बने जवाई बांध के अन्तर्गत ग्राम सेणा, दूदणी, बीबक्षा एवं बीसलपुर तथा भींडी बांध के अन्तर्गत सेरा[illegible] के

(श्री अध्यक्ष)
काश्तकारों की भूमि, मकान, कुए तथा चारागाहों की भूमि डूब में आ जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

इनके अतिरिक्त और स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

(1) एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई थी जिसमें राजस्थान में रोडवेज कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा 16-8-69 से अनिश्चित समय के लिए हड़ताल किए जाने का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा लगता है कि निगम के कर्मचारियों को इंटिरिम रिलीफ दिया गया है।

(2) श्री रामचन्द आर्य ने तहसील नोहर, भादरा व सूरतगढ़ के अकालग्रस्त क्षेत्र के काश्तकारों को तकावी न देने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। अकाल के संबंध में अलग से दो दिन चर्चा के लिए निश्चित किए गए हैं।

(3) श्री देवीदत्त गाडिया ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें बारां के परगना अधिकारी ने अनधिकृत एवं नियमों के विरुद्ध अन्ता कृषि उपज मंडी समिति के यार्ड की भूमि को ग्राम पंचायत अन्ता के माध्यम से करीब 40-45 दूकानदारों को दूकानें बनाने हेतु प्लाट्स बिकवा दिया जाना बतलाया है और इसमें यह भी कहा गया है कि मुन्सिफ कोर्ट, बारां के न्यायालय से स्टे आर्डर दिए जाने के उपरांत भी यह किया गया है। यह मामला न्यायालय से संबंधित है।

ये मामले इतने अविलंबनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर आज इन पर विचार किया जाय। अतः इन्हें प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

माननीय मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

राज्य कर्मचारियों द्वारा विधान सभा के समक्ष धरना दिए जाने के संबंध में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जायगा।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने स्वयं ने देखा होगा, राजस्थान विधान सभा के समक्ष राजस्थान के इन्जीनियरिंग उद्योग के समस्त मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले राज्य सरकार के श्रम विभाग को लिखित में सूचना दी थी कि वेजबोर्ड के अवार्ड को लागू कराने में मिल मालिकों द्वारा जिस प्रकार की ढिलाई की जा रही है उस ढिलाई को रोकने में हम मजदूरों का साथ दें लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मजदूरों की मांगों पर न तो सरकार ने सहानुभूति से विचार किया और न मिल मालिकों पर इस बात का दबाव डाला कि वेजबोर्ड के अवार्ड के अनुसार जो उनकी उचित मांगें हैं उनको पूरा करें। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी मजदूर इन बातों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक तरीके से आते हैं तो सरकार की इस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई है कि जब तक सरकार पर कोई दबाव न लाया जाय, सरकार उस बात को स्वीकार नहीं करती। सरकार से कुछ दिन पहले मिले थे। सरकार से निवेदन किया कि वेजबोर्ड के अवार्ड के अनुसार मजदूरों को साथ लेकर मिल मालिकों पर दबाव डाले

Page No. 76

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन मिल मालिक स्वयं एसे समझकर चलते हैं कि किसी प्रकार का अवार्ड न हो। क्यों न हो ? जितना ढिलाई से मंजूर किया जायगा उतना ही ज्यादा मिल मालिकों को लाभ होगा। हिन्दुस्तान में आज तक का इतिहास मजदूरों के अवार्ड के संबंध में देखा जाय तो कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं होगा जिसमें बिना संघर्ष के सीधा ही मजदूरों की मांगों को स्वीकार किया हो। कई बार मजदूरों को संघर्ष करना पड़ा है और फिर आकर कहीं उसमें थोड़ी बहुत सहानुभूति आती है। यदि इस प्रकार की मिल मालिकों की आदत बनी रही और सरकार अकर्मण्य बनी रही तो निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में अशांति होगी, उत्पादन कम होगा और उससे मिल मालिकों और मजदूरों के मन में वैमनस्य आएगा। इसलिए यह प्रश्न गंभीर है, सारे राजस्थान में हड़ताल चल रही है, हजारों मजदूर प्रभावित हैं, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन के लिए जगह-जगह पुलिस आपने नियुक्त की है तो यह प्रश्न टालने का नहीं हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए इसको आज ही लिया जाय और सरकार अपना उत्तर आज ही सदन में दे ताकि सरकार के रुख का किसी प्रकार का पता लग सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि मजदूरों की तमाम यूनियनों की कोशिश के बावजूद, उनके पूरे समझौते का रुख अपनाये जाने के बावजूद आज उनको हड़ताल पर उतरने के लिये मजबूर होना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, यह हर्ष का विषय है कि मजदूर-वर्ग चाहे किसी भी संगठन से सम्बन्धित हों, अपनी-अपनी सब मांगों में एकता बद्ध हैं, चाहे इन्टक, चाहे एटक या दूसरे संगठन वे सब एकताबद्ध होकर इसकी मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो इन्जीनियरिंग में काम करने वाले मजदूर हैं उनके वेतन स्तर पर राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्तों में जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं मजदूर उनके क्षेत्रों से मुकाबला किया जाय तो यह मिलेगा कि राजस्थान में वेतन स्तर बहुत नीचा है। जो वेजबोर्ड की रिपोर्ट आयी है वह सरकार के विचाराधीन है। सुझाव जो चेयरमेन के द्वारा दिये गये हैं, हालांकि उनके मुकाबले में नीचे हैं, फिर भी चैयरमेन के द्वारा दिये गये सुझावों से वेतन स्तर यहां बहुत नीचा है। यहां के मजदूर संगठनों की ओर से यह कहा गया था कि जब तक निर्णय उस पर भारत सरकार लेती है तब तक इन्टरिम रूप में वेतन को बढ़ोत्तरी की जाय और मजदूरों ने कन्स्ट्रक्टिव रुख लिया है कि उनको 1-1-69 से यह वेतन-स्तर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : आपका तो प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने भेजा है। खैर, अगर न भी हो तो जब चर्चा हो तो यह वाजिब है कि इस पर विचार प्रकट किये जायं।

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में कहिये। विचार का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

Page No. 77

श्री रामानन्द अग्रवाल : चैयरमेन के प्रपोजल्स हैं, वेजबोर्ड में उनको मानने के बारे में बातचीत हो गयी थी और उनको कमिटमेन्ट देने के बाद एम्पलोयर्स पीछे हट गये मैं समझता हूं कि सरकार का रुख इस तरीके का रहा है कि मालिकों पर वे दबाव नहीं डालना चाहते हैं । दबाव डालना वाजिब बात है जिस पर समझौता हो गया है उसको वह लागू करें । मैं समझता हूं सरकार को दुबारा बुला कर बातचीत करनी चाहिये, दबाव डालना चाहिये और जबरदस्ती यह स्थिति पैदा हो उसमें रुकावट करनी चाहिये ।

प्रो. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी, एक जानकारी करूं । कपडा मिलों के बारे में रिकमन्डेशन्स भी लागू हो गये हालांकि संतोषजनक तो नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर की वजह से यह समझौता हुआ । इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज के वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और मालिकों के बीच बातचीत हुई । आखिर वह बात टूट गई । नैगोशियेशन्स चल रहे हैं या नहीं, जहां तक मालिकों ने माना या नहीं, सरकार का कहां तक रुख है? सरकार को इन्डिविजुअल मालिकों पर नहीं छोडना चाहिये । जिस तरह से सूती मिल इन्डस्ट्रीज का फैसला हुआ सारी इन्डस्ट्रीज का फैसला होना चाहिये । इन्डिविजुअल इन्डस्ट्रीज के मालिक ट्रेड युनियन्स से बात करें बैठकर यह ठीक नहीं होगा । सरकार के खिलाफ पार्टीज का प्रदर्शन नहीं है । सारी पार्टीज में शामिल हैं । प्रदर्शन में आये हुए हैं उनके नुमाइन्दों से बात करें । बंगाल में फैसला हुआ । यहां भी इन्टेरिम रिलीफ के अनुसार घोषणा कर दें और फिर इसको रिएग्जामिन करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री ।

शासकीय वक्तव्य–इंजीनियरिंग उद्योगों में श्रमिक हडताल संबंधी–

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि टैक्सटाइल वेज बोर्ड की रिपोर्ट और इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर सरकार के सामने दोनों ही इण्डस्ट्रीज के मजदूरों की मांगे आयी थी और टैक्सटाइल के मजदूरों के बारे में एक एडहाक फैसला, मुझे खुशी है बताते हुए, आपस में बातचीत के जरिये हो गया । इन्जीनियरिंग के बारे में भी दो बार बातचीत की गयी आपस में बैठ कर और अभी तक, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बताऊं कि जहां तक इन्जीनियरिंग के लिये वेज बोर्ड की रिपोर्ट है उसको भारत सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया है। अभी बंगाल का जिक्र किया गया । बंगाल में भी उसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ । लेबर ने नोटिस दिया है । दोनों तरफ से निगोशियेशन्स चल रहे हैं । यहां पर बातचीत हुई तो हमने यह स्पष्ट किया था कि इसके सम्बन्ध में चेयरमेन की जो रिपोर्ट है उस चेयरमेन की रिपोर्ट के आधार पर जो फर्स्टईयर के लिये स्लेब सजेस्ट किया है उसको एडहाक तरीके से मान लिया जाय और उसको मानने के बाद एक कमेटी बैठा दी जाय कि जो कमेटी सारी बातों के ऊपर विचार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करके और दूसरी जगह भी क्या क्या फैसले होते हैं उन फैसलों के हो जाने के बाद इसके बारे में निर्णय करे और वह स्थायी रूप से दोनों पक्षों की ओर से तय होगा तो उसको लागू कर दिया जाय। जब आज से शायद दो रोज पहले इस सम्बन्ध में कुछ इन्डस्ट्रीज वाले मिले जो डी ग्रुप के अन्दर आती हैं जिसमें ज्यादा बडी इन्डस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ उद्योग वालों ने जो चेयरमैन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मानने वाली बात तो कही लेकिन प्रश्न इस बात का उठा कि इसको 1-1-69 से लागू किया जाय उसके ऊपर भी सुझाव के तौर पर कहा कि 1-1-69 से लागू किया जाय या किस डेट से लागू की जाय इसके लिये विवाद है तो एग्रीमैन्ट इस पर हो जाय कि भारत सरकार इन्जीनियरिंग वैज बोर्ड के बारे में जो फैसला करे और जिस तारीख से लागू करने की बात करे, जो तारीख भारत सरकार तय कर दे वेज बोर्ड के इम्प्लीमैन्टेशन उस पर एग्रीमेन्ट हो जाय जिससे फिर यह क्वेश्चन पेन्डिग नहीं रहता है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की घोषणा पर निर्भर करता है। 1-1-69 से लागू करते हैं तो सब पर लागू हो जावेगा और जो कुछ अमाउन्ट बनेगा लाभ का वह मिल जावेगा।

कुछ विवाद के प्रश्न रहते थे, अध्यक्ष महोदय। इन यूनियनों के प्रतिनिधि और एम्प्लोयर्स के प्रतिनिधि उनसे भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी नजदीक बात लगती है और संभव हो सकता है इसमें से कोई रास्ता निकाल सकें इसके लिये कुछ टाइम और देना चाहिये जिससे इस पर चर्चा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उत्सुक हूं कि इन्डस्ट्रियल पीस डिस्टर्ब न हो, प्रोडक्शन का लीज न हो। उसको एवोइड किया जाना चाहिये और मिल जुल कर फैसला कर सकें उसके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये। मैं अभी भी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो उन तक पहुंचा सकते हैं सब यूनियन हैं, इन्टक, एटक, जनसंघ की भी यूनियन बनी हैं, सब साथ हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जन संघ की कोई यूनियन नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : झंडा तो है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कलर दूसरा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : समर्थित यूनियन कहूं एक माने में, जो भी हो मैं इस विवाद में नहीं पडता। मेरा निवेदन यह है कि इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज में आज दुर्भाग्य से स्थिति इस प्रकार की है कि टैक्सटाइल्स में बात करना इसलिये आसान था कि मिल ओनर्स का एसोसियेशन है जिससे नेगोशियेट किया जा सकता है, किन्तु इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज में सारे ग्रुप्स को मिला कर एक एसोशियेशन नहीं है।

अलग-अलग इन्डस्ट्रीज हैं, अलग-अलग यूनियन है इसलिये इन सारी चीजों के अन्दर जिनमें कुछ टाइम लग सकता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये इस प्रदर्शन को छोड कर, स्ट्राइक को बन्द करके और नहीं तो स्थगित करके कम से कम 15 रोज का वक्त हमको दें जिस बीच में बैठ करके कुछ रास्ता इसका निकाल सकें और मुझे लगता है कि रास्ता निकल सकता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
है। बहुत से प्रश्नों के हम नजदीक हैं इसलिये 14 तारीख को बातचीत होने के बाद दुर्भाग्य से 16 तारीख के पहिले फैसला नहीं हो पाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों से और आप सबसे कि 15 दिन का और बातचीत करने का मौका दें और बातचीत करके इसका परिणाम निकाल सकें। मैं 15 दिन के लिये कह रहा हूं इसका यह मतलब नहीं है कि 12 दिन बाद बातचीत शुरू की जायेगी। बातचीत का सिलसिला जल्दी से शुरू करेंगे। और रास्ता निकालना है, जानकारी करना है। 15 दिन का समय इस समस्या को हल करने के लिये और दें इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो 15 दिन के समय की बात यूनियनों से मुख्य मंत्री जी ने कही है, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि पहले ही नोटिस मजदूरों की तरफ से लगभग जून के मध्य में दिया गया था और उसके बाद सांकेतिक हड़ताल का 4 जुलाई को। इसके बाद और 16 अगस्त से अनिश्चित स्ट्राइक का काल दिया गया था। इसका मतलब 1½ महिने पहिले गवर्नमेंट को, और एम्प्लायर्स को नोटिस दिया गया था ताकि इस बीच में इस समस्या का हल निकाल सकें। जहां तक मजदूरों का सवाल है, इसमें उन्होंने जल्दबाजी नहीं की है। काफी मौका दिया गया है। मैं समझता हूं कि मजदूरों पर यह आरोप....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने आरोप नहीं लगाया है और न जल्दबाजी शब्द को ही काम में लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने पूरा समय दिया है और आखिर में मजबूर होकर यह रास्ता लिया है। जहां तक हमारी जानकारी है एक बार एफर्टस् हुए थे और मैं समझता हूं कि वे हां भी कह गये थे। फिर पता नहीं वे कैसे रिट्रिट कर गये, बैकआउट कर गये। यह मुख्य मंत्रीजी को मालूम है। वरना क्या बात थी? आपने (मुख्य मंत्रीजी) यह समझौता कराया है। अब आप थोड़ा इन्तजार करने की बात कहते हैं। इसके बजाय मैं समझता हूं कि आपको इमीडियेटली टाक करनी चाहिये और इस मामले का हल निकालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मैं खुद निवेदन करना चाहूंगा। यदि इस प्रश्न पर मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसको स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में वक्तव्य मान लें तो जो दूसरा प्रश्न है इस पर वाद-विवाद का प्रश्न आता है, इसलिये इसके निराकरण के लिये मैं निवेदन कर सकूं कि यह जो वक्तव्य है, मुख्य मन्त्री जी का, चूंकि यहां जुलूस आया है, उसके सम्बन्ध में क्लेरिफिकेशन दिया है, उसमें अधिक वाद-विवाद नहीं होना चाहिये कि आप कुछ प्रश्न पूछें और उसका यहां निराकरण करें। ऐसी स्थिति में जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने यहां कहा है, उसको वक्तव्य मान लिया जा सकता है। तो इसके लिये आधा घन्टा, पौन घन्टा का समय दिया जा सकता है। परन्तु ऐसा तो नहीं कि वक्तव्य मान लें। सिर्फ मुख्य मन्त्री जी ने निराकरण किया है वह पर्याप्त होता है और आगे का बिजनेस लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्रीजी इन बातों को लेकर अपने वक्तव्य में नई बातें कहें इसलिये....

श्री अध्यक्ष : हिन्डौन में पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य ।

श्री रामकिशन : जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मुख्य मन्त्रीजी बाहर जाकर उनके प्रतिनिधियों के सामने कहें या उनको बुलाकर समझा दें तो यह ठीक होगा । यह बड़ी बात है, उसमें वे बाहर जाकर उनको समझा कर स्थिति का निराकरण करें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : प्रतिनिधि अगर मुझसे मिलना चाहें तो मैंने मिलने से इन्कार नहीं किया है । आपने यहां कहा है इसलिये आपसे कहा है । मेरे से मिलने की इच्छा प्रकट करेंगे तो मिलूंगा ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जो स्थगन प्रस्ताव अन्ता की कृषि उपज क्षेत्र की मण्डी की भूमि के बारे में दिया है कि परगना अधिकारी ने कानून की अवहेलना करके ? मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत का पेश किया हुआ स्टे आर्डर का उल्लंघन करके अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! Order please.

श्री देवीदत्त गाडिया : उस रास्ते पर, भूमि पर कब्जा करवा लिया जबकि परगना अधिकारी, जिलाधीश महोदय, ग्राम पंचायत को भूमि के बेचने का अधिकार नहीं था और उन कृषकों को अपने, अधिकार से सुविधा से वंचित कर दिया जिसके अन्दर वे अपना माल लाते थे और बेचते थे, अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे । किसान व्यापारियों से उनका माल खरीदते थे यह भयंकर समस्या खड़ी हो गयी है, अध्यक्ष महोदय । मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और परगना अधिकारी ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आर्डर की अवहेलना करके ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

राज्य कर्मचारियों द्वारा विधान सभा के समक्ष ....

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मैंने चार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं । आपने यह आश्वासन दिया था कि संबंधित विभाग के मन्त्री के पास भेज कर शीघ्र निर्णय करेंगे । एक उदयपुर के सिंचाई विभाग से संबंधित है, एक मजदूरों को 4 लाख का पेमेन्ट जो सिंचाई विभाग से किया जा रहा है, वह ....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मेरे विचारणीय है और आप यहां उठा देते हैं । मैं विचार करके इस पर निर्णय लेने जा रहा हूं । आपकी भावनाओं को समझ गया हूं । जो मैंने निर्णय दिया है, उन पर वक्तव्य नहीं होगा ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यह पूछ रहा हूं कि .....

श्री अध्यक्ष : मैं आपके सामने कुछ कह देता हूं तो उसे ही आप यहां कह देते हैं । मैंने आपको यही कहा है न कि इस पर निर्णय ले रहा हूं । मैंने जो निर्णय दिया है उस पर वक्तव्य न दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है । आपने चेम्बर में यह कहा है कि इस प्रश्न को अलग से लूंगा । जानकारी ले रहा हूं ....

Page No. 81

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न है।

श्री जयनारायण सालोदिया : टौंक से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : आज आया है। अभी दिया है। मैं क्या करूं ? जानकारी लूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : चैम्बर में तो जानकारी के लिये ही कहा था। यहां कहा है प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

राज्य कर्मचारियों द्वारा विधान सभा के समक्ष धरने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है, वह विधान सभा के समक्ष दो, तीन दिन से दे रहे हैं लेकिन हम इस सम्बन्ध में यहां केवल इस प्रश्न को उठाकर और सरकार की तरफ से उत्तर प्राप्त करने में ही दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हम यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार के साथ बैठ कर कुछ नतीजा निकाल सकते हैं तो वह निकाला जाय। प्रश्न यह नहीं है कि सरकार का उत्तर हो, उस वक्तव्य पर हम रोष प्रकट करते हुए बहिर्गमन कर जायं। हमारी दिलचस्पी यह है कि हम इसको उलझाना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, विशेषकर मुख्यमन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। इसके लिए दूसरी तारीख तय कर दें। सोमवार, मंगलवार को इसको रख लें। 1-2 दिन में इस पर गंभीरता से, इस प्रश्न पर विचार करें और कोई हल निकाल लें। सरकार बातचीत करके इसका कोई हल निकाल सकती है। हल निकालने में ही हमारी दिलचस्पी है। केवलमात्र विधान सभा में यह प्रश्न उठाने में ही हमारी दिलचस्पी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न पर विचार सोमवार, मंगलवार तक स्थगित रखा जायेगा और इस बीच में हम विचार करेंगे।

श्री मोनहलाल सुखडिया (मुख्यमन्त्री) : मुझे कोई एतराज नहीं है, बातचीत करने में। हमारा सदैव से दृष्टिकोण यह रहा है कि बातचीत के जरिये जितना सम्भव हो सके, समस्या का हल निकाला जाये। इस सम्बन्ध में आपस में बैठ करके, माननीय सदस्य के अलावा भी और कोई, और जो राज्य सरकार का दृष्टिकोण है, उन पर विचार करना चाहिये। मुझे इसमें कतई एतराज नहीं है। जो स्थिति है, उस पर विचार करें, बैठ कर बात करें। हम भी राजस्थान राज्य के कर्मचारियों के प्रति यहां पर एक रुख अपना लें और दूसरी तरफ दूसरे रुख की बात कहें, मैं समझता हूं स्थगित कर दिया जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुख्यमंत्री जी के दिये गए इस सुझाव के सन्दर्भ में मैं यह प्रश्न स्थगित करता हूं। यह कब लिया जायेगा, यह मैं बिजनैस को देखकर, उसकी सुविधा के अनुसार तय करूंगा।

हिन्डौन में पुलिस द्वारा गोली चलाने जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

हिन्डौन गोली काण्ड के संबंध में शासकीय वक्तव्य

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, 27-2-69 को हिन्डौन में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की गई गोली काण्ड पर स्थगन प्रस्तुत हुआ है। उस पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है इस घटना के सम्बन्ध में कमिशनर आफ इन्क्वायरीज एक्ट के तहत श्री गोकुललाल मेहता, अध्यक्ष राजस्व मण्डल को नियुक्त किया गया है जिसके टर्मस् आफ रैफैरेन्स इस प्रकार हैं:—

1. तारीख 27 व 28 जून, 1969 को कस्बा हिन्डौन में जो पुलिस फायरिंग हुआ वह किन परिस्थितियों के कारण हुआ और क्या इस प्रकार का फायरिंग और उसकी सीमा उचित थी?

2. फायरिंग के तत्काल पूर्व क्या आन्दोलनात्मक कार्यवाही हुई और ऐसी कार्यवाही का पुलिस फायरिंग से क्या सम्बन्ध है?

3. क्या परिस्थितियों का मुकाबला करने में जिला प्रशासन या उसके किसी अंग की ओर से कोई खामियां रहीं यदि हां, तो क्या और कितनी और उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): I t will pregudice the enquiry राज्य सरकार का कहना है कि वह ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा रही है और वह फैक्ट फाइण्ड आउट कर रही है उसके बावजूद राज्य सरकार का यह कहना है कि जो तथ्य सामने आये हैं पुलिस की रिपोर्ट आदि उन फैक्ट्स के आधार पर कमीशन बिठाया गया है। जैसा कि स्टैटमेंट दिया गया है इसमें कमीशन फैक्ट फाइण्ड आऊट करेगा उन फैक्ट्स के आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज होगी फिर आगे मामला चलेगा। हमारा इस घटना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखने का मतलब है इसमें एक बड़ा पोइन्टेड क्वेश्चन है इस बारे में सहानुभूति पूर्वक सरकार को विचार करना चाहिये। राज्य सरकार एक तरफ तो जुडिशियल कमीशन बिठा रही है जो फैक्ट फाइण्ड आउट करेगा। आपने कमीशन को जिन, जिन बातों के बारे में जानकारी करने को कहा है उसमें यह भी इस घटना से पहले क्या स्थिति थी और जो आन्दोलन हुआ वह किन परिस्थितियों में हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार थे, क्या घटनाएं थी जिसके कारण पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा, हिंसात्मक उपद्रव हुए तो इसके लिए कौन दोषी हैं इन सब तथ्यों की छानबीन के लिये कमीशन बैठा हुआ है। राज्य सरकार ने इस कमीशन को इन्क्वारीयज एक्ट के तहत नियुक्त किया है जो अपनी रिपोर्ट 15 सितम्बर, या 15 अक्टूबर या 15 नवम्बर तक दे देगा। इसका बैक ग्राउंड जयपुर गोली काण्ड जैसा नहीं है, और यह तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो फाइण्डिग बेरी कमीशन की थी उस पर भी गवर्नमेण्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया तो ऐसे छोटे मोटे कमीशन की तो सरकार क्या परवाह करने वाली है।

हिन्डौन की वारदात के सम्बन्ध में सौ-डेढ़ सौ आदमियों पर जयपुर की अदालत में मामला चल रहा है, यहां उनकी जमानतें हो रही हैं। इस तरह से तीन सौ आदमियों का यहां आना जाना होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जुडिशियल कमेटी की फाइण्डिग्ज इन सारे लोगों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उन्हीं की जांच वह कमीशन करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कमीशन की

Page No. 83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फाइण्डिग्ज आ जाने के बाद ही राज्य सरकार इन पर मुकदमा चलाने का निर्णय ले।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहां मैं समझता हूं कोर्ट में जो केसेज चल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जिन बातों का होगा उससे कोर्ट में चल रहे मामलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जांच कमीशन जो भी तथ्य सरकार के सामने जावेगा वह तो राज्य सरकार के रुख पर निर्भर करता है। जहां तक प्रोसीक्यूशन का सवाल है कुछ के मुकदमे चालान कर दिये हैं, कुछ मुकदमे इन्वेस्टीगेशन में चल रहे हैं। इसमें कमीशन के इन्वेस्टीगेशन में किसी प्रकार की रुकावट आने वाली नहीं है। इन्वेस्टीगेशन का असर इन मुकदमों पर पड़ने वाला नहीं।

इसके अलावा जिनका चालान कर दिया है कोर्ट में जो चालान हो गये हैं अब उनको वापिस लेना भी सरकार के हाथ की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कमीशन के रेफरेन्स क्या हैं ?

श्री हीरालाल देव रा : ता० 27–28 को हिन्डौन में पुलिस फायरिंग किन परिस्थितियों के कारण किया, क्या इस प्रकार के फायरिंग की सीमा उचित थी ?

(2) फायरिंग के तत्काल पूर्व क्या कोई आन्दोलनात्मक कार्यवहियां हुई, तो वे क्या और पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(3) जिला प्रशासन की ओर से या किसी अधिकारी की ओर से कोई कमी रही, अगर रही हो तो कितनी और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

ये तीन रेफरेन्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फर्स्ट और सैकण्ड दोनों कवर होती है।

श्री अध्यक्ष : इन्वेस्टीगेशन के आधार तो टेली करते हैं मेजर।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो केसेज दर्ज हुए हैं वे मामले 107 के हैं।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आखिर फाइण्डिग इन्क्वायरी इम्पोर्टेन्ट होगी।

श्री अध्यक्ष : इम्पोर्टेन्ट फाइण्डिग्स इन्वेस्टीगेशन के प्रश्न पर और इन आगे के मामलों पर असर रख सकते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने शंका प्रगट की।

श्री हीरालाल देवपुरा : कुछ इन्वेस्टीगेशन चल रहे हैं कई केसेज कोर्ट में हैं उसके लिए कोर्ट को निवेदन किया जा सकता है, अब कोर्ट में चल रहे केसेज को विदड्रा करने का सवाल है उसमें राज्य सरकार बीच में नहीं आती।

जिनका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, वह इन्वेस्टीगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वे केस अदालत में दायर नहीं हो सकते। कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी इन्वेस्टीगेशन चल सकता है। मैं नहीं समझता कमीशन के इन्वेस्टीगेशन से इसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो जाय। इन्वेस्टीगेशन के बाद चालान की स्टेज आती है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जहां तक पुलिस इन्वेस्टीगेशन का सवाल है उसमें पुलिस पूछताछ करती है इधर उधर आदमियों को तंग करती है इससे उत्तेजना पैदा होती है फिर एजीटेशन की स्थिति पैदा होती है और फिर लॉ एण्ड आर्डर का सवाल पैदा होता है। राज्य सरकार ने जब जुडिशियल इन्क्वायरी बिठा दी है वैसी हालत में पुलिस द्वारा इन्वेस्टीगेशन करना उचित नहीं है। राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करके उत्तेजना पैदा करने वाले कार्य नहीं करने चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : एक तरफ पुलिस इन्वेस्टीगेशन चलेगा दूसरी तरफ जुडिशियल इन्क्वायरी होगी। जुडिशियल इन्क्वायरी में एलीगेशन के मामले में डिस्प्यूट होता है तो फिर क्या होगा? एक तरफ पुलिस इन्क्वायरी करेगी दूसरी तरफ समानान्तर जुडिशियल कमीशन अपनी कार्यवाही करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल जुडिशियल इन्क्वायरी ही होने देनी चाहिये। अदालत में मामले चल रहे हैं उनको स्टे कराइये इसके लिये सरकार आवेदन दे सकती है।

(1. म. प.)

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हिन्डौन के सिलसिले में कुल 11 मुकदमें हैं। इनमें से चार का चालान दे दिया है कोर्ट में बाकी जेर तफतीश हैं।

जहां तक कमीशन की टर्म्स आफ रैफेरेन्स का सवाल है उसका सम्बन्ध मुकद्दमा नं. 1 से है। बाकी जो सबसीक्वेन्ट आकरेन्स हुए हैं 27 तारीख को या उसके बाद में और 28 को उनका इस टर्म्स आफ रेफरैन्स से सम्बन्ध नहीं है।

अब सवाल यह आता है कि डिफरेन्ट टाइम्स पर डिफरेन्ट आकरेन्स हुए हैं जैसे मुलजीमान ने आगजनी की, कुछ और किया तो इनका तो सम्बन्ध इससे है ही नहीं टर्म्स आफ रेफेरेन्स से। अब जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जीप जलाई वगैरह वगैरह उसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि कानून की इसमें कोई रुकावट नहीं होती तो अदालत में केस पेश नहीं होते, पर कानून साफ है कि जिन मुकद्दमों में तफतीश पूरी हो चुकी है और आप स्वयं जानते हैं जाब्ता फौजदारी के तहत में लाजिमी रूप से पुलिस को उन केसों को अदालत में पेश करना होता है। अब यह अदालत की मरजी है कि वह उनको स्थगित कर दे। पर सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पर आप एग्री करेंगे जो पटनायक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कोई केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो कमीशन आफ एनक्वायरी की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती। और जो इन्क्वायरी हो रही है न उसका असर अदालत की कार्यवाही पर पड़ सकता है और न अदालत की कार्यवाही का इस एन्क्वायरी कमीशन की कार्यवाही पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, मैं नहीं समझता कि हम पुलिस को, जहां तक उसका सम्बन्ध है, कैसे रोक सकते हैं कि जिन केसों में वह इन्वेस्टीगेशन पूरी कर चुकी हो उनको अदालत में पेश करने से, जांच पूरी होने पर केस अदालत में पेश करना उसके लिये लाजिमी है।

अब जैसे शंका प्रकट की कि कमीशन एन्क्वायरी की एन्क्वायरी से ये मामले इन्टरकनेक्टेड हैं इसलिये इसकी एन्क्वायरी और कोर्ट में केसों का ट्रायल दोनों साथ नहीं चल सकते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस बारे में मेरे ख्याल से इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर माननीय सदस्य या मुलजिमान अदालत से स्टे करवा लें तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ गृहमन्त्री जी की बात सुन कर। अगर कानून के मातहत कोर्ट से स्टे कराया जा सकता होता तो यह प्रश्न यहां सदन में नहीं उठाया जाता। अगर सरकार चालान पेश करती है और लिस्ट ऑफ एवीडेन्सेज पेश करती है तो कानून के तहत कोर्ट इस कार्यवाही को स्टे नहीं कर सकती, यह हम भी जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करने की जरूरत नहीं हैं।

पर उस बैक ग्राउण्ड में यह सब कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या सरकार उचित समझती है कि आपने जैसे कहा कि जीप जलाना तो जीप पहले जली, फिर गोली चली यह टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में कवर होगा। पर अगर कमीशन यह कह देता है कि गोली पहले चलाई गई और बाद में जलाई गई या अदालत कुछ और फैसला कर देती है और कमीशन उससे विपरीत निर्णय पर पहुँचता है कि जीप बाद में जलाई गई एवीडेन्सेज क्रीएट करने के लिये जलाई गई तो फिर क्या स्थिति होगी ? इधर आपने तो उनका अदालत में चालान कर दिया। तो या तो कोर्ट की कार्यवाही को आप स्टे करवा लीजिये। आप करवा सकते हैं यह कह कर कि हम एवीडेन्सेज पेश नहीं करना चाहते या कमीशन की फाइन्डिंग्स पहले देखना चाहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो कमीशन आपने कायम किया है उसको स्क्रेप कर दीजिये। इसकी आवश्यकता नहीं है। यह कहने में मुझे ऐतराज नहीं है।

गोलीकाण्डों के कारण असन्तोष पैदा होता है। सारे देश में होते हैं और जनता में उससे असन्तोष पैदा होता है, आपका काम है उसको सही तरीके से दूर करें। पर आपने पैसीफाई करने के लिये कमीशन को अपाइन्ट कर दिया एक तरफ तो और दूसरी तरफ आप हाई कोर्ट की रिकमण्डेशन को नहीं मानते हैं तो जो कमीशन आपने अपोइन्ट किया उसकी रिकमण्डेशन आप क्या मानने वाले हैं? फेवर में आपके आ गई तो मान लेंगे नहीं तो ना दे देंगे, रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो मैं गुड सेंस की अपील करता हूं। जस्टिस, इक्विटी और गुड सेंस की डिमाण्ड करता हूं कि आप चालान पेश नहीं करें और जिनके कर दिये उनको रोक देंगे यह कहकर कि लिस्ट आफ एवीडेन्स हम पेश नहीं कर रहे हैं। पहले कमीशन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आप ती प्रोसीक्यूशन आफ विटनेस के लिये तकाजा करते हैं तो कोर्ट से हमें स्टे कैसे मिलने वाला है? मुकद्दमा भी साथ-साथ चलाते जाना यह इक्वीटी आफ जस्टिस के प्रिन्सिपल पर गलत होगा। प्रोसीक्यूशन भी करें और साथ साथ कमीशन भी बिठावें और यह कहना कि 11 में से 1 ही केस इससे सम्बन्धित है। टर्म्स आफ रेफरेन्स में आप और जानकारी करना चाहें तो आप हम बैठकर तै कर सकते हैं। आपको भी यह सब पता है, हिण्डौन वाले माननीय सदस्यों को भी सब पता है, हमें भी पता है। बाकी धारा 144 की बात नहीं है। 27 जून का वाकया है, 27/28 का वाकया है। इन सारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्धित प्रश्नों के सम्बन्ध में आप प्रोसीक्यूशन भी करावें और साथ ही साथ जांच भी करावें तो यह दोनों इनकन्सस्टेन्सी की बात होगी। आप इसे काम और क्वाइटली एग्ज़ामिन कराइये। सिम्पेथैटिकली कन्सीडर करिये।

हिण्डौन में विद्यार्थियों का और जनता का अपनी मांगों और सुधार सम्बन्धी मांगों को लेकर आन्दोलन चलावो आन्दोलन बिगड़ा हुआ चीफ मिनिस्टर के एस्योरेन्स उनका एस्योरेंश लेकर श्री शिवचरणसिंह जी, रिद्धिचन्द जी पल्लीवाल और पृथ्वीराज जी यहां से गये। उन्होंने वहां जनता से कहा आपकी डिमाण्ड पूरी की जावेगी और 13 जुलाई तक मुकद्दमे वापिस ले लिये जावेंगे और जो जेलों में हैं वे छोड़ दिये जावें। ये तीन सदस्य थे It reflects badly on the conduct of the M. L. As to deny now before the House. तो आज उनको इन्कार करना यह अच्छी बात नहीं है। उनसे पूछिये उन्होंने जनता को क्या आश्वासन दिया? अगर आप इन महत्वपूर्ण मसलों पर वेक आउट करेंगे तो भविष्य में कोई आपकी जबान का भरोसा नहीं करेगा। बड़े बड़े आन्दोलन होंगे। आपको वैसे भी शिकायत रहती है कि हम मान लेते हैं उनकी बातों को फिर आन्दोलन क्यों किये जाते हैं। पर आपके विश्वास पर आन्दोलन जब बन्द करते हैं तो आप बाद में अपनी बात से वेक आउट हो जाते हैं और विक्टीमाइज करते हैं तो यह गलत होगा। इसके परिणाम आपके लिए बड़े गम्भीर होंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार कर लीजिये। माननीय सदस्य भी तथ्य बतावेंगे। आपकी जानकारी गलत है। करीब करीब सारे केस इसमें कवर होते हैं। सरकार विचार कर लें। जल्दी नहीं है। कल परसों कर लेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अगर मंत्री महोदय ने फरमाया वैसे भी मान लिया जावे तो फिर वेरी कमीशन हो जाय तो उससे क्या हो जाना चाहिए, सरकार तो पुलिस वालों को अदालत में पेश करदे। पर उधर तो आप यह कहते हैं और इधर यह स्टेन्ड लेते हैं। इन दोनों में डिफरेन्स क्यों? वहां फायरिंग हुआ वहां तो और तरीका अपनाया और यहां फायरिंग में आप और तरीका अपनाना चाहते हों। इसलिये यह अच्छा नहीं। अदालत और कमीशन साथ साथ चलें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मैं दो शब्द ही निवेदन करूंगा। सरकार के विचार के लिये। यह वन मैन कमीशन आपने अपोइन्ट किया है, इस मेन्टल रिजर्वेशन के साथ अपोइन्ट किया है ऐसी आशंका है।

फायरिंग हुआ, इसके बाद तरह तरह की दूसरी भी घटनाएं हुई और इसके बाद कमीशन आफ एन्क्वायरी कायम किया तो टर्म आफ रैफेरेन्स जो सुनाई गई वह बहुत नाकारा है। वह ऐसी है कि कमीशन आफ एन्क्वायरी के अपोइन्टमेंट को रिडन्डेन्ट और वेस्ट आफ टाइम और मनी के सदृश घटा देती है। अगर कमीशन आफ इन्क्वायरी को इफेक्टिव करना है तो कमीशन आफ इन्क्वायरी के ढंग से होना चाहिये। कमीशन और प्रोसीक्यूशन दोनों साथ साथ चलें यह स्पष्टतया बताती है कि आपका कोई मेन्टल रिजर्वेशन है। सरकार जनता को बताना चाहती है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इसलिए इस लाइट में यह कमीशन आफ एन्क्वायरी इनइफेक्टिव होगी। और गृह मंत्री महोदय के बयान से भी इस बात की स्पष्टतया पुष्टि होती है कि सरकार इस कमीशन को सीरियसली ट्रीट नहीं करना चाहती तो जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हुए हैं उन्होंने जो टेक्निकल बातें भी कही हैं और कामन सेन्स की भी बात कही है-उन दोनों को मद्दे नजर रखते हुए अगर सरकार को सीरियसली अपाईन्ट करना है, उसको इफेक्टिव रूप देना है तो वैसी बात कहे नहीं तो फिर इस कमीशन को अपाइन्ट करने से मतलब क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय विरोधी दल के नेता का सुझाव क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा सुझाव इस बारे में यह है कि सच्चाई और निष्पक्ष रूप से आपको जांच की व्यवस्था करनी चाहिये और कोई मेरा मतलब नहीं है। सरकार ने कई कमीशन आफ एन्क्वायरी अपाइन्ट किये हैं उससे भी सरकार को इस बात के आचरण की सब बातें द्योतक होती जा रही हैं कि उनके कारणों को इम्पलीमेंट नहीं करती है। केवल नाम मात्र को कमीशन आफ एन्क्वायरी अपाइन्ट करते हैं। इससे कमीशन आफ एन्क्वायरी अपाइन्ट न की जाय तो अच्छा है। कमीशन आफ एन्क्वायरी अपाइन्ट करते हैं तो denotations and pronotations. होते हैं उनको फुल्ली इम्पलीमेंट करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं कि वे टर्म्स आफ रेफरेन्स में क्या कमी पाते हैं ? 10 मुकदमें हैं। जैसे जयपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने कहा कि दो मुकदमें, फायरिंग से सम्बन्धित हैं बाकी में आप क्या चाहते हैं ? सारे मुकदमों में स्टे करा दिया जाय ? आप कोई पौजिटिव बात बताइये। टर्म्स आफ रेफरेन्स में सारी बातें रखना या ये सारे मुकदमें स्टे कराना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : दो मुकदमें तो फायरिंग से सम्बन्धित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी जांच के लिए Whether the firing by Police was justified and whether the district administration took all the precautions and the circumstances leading to the firing. अगर किसी ने पोस्ट आफिस में आग लगा दी, किसी ने टेलीफोन के खम्भों में आग लगा दी, किसी ने सेल्स टैक्स को नुकसान पहुंचाया और किसी ने यू. आई. टी. को नुकसान पहुंचाया इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फायरिंग से सम्बन्धित केसेज को स्टे कीजिये और इससे पहले के जो टर्म्स आफ रेफरेन्स में कवर होते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैं अर्ज करूं मैं आपको बैठकर बता सकता हूं- कवर नहीं कर सकता। दो केसेज फायरिंग के हैं राज्य सरकार उस पर विचार कर लेगी। जैसा आपका सुझाव है-दो के लिये विचार करेंगे।

Page No. 88

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय सतीशजी ने जिस दिन आन्दोलन वापिस लिया था मैं भी वहां था · · ·

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅडर !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पहले स्पष्ट कर दूं क्योंकि माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं, उन्होंने मुख्य मंत्री जी का हवाला दिया और दो-तीन साहिबान जी यहां से गये थे उन्होंने एश्योरेन्स की बात कही मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी इसकी जानकारी की है और जो यहां से दो-तीन साहिबान गये थे उनसे भी बात की है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि मुकदमें वापिस ले लेंगे। अभी लेटेस्ट केरल की रूलिंग हुई है यह आपको भी मालूम है उससे किसी प्रकार का एश्योरेन्स नहीं दिया जा सकता है। जो सज्जन या डिप्टी मिनिस्टर ने यह एश्योरेन्स दया है उनकी मांग को पूरा करने के लिये यथा शक्ति प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है कि एश्योरेन्स दिया हो जिसकी वजह से मुकदमें वापिस लिये जायं मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि न तो मुख्य मंत्री जी ने कोई एश्योरेन्स दिया है और न जो माननीय सदस्य यहां से गये हैं उन्होंने कोई एश्योरेन्स की बात कही है।

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, जो आप कह रहे हैं उस पर भी मैं अविश्वास नहीं कर सकता। मैं खुद था और मैंने पूछा था असल में जिस समय आन्दोलन था और जिस समय में वहां पहुंचा उस समय माननीय शिवचरण जी और पृथ्वीसिंह ने कहा आप भी शामिल हो जाइये। केवल इसमें शामिल का प्रश्न है। यह आप उनसे पूछ लीजिये 14 तारीख तक मुकदमात वापिस लेने की बात थी। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां था। मैंने यह बता दिया यदि आपने यह तय नहीं किया तो जो धौलपुर में आन्दोलन हुआ उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे पूरी करदी जांयगी। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा ये जल्दी जल्दी में आश्वासन दे आते हैं और फिर · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा फैक्ट्स पर डिस-कस नहीं होंगी।

श्री रामकिशन : उस पर नहीं हो रहा है। इतनी छोटी बात थी। उस पर आन्दोलन का सवाल था ही नहीं। वहां शिवचरण जी, पृथ्वीसिंह जी, और रिद्धिचन्द जी ने उस मीटिंग में यह कहा केसेज वापिस ले लिया जाय, अगर वे इन्कार करते हैं तो वे अब किस स्थिति में इन्कार करते हैं और किस स्थिति में इन्कार नहीं करते ये तो वे जानें। उन्होंने वहां पर स्वयं ने चर्चा की थी और जिस जगह आश्वासन दिया था वहां जनसंघ की पार्टी भी थी, सोसलिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। और हमारी पूरी बात हो गई थी आश्वासन दिया गया था मैं नहीं समझता आज जिस केरल इन्टेग्रेशन कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह भी हमारी जिन हालातों में दी है लागू नहीं होती है। दूसरी बात जो माननीय सतीशजी ने रखी है इन्क्वायरी होने दीजिये। कन्जरवेटिव ढंग से आप उसमें नहीं आते हैं तो फिर भी नुकसान होने वाला नहीं है। आपको लाजमी होकर कहना होगा कि हम दुबारा बिचार कर रहे हैं। छोटी बात पर आन्दोलन हुआ उस दृष्टि से मैं समझता हूं पूरी तरह कन्जरवेटिव नहीं बनाना चाहिये।

Page No. 89

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : यही निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि यह बहुत कठिन है। मैं मानता हूं मैं कभी भी इस इस बात का हामी नहीं हो सकता कि गुनाहगार को छोड़ दिया जाय या उनको सजा नहीं दी जाय लेकिन शायद यह सम्भव हो सकता है कि कमीशन आफ एन्क्वायरी जब सरकार ने अपाइन्ट की है तब उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स ब्रोडन किये जाय। टर्म्स आफ रेफरेन्स इस बात के लिये विरोध नहीं करेगा कि पुलिस प्रौसीक्यूशन बन्द कर दिया जाय। पुलिस प्रौसीक्यूशन जारी रहे लेकिन टर्म्स आफ रेफरेन्स इस हद तक ब्रोडन किया जाय कि फायरिंग में क्या कारण है, जैसे माननीय सदस्य जयपुर से आये हुये हैं उन्होंने अभी निवेदन किया कमीशन आफ एन्क्वायरी की अवधि के सम्बन्ध में कोई जल्दी-बाजी नहीं करना है। अगर 15 दिन 20 दिन देर से रिपोर्ट आती है, अच्छी छान-बीन के बाद रिपोर्ट आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। सरकार को मेरे ख्याल में इन सब मुद्दों पर मद्दे नजर रखते हुये, सब तथ्यों को देखते हुये कमीशन आफ इन्क्वायरी को ब्राइडन करने में क्या आपत्ति हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से अर्ज करना चाहता हूं कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत एन्क्वायरी की है वह सब उसमें दिया हुआ है इस एक्ट के तहत कमीशन मुकर्रर हो सकता है किसी आफेन्स में कमिट हो गया है तो कमीशन आफ एन्क्वायरी अपाइन्ट नहीं हो सकती हैं।

That is a function of the criminal court and it knows how to deal with the case.

जहां तक इस बात का सवाल है उनके लिये कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट न एन्क्वायरी कर सकता है और न फाईन्डिंग्स दे सकता है। अब रहा सवाल इस बात का कि इस कमीशन को मुकर्रर करने की मंशा केवल यह पुलिस द्वारा फाईडिंग की गई है और पुलिस की जानकारी सरकार की हो जाय इसलिये इस कमीशन को मुकर्रर किया गया है। इन सरकमस्टान्सेज में पुलिस को मजबूत होना पड़ा। उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। लूटिंग या कोई क्रिमीनल आफेन्स हुआ है इस कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत तो—

Commission of Enquiries under The Commission of Enquiries Act is not competent because that is exclusively a jurisdiction of the court.

इसलिए मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आपने जिस तरह का सुझाव दिया है वह नहीं हो सकता लेकिन यहां पर जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फायरिंग के संबंध में जो मुकदमें हैं जिसकी इन्क्वायरी कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत आये बगैर नहीं रह सकतीं उन दोनों के ऊपर राज्य सरकार विचार कर लेगी कि इनको अदालत में पेश करे या नहीं करे चालान के लिए। इसलिए दोनों का चालान अभी पेश नहीं हुआ है और उस पर राज्य सरकार जरूर विचार करेगी। हम भी नहीं चाहेंगे कि एक से दूसरी प्रोसीडिंग्स प्रैजुडिस हो और हमारी यह भी मन्शा नहीं हैं कि कोई उन लोगों के साथ विक्टीमाइजेशन करने की बात हो। मगर आप इसको मन्जूर करेंगे कि Law must have its

(श्री दामोदरलाल व्यास)

course अगर किसी ने ग्राफेन्स कमिट किया है तो उसको पेश करना लाजमी है। अगर कमिशन आफ इन्क्वायरी की यह फाइन्डिग्स आ गयी कि पुलिस ने जो फायरिंग किया उसमें ओफेन्स कमिट नहीं किया तो अपने आप ही चालान पेश नहीं होंगे इसलिए हम विचार कर लेंगे और आपसे भी जानकारी ले लेंगे और आप जानकारी देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फायरिंग के संबंध में जो सबजुडिस के बारे में बताया और इस प्रकार के केसेज के लिए यह कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार का होगा तो हम लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से इन्क्वायरी अपाइन्ट की है और इसलिए अपाइन्ट की है कि वह देखे कि फायरिंग जस्टीफाईड है या अनजस्टीफाइड है कि जितनी भी सरकमस्टान्सेज हैं वह किस कारण से हुई हैं। उनके द्वारा नेचुरली साबित हो जाता है कि गलत फायरिंग के कारण से आगे की चीजें होती हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के जितने केसेज में पुलिस ने कार्यवाही की है सिर्फ एक केस में चालान किया है जिसमें 17 आदमी हैं। गिरफ्तारी 150 से ज्यादा की थी। वहां उनके अभी तक चालान पेश नहीं किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो मौके पर मौजूद थे। मंत्रियों ने क्या कहा यह फैक्ट्स आने चाहिएं। आप तो खुद मौजूद थे मीटिंग में।

श्री श्रवणलाल : यहां पर डेपुटेशन मिलने के लिए आया जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के हमारे यहां के सदस्य थे और उन सदस्यों का एक डेपुटेशन मिलने के लिए आया और स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मोहनलाल जी सुखाडिया जी से मिला लेकिन सुखाडिया जी का दौरा होने के कारण वह नहीं मिल पाया और भरतपुर उनका स्टे था इसलिए वहां मिला और रात को करीब-करीब आधा घन्टे तक बात की। उसके बाद में जो प्रतिनिधि मण्डल आया था हिन्डौन में पहुंचा, वहां पर एक संघर्ष समिति बनी हुई थी। तो हमारा पहला डेपुटेशन आया था उसके सामने बातचीत हुई थी तो हमने कहा था कि हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि गवर्नमेन्ट आश्वासन नहीं देगी। उसमें शिवचरणसिंह जी भी थे, पृथ्वीराज जी और रिद्धीचन्दजी भी थे और दूसरी बार सुखाड़िया जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हिन्डौन के अन्दर अपने आन्दोलन को वापिस ले लो और आपकी मांगों पर विचार किया जायेगा। उन केसेज को विथड्रा किया जायेगा। इस प्रकार का आश्वासन लेकर गृह मंत्री जी मिले और उनके इस आश्वासन के देने के बाद जनता में पहुंचे हैं और जनता के सामने यह कहा · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा नाम चूंकि लिया है इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। संघर्ष समिति के सदस्य मेरे पास में आये और उन्होंने कहा। एक भी सदस्य कहता है कि मैंने उनको आश्वासन दिया है यह गलत है। मैंने साफ कहा है कि हम किसी हालत में इन मुकद्दमों को वापिस नहीं लेंगे। जिन्होंने लूटिंग किया है और नक्सलबाड़ी टाइप को जो हर [illegible] होती हैं तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)
उनको मैं विथड्रा करने के लिए तैयार नहीं हूं—यह मैंने कहा है। आप पूछ लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा होगा। आपकी बात पर विश्वास करते हैं। उनको आपकी बात पर अविश्वास नहीं है। उनको इम्प्रेशन हुआ कि आप मुकद्दमों को वापिस नही लेंगे और यह भी कहा गया कि पुलिस गलत गोली चलाये तो उसका भी चालान नही करेंगे—यह तो आपका रवैया साफ है। आपके बारे में रैफरेन्स इन्होंने गलत दे दिया। यह चीफ मिनिस्टर का था।

श्री श्रवणलाल : इन सब आश्वासनों को लेकर आबकारी मंत्री शिवचरणसिंह जी थे और उनके साथ में रिद्धीचन्द्रजी पालीवाल और पृथ्वीसिंह जी थे और हमारे डेपुटेशन के साथ आये थे। वह सब सदस्य वहां पहुंचे और वहां पर 10 हजार की संख्या में भाषण दिया और इस प्रकार के जो आश्वासन लेकर गये थे जो पेपर में निकले हैं वह भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं :

4 जुलाई, 1969 को हिन्डोन गोली-काण्ड की जांच के लिए राज्य सरकार ने राजस्व मण्डल के श्री गोकुलप्रसाद मेहता को

श्री अध्यक्ष : पेपर से तो आप ज्यादा जिम्मेदार हैं।

श्री श्रवणलाल : होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सुखाड़िया जी ने आश्वासन दिया है। मैं बताता हूं:—

"सुखाड़िया जी ने आज संवाददाताओं को बताया कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच होगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और आन्दोलन वापिस ले लें। विज्ञप्ति में कहा गया है···

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री श्रवणलाल : आगे उन्होंने लिखा है कि कांग्रेसी विधायक पृथ्वीसिंह और रिद्धीचन्दजी उनके आश्वासनों को लेकर हिन्डौन निवासियों की मांगों को पूरा करवाने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे और आन्दोलन को समाप्त करके दुकान खुलवायें। उसके साथ ही साथ यह जाकर आश्वासन दिया और देने के बाद लोगों के सामने शिवचरण जी ने कहा कि यह मुकदमे वापिस नहीं हुए तो मेरे जूते मारना भरे बाजार में····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और इस पर आन्दोलन समाप्त हुआ और दुकानें खुलीं।

श्री श्रवणलाल : उसी समय आन्दोलन वापिस हो गया और पांच बजे लोगों ने दुकानें खोल दीं और 13 तारीख को इन आश्वासनों को लेकर फिर गये हैं और जाने के बाद भी मुकदमे वापिस नहीं हुए। उसके बाद में समय-समय पर डेपुटेशन मिलता रहा है और ऐसी घटनायें फिर नहीं हुई हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि केसेज को विथड्रा नहीं करेंगे। तो न तो इन्क्वायरी चालू हुई है और पुलिस लोगों को तंग कर रही है और जो अमुक-अमुक आदमी रह गये हैं, जो सम्बन्धित नहीं थे या थे उनके खिलाफ चाहे जो मुकदमे बनाकर उनको अरेस्ट करके बन्द किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि सी० आई०

(श्री श्रवणलाल)

एस. डी. एम. और उच्च अधिकारी जो पुलिस के हैं जब तक आप उनको सस्पेन्ड नहीं करेंगे, उनको नहीं हटायेंगे तब तक जो इन्क्वायरी की जा रही है वह कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। इसलिए मेरी मांग है कि जो-जो अधिकारी उससे संबंधित थे, उस घटनास्थल में और गोली काण्ड में मौजूद थे उनको हटाया जाये तब जो इन्क्वायरी की गयी है वह निष्पक्ष हो सकेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र "ओर्गेनाइजर" में प्रकाशित एक लेख के सम्बन्ध में जनसम्पर्क मंत्री :

राज्यमंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि इसको 19 तारीख को रख लिया जाय और उस पर विचार कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है 19 तारीख को रख लें।

श्री अध्यक्ष : आगे बढ़ाया गया। गैर सरकारी सदस्य कार्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 19 को ही होना चाहिए 29 को नहीं।

गैर सरकारी सदस्य कार्य

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री हरजीराम बुरड़क को राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय....

श्री दौलतराम सारण : क्या अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री हरजीराम बुरड़क राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें और जो इसके पक्ष में नहीं हों वे "ना" कहें।

(विरोधीपक्ष की ओर से हां की आवाजें और सरकारी पक्ष से "ना" की आवाजें)

श्री नत्थीसिंह : किसकी आवाज ज्यादा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शायद इनको मालूम नहीं है कि किस तरह का प्रस्ताव है। एक संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। साधारणतया नियमों के अनुसार इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हमने हां कह दिया तो आपने ना कह दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने रख दिया है।

Page No. 93

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक अमेंडिंग बिल इन्ट्रोड्यूस करने का है। इसमें है क्या ? यह पास करें तो क्या ? इसको निर्देश तो नहीं दे सकते लेकिन समझायश करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समझायश करता हूँ।

श्री नत्थीसिंह : अभी तक इनके दिलों में न मालूम क्यों घबड़ाहट थी। अब समझ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक को राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय। जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हां' की ध्वनि और सरकारी पक्ष की ओर से 'ना' की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : कौन जीता ? 'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय। आप कृपया स्थान ग्रहण करें तो मैं बोलूं। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि··

श्री नत्थीसिंह : (कई कांग्रेस पक्ष के सदस्यों के आने पर) फाटक खोल दिया क्या।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जो सदन के समक्ष माननीय सदस्य ने रखा है वह प्रस्ताव किसी कानून में संशोधन करने का एक विधेयक है, एक अमेंडिंग बिल है। उसको इन्ट्रोड्यूस करने की परमीशन होनी चाहिए। न यह अभी कन्सीडेरेशन में आ रहा है और न यह अभी पास हो रहा है। मैं नहीं समझता कि हमारे यहां सामान्यतया इस सदन में बिल्स के इन्ट्रोडक्शन के सिलसिले में इस प्रकार की प्रक्रियाएं हों कि बिल के इन्ट्रोड्यूस करने के प्रस्ताव का विरोध करें। यह एक अजीब बात होगी। आप बिल को इन्ट्रोड्यूस तो होने दें। जब कन्सीडरेशन में आये तो यह हाउस उस पर डिसकशन करने के बाद रिजेक्ट कर दें। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपने पक्ष के माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में निर्देश दें और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर बिल का विरोध करना उचित नहीं होगा। इसलिए फिर से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को जानकारी मिल गई कि यह चीज क्या है। आप (श्री अध्यक्ष से) फिर से प्रस्ताव को रखें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हठधर्मी की पराकाष्ठा है। यह बिल्कुल हार्मलेस चीज है। अगर कोई बिल इन्ट्रोड्यूस करते हैं तो इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर बिल्कुल डिनाई करते हैं तो इन्ट्रोड्यूस करने का भी अधिकार नहीं है। अगर आपका स्पष्ट बहुमत है तो हठधर्मी करें, लेकिन डिसकशन डिसअलाउ करते हैं तो यह हाउस का कन्वेन्शन और डेमोक्रेसी कैसी है ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्रेजरी बेन्चेज को कुछ न कुछ उदारता का बर्ताव अपनाना चाहिए। हरेक चीज के लिए डिनाई

Page No. 94

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
करेंगे और इन्ट्रोड्यूस नहीं एलाउ करते हैं तो फिर यह तो जनतंत्र नहीं है फासिस्टवाद है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय एक बात कह दूं। नियमों में प्रावधान है . . .

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। हैल्दी परम्परा तो यही है कि इन्ट्रोडक्शन के वक्त विरोध नहीं किया जाता है अगर हैल्दी ट्रेडीशन मेन्टेन हो तो वास्तव में अच्छा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय आपने फरमाया है कि हैल्दी ट्रेडीशन ऐसा है। इसी सदन के अन्दर एक दफा नहीं कई दफा विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर कई बिल्स का विरोध किया है। अगर इस प्रकार की हैल्दी ट्रेडीशन वे कायम करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय विरोधी पक्ष के नेता यह कह दें कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर कोई विरोध नही होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप डिटरमिन्ड हो गये तो हम फेस करेंगे पोस्टपोनमेंट को। हम उदार और रीजनेबल होम मिनिस्टर को फेस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और इन्ट्रोडक्शन होने दें। यह बिल्कुल इन्नोसेन्ट चीज है। उसमें क्यों हठधर्मी का प्रोसीजर बनाते हैं। आपके (श्री अध्यक्ष के) द्वारा जो कुछ संकेत ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ किया गया है वह पर्याप्त है। उसमें विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि हम इस सदन में विरोध करते हैं और इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर विरोध करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हमने किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन उसी कानून का करेंगे जो बहुत ज्यादा जनता के खिलाफ होंगे, जो काले कानून होंगे तो उसका विरोध करते हैं। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। लीडर आफ दी अपोजीशन से यह चाहा गया है कि भविष्य में विरोध नहीं करेंगे। यह एक ब्लेकमेलिंग टेक्टिक्स हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपका अगर विरोध हो तो आप इसको रिजेक्ट करें। आप जो बिल इन्ट्रोड्यूस करेंगे और अगर वह काला कानून होगा, जनता के हितों के विरोध में होगा तो हम उसका इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर भी विरोध करेंगे, उसका रीजनिंग देंगे, उसको डिसकस करेंगे। आप इस कानून के बारे में खड़े होकर यह कह दें कि इसमें यह गलत बात लगती है इसलिए इसका विरोध करते हैं। आप भाषण दे दें तो हम कन्वीन्स हो जायेंगे कि आपने कानून पढ़ा है। आपने कानून पढ़ा नहीं है और विरोध कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने यह फरमाया है कि स्वस्थ परम्परा यह होगी कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर किसी बिल को अपोज नहीं किया जाय तो मैं आपकी आज्ञा मानकर इसका इन्ट्रोडक्टशन स्टेज पर विरोध नहीं करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देर आयद दुरस्ते आयद।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) अब प्रश्न आगे नहीं इस सम्बन्ध में।

ग्रार्डर प्लीज। श्री केदारनाथ!

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिये विधेयक, राजस्थान संस्थान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1969 को···

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय सदस्य ठहरें।

क्या श्री हरजीराम बुरड़क को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई। श्री हरजीराम बुरड़क पुरःस्थापित करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हू।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1969।

श्री केदारनाथ!

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री केदारनाथ : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

संकल्पों पर विचार

श्री रघुनाथ विश्नोई!

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा संकल्प है वह इस प्रकार है "सदन की सम्मति है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की समस्या निवारण बोर्ड की स्थापना की जाय और योजना के कार्यों में इस समस्या के निवारण को प्राथमिकता दी जाय" उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने विचार रखे थे, आप की आज्ञा हो तो मैं भी कुछ अपने विचार रखूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान में ग्रामीण पेयजल समस्या है उससे आप भलीभांति परिचित हैं। और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पीने का आज 22 साल में, पब्लिक का राज, जनतंत्र होने के बाद भी···

(1.40 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

हल नहीं हुई है। सभापति महोदय, आप को भलीभांति मालूम है कि बरसात में गड्ढे, तालाबों में पानी आता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री सभापति : इस प्रश्न को आप मूव कर चुके हैं। अब आप दूसरों को समय दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बोल चुका हूं। बस पांच मिनिट ...

श्री सभापति : आप को बाद में समय मिल जाएगा।

अमीलाल यादव।

श्री शंकर लाल जैतारण।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण पेयजल समस्या के निवारण के लिए एक बोर्ड की स्थापना राज्यस्तर पर होनी चाहिए, इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान एक ऐसा रेगिस्तान प्रदेश है। देश के अन्दर 22 साल की आजादी के पश्चात् भी जो पानी पीने का है, उस समस्या को उस डिस्प्यूट को हल करना चाहिए। इतना तक नहीं कर पा रहे हैं यह खेद की बात है। आज भी हमारे सामने कितने ही जिलों के अन्दर इस बात की समस्या बनी हुई है। वहां पर लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। समस्या इस प्रकार की है। वहां पर किस प्रकार से ट्रक लेकर या रेलगाड़ी से, दूसरे स्थानों से लोगों को पानी पीने के लिए भेजा जाये। आज इस प्रगति के जमाने में जब कि लोग चांद की यात्रा करने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे राजस्थान के अन्दर हम बार-बार पुकार कर कहते हैं कि हमारी पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी है। जब हम यह कहें कि हमारे यहां सिंचाई के लिए पानी की समस्या है, उसमें तो देर लग सकती है। लेकिन पीने के पानी के लिये आज वर्षों से परमानेंट इलाज नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे प्रशासन में कोई न कोई कमी है और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि आजादी के बाद भी पीने के पानी की समस्या में कुछ मामूली सुधार आया है, लेकिन वह सुधार जितना आना चाहिए था उतना नहीं है। जहां प्रत्येक गांव गांव के अन्दर खारा पानी होता है जहां का पानी खुरबा निकलता है, जहां पर पानी कई मीलों से आता है। कितनी ही दूर खोज हुई है। वहां भी उनकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं। पीने के पानी के लिए हमने कुछ कदम उठाये हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपकी तन्दुरुस्ती तो अच्छी मालूम पड़ती है।

श्री अमीलाल यादव : इस लिए राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की समस्या है, वह बदस्तूर बनी हुई है। अभी एक प्रश्न पर इस बात की बहस हो रही थी। बीकानेर के एक कुवें का पानी पीने का हर एक को अधिकार है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वह समस्या लाकर रख देते हैं। यह पीने के पानी की समस्या का हल नहीं कर पाये तो राज्य की जनता को कितनी भारी तकलीफ होती है। जालौर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर कितने ही जिले राजस्थान में हैं जहां पर जल की समस्या है। साथ ही साथ एक और तो वह समस्या है जहां खारा पानी है। खुरबा का पानी है। लोग 20-20। 40-40 मील से

(श्री अमीलाल यादव)

पानी लेकर आते हैं। दूसरी समस्या यह है कि कितनी ही दूरी से लोग पानी लाते हैं और एक गांव के आदमी दूसरे गांव से पानी लाना अपनी तौहीन समझते हैं। तो उनको तकलीफ होती है। इसमें मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करना चाहिए। जनता तन, मन, धन से सहयोग राजस्थान सरकार को दे रही है। यहां मैं सभापति महोदय, मिसाल देता हूं कि प्रत्येक गांव के लोग, जो यह कहा गया था कि सरकार पैसा चाहती है, कई वर्ष से लोगों के पास रुपया जमा है। योजना के बावजूद गांवों में पानी नहीं दे रहे हैं। जो मन्त्री महोदय हैं उनके सामने हमने चर्चा की है। दीना, रिणावा गांव है वहां कि पब्लिक का रुपया वहां जमा है। इसलिए इतने बड़े राजस्थान के अन्दर हर जगह की समस्या को एक जगह बैठ कर निराकरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पीने के पानी के लिए बोर्ड स्थापित किया जाये। उस बोर्ड के सामने प्रत्येक जेनाइन डिमाण्ड पेश हो जो पानी की तकलीफे हैं, वहां पर बोर्ड मौके का मुआयना करके सही तरीके से समस्या को हल करे। इसलिए मेरा यह सुझाव है, माननीय विश्नोई जी ने जो यह संकल्प रखा है, पेय जल समस्या के निवारण के प्रति एक बोर्ड बनाना चाहिए मैं उसका समर्थन करता हूं।

दूसरे सभापति महोदय, यह भी निवेदन करता हूं कि यहां पर राजस्थान के अन्दर अकाल तो अकसर पड़ता ही रहता है। अकाल की समस्या के कारण पानी की समस्या बनी रहती है वर्षा हो जाये तब भी पीने के पानी की समस्या का हल परमानेन्ट नहीं होता है। कुछ ग्रामों के अन्दर जैसा कि मैंने निवेदन किया 40-40 मील से पानी लाना पड़ता है। जहां पीने का पानी खराब है। जहां जनता हर तरह का कन्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। वहां लोगों की तन्दुरुस्ती में, रहन सहन में, सामाजिकता में कमी आ रही है, उनको महसूस करते हुए उनको दूर करने के लिए स्वयं सरकार का प्रथम कर्तव्य है। हम प्रगतिशील कदम उठायें। वह प्रगतिशील कदम माननीय सदस्य महोदय ने रखा है। वास्तव में एक बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। उस बोर्ड के अन्दर उन जिलों का प्रतिनिधित्व हो, उस बोर्ड के अन्दर वह लोग हों जो ग्रामीण लोगों की असली तकलीफों को समझते हों, जो अपने दिलों के अन्दर उनके भले की भावना रखते हों-ऐसे लोगों का एक बोर्ड बनाना चाहिए और वह हर एक जगह पर जाकर वहां की सारी स्थिति का अध्ययन करे। यह कहने में मुझे बेहद तकलीफ हो रही है कि पहले कुछ धनराशि पंचायत समितियों को दी जाती थी। उस धन राशि से पंचायत समितियां अपने रिजोल्यूशन पास करा कर कुछ समस्याओं को दूर कराने में सफल होती थीं परन्तु आज वह तमाम धनराशि पंचायत समितियों से वापिस लेली गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड के बनाने से पंचायत समितियों से बहुत ज्यादा सहयोग मिल सकेगा। वहां के लोग मिल जुल कर सारी समस्या को समझ सकेंगे।

तीसरे, सभापति महोदय मैं आपके जरिये वाटर सप्लाई मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर बड़े गांव हैं, वहां पर खारा पानी है और वहां के लोगों में इस जल की समस्या को खत्म करने के लिए उत्साह है उत्साह ही नहीं यह उनका धर्म

Page No. 98

(श्री अमीलाल यादव)

है। हमारे भारतवर्ष के अन्दर तो प्रत्येक नागरिक प्यासे को पानी पिलाने को बहुत बड़ा धर्म मानते हैं। क्योंकि यह धर्म मानते हैं इसलिए जिन लोगों के पास धन नहीं है और जो शरीर से महनत कर सकते हैं, वह स्वयं महनत करते हैं और जिन लोगों के पास धन है, वह लोग धन देकर लोगों को पानी पिलाने की योजनायें बनाते हैं। इसलिए जबकि हमारी सरकार गरीबों की हिमायतें करने वाली सरकार कहलायी जाती है तो सच्चे मायने में तब ही वह सरकार कहला सकती है जब कि राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था करे। जब से मैं इस हाउस में आया हूं तब से मैं यह सुनता आया हूं कि राजस्थान में पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है लोग प्यासे मर रहे हैं लोगों को तीस-चालीस मील से पानी लाकर पिलाया जाता है। गांवों में पानी का स्टोरेज नहीं होता है, और पानी का स्टोरेज करके बड़ी मुश्किल से लोगों को पीने का पानी दिया जाता है। इसलिए मैं आपको माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ, इस समस्या को वास्तव में एक नेशनल समस्या मानकर, इसको बहुत बड़ा महत्व देकर, अपने दिमाग में इस बात को रख कर इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके, इस समस्या को एक महत्वपूर्ण समस्या मान कर इसका कोई परमानेन्ट इलाज निकालें जिससे सही तरीके से जिन गांव और जिलों में लोग इस समस्या से बुरी तरह पीड़ित हैं उनकी यह समस्या दूर हो सके। इसका एकमात्र इलाज यह है कि इस समस्या को हल करने के लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। मैं अन्त में सदन का समय अधिक न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको राजस्थान के अन्दर वास्तव में सुधार करना है, पीने के पानी की समस्या को दूर करना है, उन गांवों और जिलों के लोगों की शारीरिक तन्दुरुस्ती की दृष्टि को ध्यान में रखना है तो वास्तव में इस तरह के बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए और उसके जरिये से पूरे राजस्थान में उन जिलों में जहां इस प्रकार की समस्या है, वहां मास्टर प्लान बना कर, प्रायोरिटी फिक्स करके, रूल्स और बायलाज बना कर वह सही तरीके से करें। साथ ही उस बोर्ड के तहत राजस्थान सरकार पर्याप्त बजट रखे, पर्याप्त धन-राशि रखे और उसके अनुसार ही उसे खर्च करना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, शंकरलाल जी बोल चुके हैं। शंकरलाल जी पहले बोल चुके हैं।

श्री शंकरलाल : बोल चुका हूं तो मुझे याद दिलायें, मुझे याद नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आप बोल चुके हैं। आपने अमेंडमेंट मूव किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बोल नहीं चुके हैं, बीच में ही भाषण खत्म हो गया था।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, यह हमारे राइट्स पर एन्क्रोचमेंट का सवाल है। दूसरे मेम्बर्स को बोलने का समय नहीं मिलता है और एक मेम्बर दो बार बोल जाय—यह मेरा ऐतराज है।

श्री शंकरलाल : मैं बोल चुका हूं तो आप रिकार्ड दिखवा दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : रिकार्ड दिखवा लीजिये, इतने में आप दूसरे माननीय सदस्य को इजाजत दे दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्वयं बता रहे हैं कि उनकी स्पीच खत्म नहीं हुई थी।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य को याद नहीं है। मैंने अमीन साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि आप बोल चुके हैं। उन्होंने दिखाया भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य की याद पर विश्वास करके हमें चलना चाहिए। श्री शंकरलाल।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है।

श्री देवीदत्त गाडिया : हर पार्टी के मेम्बर को बाई रोटेशन मौका देते तो अच्छा रहता।

श्री सभापति : अब आपका आयेगा ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो इस सदन में हमारे माननीय सदस्य श्री रघुनाथजी विश्नोई ने रखा है और जिसके ऊपर कि आज चर्चा हो रही है, यह हमारे राजस्थान के लिए और राजस्थान के अन्दर बसने वाली दो करोड़ ग्रामीण जनता के लिए बहुत ही एक महत्व का प्रस्ताव है। सभापति महोदय, हमारा राजस्थान, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, गांवों में बसा हुआ है लेकिन हमारी आजादी के बाद जो प्रगति का और योजनाओं का, और विकास का अनुभव है, वह भी तात्विक अनुभव, वह ऐसा अनुभव है जो कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत की चीज है—पानी, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है, अगर गांवों के अन्दर किसी व्यक्ति को पीने का पानी भी आजादी के बाईस वर्ष बाद नहीं मिल पाये, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाये, तो सभापति महोदय, आप उस चीज का अन्दाज लगाइये कि उस ग्रामीण के दिल में हमारी आजादी के प्रति क्या अनुभव हो सकता है? मैं समझता हूं कि राजस्थान हो या और कोई प्रान्त हो, अगर आजादी के बाद सबसे पहले गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या को सरकार हल नहीं कर पाती है तो सारी दूसरी योजनायें हैं वह बेकार हैं। इसलिए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि योजनाओं में इसको प्राथमिकता दी जाय। आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह विकास के लिए चिन्तित होगा, अगर देश के लिए वह काम करे तो कम से कम उसे पीने का पानी तो मिले। आज भी राजस्थान में कितने ही गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी दूर दूर से लाया जाता है। आज अखबारों में पढ़ते हैं और आंखों से देखा भी है कि कहीं लोग चार मील से, कहीं पांच मील से पानी लाते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर के अन्दर ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और दूसरे दूसरे गावों से, जगह जगह जाकर उनको पानी लाना पड़ता है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, ऐसे कई गांव है वहां पानी तो है लेकिन या तो वह किसी तालाब का पानी है या नाले का पानी है, या बावड़ी का पानी है। वह लोग तालाब नाले और बावड़ी का पानी पीते हैं तो उससे कई प्रकार की भयंकर बीमारी फैलती हैं और फिर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग को दौड़ कर जाना पड़ता है। कहीं पर हैजे की बीमारी फैलती है तो कहीं पर गेस्ट्रो-एन्ट्रोइटीन की बीमारी फैलती है, कई जगह पर कोई दूसरी बुरी बीमारी फैलती है। इसका

(श्री शंकरलाल)

मूल कारण यह बताया जाता है कि पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिलता है इसलिए यह बीमारियां होती हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम उनका इलाज करें इससे तो प्रिवेंटिव कार्य ज्यादा अच्छा है। पहले वहां पर अच्छा पानी उपलब्ध कर दिया जाय। गन्दे पानी से बीमारी हों और बाद में चिकित्सा के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च करे, इससे तो अच्छा है कि गांव में अच्छा पानी मिले। मैं समझता हूं इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पानी जीवन के लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है, जब यह जीवन के लिए आवश्यक है तो यह हर एक ग्रामीण को मिलनी चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए एक ग्रामीण जल समस्या निवारण बोर्ड का जिक्र किया गया। मैं इस प्रस्ताव का इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि बिना बोर्ड के गठन के यह समस्या शीघ्रता के साथ हल नहीं हो सकती। जिस प्रकार की अन्य समस्यायें हैं जिनके लिए प्रावधान हमने योजनाओं में कर रखा है, उन्हीं के साथ साथ इस समस्या को साधारण समझ कर इसका हल निकाला जाय तो इस समस्या का हल सम्भव नहीं है यह विगत बाइस वर्ष का अनुभव बताता है कि बाइस वर्ष के बाद भी यह समस्या आज भी बनी हुई है। इसका कारण यह है इसकी ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से नहीं रहा। इसकी ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने की आवश्यकता है और विशेषरूप से आवश्यकता को पूरा करने के लिऐ प्रयत्न करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाय। जहां तक अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है, राजस्थान में सन् 1955 और 1956 के अन्दर जल बोर्ड की स्थापना की गई थी और वह बोर्ड गैर सरकारी संस्था थी, उसका काम था कि राज्य सरकार द्वारा जो गांवों में पीने के पानी की समस्या हल करने का जो काम था, जो पैसा था उसको खर्च करने के लिए गैर सरकारी मशीनरी ने काम किया था। जिलों के अन्दर जल बोर्ड की शाखायें स्थापित की थीं और राजस्थान जल बोर्ड द्वारा उन पैसों का वितरण और पैसों को गांवों में कई जगह कुएं खुदवाने, हौद बनवाने, टूटी लगवाने आदि काम किए थे और मुझे अनुभव है कि उस योजना के अन्तर्गत और जल बोर्ड की स्थापना के बाद बहुत ही जल्दी से इस समस्या का हल राजस्थान में उस समय काफी हद तक हुआ था। अगर राजस्थान जल बोर्ड, जैसे कि उसकी स्थापना हुई थी, अगर जारी रहता, तो आज दिन तक इस समस्या का काफी हल हो जाता लेकिन जल बोर्ड ज्यादा नहीं चला। इसके कई कारण थे, मैं उनमें नहीं पड़ता। लेकिन उस जल बोर्ड द्वारा कार्यान्विति योजना की जल्दी से हुई और मुझे पाली जिले का अनुभव है और वहां उस समय करीब 8 और 10 लाख के बीच में रुपया खर्च हुआ था और उसके अन्दर कम से कम नहीं तो 500 या इससे अधिक जगहों पर कुएं बनवाए गए थे। आज गांवों को देखते हैं तो गांवों के अन्दर जल बोर्ड का कुआं बना हुआ है और उस कुए के साथ वहां हौद और टूटियां लगी हुई हैं। इस तरह से एक बोर्ड की स्थापना इसलिए की गई थी कि उसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गांवों की पीने के पानी की समस्या हल होगी वरना,

Page No. 101

(श्री शंकरलाल)

आज कई जगह हम पीने के पानी के लिए पैसा देते हैं, मान लीजिए कुआं बन जाता है, अगर उसके अन्दर सवर्ण लोग ही पानी पीते हैं और अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को वहां न आने दें तो समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहती है क्योंकि यह समस्या गांवों में कई बार आई है और आती रहेगी जब तक इसका स्थाई हल न निकले। इसलिए गांवों के अन्दर छूआछूत की बीमारी मिटाने के लिए आज कई कुएं हैं। गांव वाले जब आते हैं और कहते हैं कि पानी पीने का कुआं चाहिए तो हम कहते हैं कि गांव के अन्दर कुआं है। वह कहते हैं कि फलां जाति के लोग, सवर्ण जाति के लोग पीते हैं, वहां हमारे लिए पानी नहीं तो अभी भी उनके अन्दर भावना बनी हुई है? हम चाहते हैं कि हरेक गांव के अन्दर ऐसा कुआं . . .

श्री मनोहर सिंह मेहता : व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम नहीं है। कृपया देख लें।

(कोरम की घंटी)

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन ग्रामों के अन्दर पीने के पानी की समस्या के हल के लिए बोर्ड की इसलिए भी आवश्यकता है कि योजनाबद्ध तरीके से और जल्दी से युद्धस्तर पर काम किया जाय। वह इसलिए कि जिस प्रकार गांवों के अन्दर पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार इसके जरिए गांवों के अन्दर छूआ-छूत की बीमारी को भी मिटाया जा सकता है। आज जब गांवों के अन्दर एक वर्ग पानी नहीं पीता है, वहां ऐसे हौद होंगे जिनके अंदर टूंटियां लगी होंगी और सब जाति के लोग पानी भरेंगे तो समस्या का हल होना चाहिए जिससे छूआछूत की बीमारी नष्ट होकर और वह आमूल नष्ट हो जाय। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। हम चाहते हैं कि यह इस प्रकार का बोर्ड होगा जिस प्रकार राजस्थान में एग्रो-इन्डस्ट्रीज बोर्ड है या रोडवेज है या और प्रकार के बोर्ड्स हैं जिसका अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्य होना चाहिए और उसके अन्दर वाटर वर्क्स के आदमी, कुछ तकनीकी आदमी, विधान सभा सदस्य और संसद् सदस्य और कुछ जिला प्रमुख भी होने चाहिए। गांव के प्रतिनिधि ही चेयरमेन हो। ऐसा बोर्ड अच्छा होगा वह इस बात पर विचार कर सकेगा कि गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए जल्दी से जल्दी क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। अन्यथा होता क्या है कि आज जो कुछ पैसा दिया जाता है, चाहे पंचायत समितियों के मारफत दिया जाय चाहे कैसे दिया जाय लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता। हमने एक बार राज्यपाल महोदय के संदेश के अन्दर सुना था। उन्होंने 70 करोड़ की मास्टर प्लान का इस समस्या को हल करने के लिए जिक्र किया था। मुझे पता नहीं वह 70 करोड़ की योजना क्या है, उसकी क्रियान्विति कैसे होगी। वास्तव में यदि यह योजना 70 करोड़ की अपनाई जाती है तो उसके लिए बोर्ड का गठन आवश्यक है जैसे कि हमारे श्री रघुनाथ बिश्नोई के प्रस्ताव में कहा गया है। बोर्ड का अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्य होना चाहिए और उसमें दूसरे तकनीकी आदमी होने चाहिए। उस बोर्ड की शाखायें हर जिले के अन्दर हों। जिस जिले के अन्दर, जिन गांवों में ज्यादा समस्या है, उसके अन्दर एक जिलेवार समिति होनी चाहिए, बोर्ड से सीधा कन्सर्न समिति का

(श्री शंकरलाल)

होगा और उस समिति का अध्यक्ष गैर सरकारी आदमी होना चाहिए. चाहे कलक्टर सदस्य हो चाहे सेक्रेटरी हो लेकिन अध्यक्ष गैर सरकारी होना चाहिए। इस प्रकार राज्य स्तर और जिला स्तर पर बोर्ड और समितियों का गठन होना है और जब बजट के अन्दर गांवों की समस्या हल करने के लिए पैसे का प्रावधान आपको उपलब्ध होता है तो आने वाले समय के अन्दर मैं समझता हूं, जल्दी कर सकते हैं।

22 साल बीतने के बाद आज गांवों के अन्दर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो गांव वाले और हम भी चाहते हैं और प्रत्येक माननीय सदस्य चाहेगा कि इसे युद्धस्तर पर हल किया जाय। हम चाहते हैं कि आने वाले दो साल के अन्दर राजस्थान में कोई गांव ऐसा न हो जिससे लोग यह नहीं कह सकें कि हमारे यहां पीने का पानी नहीं मिलता। पीने के पानी की मांग करना हमारा मूलभूत अधिकार है जनतंत्र के अन्दर। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने यह योजनायें बनाईं, इतना खर्चा किया, इतने उद्योग स्थापित किए, लेकिन आप उस चीज का अनुभव करें कि हमारे गांव का एक आदमी जयपुर में आया था। सचिवालय में घूमने के बाद वापस जा रहा था तो मुझसे उन्होंने कहा कि यह क्या बात है सचिवालय में लोगों के टाटों पर छिड़कने के लिए पानी मिलता है, बगीचों के लिए मिलता है और हमें 4 मील से पानी लाना पडता है। सोचिए वह जनतंत्र में रहने वाला व्यक्ति, उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए। सरकार को संकल्प करना चाहिए कि जब तक राजस्थान के गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या का हल नहीं होगा तब तक टाटे नहीं बनवायेंगे, न उन पर पानी छिड़कायेंगे। एक तरफ आपको पानी शौक व आराम के लिए चाहिए और दूसरी ओर पीने के लिए पानी नहीं मिले।

श्री मूलचन्द डागा : सचिवालय में टाटे नहीं लगायेंगे तो वे ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : सर पर ठंडी पट्टी बांध लीजिए।

श्री शंकरलाल : इनके दिमाग के लिऐ टाटों की आवश्यकता है लेकिन आपने यदि उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया तो अपने वोटों द्वारा वे आपके दिमाग को ठीक कर सकते हैं। आप अपने दिमाग के लिए टाटों की आवश्यकता समझते हैं और उनके लिए पीने का पानी आवश्यक नहीं समझते, मजाक की बात है। गावों में जाकर कहना यह बात वोटर्स से। मैं खास तौर से पाली तहसील की बात करता हूं। वहां चौराहे के अन्दर ऐसे गांव हैं, जो माननीय सदस्य ने अच्छी तरह से देखे हैं, वहां जो कुएं बने हुए हैं वह जल बोर्ड के बने हुए हैं। और उन गांवों में बने हुये हैं जहां के लोग दो-दो मील से पानी लाते हैं और आज भी वहां गांवों में पीने के पानी की समस्या है, बरसात नहीं हुई है, तालाब में पानी नहीं है, कहां से पानी लावें ? टांके होने चाहिए जिससे बरसात का पानी इक्ट्ठा हो सके। कुए खोदेंगे तो खारा पानी मिलेगा। सौ फीट से ज्यादा गहरे कुए मिलेंगे। हमारा राजस्थान पंचरंगा है, कई क्षेत्रों में बंटा हुआ है। कहीं तालाब, कुए, बावड़ी की समस्या है। कुआ खोदा तो दूर तक पानी न मिले और कहीं मिल जाय तो मिल जाय। हमारा गांवों में हृदय है, आत्मा गांवों में है, और उन गांवों

(श्री शंकरलाल)

की हमारी आत्मा के लिए पीने के पानी उपलब्ध कर सकें तो बहुत अच्छा है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है और जिसका मैंने समर्थन किया है उसको सरकार स्वीकार करेगी। सरकार को चाहिये कि बोर्ड का जल्दी से जल्दी गठन करें और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में यह समस्या है उसको हल करे। जो प्रावधान हैं उनको खर्च करे और उनके लिए अधिक प्रावधान किया जाय। 70 करोड़ के लिए राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा था। 70 करोड़ शायद कम पड़े। लोगों से आप चन्दा ले सकते हैं, लोग सहर्ष देने के लिये तैयार हैं। दूसरी चीजों के लिए आप चन्दा करते हैं। पब्लिक चन्दा देगी। पब्लिक तैयार है इसके लिये ताकि उनको पानी पीने के लिये गांवों में उपलब्ध हो सके। सरकार को युद्धस्तर पर लेना चाहिये और हमको सोचना चाहिये कि 22 वर्ष में समस्या का हल साधारण तौर पर नहीं निकाल सके तो इसका समाधान तब ही होगा जब कि इसको वारफुटिंग पर करेंगे। बोर्ड की आवश्यकता और प्राथमिकता दोनों की जरूरत है। सरकार को इसको मंजूर करना चाहिये। माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस बात को आसान और हल्के रूप से न लें। यह वजनदार बात है और इससे सब का सम्बन्ध है। प्रस्ताव जरूर पास होना चाहिये और सरकार को बाध्य करना चाहिये जिससे गांवों में गांवों की जनता के लिये पीने के पानी का स्थायी हल जल्दी से जल्दी निकल सके।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, पाली जिले की सारी बातें कह दूंगा।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मूलचन्द डागा : ये तो एक पार्टी में हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : जिनको पानी की तकलीफ नहीं वे क्या बोलेंगे?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, ऐसे समय में जब चन्द्र लोक में मनुष्य पहुंच चुके हैं वहां जल की समस्या की बात करनी पड़ेगी यह हमने सोचा भी नहीं था। आज इस राजस्थान में हर वर्ष सैंकड़ों और हजारों आदमियों के नाहरू निकलते हैं। नाहरू ऐसी बिमारी है कि जिसको रोका जा सकता है आसानी से अगर बावड़ियां बन्द करदी जांय और कुओं का पानी पिलायें तो। लेकिन हजारों और लाखों आदमी ऐसे हैं जिनको कुओं का पानी नहीं मिलता, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील से पानी लाना पड़ता है। यह अत्यन्त दुःख की बात है। सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं बिश्नोई जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। इसके लिए सबका समर्थन है। जैसे कहावत है :

दाल परीगी तेल ग्यो, घी तो कोसां दूर।
नाले मत खाले परी, रोटी जलमें चूर।।

यहां तो रोटी चूरने के लिये जल भी नहीं है। कितने बड़े दुख की बात है। कुए बनाना चाहें तो आप जनता का समर्थन ले लीजिये। सब की मांग है। जनता में इसकी भावना है, जरूर मदद देगी। बोर्ड का गठन हो और हर जिले में एक जल बोर्ड का गठन हो और इसको प्राथमिकता दी जाय तो

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पूरे राजस्थान में पीने के पानी की, कुओं की व्यवस्था हो सकती है। बावड़ियों को तुरन्त बन्द करना चाहिये एक भी आदमी के लिये नाहरू निकलता है तो यह स्वायत्त शासन विभाग के लिए कलंक है और अपने पर कलंक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाडिया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने बहुत ही महत्व-पूर्ण संकल्प है जल राजस्थान की जनता के लिये बहुत आवश्यक है और उसके लिये एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है। उसको प्रस्तुत करते हुये राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं और मांग के साथ-साथ राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने आजादी मिलने के बाद 22 वर्ष के शासन काल में भी कांग्रेस के नेताओं और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जहां यह घोषणा की है कि राजस्थान ने सर्व-दिशाओं में प्रगति की है, मैं कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला है कि जहां पर पीने के पानी की विषम समस्या न हो। आज सारे राजस्थान के ग्रामीण पीने के पानी के अभाव के कारण विकट समस्या को लेकर अपने गांवों में पीने का पानी न मिलने के कारण गांवों से चार-चार पांच-पांच मील दूर जाकर, इतना ही नहीं सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शाहबाद तहसील की पंचायत समिति के गांवों के लोग, राजस्थान के अन्दर पीने के पानी न मिलने के कारण मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर रोजाना पानी लाते हैं। यह राजस्थान सरकार के लिये लज्जा की बात है कि राजस्थान सरकार गांवों के किसानों को पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आज के आर्थिक युग में जिस किसान से हम चाहते हैं कि अपने जीवन का अमूल्य समय वह अन्न उत्पादन में लगाये वहां उस किसान के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते 22 वर्ष की आजादी में तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपने जीवन का अमूल्य समय अन्न उत्पादन में लगाये जब कि उसको चार-चार पांच पांच मील दूर से पानी लाना पड़ता है और वह भी मध्य प्रदेश से लाता है। कुए नहीं होने से बरसात का पानी जो तालाबों में, गड्डों में और नालों में भरा रहता है जहां पर मवेशी आकर पानी पीते हैं वहां पर भी मनुष्यों को पानी पीना पड़ता है। यह बड़े लज्जा की बात है। जिस जगह मवेशी जाकर अपनी प्यास बुझाती हैं वहां पर मनुष्य जाकर अपनी प्यास बुझाये यह बड़े शर्म और लज्जा की बात है। इस कारण हजारों लोगों के पैरों में नाहरू निकलता है। मैं जल प्रदाय मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में खरालो गांव है उसमें एक भी कुआ नहीं है। एक बावड़ी है और बड़ी लाचारी हालत में किसानों को उस बावड़ी से पानी पीना पड़ता है। इस कारण दस प्रतिशत लोगों के नाहरू निकलता है और इस कारण पड़े रहते हैं।

इतना ही नहीं शाहबाद का इलाका जो एक जंगली इलाका है और पिछड़ा हुआ इलाका है यहां पर अधिकांश गांवों में पीने के पानी के कुए नहीं हैं ईश्वर के भरोसे

(श्री देवीदत्त गाडिया)

रहते हैं। नदियों के पानी से आश्रित रहते हैं। भयंकर गर्मी में वहां के किसानों को पीने का पानी नहीं मिलता इस कारण दस-दस दिन महीने में और कहीं-कहीं तो बीस-बीस दिन भी लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। पंचायत समिति ने अनेक बार इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं तो इस सम्बन्ध में माननीय सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इस राजस्थान की सरकार ने जलदाय विभाग तो खोला है परन्तु जो जल योजनाएं ग्रामों में चल रही हैं, वे सफल नहीं हो रही हैं। इसलिए ग्रामीण जल समस्या के निवारण के लिये जलदाय विभाग से इसको अलग किया जाये और एक अलग जल बोर्ड बनाया जाये और उसके अन्दर जनता के प्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला परिषद् और एम. एल. ए. आदि चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिये तभी ग्रामीण जल समस्या का हल होगा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस ग्रामीण जल समस्या के निवारण के लिए एक बहुत बडी राशि देने की घोषणा करे साथ ही संकल्प करे कि राजस्थान सरकार जब तक गांव की जनता की पीने के पानी की समस्या हल नहीं कर देगी तब तक चुप नहीं रहेगी। जिस प्रकार राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने अकाल के निवारण के नाम पर, सस्ती लोकप्रियता के नाम पर, घोषणा की कि, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाकों में अकाल दूर नहीं होगा, मेरी कार का चक्का नहीं रुकेगा। परन्तु चक्का जाम हो गया जैसलमेर की अकाल की समस्या हल नहीं हुई। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि वह यह घोषणा करे कि जब तक गांव के अन्दर पीने के पानी की समस्या हल नहीं होगी तब तक सरकार चुप्पी से नहीं बैठेगी। तब मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि इस समस्या के निवारण के लिए सदन में बैठने वाले सभी विरोधी दल के सदस्य सरकार के साथ कन्धा से कन्धा मिला कर सहयोग करेंगे जो सरकार पीने के पानी की समस्या हल नहीं कर सकी, जो सरकार किसानों को पीने का पानी नहीं दे सकी, उसे लोकतन्त्रीय शासन नहीं कहा जा सकता। यह राजस्थान के लिये लज्जा की बात है। लोकतन्त्र के ऊपर कलंक है। इसलिए सभापति महोदय, ग्रामीण जल समस्या के निवारण के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रथम सुझाव यह है कि प्रत्येक जिले के केन्द्र के ऊपर एक बोरिंग मशीन होनी चाहिये। इसके साथ-साथ एक ब्लास्टिंग मशीन हो और यह ब्लास्टिंग बोरिंग मशीन प्रत्येक गांव के अन्दर जाकर जहां पीने के पानी की समस्या है, उसके लिये बोरिंग मशीन और जहां पर पत्थर है, उन स्थानों पर पत्थर को तोड़ने के लिये ब्लास्टिंग मशीन हम दें। गांव की जनता, ग्रामीण जनता पीने का पानी चाहती है और वह सहयोग देना चाहती है। सहयोग देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभापति महोदय यह लज्जा की बात होगी कि आज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो अधिकांश एम. एल. ए. विधायक हैं, ग्रामीण जनता के सहयोग से चुन कर आये हैं। उन गांव के लोगों को पीने का पानी के लिये हम यह कहें कि तुम इसके लिये पैसा दो, यह लज्जा की बात होगी। यह राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह गांव के लोगों को

(श्री देवीदत्त गाडिया)

अपनी सरकारी आय से, जो कि गांव के किसान टैक्स देते हैं उस पैसे से उसे कुए खुदवाने चाहिये । प्रत्येक गांव स्कूल चाहता है, यदि सड़क चाहता है या कोई और विकास का काम चाहता है तो उस क्षेत्र की पंचायत समिति से राज्य सरकार कहती है कि तुम आधा हिस्सा सहयोग के रूप में दो। लेकिन शहर की जनता से किसी भी रूप में यह सहयोग नहीं लिया जाता है, चाहे वह नल योजना हो, बिजली का विस्तार हो, अस्पताल की योजना हो । यह सब सरकार अपनी जिम्मेदारी पर करती है । परन्तु जब तक गांव वाले आधा पैसा नहीं देंगे, यह सरकार वहां विकास का काम नहीं करेगी । मैं चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि निःशुल्क रूप से, चन्दा नही लेकर, श्रमदान नहीं करवा कर, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि गांवों के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध करवावे । इतना ही नहीं सभापति महोदय शाहबाद पंचायत समिति के अन्दर राजपुरा गांव में, वहां के लोगों ने दस हजार रुपये कुए पर खर्च किये । जल बोर्ड का पैसा लगा, उसके बाद गांव वालों का पैसा लगा । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार का मडियाट है । वहां पर सभापति महोदय, लोग तालाब का पानी पीते हैं । और जब यह तालाब सूख जाता है तो लोग मध्यप्रदेश की सीमा में जाकर पीने का पानी लाते हैं । आप अन्दाजा लगाइये, 20 मील दूर जाकर, 10 मील दूर जाकर वहां की ग्रामीण जनता पीने का पानी लाती है । इसमें उनका कितना समय नष्ट होता है और कितनी तकलीफ उनको उठानी पड़ती है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वर्ष जो अकाल पड़ा, आज दो महीने पहले कोटा जिले में लाडपुरा पंचायत समिति, शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में वहां के किसानों को दो–दो रोज तक पीने का पानी मुहैय्या नहीं हुआ । पीने के पानी के अभाव में लोग मर गये । तीन–तीन महीने तक प्यास से तरसते रहे । परन्तु वहां के इलाके की ओर ध्यान किसी का आकर्षित नहीं हुआ । सरकार ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया, यह मेरा आरोप है । मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले, जलदाय विभाग के मन्त्री और राज्य के मन्त्रिमण्डल पर कि उसने गांव के लोगों की उपेक्षा की है । इसके अलावा आज गांव में, जो पंचायत समिति स्तर के हैं, नल योजना लगी हुई है । वहां पर वह नल योजना पंचायत के हाथ में है । ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति खराब है और इस वजह से नल योजना बंद पड़ी है । इसलिये सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि इस कारण से गांव की नल योजना ठप्प पड़े तो सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि राज्य सरकार उसके नुकसान की पूर्ति करे और लोगों को प्यासा नहीं मरने दे । अपने इलाके के अन्दर और नल योजना चालू करना चाहती है, सरकार की यह नीति है कि, उस योजना का 10 पर्सेन्ट गांव वाले सरकार के जलदाय विभाग को दें । इसलिये मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो नियम ग्राम पंचायतों के साथ लागू है, यह सरकार की शोषण की नीति है । इसका मतलब है कि सरकार गांव के लोगों को जल देना

(श्री देवीदत्त गाडिया)

नहीं चाहती। गांव में जलदाय योजना लागू करना नहीं चाहती। प्रत्येक गांव अपने यहां नल योजना लागू करना चाहता है परन्तु उसके ऊपर इस प्रकार का भार नहीं डाला जाये। इतना ही, विशेष समय न लेते हुए, सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि आज प्रत्येक जिले के केन्द्र के ऊपर हैल्थ के जो डाक्टर हैं, हैल्थ इन्स्पेक्टर हैं, वे शहर के अन्दर रहते हैं। सेनेटरी इन्स्पेक्टर हैं, जो सेनेटरी हैल्थ के डाक्टर हैं, वे भी शहर के अन्दर रहते हैं और शहर में ही पानी की सफाई आदि का काम देखते हैं। वे अन्य विभागों की तरह, हैल्थ विभाग की तरह गांवों में नहीं जाते हैं और उनके नहीं जाने के कारण सभापति महोदय, जिन कुओं के अन्दर पानी गन्दा है, कीड़े हैं, तो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत समिति के केन्द्र के अन्दर वहां पर एक हैल्थ से संबंधित इन्स्पेक्टर होना चाहिये ताकि मवेशियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और जनता के पीने के पानी को, जो गन्दा रहता है, कीड़े पड़े रहते हैं, उसकी सफाई की तरफ उनकी दृष्टि रह सके। इसलिये पंचायत समिति के केन्द्र के ऊपर एक इन्स्पेक्टर रहना चाहिये। अन्त में एक बात और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं। राजस्थान का विकास करना है, तो यह लज्जा की बात है कि आज राजस्थान के गांव के मवेशी को पीने का पानी नहीं मिलता। सरकार 22 साल से इस समस्या का निवारण नहीं कर सकी। ऐसी सरकार को लानत है, धिक्कार है। ऐसी सरकार जो लोकतन्त्र की दुहाई देती है लेकिन गांव की जनता को पीने का पानी नहीं दे सकी। अन्त में यह कहते हुए ग्रामीण जलदाय की योजना विभाग से अलग करते हुए अलग से एक जल बोर्ड की स्थापना की जाय, उसमें गैर सरकारी सदस्य नहीं होने चाहिये वरना सरकार की नीयत साफ दिखाई देती है कि जितने भी बोर्ड, निगम की स्थापना उसने अब तक की है, उसमें कांग्रेस के पराजित एम. एल. ए., मन्त्री, एम. पी० जिनको कि मुख्य मन्त्री खुश करना चाहते हैं, वे मुख्य मन्त्री की पगचम्पी करके अध्यक्ष बना दिये जाते हैं। इस चीज का विरोध करते हुये जल बोर्ड की जो स्थापना हो, उसमें गैरसरकारी व्यक्ति राजनैतिक दृष्टिकोण से अध्यक्ष नहीं बनाये जायं। बोर्ड ऐसा बने जिसमें पंचायत समिति, जिला परिषद् और जनता के चुने हुये प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हों, और मुझे विश्वास है कि इस संकल्प के माध्यम से, सरकार यह घोषणा करेगी, यह निर्णय लेगी कि प्रत्येक गांव के अन्दर जहां पानी पीने का उपलब्ध नहीं है, कुए खुदवायें जायं, गहरे करवाये जायं और इसके लिए प्रत्येक जिला केन्द्र के ऊपर सरकार बोरिंग और ब्लास्टिंग मशीन की व्यवस्था करायी जाय और मुझे विश्वास है कि सरकार इस संकल्प के जरिये ऐसा आश्वासन देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति - श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, यह तो सर्व विदित है कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका पीने के पानी के लिए तरसना है और यह शर्म को भी शर्म आने की बात है कि बार-बार इस सदन में पीने के पानी की मांग की जाती है और वह पूरी नहीं होती। आज देश में कई प्रकार की विकास की बातें होती हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, आमदनी कैसे बढ़ावें उसका फिक्र करते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग जहां हम निवास करते हैं पीने के पानी की मांग करते हैं जो भी पूरी नहीं हो रही। कुछ प्रयास हुआ है, कुछ ट्यूबवेल्स खोदे गये हैं, लेकिन क्या 100 या 200 ट्यूबवेल्स से राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जो पानी की समस्या है वह हल हो सकेगी ? आज अगर अकाल पड़ा है जो आपने साठ करोड़ रुपये के आसपास खर्च किया है। जिस तरह आपने अकाल पर खर्च किया है, यदि उसी तरह आपने पीने के पानी के लिए खर्च किया होता तो मैं समझता हूं पीने के पानी की समस्या मिट सकती है। हर गांव में यदि एक ट्यूब वेल होता तो आज जो लाखों और करोड़ों पशु मरे हैं वे नहीं मरते। पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ा और गांव के गांव खाली करने पड़े। लेकिन खेद इस बात का है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ? ध्यान इसलिये नहीं दिया जाता क्योंकि आप जानते हैं कि उस इलाके के लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्योंकि आप लोगों ने जबरदस्ती इनको बचा रखा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ध्यान इसलिये नहीं दिया जाता है क्योंकि कुछ मनचले लोग जो उधर बैठने वाले हैं वे जोर जोर से बोल कर अपना काम करवा लेते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : खड़ा बोलते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं तो पीने के पानी की बात करता हूं, आप क्यों बीच बीच में बोलते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप क्यों बैठे हो ऐसी सरकार में ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप कुर्सी से बार बार क्यों उछल रहे हैं ? कीड़े हैं क्या ?

श्री श्रवणलाल : आपके कीड़े तो निकल चुके ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जोधपुर का हिस्सा, बाड़मेर का हिस्सा और जैसलमेर का पूरा जिला, बीकानेर का पूरा जिला चूरू जिले का कुछ भाग और नागौर, यहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री रामचन्द्र आर्य : चूरू जिले के समस्त इलाके में पानी नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कुछ तो अक्ल सीखो बाबा, माफ करो।

तो सभापति महोदय, इन जिलों में पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया जाता, लेकिन अजमेर के लोग अगर ज्यादा चिल्लायें तो सरकार जागती है और तीन चार करोड़ रुपये उस शहर के लिये खर्च कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान के उस पूरे इलाके में हजारों मीलों में पीने का पानी नहीं है वहां के लिये नहीं कर सकती।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अजमेर में क्या है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां से आप आये हैं वहां पर तो डूब मरने के लिये पानी है आपके पास।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपके लिये डूब मरने की बात है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको पानी की परवाह नहीं तभी बीच में बोलते हैं। कहीं हमारे लिये पीने के पानी उपलब्ध करवाने पर सरकार पैसा लगा नहीं ले इसलिये आप हमें बोलने नहीं देना चाहते। हमको कहीं पानी न मिल जाये इसलिये आप बीच बीच में चिल्लाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : बार–बार आपने कहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं तो सभापति महोदय के जरिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां से आते हो वहां पर अन्न की कमी है, लेकिन अन्न तो आदमी के लिये बाद में आयेगा, पीने का पानी तो और भी जरूरी है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आपके लिये भी बोलता हूं फिर भी आप बीच में बोलते हैं। आप अजीब आदमी हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह अजीब आदमी क्या होता है ?

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक ऊंट दिन भर केवल पानी लाने में लग जाता है, उस ऊंट से काम लेकर लोग अपने बच्चों का पोषण कर सकते हैं लेकिन वे यह नहीं कर सकते और सारा दिन ऊंट पानी लाने में ही लगा रहता है। उन लोगों से कहा जाता है कि यह तो जमाने से चला आ रहा है। तो जमाने से क्या आपके पास इस तरह से बिजली जलती थी ? जमाने से आप क्या इसे अच्छी तरह रहते थे ? हम तो आपसे केवल पीने का पानी मांगते हैं और कई सालों से बराबर कहते आ रहे हैं, और जो सरकार पानी नहीं पिला सकती उसको सरकार कहलाने का अधिकार नहीं। आप करोड़ों रुपये अकाल पर खर्च करेंगे, आप राजस्थान कैनाल पर करोड़ों रुपये खर्च करेंगे अनाज के लिये। अनाज तो वह तब खायेगा जब पानी होगा। आप पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। आपको हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। जब मोरारजी भाई राजस्थान के पश्चिमी इलाके में आये थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां अकाल है ही नहीं। क्यों नहीं है ? क्योंकि आदमियों का होसला बुलन्द है। हम सीमा पर रहते हैं और हमारा होसला हमेशा बुलन्द रहेगा। आप कहते हैं कि इन चेहरों पर उदासीनता नहीं है। क्यों होगी ? हम तो बरसों से तकलीफों को झेलते आ रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी तकलीफ को दूर करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : यदि नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फिर आपको यहां बैठने नहीं देना है। मैं बोलूं वैसा ही आप बोलो नहीं तो आपको बैठने नहीं दिया जायेगा। आपके क्षेत्र के लोग कहेंगे कि गोकुलप्रसाद तो बोल रहा था और आप बीच में बाधा डाल रहे थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आपका बोलना तो फर्जी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा तो बोलना फर्जी हैं। आप खुद फर्जी हैं। फर्जी आदमी ही दूसरे के बोलने को फर्जी कहते हैं।

सभापति महोदय, मुझे तो यही कहना है कि बीकानेर जिले में 3 हजार ट्यूबवेल्स कायम होने चाहियें, इस तरह बाड़मेर और जैसलमेर आदि में दस बारह ट्यूबवेल्स होने चाहिये ··

श्री देवीदत्त गाडिया : बीकानेर में कितने गांव हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इनको कोई मालूम ही नही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बीकानेर में 9 हजार गांव हैं। बीकानेर में पशु मर जाते हैं बिना चारे के, और चारे के लिये पानी जरूरी है। हरेक गांव में ट्यूबवेल होना चाहिये। आपकी तरफ तो खरीफ की फसल हो जाती है और रबी की फसल कम हो जाती है तो आप कहते हैं कि अकाल पड़ गया। हमारे यहां चारा होजाय तो हम यह मानते हैं कि हमारे यहां अकाल नहीं है। रबी की फसल थोडी बहुत हो जाय तो सन्तुष्ट हो जाते हैं। आप मुझे पूछते हैं बीकानेर में कितने गांव है ? कितने कुए खुदने चाहिए ? जहां पर अकाल नहीं होता है फसल थोडी बहुत हो जाती तो कई चिल्लाने लग जाते हैं हमारे यहां अकाल है। मुफ्तखोरे इसी तरह से कहते हैं ?

श्री विजयसिंह : आप मुफ्तखोर किसे कहते हैं?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां अकाल तो है नहीं लेकिन फिर भी अकाल बता कर सरकार से पैसा लें वे मुफ्तखोर नहीं तो क्या हैं ?

मेरा आप से निवेदन है कि पीने का पानी मनुष्यों के लिये मवेशियों के लिये बहुत आवश्यक है, पशुओं के लिये चारे का इन्तजाम हो सके इतने ट्यूबवेल खुदवाने की घोषणा होनी चाहिये। पश्चिम के लोगों की जो अवहेलना की जा रही है, उनका कहा नहीं माना जा रहा है यह आखिर कब तक चलेगा ? आप करोडों रुपये दूसरे कामों में खर्च करते हैं, आपने करोडों रुपया अकाल के काम में खर्च किया है, कुछ गलत तरीके से भी खर्च हुआ है, मर्जी आये जिस तरह से खर्च किया गया। इतना पैसा यदि ठीक तरीके से खर्च किया जाता और कुए खुदवाने को प्राथमिकता दी जाती तो राजस्थान की हालत और हो सकती थी। पश्चिमी इलाके के लोग आपको बक्सेंगे नहीं, ज्यादा दिन तक चुपके से वे इस हालात को सहने वाले नहीं इसलिये आप जल्दी उनके लिये पानी का इन्तजाम करिये यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : माननीय सभापति महोदय, यह जो संकल्प विश्नोई जी ने रखा है मैं जहां तक समझता हूं आज की सरकार के लिये बहुत बडी चुनौती की बात है। आज देश की सरकार जो बीस साल से शासन कर रही है एक महत्वपूर्ण काम जो जीवन के लिये सबसे आवश्यक है पानी उस

(श्री डूगाराम राजोरिया)

भी इन्तजाम नहीं कर पायी यह बहुत ही शोचनीय बात है। मनुष्य के जीवन के लिये सबसे आवश्यक चीज पानी है उसकी प्राप्ति के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं किया। आज जो प्रस्ताव आया है कि ग्रामीण जल पूर्ति के लिये एक बोर्ड का गठन किया जाय, इस बोर्ड के द्वारा सच्चे मायने में इस बारे में सही तौर से कार्य हो सकता है। आज की सरकार के भरोसे रहे तो यह समस्या कभी भी हल होने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार जहां गावों के लिये आप बोर्ड की स्थापना करें वहां शहरों के लिये भी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये। सब लोगों के लिये पीने का पानी उपलब्ध हो, शहरों में भी कहीं कहीं तो पानी उपलब्ध होता है लेकिन शहरों के कई मोहल्लों में पानी नहीं मिलता है। आज भी हम देखते हैं शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पानी का प्रबन्ध नहीं है। पानी उन्हीं लोगों को मिलता है जो प्रशासन में हैं, ताकतवर हैं, सेठ साहूकार हैं अच्छे तबके के लोग हैं जिनका प्रशासन से कनेक्शन रहता है, वहां पानी की व्यवस्था हो जाती है। बाकी के लिये नहीं होती। अगर जल बोर्ड की व्यवस्था हो तो गांवों और शहरों दोनों के लिये होनी चाहिये। गांवों में पोजीशन यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता यह सरकार के विचारने योग्य बात है। वे लोग बहुत दूर-दूर से खेतों को कुओं से पानी भरकर लाते हैं, गांव में जो कुए होते है वहां पर वे लोग अपने घड़े दूरी पर रख देते हैं कोई सवर्ण दया कर उसको भर देता है तो उसे ले जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड की स्थापना अवश्य होनी चाहिये उसमें एक प्रतिनिधि शिड्यूल्ड कास्ट का भी होना चाहिये ताकि वे शहरों में और गांवों में जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता उसके लिये इन्तजाम कर सके। और वह बोर्ड के प्रमुख के सामने इस जाति वालों को जो तकलीफे हों उनको रख सकें। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बोर्ड का गठन अवश्य होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज जितनी भी नल योजना गांवों के लिये चालू की है वे केवल नाम मात्र की हैं। मैं आपके सामने दौसा का ही उदाहरण देता हूं। दौसा में मेरे ख्याल से सन् 48 से इस योजना का आरम्भ हुआ। दौसा में प्रति व्यक्ति 20 गैलन पानी रोजाना मिलना चाहिये लेकिन आज हालत यह है कि दौसा में प्रति व्यक्ति रोजाना 3½ गैलन पानी मिलता है। 20 गैलन की बजाय जहां साढ़े तीन गैलन मिले आप अन्दाज लगा सकते हैं वह मैं समझता हूं पीने के लिये भी पर्याप्त नहीं है, आखिर इतने थोड़े पानी से गुजर किस तरह कर सकता है। दौसा के आस पास जितने कुए हैं उन सब में खारा पानी है, मेरा जहां तक ख्याल है तीन तीन चार मील दूरी तक खारे पानी के कुए हैं। इस गांव के लिये पूरा पानी का इन्तजाम होना चाहिये और बीस गैलन पानी प्रति व्यक्ति मिल सके इस प्रकार का प्रबन्ध किये जाने चाहियें। वहां के लोगों के नल सुबह शाम पानी दे

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

पाता है। नल बन्द हो जाने के बाद वहां पानी के बगैर चिल्लाते हैं उनकी सुनवाई तुरन्त होनी चाहिये। दूसरी तरफ बीस गैलन की बजाय 3।। गैलन ही दिया जाता है तो इस पर भी सरकार ने आज तक विचार नहीं किया। यह जो इस तरह के गलत काम होते हैं उनके लिये बोर्ड की स्थापना जरूरी है, ताकि बोर्ड इस बारे में अच्छी तरह से ध्यान दे सके।

सरकार द्वारा कितने ही गांवों की नल योजना स्वीकृत की गई है, उन योजनाओं में दस प्रतिशत गांव वालों से लिया जाता है, गांव वालों का सहयोग प्राप्त हो जाने के बाद भी उन योजनाओं की तरफ सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। दस प्रतिशत रुपया गांव वालों से लेने के बाद भी उन गांवों को पानी नहीं पहुंचा सकी तो फिर दस प्रतिशत गांव वालों के देने से क्या लाभ है ?

और जो स्वीकृत योजनाएं हैं वे भी पूरी नहीं होतीं। भांडारेज की योजना थी। करीब करीब तीन साल हो गये। 13 हजार रुपया भी इसके नाम से वहां की जनता से ले लिये। पर आज तक वह योजना कार्यरूप में परिणत नहीं की गई। यह सरकार का गलत तरीका है। या तो लेना नहीं चाहिये और जब लिया तो उसे कथित अवधि में पूरा करना चाहिये। यह काम सरकार के अब तक के काम को देखते हुए होना मुश्किल लगता है। बोर्ड की स्थापना हो जाय तो यह काम हो सकता है।

दूसरा गांव अछरोल है। वहां की जनता ने भी दस हजार रुपया जमा करा दिया। पर डेढ़ साल हो गया स्कीम पूरी नहीं की गई। तो ऐसी सूरत में काम को समय में समाप्त करने के लिये और ठीक तरह से काम की देख भाल करने के लिये शीघ्र से शीघ्र इस तरह के बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। ताकि राजस्थान में पीने के पानी की दिक्कतें शहरों में और देहातों में सब जगह दूर की जा सकें।

इन शब्दों के साथ जो यह संकल्प रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): सभापति महोदय, राजस्थान में पीने के पानी की जितनी बडी समस्या है वह सर्व विदित है। मेरे क्षेत्र में बहुत ऐसे गांव हैं जहां चार चार मील से पानी लाना पड़ता है और सिंचाई के कुओं से लाना पड़ता है। जिस वक्त फसल का समय आता है तो उन कुओं का भी रास्ता बन्द कर दिया जाता है और लोगों को बेहद तकलीफ होती है। सरकार का परम कर्तव्य है कि राजस्थान की जनता की पीने के पानी की व्यवस्था करें।

सबसे पहले आदमी को जिन्दा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।

श्री मूलचन्द डागा : हवा की नहीं ?

श्री मोहनलाल मोदी : और पानी की सबसे पहले आदमी को जरूरत पडती है। हवा की दिक्कत नहीं है, हवा तो मिलती ही है। अब अगर पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो और चीजों की व्यवस्था से कोई फायदा नहीं। अभी अकाल की स्थिति थी,

(श्री मोहनलाल मोदी)

बीस-बीस मील से लोग पानी लेकर आते थे। सरकार को टैंकों के द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ी। इससे भी साफ जाहिर है कि पानी की कितनी बड़ी समस्या है।

राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बरसात का पानी लोग पीते हैं, बरसात के पानी को टांकों में इकट्ठा करते हैं. जोहड़ों और तालाबों का पानी पीते हैं जिससे कई तरह की भयंकर बीमारियां भी होती हैं इससे बहुत से लोग मरते हैं और सरकार को उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है तो इस लिए भी पानी की व्यवस्था के लिए सरकार को अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये।

आज हमें आजाद हुए 22 वर्ष हो गये और पीने के पानी की व्यवस्था शासन नहीं कर सका, यह बहुत शर्म की बात है। 22 वर्ष बड़ा लम्बा अरसा होता है। 21 साल के को हम बालिग मानते हैं। जो आजादी के बाद पैदा हुआ वह बालिग हो गया आज हम 22 वर्ष में भी पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, यह बहुत शोचनीय है।

यह प्रस्ताव सराहनीय हैं। सरकार के जलदाय विभाग ने जगह–जगह वाटर वर्क्स की स्कीमें स्वीकार की हैं; नगरपालिकाओं को रुपया उधार दिया है पर होता क्या है? आज भी उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आया। बड़े बड़े टैंक व क्वार्टर बिल्डिंगें बनी पर पानी नहीं दिया गया। इस कारण नहीं कि कोई पैसे की बहुत बड़ी कमी हो। पैसा तो दिया गया पर इस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ठेकों पर लाखों रुपया दिया जाता है। कर्मचारियों और अधिकारियों को उनसे मुनाफा होता है। मेरे जिले में कई जगह ऐसी हैं जहां रुपया मुकम्मिल दिया पर कुएं नहीं बने हैं। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां भी आप ऐसी स्कीमें मन्जूर करें पहले कुआ खोदें। पहले जमीन से पानी निकाला जावे। मकान व टैंक आदि बाद में बनाये जावें।

स्कीमों के पूरा करने के बारे में मन्त्री महोदय से बात करने का मौका मिला। लेकिन यह कह कर टाल दिया कि धन की कमी है। जब कभी इसके लिए बात करते हैं तो कह देते हैं कि धन की कमी है। जब पेयजल की कमी है तो आपका यह धन किस काम आवेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो बाकी का आपका बजट कब काम आवेगा मेरे क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम बताता हूं कि जहां एक भी कुआ नहीं है और आपको मालूम है कि मेरा क्षेत्र पहाड़ी एरिया है और इसमें आधा–आधा मील नीचे से पानी लेकर लोग ऊपर चढ़ते हैं। किशनपुरा मांवडा कला आदि में आधा मील पहाड़ पर पानी लेकर चढ़ना पड़ता है। आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सारे राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था करें।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्र में कुछ रुपया मन्जूर कुएं गहरा कराने को किया वहां कुओं को गहरा किया जावे। मेरे क्षेत्र में 31 कुए कलक्टर ने मंजूर किये। उसमें हमारे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से 10 का काम चालू किया गया, और उसमें भी चार का ही काम

(श्री मोहनलाल मोदी)

पूरा हो पाया। बाकी अधूरे रहे। ऐसी स्थिति है। तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस बोर्ड को कायम करना आवश्यक है। अधिक से अधिक धनराशि इसको दी जानी चाहिये और सारी जनता का जल कष्ट दूर कराना चाहिये।

इस बोर्ड की जिला स्तर पर तहसील समितियां कायम होनी चाहिये ताकि गांव गांव जाकर अधिकारी वर्ग इस बात की जांच करें कि किस जगह पानी की तकलीफ है। एक और भी करना है बोरिंग मशीनें ब्लास्टिंग मशीनें और उसका सामान जिले वार अलाट करना चाहिये जिससे काम जल्दी पूरा हो।

(3 म. प.)

ड्रिल मशीन है बोरिंग मशीन है इसको भी मैं समझता हूं कम से कम जिला वाईज अलाट करनी चाहिये और होनी चाहिये जिससे लोगों को पेय जल का कष्ट न हो। मैं आपके द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक धन देकर इस बोर्ड का गठन किया जाय और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करके मैं समझता हूं दो वर्षों में ऐसी समस्या नहीं रहनी चाहिये कि किसी गांव में पेय जल की समस्या हो।

श्री सभापति श्रीमती मदनकौर!

श्रीमति मदनकौर (पवपदरा): सभापति महोदय, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत है इससे न यह सदन अनभिज्ञ है और न सरकार ही अनभिज्ञ है। मुझे याद है कुछ समय पहले जिला बोर्ड की स्थापना हुई थी और उसने बहुत ही थोड़े समय में महत्वपूर्ण कार्य किये थे। वहां पीने के पानी का एक मात्र साधन थे तालाब। जोधपुर तहसील में और बाडमेर जिले की कुछ तहसीलों में तालाबों की मरम्मत कराई गई, सफाई कराई गई। बेसमेंट अच्छा बनाया गया जहां-जहां कुये थे उनको गहरा करके वहां के लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराया लेकिन मुझे नहीं मालूम बोर्ड को क्यों भंग कर दिया। बहुत कुछ काम बाकी था लेकिन राज्य सरकार ने मुनासिब नहीं समझा होगा इसलिये वह भंग हो गया। इसके बाद 62-63 में विभिन्न जिलों के स्तर पर पीने के पानी सप्लाई के लिये मास्टर प्लान बनाये गये। मास्टर प्लान काफी अध्ययन के बाद बनाये गये थे लेकिन उनका भी यही हाल हुआ जो जिला बोर्ड का हुआ है। सुना तो बहुत था अब तो यह मास्टर प्लान समाप्त हो गये हैं, मेरी जानकारी ऐसी ही है।

राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या असाधारण रूप से है। वहां कुऐ हैं तो पानी खारा है पीने के पानी के साधन हैं तो तालाब हैं। राज्य सरकार ने कुछ समय से यह महसूस करना शुरू किया है कि तालाबों की मरम्मत करना एक फालतू खर्च है। लेकिन मैं राज्य सरकार को यह बता देना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र में तालाब एक मात्र साधन है और दूसरे साधन उपलब्ध नहीं करा सके तो मौजूदा जो साधन हैं उनको तो रक्खा जाय और पनपाया जाय। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत तालाबों की मरम्मत को इस लिये लार्ज-स्केल पर लिया था इसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र जरूर है लेकिन तालाब वहां के लोगों के लिये पीने के पानी के स्थायी हल नहीं है। यह तो हल

(श्री मनीमदन कंवर)

तभी निकल सकता है जब हम जगह जगह पर ट्यूब वैल्स खोदें, ट्यूब-वैल्स का जाल बिछा दें और जहां पानी उपलब्ध नहीं है तो पाइप लाईन वहां पर पहुंचाई जाय। आपको मालूम है इन वर्षों में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र वर्षा से पीड़ित है, वर्षा का अभाव है। इसके फलस्वरूप वहां के अच्छे अच्छे तालाब भी सूखे पड़े हैं। वहां का इन्सान जिन्दगी और मौत के बीच खड़ा है। मैंने इस सदन में बार बार अपने विचारों से राज्य सरकार को आगाह किया था, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा है वहां पीने के पानी की बहुत तकलीफ है।

आज आजादी के 20-22 वर्ष के बाद वहां के लोगों को पीने का पानी मीलों दूर से लाना पड़े। 9-10 बजे ऊंट ले जाते हैं और फिर वे रात तक लौटते हैं इसलिये उनका बहुत समय पानी लाने में ही खर्च हो जाता है। राज्य सरकार का यह कहना कि राजाओं ने बहुत समय तक राज्य किया और ये लोग वर्षों से यही पानी पीते आये हैं। यह उनकी आदत पड़ गई है, जिस समस्या को सैकड़ों वर्षों से नहीं सुलझाया तो अब 20-22 वर्षों में कैसे सुलझाया जा सकता है। मैं कहती हूं उस समय राज्य राजाओं के लिये होता था न कि जनता के लिये लेकिन आज आजादी के बाद राज्य जनता के लिये है इसलिये जनता के लिये काम किया जाना चाहिये। इस जनता की सरकार ने भी यह नहीं किया जो उनको करना चाहिये। हवा तो ऐसी है जो रोक नहीं सकते, प्रकृति की देन है कि जिसके बाद पानी ही ऐसी चीज है जिसमें रोक जरूर है। राज्य सरकार को चाहिये कि पीने के लिये पानी उपलब्ध करे और जहां मामूली सी रोक टोक है कम से कम पीने को पानी सप्लाई करेगी। यह राज्य सरकार की प्राथमिक ड्यूटी है।

गत वर्ष में ट्यूब वैल्स के सम्बन्ध में हमारे जिले में कुछ काम हुआ है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है इस ट्यूबवैल्स आरोगेनाइजेशन ने जो कुछ काम किया है अपनी इच्छानुसार किया है। हमने सुझाव दिया वहां के स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। जगह जगह ट्यूब-वैल खोदने की कोशिश की लेकिन उनको असफलता मिली। हमने सुझाव दिया यहां मीठा पानी मिल सकता है लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिर बालोतरा नगर में समस्या हो गई, वहां का पानी खारा हो गया अकाल मंत्री जी से निवेदन किया और एक जगह बताई जहां मीठा पानी मिल सकता है लेकिन उन्होंने नहीं माना। बार बार प्रयत्न किया और मुझे खुशी है वहां 10 हजार गैलन के हिसाब से पानी मिला और मीठा पानी मिला इसलिये आज बालोतरा के लोगों को मीठा पानी मिल रहा है लेकिन यह जो कुआ खोदा गया है यह बालोतरा शहर से आधा मील दूर खोदा गया है। वाटर बोर्ड को जिला स्तर पर जोड़ा जाय लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूं जहां जहां ट्यूब वैल्स खोदे जाय तो वहां के स्थानीय लोगों की राय से खोदे जाय....

(गणपूर्ती के लिये घंटी)

सभापति जी! विश्नोई जी ने जो पानी की समस्या को हल करने के लिये बोर्ड का सुझाव रखा है, राज्य सरकार को तुरन्त मान लेना चाहिये लेकिन इस बोर्ड की हालत

(श्रीमती मदन कंवर)

वह नहीं होनी चाहिये जो जिला बोर्ड की हुई। इसको पर्याप्त धनराशि दी जाय। पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराई जाय और उसमें खास बात यह है कि इसमें बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का होना चाहिये। इसके साथ ही मैं एक बात और राज्य सरकार के ध्यान में ला देना चाहती हूं। जोधपुर में पचपदरा सांचोर और बाड़मेर के कुछ हिस्सा में होकर लूनी नदी बहती है। वर्षों तक इस लूनी नदी का मीठा पानी उपलब्ध था और पीने के पानी की समस्या नहीं थी लेकिन राज्य सरकार के गैर जिम्मेदार योजनाओं के द्वारा लूनी नदी पर और जो उसकी सहायक नदियां हैं उन पर बान्ध बनाये उससे बहुत थोड़ी जमीन सिंचित हुई और उसका नुकसान यह हुआ कि इन तहसीलों में पीने के पानी के जो कुए थे वह खारे हो गये।

मैं तो इतना कहती हूं कि अगर एक दिन के लिए मुझे राजस्थान का राज्य सौंपा जाय तो मैं सबसे पहले काम करूंगी लूनी नदी पर जो बान्ध बनाया गया है उसको तुड़वाऊं। उससे अधिक मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती लेकिन मैं बार-बार राज्य सरकार को यही निवेदन करूंगी कि पीने के पानी की समस्या को एक युद्ध स्तर पर लिया जाय तभी इसका हल निकल सकेगा।

श्री सभापति : श्री बिरदाराम !

श्री बिरदाराम (जालोर सु0) : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव है उसकी तो मैं बड़ी सराहना करता हूं। राजस्थान में जहां-जहां पानी की कमी है उसके बारे में कहता हूं कि गांवों में लोग टांके का पानी पीते हैं और नहाने में दूसरा खारी पानी काम में लाया जाता है। खाना खाते हैं तो हाथ भी खारा पानी से धोते हैं। पीने का मीठा पानी टांकों में होता है और यह पानी उसमें साल भर तक रहने से गन्दा हो जाता है। उस पानी से नाहरू और बाला कीड़े निकलते हैं, इससे आदमी लंगड़ा हो जाता है और जो आदमी लंगड़ा हो जाता है उनकी जिन्दगी कितनी खराब होती है वह आप जान सकते हैं। तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जहां पानी नहीं है वहां पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। जहां खारी पानी है वहां पर मीठा पानी लाना जरूरी है। जो खारी पानी लोग पीते हैं और मीठे पानी पीने वाले वहां जाते हैं तो उनको खारी पानी पीने को मिलता है। इससे पेट में जरूर गड़बड़ हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मीठे पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार की स्कीम है कि पीने को पानी, रहने को झोंपड़ी, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा होना मनुष्यों के लिए जरूरी है। तो सभापति महोदय, मैं जालोर क्षेत्र की बात करता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी मथुरा दासजी साहब और अकाल राहत मंत्री श्री परसराम जी और खेतसिंह जी जहां-जहां गांव में घूमे हैं जैसे कासनी गांव में खारा पानी है। वहां पर मीठा पानी लाते हैं और फिर आपको पीने को दिया है। सरकार को ध्यान होना चाहिये कि हमारे जालोर क्षेत्र में जो ट्यूबवैल खोदा है उसको सरकार यदि पूरी तरह से खुदवाती तो जनता को उससे कितना फायदा होता तो मेरा यही निवेदन है कि जहां-जहां ट्यूब वैल हैं उन ट्यूबवैलों को जल्दी चालू किया जाये और जहां ट्यूबवैल्स नहीं हैं वहां ट्यूब वैल खोदने चाहिए और हमारे यहां साबी नदी है जो पहाड़ों से निकलती है उसका पानी फालतू जाता है गुजरात साइड में। तो वह पानी इकट्ठा करके सांचोर की तरफ सरकार

(श्री विरदाराम)

मोड़ देती है तो लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और उससे काफी अनाज पैदा हो सकता है। तो सरकार को चाहिये कि उसका सर्वे करा कर उसके पानी को इकट्ठा किया जाये तो जनता को फायदा हो सकता है।

पानी के बारे में मेरा यही निवेदन है कि जो खारी पानी पीता है उस आदमी की जिन्दगी बहुत खराब हो जाती है। हमारे फेमिन में दूर दूर से पानी लाया जाता था और उससे बीमारी तो फैल गयी परन्तु अब की बार तो सरकार का इन्तजाम अच्छा था और डाक्टरों ने भी लोगों का अच्छा इलाज किया। नहीं तो आदमी मर जाते और मोटरों से पानी लाकर मजदूरों को दिया। तो हमारा निवेदन है कि सरकार पानी के बारे में जरूर व्यवस्था करें। और इसके लिये एक कमेटी बनाये सरकार और उसमें शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर भी जरूर रखा जाये।

इसके अलावा गांवों में जो पैसा देते हैं, जैसे पटवारी हैं, तहसीलदार हैं और गांव में कलाल हैं, कुआ है उसको मजूरी भी नही देते हैं और कुछ पैसा लगाते हैं तो आधा पैसा तो वहीं हजम कर जाते हैं। तो कलेक्टर्स की मार्फत कुए और तालाब खुदवाये जायें तो उसमें पैसे का पूरा उपयोग हो सकता है। तो मेरा यही निवेदन है कि पीने के पानी की व्यवस्था की जाय सभापति महोदय, आपके द्वारा अर्ज करता हूं कि पीने के पानी की जरूर-जरूर कोशिश होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र में जहां-जहां खारी पानी है वहां पर जिन गांवों में जलबोर्ड के द्वारा पहले कुओं का काम हुआ है तो हुआ है लेकिन जिस गांव में नलों की स्कीम है उसके लिए पैसा भी जमा किया हुआ है जैसे मूढ़ी गांव है वहां पर लोगों ने पैसा भी जमा किया हुआ है लेकिन वहां नल नहीं लगे हैं। वहां पर नल पड़े हैं लेकिन उनको जोड़ा नहीं गया है। मैं यही निवेदन करूंगा कि जहां नल योजनाओं की स्कीम है वहां वह जल्दी चालू की जाये और नलों की फिटिंग करके जल्दी से जल्दी वहां पानी पहुंचाया जाये। पानी की बहुत समस्या है। जहां जहां पानी होगा मवेशियों के लिए भी बहुत आराम रहेगा। अकाल पड़ा है और वहां गहरे कुए और ट्यूबवेल होते तो उसमें मवेशियों के लिए काफी फायदा होता। तो सरकार को यह ध्यान करना चाहिए कि जहां पानी नहीं है, जहां बांध नहीं हैं वहां बांध बनवाये जायें और जहां बांध की स्कीम नहीं है वहां ट्यूबवेल और ओपिन कुए खोदकर पानी की सप्लाई की जाये। राजस्थान सरकार ने 22 साल में अभी तक नहीं किया है तो अभी जल्दी से जल्दी करना जरूरी है। यही हमारा निवेदन है और श्री रघुनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको हमारा समर्थन है।

श्री सभापति : श्री परसराम !

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : सभापति जी, जलप्रदाय योजना के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से आज बोलने का मौका मिला है। जल एक ईश्वरीय देन है जिस के बिना कोई जिन्दा नहीं रह सकता है। जब आदमी जल पीता है तो उसका जीवन रहता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि नागौर जिले में काफी जगह खारा पानी है और वहां पर एक ग्राम गच्छीपुरा के नजदीक

(श्री परसराम गंगाराम)

13 ग्राम हैं वहां का पानी पीने से आदमी कुबड़ा हो जाता है और उन ग्रामों को कुबड़ापट्टी कहते हैं और उसका पानी पीने से आदमी कुबड़ा हो जाता है लेकिन सरकार ने 22 साल की आजादी के बाद भी कुछ नहीं किया है और पानी का कोई ध्यान दिया गया है कि वहां के आदमियों की क्या दशा है। और इसके अलावा वहां के पानी को पीने से आदमी काफी कमजोर हो जाता है। गुच्छीपुरा परवतसर तहसील में उनकी योजना थी कि नलों द्वारा पीने के पानी को सप्लाई करेंगे। वहां पर कुआ खुदवाया गया लेकिन वहां से सप्लाई आज दिन तक नलों द्वारा पानी सप्लाई नहीं हुई है और न वहां टूटी लगी।

इसी तरह से परवतसर शहर में वहां की आदमशुमारी को देखते हुए सरकार को 55 लाख रुपया पशु मेले से पैदा होता है सालाना लेकिन सरकार ने आज दिन तक वहां पेय जल की व्यवस्था नहीं की ...

ऐसे ही नागौर में बैलों का मेला होता है, लेकिन वहां आज तक पानी की, कोई समस्या हल नहीं की गई। जहां पर आमदनी होती है वहां पर 50 पर्सेन्ट तो सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर ऐसा खारा पानी है कि यदि पशु पी ले तो मर जाता है और जिस वक्त मीठा पानी उसके मुंह में डाला जाय तो उसमें सांस आने लगती है। ऐसी दशा में पानी के बिना इन्सान की क्या हालत होती होगी।

मुझे पता लगा है कि 50 लाख रुपये जल-प्रदाय योजना के लिए बजट में रखे गये थे और योजना पास करदी गई है। लेकिन वे 25 फ़ाइलें उनके दफ्तरों में पड़ी हुई हैं। आज दिन तक पैसा वापस ले लिया है और गवर्नमेंट कहीं पर कुछ खर्च नहीं कर रही है। पानी जैसी चीज पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके हाथ में सत्ता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पानी जैसी समस्या के लिए आपको काफी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि ईश्वरीय देन का जनता पूरा लाभ उठा सके।

ऐसे ही देखा गया है कि अजमेर शहर में पानी की योजना है उसमें पानी बनास से गया है मगर पूंजीपति व उच्चाधिकारियों की कोठियों को पानी दिया जाता है। बस्ती में नहीं दिया जाता है। तीन करोड़ रुपया लगाया गया है तो भी शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों तक जैसे पहाड़गंज है, भगवानगंज है और दूसरी ऐसी बस्तियां हैं वहां पर पानी आज दिन तक नहीं पहुँचा है। पानी की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं की गई है।

आपसे मैं यह भी निवेदन करूंगा कि परवतसर, जैसे बड़े गांवों में पानी की समस्या अच्छी है और वहां पर पब्लिक पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है, मगर अपनी गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर नहीं है, मिनिस्टरान से निवेदन है कि योजना जो आपके हाथ में है वह जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि ग्राम जनता लाभ उठा सके। उन्हें पीने के पानी का जो कष्ट है उसका आप कृपा करके निवारण करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय जी, आज पानी के विषय में चर्चा हो रही है इस सदन के अन्दर . . .

श्रीमती सुमित्रा : विषय क्या है ?

श्री जगन्नाथ पटेल : यह विषय जल बोर्ड का है जिसके आप इन्चार्ज हैं।

आज राजस्थान के अन्दर और भारत के अन्दर पानी के विषय में काफी प्रबन्ध हो गया है इन्सान के लिए, लेकिन कई गांव ऐसे हैं राजस्थान के अन्दर कि पानी की बड़ी तकलीफ है। जो माननीय सदस्य सांचोर की तरफ से आते हैं, उन्होंने गांवों में पानी के सिलसिले में जलबोर्ड कायम करने के लिए कहा है कि जलबोर्ड कायम कर देंगे तो पानी का प्रबन्ध हो जायगा। कई जगहों पर ग्राम पंचायतों के जरिये और पंचायतों के जरिये अनुदान दे दे कर कुए खुदवाये गये, लेकिन उसमें ऐसा है कि कई जगहों पर पांच हजार में एक कुआ खुदता है लेकिन उसको केवल एक हजार रुपया ही देते हैं तो फिर चार हजार जनता कहां से लाये और पानी का प्रबन्ध करे। पहले के कुए जो थे उन पर जो सदस्य साहब विरोधी दल में बैठे हुए हैं उन्होंने उन जागीरदारों ने उन कुओं पर कब्जा कर रखा है और जनता दुख पा रही है। इसलिए पानी का प्रबन्ध सबसे पहले करना चाहिए।

जहां पर पानी का प्रबन्ध नहीं है जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पानी का प्रबन्ध नहीं है वहां पर करना चाहिए। इसी तरह से हरेक जिले में पानी का प्रबन्ध नहीं हैं वहां पर करना चाहिए। मैं और क्षेत्रों की बात नहीं करता हूं लेकिन जिस क्षेत्र का सदस्य मैं हूं, टोडारायसिंह का उसके करीब बनास नदी बह रही है और बनास नदी देवली क्षेत्र से होकर सवाईमाधोपुर में गई है और जिस जगह से बनास नदी निकली है वह माननीय सदस्य जानते हैं, लेकिन उस बनास नदी के किनारे टोडारायसिंह के इन्सान प्यासे मर गये। टोडा तहसील में सांवरिया गांव है उसमें 1400-1500 भी वोटर्स ही हैं तो उसकी आबादी दुगुनी बतायें तो तीन हजार की बस्ती है उसके लिए पानी का इन्तजाम नहीं है। एक कुआ है और उस कुए में भी पानी नहीं है, और आप क्या करते हैं कि शहरों के अन्दर 20 पर्सेन्ट करते हैं। उनके लिए तो नल भेज देते हैं, जैसे अजमेर के अन्दर देवली तहसील के नेवरिया गांव में 42 कुओं पर ट्यूब वैल लगाकर पानी भेजा जाता है लेकिन उसके बीच में जो बाकी के गांव हैं वहां के आदमी प्यासे मरते मर गये, लेकिन वाटर वर्क्स के इन्चार्ज जब कि वहां पर स्टेशन बना था तब भी पानी नहीं पीने देता है, और उस जगह से पानी लेते हैं तो जुर्माना करता है। इसलिए गांवों के अन्दर भी योजना रख दी जाय कि जिस जगह पर नलकूप लगे हुए हैं तो वहां पर गांवों में पानी दिया जाय जिससे कि पानी की समस्या हल हो जाय। (श्रीमती सुमित्रा को लक्ष्य करते हुए) वाटर वर्क्स के इन्चार्ज श्रीमती जी जरा कान लगाके सुनें . . .

श्री जयनारायण सालोदिया : थांकी कांई नोट न कियो सवारियां, नुवारियां कांई कों भी क्यों वाने।

श्री जगन्नाथ पटेल : किसी जगह तो योजना में रख दिया कि इतने करोड निर्माण मंत्रीजी को दिये गये तो निर्माण मंत्रीजी क्या करते हैं कि और जगह भरती कर देते

(श्री जगन्नाथ पटेल)

हैं लेकिन यह नहीं देखते हैं कि एक जगह क्या हो रहा है। कोई काम कहां लगा दिया और कोई कहां। मेरा निवेदन है कि हरेक डिस्ट्रिक्ट में से चार आना काटकर पानी पर लगा दिया जाय तो जनता सुखी हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि पानी का प्रबन्ध राजस्थान में जिस जगह नहीं हुआ हो वहां जल्दी से जल्दी कर दिया जाय।

श्री गरधन सोनी (मेड़ता) : सभापति महोदय, आज हम अपने राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या पेयजल पर विचार करते जा रहे हैं। श्री रघुनाथजी ने इस बारे में एक प्रस्ताव रखकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं, हालांकि उसमें बोर्ड के गठन की एक बात है। आज बोर्डों के गठन का मैं पक्षपाती नहीं हूं। इतना बड़ा मंत्रि-मण्डल और उनके अधिकारीगण किस बात के लिए हैं जो कि हर बात के लिए बोर्ड का गठन किया जाय। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस समस्या का समाधन करना जरूरी है चाहे किसी तरह से करें। जब तक यह समस्या हल नहीं होती तब तक हमारी आजादी बिल्कुल वैसे ही है और उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। 22 वर्ष पहले जब हमें आजादी मिली तो हमारी अनेक आकांक्षायें थीं और अनेक तरह के विचारों की बातें करते थे, और उन 22 वर्षों के बाद के इस बीच के अर्से से हमारे लीडर, हमारे नेता, जिनके हाथ में शासन-सत्ता रही है, जो अनेक प्रकार की बातें किया करते हैं विकास की देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और यह कहते हैं कि हमने देश को रोटी दी, रोजी दी, मैं उस शासक वर्ग से जिसके हाथ में सत्ता है पूछना चाहता हूं कि दुनियां में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मनुष्य के लिए सबसे प्रथम चीज हवा और उसके बाद पानी की आवश्यकता होती है। जब 22 वर्षों से हमारी सरकार पानी की समस्या हल नहीं कर सकती है तो मैं यह कहूंगा कि वह कुछ नहीं कर सकी है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है?

कुछ विधायक और मिनिस्टर लोग बातें कर रहे हैं। पानी जैसे महत्वपूर्ण सवाल से थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए— तथा उसका हल निकालना चाहिए जिससे कि समस्या का कोई स्थायी हल हो। इस वैज्ञानिक युग में सब तरफ से मनुष्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजस्थान में पानी की समस्या का हल नहीं हुआ है। पानी की कमी नहीं है, मगर सरकार करना चाहे। सरकार करना चाहे तो पेयजल की समस्या हल हो सकती है। 22 वर्ष के बाद आज भी 4-5 मील से वक्त बे वक्त पानी लाना पड़ता है।

जहां तक हमारे यहां तालाबों की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से जब अकाल पड़ा हैं तो उसकी ओर सरकार का ध्यान गया है। तालाबों में 6 महीनें 8 महीने ही पानी टिकता है। उसके बाद वही 4-5 मील से लाना पड़ता है। मवेशियों को भी पानी पिलाने के लिए इतनी ही दूर ले जाना पड़ता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो वह जनता को सुविधाएं देने का दावा करती हैं, जब तक पीने के पानी की समस्या है, उसके सारे दावे झूठे हैं। सबसे

(श्री गोरधन सोनी)

पहले पानी की समस्या हल होनी चाहिए। तभी सरकार की सुविधा देने की बात हो सकती है।

मैं सभापति महोदय, यह कहूंगा कि हमारी तरफ के कुछ गांव हैं, गोगुण्डा, गगराना, गांठिया, आदि ऐसे गांव हैं जहां पाँच पाँच छः छः मील पर पानी नहीं है। यह सरकार सब जगह ट्यूबवैल कुवे खुदवाये। एक कुआ खुदवाकर पानी का टैंक बनवा दे। जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। लियां, और लाटोराई गांव हैं वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। अन्य जगहों पर पानी का पम्प लगाकर पेय जल समास्या हल की जा सकती है। वैसे अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अण्डर में कुए कुछ खुदे हुए हैं। हमारे गांव के पास एक गांव है, उसमें दो कुऐ खुदे हुए हैं। लेकिन वह वैसे ही पड़े हुए हैं सरकार के कामों में कोई तारतम्य नहीं होता है। जो साधन उन्होंने किये उनसे वह सारे फायदे पहुंचा सकते थे। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेड़ता तहसील में 150 गांवों में से 100 गांवों में पानी की तकलीफ है। जहां पानी है वहां से उन गांवों को सम्बन्धित कर दिया जाये तो समस्या का हल हो सकता है। मेड़ता प्रोपर में 3 कुए खुदे हुए हैं। पहले मेड़ता को पानी कुए से मिलता था अब ट्यूबवेल से मिलता है। मेडता से तीन मील पर गांव है, डागावास, बारयास, खातर, बडगांव, वहां पानी नहीं है। अभी-अभी राज्यमन्त्री जी वहां गई थीं। वे वहां यह कह कर आयी थीं कि अब आप लोगों को पानी सिर पर लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यमन्त्री जी से कि आप तो पानी की व्यवस्था कर दें। हमको सिर पर पानी लाने में कोई शर्म नहीं है। जहां 5 हजार की बस्ती है, वहां पानी नहीं। रींया कि 7 हजार की आबादी है। लेकिन पानी के लिए तरस रहे हैं। 10 मील से लाना पड़ता है। इससे बडी और शर्म की क्या बात हो सकती है? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह गम्भीर समस्या है जिसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। चाहे वह काम स्वयं करें या अधिकारियों से करवायें। चाहे वह बोर्ड का गठन करके करवाए। लेकिन इस समस्या को हल करना चाहिए। जब तक यह नहीं हो सकता है तब तक जनता को सुविधायें देने के सारे दावे झूठे हैं। अन्त में, मैं यह कहूंगा कि अजमेर, नागौर, बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर आदि में जो पीने के पानी की समस्या है, वह दूर की जाये। अकाल राहत और पेयजल समस्या दोनों के लिए संयुक्त बोर्ड का गठन किया जाये। हमारी तमन्ना यह है कि तीन चार साल में राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी के लिए पीडित नहीं होना चाहिए। यही हमारा कहना है।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, श्री रघुनाथ विश्नोई द्वारा पेयजल बोर्ड बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान सभा में अनेक बार पीने के पानी का मामला उठाया गया है। और उस सम्बन्ध में सदस्यों में बड़ी तड़पन है। कुछ कांग्रेस की ओर बैठने वाले सदस्यों के भाषणों से यह साबित हो रहा है। सरकार

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पीने के पानी की ओर ध्यान नहीं देती है। फिर इस तरफ रोजाना प्रस्ताव बहस मुवाहिसा करने से मेरे ख्याल में कोई लाभ नहीं है। विधान सभा के तीन साल के अरसे में जो शासन चला है। पेयजल के लिए सवाल उठाया है और बार-बार मांग करने पर ही इस भयंकर अकाल में नलकूप लगाने का प्रबन्ध किया गया है। वह गलत तरीके से किया गया है। जिन गांवों में मीठा पानी है, उन गांवों में लगाये गये हैं। जिस प्रकार की अव्यवस्था राजस्थान में फैली हुई है जिससे जनता को पीने का पानी मिलना भी कठिन है। एक गांव डूंगरगढ़ तहसील में है। 8 साल हो गये हैं कुआ खोदते हुए। 500 फीट पर पानी मीठा निकला है। वहां पर ट्यूबवेल नहीं लगा है। इस प्रकार से सरकार से सरकार इस तरीके से खर्च करती है लेकिन लोगों को पानी पीने का इन्तजाम नहीं होता है। इस राजस्थान में अनेक गांव ऐसे हैं कि 12-12 मील से पानी लाकर पीते हैं। 22 साल की आजादी के बाद भी पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसी प्रकार विवाद चलता रहेगा। मैं कांग्रेस की ओर बैठने वालों से निवेदन करता हूं कि वे 30-40 आदमी हस्ताक्षर करके सरकार को दे दें। वह लिखकर दे दें कि जब तक पानी की समस्या को हल नहीं कर दो हम आपको वोट नहीं देंगे। जब तक उनके नीचे से कुरसी नहीं निकलेगी तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती। इस तरह से समस्या हल नहीं करते हैं तब तक कोई इन्तजाम नहीं होगा। लेकिन सरकार को उनकी कोई चिन्ता नहीं है। किसी को तबादले करने का अधिकार दे दिया है। किसी को जमीन एलाट करदी है। किसी को प्लाट एलाट कर दिया है। किसी के लड़के को या रिश्तेदार को नौकरी दे दी है। इससे यह लोग संतुष्ट हैं। फिर बार-बार यहां आकर भाषण करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ तो तब होगा जब इन लोगों के अन्दर वैसी ही विचार धारा पैदा होगी जिस प्रकार की भावना केन्द्रीय सरकार के लोगों में पैदा हुई होगी जिस भावना से उनका एक दल सिंडीकेट को अलग फेंकने के लिए तैयार हो गया है...

श्री गोरधन सोनी : वह तो अन्तर्मन की बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसी तरह से अगर यह लोग कहे कि या तो आप पीने के पानी की व्यवस्था करें नहीं तो हम आपको हटायें। और दूसरे लोग आपकी जगह राज्य कर सकते हैं, आपमें ही ज्यादा योग्यता नहीं है। मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस के एम. एल. एज. हैं, इनमें साहस नहीं है। आज जब कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर लोगों ने मत की स्वतंत्रता की मांग की कि हमें मत देने की स्वतन्त्रता दी जाय, लेकिन यहां के लोग तो घबड़ाये हुए फिरते हैं, बीच में कुछ लोगों की आवाज सुनी थी लेकिन बाद में वह भी दब गई। दब्बूपन की नीति से चलने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। यह पीने के पानी की समस्या ऐसी है जो राजस्थान सरकार से हल नहीं हो सकती है। एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ पानी की तरह से पैसा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बहाती है। अकालग्रस्त क्षेत्रों में लूप लगाने के लिए गाडियां दौड रही हैं और इस काम के लिए करोड़ों रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। गांव-गांव में देखते हैं कि बोर्ड लगे हुए हैं, दो या तीन बस। दो या तीन बस। जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, गांव-गांव में और जगह-जगह पर प्रचार हो रहा है। जनसंख्या के कम होने से पीने के पानी की समस्या हल नहीं होगी, इससे तो पैसा व्यर्थ खर्च करते हैं। साथ ही इस तरह के बोर्ड बनाने से भी पीने के पानी की समस्या हल नहीं होगी। यह बात जरूर है कि यह बोर्ड बनने से कुछ लोगों को रोजगार मिल जायगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार से यह नहीं होगा। गांव-गांव में जो लोग हैं उनको जो पीने का पानी देने का पहला कर्तव्य है यह जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। यह तो शहरों में रहने वाले लोग हैं, शहरों की तड़क भड़क में रहने वाले लोग हैं। इनको पानी मिल जाता है, इनके पार्क में पानी छिड़का हुआ रहता है, इनके यहां बिजली लगी हुई है, इनके बंगले में कूलर और पंखे चलते रहते हैं, इनको क्या मालुम कि गांवों में किस तरह के लोग प्यास से भटकते रहते हैं लोग प्यास से मर जाते हैं। मेरे क्षेत्र के गांव के लोग हैं उनको पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहां के पानी का एक लौटा भी कोई पी ले तो उसके पीने से वह मर जाय क्योंकि उसमें पोईजन है, इसलिए वहां के लोग कुंड में पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में अकाल की वजह से उन जलाशयों में भी पानी नहीं आया, और उनका पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है, जबकि राजस्थान कैनाल इतनी बड़ी आई है, उससे जब लोग पीने का पानी मांगते हैं तो वह नहीं देते हैं मैं आपको एक उदाहरण बताऊं मेरे गांव के अन्दर पब्लिक के द्वारा बीस हजार रुपया लगा कर वहां एक खाला तैयार किया गया है, वह इतना बड़ा खाला है, इतनी बड़ी नहर खोदी गई है कि राजस्थान सरकार उस तरह के खाले को बनाने या उस नहर को बनाने का काम करती तो कम से कम पचास हजार रुपया खर्च होता काफी कोशिश के बाद उसमें पीने का पानी छोड़ा गया, पानी बहाया गया, लेकिन उसी बीच में दरख्वास्त लेकर कह दिया गया कि यह लोग पानी को जाया करते हैं, इसलिए उसके बाद में पानी को बन्द कर दिया। तो यह सरकार लोगों को पीने का पानी देने तक को तैयार नहीं है। नहरी क्षेत्र के जो आदमी हैं वह पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि नहर का वह गन्दा पानी पीते हैं उसमें मछली पड़ी रहती है उसमें जानवर पड़े रहते हैं, मरे हुए कुत्ते उसमें पड़े रहते हैं, और आदमियों की लाश उसमें सड़ी हुई बहती हैं, लेकिन वह पानी उन लोगों को पीना पड़ता है। कहने के लिए तो कह देते हैं कि उनको मीठा पानी देते हैं, लेकिन नहर का पानी देते है, लेकिन नहर का पानी आदमी के स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। इसलिए नहरी क्षेत्र के लोगों के सामने पीने के पानी की विकट समस्या है। नहरी क्षेत्र के लोग पीने के पानी से रोग से मरते रहते हैं उसके अलावा उनको पीने का पानी नहीं मिलता है. पानी के अभाव में ग्रामों में उनके मवेशी मर जाते हैं और पानी की तकलीफ को दूर करने के लिए उनको दूर दूर जाना

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पड़ता है। उनकी बहुत ही घिनौनी दुर्दशा हो रही है। हम जब गांवों में जाते हैं तो हमें बड़ा दुःख महसूस होता है कि हम क्या सोचते थे और हमारे साथ आज क्या हो रहा है। इस सरकार में जो लोग हैं वह हमको कितने सब्ज बाग दिखाया करते थे लेकिन आज हमारे जीवन के साथ में किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है। आज किस तरह से पानी की तरह दूसरे-दूसरे कामों में पैसा बहाया जा रहा है लेकिन यह सरकार लोगों की जिन्दगी कायम रखने के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं करती है। मेरे क्षेत्र में एक पांडूसर गांव है, उसमें इस समस्या को दूर करने के लिए एक लाख रुपया खर्च किया गया, लेकिन आठ साल से वह वाटर वर्क्स बन्द पड़ा हुआ है। वहां के मीठे पानी के कुएं में वाटर वर्क्स लगाया था उसमें इंजन लगाया गया, टूटियां फिट की गई लेकिन वह बन्द पडा हुआ है और उस कुएं को लोगों द्वारा पानी खींचने के लायक भी नहीं छोडा है। जब कहते हैं तो कहते हैं कि पंचायत उसके लिए रुपया खर्च नहीं करती है। लेकिन पंचायत समिति द्वारा बार-बार कहा है। उस इलाके में बार-बार अकाल पड़ते रहते हैं और पंचायत समिति का पैसा अकाल के कामों में खर्च हो जाता है। पंचायत समिति ने इस सम्बन्ध में बार बार प्रस्ताव भेजे हैं, बार बार मांग की है, मैंने भी इस विधान सभा में तीन बार इस मांग को उठाया है लेकिन वह वाटर वर्क्स चालू नहीं हुआ है। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था आज इस सरकार की मशीनरी के द्वारा फैला रखी है। आज जो जल विभाग के अधिकारी हैं वह शहरों में रहते हैं, वह गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं, गांवों में जाकर वह सही तरीके से रह नहीं सकते इसलिए गांव के लोगों को अलग रख कर शहरों में ही थोड़ा बहुत पानी का प्रबन्ध कर देते हैं। शहरों में भी जो ऐसे शहर हैं, जो बड़े-बड़े हैं, उनमें तो पानी का इन्तजाम किया है, लेकिन जैसे मेरे कस्बे नौहर की बीस हजार की आबादी है, वहां पर एक घूंट भी पानी पीने के लिए नहीं है। वहां पर वाटर वर्क्स लगा हुआ है लेकिन उस कुएं का पानी खारा हो गया। जब मुख्य मंत्रीजी वहां पर नवम्बर के महीने में गये थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था इस बात का एलान लोगों के सामने किया कि मैं अस्सी हजार रुपये देकर जाता हूं, नहर से पानी लाया जायगा, लेकिन आज तक वह काम लटका हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस प्रकार के झूठे आश्वासन देकर आप जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। राजस्थान से हमारे प्रतिनिधि यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि पीने के पानी का इन्तजाम किया जाय। आप किस को कहते हैं, किया जाय ? आपको कहना चाहिए करना पड़ेगा, तब तो इन्तजाम होगा। लेकिन आप कहते है कि इन्तजाम करना चाहिए। आप चाहिए किसको कहते हैं ? करना चाहिए, किसको कहते हैं ? यह आपका कर्तव्य है। आपको यह इन्तजाम करना चाहिए था आज से पन्द्रह साल पहले। आज आजादी के बाईस साल के बाद भी आप पीने का पानी नहीं दे सके हैं, रोजगार नहीं दे सके हैं, जमीन नहीं दे सके हैं। फिर किस काम के लिए आप यहां बैठे हुए हैं ? क्या खुद का राज करने के लिए बैठे हुए हैं ? इस तरह ज्यादा दिनों तक आपकी कुर्सी नहीं रह सकेगी, एक दिन आयेगा जिस तरह कि दिल्ली में आया है सिंडीकेट के खिलाफ उसको खत्म करने के लिए इन्दिराजी के साथी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बगावत कर रहे हैं, इसी तरह से यहां के लोग भी करेंगे तो बाहर जनता आपको घेरेगी जिस तरह से बंगाल में हुआ है, दूसरे दूसरे प्रान्तों में हुआ है, उसी तरह से इस प्रान्त में भी होगा। इसलिए आप इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं करें। आप इस पर गहराई के साथ विचार करें। आपको राजस्थान के गांव में रहने वाले लोगों के लिए, रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का हर तरीके से इन्तजाम करना है, अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, आपके बाइस साल तो टिक गये, पांच साल और टिक जायेंगे उसके बाद में आपकी कोई जरूरत नहीं होगी। इस देश के अन्दर राजाओं के जमाने में लोग नहीं मरे, सामन्तशाही के जमाने में लोग नहीं मरे तो आपके जमाने में लोग मरने वाले नहीं है। लेकिन यह उनका अधिकार है। आप उनसे टैक्स लेते हैं, उनके ऊपर हर प्रकार के टैक्स लगाते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं इसलिए वह इस बात की मांग करते हैं। लेकिन आप उसकी चिन्ता नहीं करते हैं। आप कहते है कि जनतंत्र है जनता का राज जनता के लिए, जनता द्वारा। लेकिन वास्तव में यह स्थिति नही है। यह राज्य आपका है, आपके लिए आपके द्वारा है। यह शहरों के लिए राज्य है, बाहर के लोगों के लिए कुछ नहीं है। बाहर गांव के लोगों को पढ़ाई के लिए आप प्राइमरी स्कूल तक देने के लिए तैयार नहीं, दूसरे कामों के लिए पैसा नहीं है। राजस्थान में इतना भयंकर अकाल पड़ रहा है लेकिन जयपुर में आपने अठारह, बीस लाख रुपये सेक्रेटेरियट की तीसरी मंजिल बनाने के लिए खर्च कर दिये, दिल्ली में बंगला बनाने के लिए साढ़े तीन लाख रुपया आपने खर्च कर दिये, लेकिन गांवों में ट्यूबवैल लगाने के लिए और लोगों को पीने का पानी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं हैं। जगह जगह अधिकारियों के पास जीप गाड़ी हैं, उनको जीपें दे रखी हैं लेकिन उनका दुरुपयोग होता है, हर आदमी अपने काम में उनका इस्तेमाल करता है. घर के काम के लिए, रिश्तेदारों के काम के लिए उसका उपयोग होता हैं और टी.डी.ए. के बिल झूठे भर कर पैसा वसूल करते हैं। मरम्मत के नाम से आज लाखों रुपया खर्च होता है और झूठा बिल बना कर पैसा वसूल करते हैं। लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। इसके लिए आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। आपने अकाल में पैसा खर्च किया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस अकाल के काम में किस तरह का घोटाला होरहा है, किस तरह से झूठे पेमेन्ट हो रहे हैं और आधे से ज्यादा रुपया लोगों का खा गये, इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक कैम्प में मजदूर · ·

श्री मूलचन्द डागा : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। पानी की बात कह रहा हूं। कि पानी के साथ अकाल का मामला है।

श्री मूलचन्द डागा : पानी के लिए कहें अकाल के लिए फिर कहें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अकाल इसी से पड़ा हुआ है, श्रीमान् जी। मैं इसी पर बोल रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : पानी पर कहें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप उनकी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं तो बाहर चले जायं। मैं तो बुराई करूंगा, मैं खाली बुराई नहीं करता। मैं काम नहीं करने की बुराई करता हूं मुझे उनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। इस भयंकर अकाल में झूंठे मस्टररोल बनाये जायें, उनमें मजदूरों के झूंठे नाम लिखे जायं, और झूंठे नाम लिख कर झूंठे पेमेंट लिये जायं और लाखों करोड़ों रुपयों को खा जायं उसकी जांच करनी चाहिए। इतने लोग पकड़े गए, क्या एक्शन लिया? वहां हिस्सेदारी बटी हुई है। वहां प्रधान और सरपंच से लेकर कड़ी जुड़ी हुई और आप लोगों का हिस्सा बंधा हुआ है, इसलिए हम बुरा समझते हैं। चाहे सरकार के अन्दर वह रुपया बटा नहीं हो, लेकिन आधे से ज्यादा लोग खा गए और जनता की गाढ़ी कमाई पानी की तरह हजम कर गए और गरीबों को मजदूरी नहीं मिली।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उनको अनाज नहीं मिला, पानी नहीं मिला, गांवों के अन्दर टैक्सी चलती रही झूंठी हाजरियां होती रहीं और कुएं झूंठे नामों से जुड़ते रहे लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। ग्रामों में जाकर देखें, 50 आदमियों के पीछे दो घड़े पानी, बाकी ड्रम गर्म पानी के रखे हुए हैं। हजारों घड़ों का पेमेंट इस प्रकार गलत प्रबंध के कारण हुआ और फिर आप कहो कि राज्य सरकार पानी के लिए इंतजाम करती है और करना चाहिए। यह भाषा आप छोड़ दें कि करना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप बोर्ड बनाइए जैसे रघुनाथजी ने प्रस्ताव रखा है, इसके द्वारा गांवों में सबसे पहले पानी का इंतजाम करें। पहले उन गांवों को चुनिए जहां 10–10 मील तक पानी नहीं मिलता। जहां नजदीक नहर है या नदी है वहां से पानी लाइए। ऐसे काम वहीं करेगा जिसके दिल में दर्द होगा। यह सरकार गरीबों की नहीं है, यह पूंजीपतियों की हामी है इसलिए पैसे वालों की हिमायत करते हैं।

(3.51 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

राजनैतिक लोग मारे-मारे फिरते हैं. वे शिकायत करते हैं, सुनने वाला नहीं। मैं आशा करता हूं कि समय रहते जो आदमी नहीं चेतता है उसको आगे जाकर पछताना पड़ता है। तो सही तरीके से पीने का पानी दीजिए, खेती के लिए पानी दिया जाय। अगर पानी लायेंगे तो लोगों को लाभ होगा। परिवार नियोजन में लोगों की नसबंदी करने से, लोगों को लूप लगाने से, समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपको केवल चिंता है लूप किसने लगवाया या नहीं लगवाया आपरेशन करवाया या नहीं। वहां भी झूठी सूचियां बनाई जाती हैं और पेमेन्ट लिया जाता है। गाड़ियां दौड़ रही हैं गांव गांव में। तो इस प्रकार की बुराइयों को दूर करें और जो हमारे सामने पानी की कठिनाई है उसको दूर करें। जिन कुओं में मीठा पानी है वहां ट्यूबवेल लगवायें जैसे नोखा में एक गांव है, घनरू डूंगरगढ़ में है, सांडवा, महाजन। जैसे तोलियासर में कई साल से पानी निकला 500 फीट नीचे मीठा पानी निकला है। वहां ट्यूबवेल्स लगने चाहिए। जैतासर में 100 घर आबाद हैं 10-10 मील से पानी उनको लाना पड़ता

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है, आपने वहां ट्यूबवेल नहीं लगाया। घोलिया में 70 घर हैं, 13 मील से पानी लाते हैं। यदि आप इन्क्वायरी करें तो अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां मीठा पानी है, वहां ट्यूबवेल्स लगवाए हैं और जिन गांवों में खारा पानी है वहां ट्यूबवेल्स नहीं लगवाए हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपको उन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो गलत तरीके से काम करवाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों को फायदा नहीं मिलता है।

आप अपनी कुर्सी बचाने, आपाधापी में रह रहे हैं और भ्रष्टाचार के कुंड में डूबे हुए हैं। मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 20 साल तक राज्य किया अभी भी आपकी तमन्ना नहीं भरी और इस अव्यवस्था से लोगों को कितना कष्ट हुआ। आपने नोहर में आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ? उन आश्वासनों का क्या होता है? आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि 20 साल के शासन के अन्दर क्या किया है? आप जब कुर्सी से उतरेंगे तो एक एक आइटम का हिसाब लोग आपसे लेंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि आपसे भयंकर गलती हो गई, इन लोगों के भरोसे रहे जिन्होंने गलत तरीके से आपको भ्रष्टाचार में डुबा रखा है। आप सोचते हैं कि जब तक जीयेंगे राजस्थान में तब तक राज करेंगे, यह भूल है। स्थिति करवट बदल रही है, न मालूम हफ्ते के बाद आपका शासन रहे या नहीं। आपको यह सोचना है गरीबों के साथ अन्याय किया है, कभी भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपने जितने कार्य किए हैं। वह असंतोष जनक किए हैं राज्य की दो करोड़ जनता के साथ में आपने विश्वासघात किया है क्योंकि आपने पैसा गलत तरीके से खर्च किया, लोगों के फायदे के लिए खर्च नहीं किया। मेरा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। राजनैतिक कारणों से वातावरण के अनुसार मुझे कहना पड़ता है और मुझे तरस आता है जब कांग्रेसी सदस्य उठकर कहते हैं कि सरकार पानी का इंतजाम करें। आपके लिए तो सबसे बड़ा हथियार है। हम विरोधी दल के आदमी हैं, हमारे लिए कह सकते हैं कि हम सरकार की बुराई करते हैं लेकिन आप तो एक धमकी दो तो ये आपके पैर चूमेंगे। चाहे कुछ भी काम करें लेकिन आपकी कुर्सी कायम रहनी चाहिए। आपके अन्दर हौसला नहीं है, आपकी आत्मा मर चुकी है, भ्रष्टाचार के अन्दर डूब चुकी है इसलिए अभी भी आप मुख्य मंत्री जी को इस पद से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते, इन मंत्रियों को इन पदों से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते · · ·

श्री भैरोंसिंह : यह अंतरात्मा बोल रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हिंदुस्तान के अन्दर अंतरात्मा इस बार बोली है लेकिन राजस्थान में अंतरात्मा दब गई है या तो सुखाडिया जी के प्रभाव से या किए हुए कुकर्मों की वजह से क्योंकि इन लोगों ने बुरे काम किए हैं। इसलिए यदि सही तरीके से काम करें तो क्या खतरा है, जनता के प्रतिनिधि को किस बात का खतरा है, वह जनता की पैरवी करने के लिए आया है न कि थानेदार तहसीलदार का तबादला करवाने के लिए या मुकदमा बनाने के लिए या नौकरी में लगवाने के लिए थोड़े

(श्री रामचन्द्र आर्य)

ही आया है। वह अपने इलाके की पैरवी करने के लिए आया है, आपकी आत्मा की आवाज निकलनी चाहिए। हिंदुस्तान की बदलती हुई स्थिति में यदि आपने अपने को नहीं बदला तो आने वाला इतिहास कहेगा कि राजस्थान के लोग बुजदिल थे, इनके अन्दर जान नहीं थी। इंद्राजी जानती हैं कि राजस्थान में कैसे लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त हो गया 4 बज गए।

श्री रामचन्द्र आर्य: भगवान के लिए कम से कम आप गरीबों पर दया करें। जिन लोगों और घरों को पानी नहीं मिलता है, उनको किसी तरह से पानी पहुंचाएं, बाकी कामों में न खर्च करें, सारे विकास को रोक दें और यह बोर्ड जिसके लिए रघुनाथजी ने प्रस्ताव रखा है शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाकर जिन जिलों में पानी की जरूरत है वहां पानी दें।

श्री अध्यक्ष: मैं एक सूचना देना चाहता हूं। वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में आज मैंने जिस कार्य-क्रम की घोषणा की थी उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले हैं और उन्होंने सुविधा की दृष्टि से नामजदगी के पर्चों को पेश करने का समय बढाने का सुझाव दिया है। मैं इस सुझाव से सहमत हूं और तदनुसार माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए निम्नांकित संशोधित कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है :—

1. नामजदगी के पर्चों का पेश करना	19 अगस्त 1969 को 1.30 बजे तक।
2. नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें	19 अगस्त, 1969 के दिन के 3.00 बजे।
3. नामजदगी के पर्चों को वापस लेना	20 अगस्त, 1969 को 5.00 बजे तक।
4. चुनाव यदि आवश्यक हों तो	22 अगस्त, 1969 को प्रातः 11 बजे से 3.00 बजे मध्याह्नोत्तर तक।
5. मतों की गणना	22 अगस्त, 1969 मध्याह्नोत्तर 3.00 बजे से।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कर दूं कि गत वर्ष इन समितियों का निर्वाचन 4 अप्रेल, 1968 को हुआ था। गत सत्र में विशेष कारणों से इन समितियों का निर्वाचन नहीं किया जा सका [illegible] कुछ अवधि के लिए इन समितियों का कार्यकाल बढा दिया गया था। अतः अब जो सदस्य इन समितियों के लिए निर्वाचित होंगे उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए नहीं होगा बल्कि वे शेष कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

Page No. 129

(4 म.प.)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो आपने नोमिनेट किया है उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य !

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पीने के जल की समस्या को लेकर लम्बे समय से इस सदन में चर्चा होती रही है लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरी अपनी ऐसी मान्यता है कि हमारे नेता मुख्य मन्त्री महोदय इस बात को समझते ही नहीं या उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि गांवों में पीने के पानी की समस्या भी कोई है क्या। लेकिन फिर भी हम इस सदन में बार बार चर्चा करते रहे हैं कि "कबहू दीन दयाल के भनक परेगी कान" शायद देर सबेर सरकार इस ओर ध्यान दे। यदि कोई चाहे तो वित्त मंत्रीजी शराब की भट्टियों की स्वीकृति सबसे पहले दे सकते हैं लेकिन पीने के पानी के लिये वे तैयार नहीं हैं। वह पैसा देना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जिसमें पीने के पानी की समस्या है। हम कोई लम्बी चौडी पुकार नहीं करते, बाग बगीचों के लिये पुकार नहीं करते हैं, केवल मनुष्यों और मवेशी के पीने के पानी के लिये पुकार करते हैं। इतनी पुकार करने के बावजूद भी सरकार का मन बना नहीं है। न तो मुख्य मन्त्रीजी ने कभी सोचा कि पीने के पानी के लिये कुछ इन्तजाम किया जाय और न वित्त मंत्रीजी ने ही सोचा। मुझे याद है कि सन् 1956 में स्वर्गीय हरिश्चन्द्रजी माथुर जो एम.पी. थे उनकी अध्यक्षता में एक बोर्ड बना था और मैं भी उस बोर्ड का एक सदस्य था। कमेटी ने तीन साल तक पूरे राजस्थान का सर्वे करके रिपोर्ट दी थी कि सरकार यदि 70 करोड रुपये का प्रबन्ध करे तो 6 हजार गांवों के एक करोड मनुष्य और लाखों मवेशियों को पीने का पानी मिल सकता है। लेकिन अफसोस है।

(4.04 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

कि वह रिपोर्ट आज तक दराज में पडी हुई है और उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनी। उसके सभापति भी स्वर्गीय माथुर साहब थे। हमें दुख है कि उनका स्वर्गवास हो गया। अब सुना है उसके चेयरमैन श्री रामनिवासजी मिर्धा, एम. पी. हैं। उसके बाद एक मास्टर प्लान भी बना जो 70 करोड का बना कर केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया।

सभापतिजी, मेरी यह मान्यता है कि मास्टर प्लान एक नहीं चाहे अनेक बनाये जायं मास्टर प्लान्स से मनुष्य और मवेशियों की पानी की प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यास तो जब ही बुझेगी जब राजस्थान सरकार का ध्यान जावेगा। राजस्थान सरकार ने तो अब तक इस समस्या को समस्या ही नहीं माना है। सरकार यदि प्रयास करे तो पचास, साठ करोड रुपया सेन्टर से मिलना आसान है। सरकार का मन बना नहीं है और सरकार नहीं चाहती है कि पूरे मन से पीने के पानी का समाधान हो।

(श्री हंसराज आर्य)

पिछली बार सदन में जब बजट आया था तो हमने वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना की थी कि यह ऐसा बजट है कि जिसमें राजस्थान के 32,247 गांवों में रहने वाले दो करोड़ मनुष्यों के लिये पीने के पानी की उपेक्षा की गई है न केवल पैसे के अभाव में बल्कि जान बूझ कर उपेक्षा की गई है। सरकार नहीं चाहती है कि पानी की समस्या हल हो। मैं निधड़क होकर कहता हूं कि सरकार का मन नहीं है पीने के पानी का इन्तजाम करने के लिये। जब सरकार का मन बनेगा तब यह व्यवस्था हल हो सकेगी बाईस साल की आजादी के बाद करोड़ों आदमी और मवेशी बरसात न होने पर पीने के पानी के लिये दर दर भटकते रहे हैं। एक एक लोटा पानी के लिये दर दर भटकते हैं। इस साल विश्व का भयंकरतम अकाल पड़ा और पीने के पानी का सवाल आया। लेकिन, सभापतिजी, सरकार को ज्ञान है जो बीती है। कहने के लिये तो माननीय सदस्य बहुत कह रहे थे लेकिन एक कहावत है।

"लागी लागी सब कहें, लागी नाहीं एक लागी तबही जानिये, जब पड़े कलेजे हूंक।"

जिसमें बीतती है वह ही जानता है।

"जाके पैर फटी न बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।"

जो प्रसूति ही नहीं हुई वह उसकी पीडा को क्या जाने। जहां पीने को पानी ही नहीं वहां मसनुई आंसू से क्या बनेगा। यह एक प्रकार की भीषण समस्या है और इसको हल करने के लिये सरकार को मन बनाना पड़ेगा।

पीने के पानी की दो प्रकार की समस्या है। एक शहरों में और दूसरी गांवों में। शहर में यह समस्या है कि पानी है, मीठा पानी भी है, कुऐ हैं बहुत पानी है उसमें लेकिन घर में से महिलाओं को और पुरुषों को बाहर निकल कर हजार दो हजार फीट चलना पड़ता है इसलिये उनके लिये इन्तजाम हो और उनको पानी लाने जाने के लिये कुओं पर न जाना पड़े। इसके लिये प्रबन्ध हो गया। वाटर वर्क्स बन गये। फिर समस्या पैदा हुई कि शहर की महिलाओं को मैदान में पानी भरने के लिये खड़ा होना पड़ता है इसलिये इसका इन्तेजाम हो। दूसरा प्रबन्ध होता है। पानी की मात्रा बढ़ायी गयी, पानी का प्रेशर बढ़ाया गया और घर घर में टूंटियां पहुंचायी गयीं। फिर समस्या पैदा हुई कि पानी तो है लेकिन शहर की महिलाओं को रसोई में से उठकर आंगन में जाना पड़ता है, वह रसोई में बैठी रहकर ही काम कर लें इसलिये इसका प्रबन्ध हुआ। पानी तो है, सब जगह है, प्रबन्ध भी है। लेकिन गर्मी की मौसम आ गयी। छत पर सोना पड़ता है, टट्टी पेशाब की हाजत होती है, लेकिन नीचे है, रात को नीचे आना पड़ता है, नींद हराम होती है, इसलिये छत पर ही पानी पहुंचाया जाय। एक ओर तो पानी की वह समस्या है और दूसरी ओर यह समस्या है। पानी तो है, लेकिन खारा है, उसको पीने से मनुष्य और मवेशी मर जावेंगे। उपाय क्या है? पीने का पानी लाने के लिये दो मील, चार मील, आठ मील, दस मील, बारह मील और यहां तक कि बीस मील दूर जाना पड़ता है और उस पानी से गांवों में मनुष्य निर्वाह कर रहे हैं। बीस मील जाकर पानी लाना पड़ता है, गांवों में कहावत है।

(श्री हंसराज आर्य)

पीवण पानी और है, नहावण पानी और।
धन धावण ने और है, वाह रे नन्दकिशोर।।

हे नन्दकिशोर। हमारे ऊपर क्या कृपा है कि तीन प्रकार के पानी से हम निर्वाह कर रहे हैं। पीने के लिये और है, नहाने के लिये और है। मवेशी के और हैं। खारा जहरीला और है। यह समस्या है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। 22 वर्ष की आजादी के बाद भी हम आशा रखकर चलते हैं यदि और कुछ नहीं मिलेगा तो पीने के लिये पानी तो मिलेगा। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। आज राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर डिवीजन के 8 जिलों और 6 हजार गांवों में रहने वाले 2 करोड़ आदमी और लाखों मवेशी पानी के लिये लालायित हैं। सभापति महोदय, अकाल पड़ा, इस अकाल में पानी के बिना जो दुर्गति गांवों की हुई, वह बड़ी भयावह है कितनों को बाहर जाना पड़ा, कह नहीं सकते। कहते हैं तो हृदय उबलता है। जिनके पास ऊंट, बैल का साधन नहीं है, उनकी क्या दुर्गति होती है? सभापति महोदय, जब किसान घर से हाथ में बाल्टी लेकर निकले तो यह कहते थे कि यदि कोई एक गिलास पानी उनको दे दे या एक लौटा पानी मिल जाय तो आराम से बच्चों के साथ रात निकल जायगी वरना पानी के अभाव में रात नहीं निकलेगी, बच्चे मर जावेंगे। किसान दिन भर खेत में काम करता है और रात को पानी लेने निकलता है। यह हालत है फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है। सारी सारी रात किसान ऊंट पर चढ़कर वह पानी लाते पहुँचता है और फिर दिन में खेत पर पहुंचता है। यह किसान की हालत है जिससे यह आशा करते हैं कि देश पर जो अन्न का संकट है, उस संकट को हल करने के लिये, उस समस्या का समाधान किसान करेगा। उसको तो पीने को पानी नहीं मिलता पानी का अभाव है। करोड़ों रुपयों के मवेशी आज मर रहे हैं। गांव, घर छोड़ रहे हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। इसलिये खास तौर से मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा क्योंकि आज यह राज्य मंत्रीजी के बस की बात नहीं है। मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे दिल्ली जांय और भारत सरकार से कहें कि राजस्थान के अन्दर एक करोड़ आदमी और लाखों मवेशी, पानी के बिना दम तोड़ रहे हैं मर रहे हैं। इसलिये उनके लिये पीने के पानी का प्रबंध किया जाये। आज पानी गांवों में नहीं पहुंचे, यह असम्भव सी बात है। दो, चार मील आसानी से पाइप लाइन से पानी जा सकता है दो, पाइप लाइन बिछायी जा सकती है। यदि बोम्बे जैसे शहर में जिसके तीनों ओर समुद्र है, समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी 45 लाख की आबादी है, इतने बड़े शहर को 40-50 मील की दूरी से पानी दिया जा सकता है तो गांवों को क्यों नहीं दिया जा सकता है। लेकिन दिया तभी जा सकता है जब सरकार का मन बढ़े। इसलिये सदन से निवेदन करूंगा कि इधर और उधर बैठने

(श्री हंसराज आर्य)

वाले माननीय सदस्य, सभी को एक आवाज से यह कहना पड़ेगा कि सरकार जल्दी से जल्दी राजस्थान के ऐसे हिस्सों में जहां मनुष्यों और मवेशियों के लिये पीने का पानी नहीं है, जो पानी के अभाव में भटक रहे हैं, व्यवस्था करे। सभापति महोदय, जब किसान ऊंट पर घड़ा रख कर जाता है और आसमान की तरफ देखता है और बादल उड़ता हुआ उसको दिखायी देता है तो वह उससे आशा करता है और कहता है:—

आमें उडती बादली मरुधर पानी जोय
थोड़ी सी बून्दा नाखदे तो भल मानूं तोय।

ऐ बादली ! तेरा इतना बड़ा अहसान होगा अगर चार बूंद पानी डाल दे। लेकिन बादल जब सूखा निकल जाता है तो किसान निराश होकर अपनी मंजिल की ओर चल देता है। मैं अकाल सहायता विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुए चलवाये लेकिन जिन गांवों में पानी मीठा था, वहां पर इतनी मवेशी इकट्ठी हो गई कि लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो गया। यह हालत थी। कहावत है:—

कुवां ऊपर कठ बरयां जठो तिसाया जीव।
ल्याता-ल्याता निवड़े बरता जलसूं धीव।।

पानी को बाहर से लाते हैं। घी की तरह उपयोग करते हैं। फिर भी खतम हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि मां पानी पिला-मां कहती है कि बेटा कल पीजो। पानी कहां से आयेगा? सभापति महोदय, यह हालत है, हमारे गांवों की। पीने के पानी के इन्तजाम के लिये एक, दो करोड से राजस्थान का काम नहीं चलने वाला है, दस, बीस करोड से या 40-50 करोड से भी काम नहीं होने वाला है कम से कम 70-80 करोड या फिर 100 करोड का प्रबन्ध हो तो राजस्थान के 8 जिलों में, 70 लाख आदमियों को पीने का पानी मिल सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : 500 करोड से भी ये पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते।

श्री हंसराज आर्य : आपने सुना होगा, हमें कभी-कभी नहर का पानी मिलता है। जब मिलता है तो काफी मिलता है। सैकड़ों माइल चल कर नहर का पानी आता है। उसमें कितने ही कत्ल कर लाश डाल देते हैं, गाय, भैंस की लाश भी बहती हैं, टट्टी उसमें डाली जाती है। वह पानी बहकर हमारे यहां आता है। वह पानी इतना गंदा पानी होता है, हम तो उसको भी माथे लगाकर प्रेम से पीते हैं। मगर मिल तो जाए, मीठा पानी मिल जाये। सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा मन्त्री महोदय से कि 2,10 लाख का इन्तजाम करके ही न बैठ जायं जब तक 70-80 लाख करोड का इन्तजाम नहीं होगा, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का समाधान न होगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि इसके लिये सरकार जल्दी से जल्दी पानी देने की कोशिश करें शराब के बनाने पर पैसा जैसे सरकार खर्च करती है, वह पैसा सरकार पानी पर खर्च करे।

घन घोर घटाएं छाई हैं ऋतु बदली जाय जमाने की।
पी और पिलाता जा साकी हो खैर तेरे मय खाने की।

(श्री हंसराज आर्य)

मयखाने खुले हैं मगर पीने के पानी के कुए बन्द हैं। कुओं पर पानी नहीं है। ठेके पर शराब मिल जाती है, मगर पानी नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में राज्य मन्त्राणीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे भाखरा में जो वाटर वर्क्स लगाया गया था, उसमें किसी ठेकेदार का फिल्टर का काम था, उसकी वह अवधि निकल चुकी है। काम पूरा नहीं हुआ है और वाटर वर्क्स का काम बन्द हो रहा है। सामान रावतसर जा रहा है हमें उम्मीद थी कि इस साल पानी मिलेगा अब एक साल और निकल जायेगा। इस ओर आपका ध्यान नहीं है। आशा है आप कोशिश करेंगी कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा। जो संकल्प सदन में है, उसका मैं समर्थन करता हूं और फिर एक बार दोहराता हूं कि—

कबहु दीन दयाल के भनक परेगी कान।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : सभापति महोदय, श्री रघुनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह जो हमारी पानी की समस्या है, वह इस प्रस्ताव के द्वारा हल हो। 22 सालों की इस लम्बी आजादी के बाद, अगर देखा जावे अच्छी तरह से तो देश के किसानों को पीने का पानी यह सरकार नहीं दे सकी। दरअसल सही माने में देखा जाये तो हमारी आजादी आजादी नहीं है और वह आजादी अधूरी है जिस देश के किसान को पीने के पानी के अभाव में प्यासा मरना पड़ता है और फिर हम अपने आपको मानते हैं कि हमारा देश आजाद है और अगर हालत देखी जाये तो आजादी का कोई सही रूप हमने अभी नहीं देखा है। इस साल भयंकर अकाल में पानी के बिना न मालूम कितने पशु और मनुष्य मर गये हैं। आप सब लोग जानते हैं। एक किसान हमारे गांव में पानी के लिये आया था और उसने तहसीलदार को रिपोर्ट दी, तहसील हैडक्वार्टर पर। सभापति महोदय, उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से सदियों से पीने का पानी मुहैया करने के मिशन का सपना देखने वाले, यह सोचते थे कि हमारा देश आजाद होगा और यह समस्या सुलझेगी और देश के लोगों को तब जाकर हम लोगों को पीने का पानी मिलेगा। माननीय हंसराज जी ने जिस जोश में इस प्रस्ताव का स्वागत किया है मैं भी उसी तरह से स्वागत करता हूं। पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कमी है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पानी बिना जो पशु और मनुष्य मर रहे हैं आखिर वह किसकी जिम्मेदारी है? मैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस विधायकों की मानता हूं, उनमें हौसले की कमी है। अगर वे हिम्मत से काम लें और साहस बतावें तो एक रात में पानी की समस्या हल हो सकती है। केवल राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करने की आप में लगन है तो आप इन हालात का सुधार कर सकते हैं। आप लोगों में हौसला होना चाहिए। आखिर पानी की जो कमी है इन्तजाम नहीं होता है उसका जिम्मा आखिर कौन लेगा रूलिंग पार्टीज के एम. एल. एज. को ही यह जिम्मा लेना होगा। वे सुखाड़ियाजी को मजबूर करें

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कि अगर आप इस समस्या को हल नहीं करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। इसके बिना पानी के प्रबन्ध किये बिना हमारी आजादी अधूरी है। सरकार का सब से पहला काम है पीने के पानी का इन्तजाम करना। इस समस्या का पहले हल होना चाहिए।

सभापति महोदय, इस साल में अकाल के समय में ट्यूब वेल द्वारा बीकानेर और बाड़मेर में काम किया गया, कुछ कुए खोदे भी गए, इससे काफी लोगों को पीने का पानी मिला है। जहां लोगों को तीस तीस मील दूर पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता है वहां इन ट्यूब वेल्स से लोगों को पीने का पानी मिला है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम हर गांव में ट्यूब वेल खोद कर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। राजस्थान नहर पूरी हो तो हमारे यहां इन्सान को सही आजादी मिल सकती है। इन्सान को राजस्थान केनाल से पानी मिल सकता है, फसल को भी मिल सकता है इसलिए राजस्थान केनाल को पूरा करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह मांग करता हूं कि हर गांव में ट्यूब वेल होना चाहिए और पानी की जो मूल समस्या है उसका समाधान होना चाहिये।

श्री सभापति: श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): सभापति महोदय, विश्नोईजी ने ग्रामीण जल बोर्ड की स्थापना के लिये प्रस्ताव रखा है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कांग्रेस को शासन चलाते 22 साल हो गये लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार ने इसके लिये करोड़ों रुपया खर्च किया फिर भी वह पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जैसलमेर बाड़मेर के जो रेगिस्तानी इलाके हैं आज वहां पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। मवेशी और मनुष्यों के लिये पचास पचास माइल दूर से पानी लाना पड़ता है राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये और उस नहर को जैसलमेर एरिया तक ले जाना चाहिये। भारत सरकार को इस नहर के पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये और राजस्थान नहर को सिंचाई के लिये और मनुष्यों के पानी पीने के लिये पूर्ण बनाना बहुत आवश्यक है। गत साल मैं जैसलमेर गया था उस समय सरकार की तरफ से 44 कुए खोदे गये थे जिसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ उन 44 में से केवल चार ट्यूब वेल ही चालू थे। वहां के लोगों से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि यह तो कुछ दिनों से चालू हुए हैं केवल एस्टीमेट कमेटी वालों को बताने के लिये चालू किये गये थे।

इसके अलावा अकाल में हजारों रुपयों का दुरुपयोग भी हुआ है प्रशासन का ढांचा है वह दिन प्रति दिन बिगड़ता चला जा रहा है। आज जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिये पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(श्री नाथूराम)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार का पक्षपात का रवैया रहता है। शहरों में थोडी देर के लिये भी पानी नहीं मिलता है तो यहां के क्रांतिकारी लोग हैं सरकार के पीछे पड जाते हैं। गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार 22 साल तक शासन करने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं कर सकी।

अब मैं आपके सामने आदिवासी क्षेत्र में पानी की जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। डूंगरपुर बांसवाडा इलाके में भी पानी की व्यवस्था के लिये सरकार करोडों रुपया खर्च करती है फिर भी वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। गरीब जनता वहां तालाबों का पानी पीती है। आज कई जगहों के लिये नल योजना की स्कीम भी है वह भी ठप्प पडी है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों की क्या हालत है। भीखाभाई उसी क्षेत्र के हैं इनके भी नारू निकले हुए हैं इसलिये पैरों में खराबी है। इसी तरह से हमारे देवेन्द्रकुमार मीना जो सदस्य हैं वे आज राष्ट्रपति को वोट देने के लिये कुर्सी पर बैठ कर आये हैं। ये तो विधान सभा सदस्य की हालत है। मामूली गांव वालों की तो क्या हालत होगी ?

माननीय मंत्री बैठे हुए हैं हमारे जो सुझाव हैं वे नोट नहीं करते उनको सोचना चाहिये केवल बातें ही नहीं करनी चाहिये। राज्य मंत्री परिवार नियोजन बैठी हुई हैं परिवार नियोजन पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग, झूंठे सर्टिफ़िकेट दिलवा देते हैं डाक्टर लोग हजारों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन सरकार पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाई। रेगिस्तान के लिये राजस्थान गवर्नमेन्ट पर भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये और इसके लिये रुपया लेना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बांसवाडा जिले में छोटी छोटी नल योजना स्वीकृत तो कर दी लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से चालू नहीं कर सके। सरकारी जिम्मेदारी है कि आदिवासी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। माननीय सदस्य ने जो बोर्ड का प्रस्ताव रखा है वह बोर्ड जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिये और इसके लिये ज्यादा से ज्यादा पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, एक कहावत है–दो दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासी को प्यासी कहते राजस्थान वासी। पूर्वी राजस्थान के अन्दर एक तरफ़ चम्बल अंगडाई ले रही है तो पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान नहर किलकिलाती आ रही है फिर भी राजस्थान में पानी की कमी है। पानी की कमी किस वजह से है जब हम छोटे थे हमने भूगोल में पढ़ा था। संपूर्ण संसार में तीन भाग पानी है और एक भाग भूमि है। एक भाग भी आज उस पानी से सन्तुष्ट नहीं है। आज मंत्री महोदय की कमजोरी है कि पानी को वह समुचित व्यवस्था राजस्थान के लिये नहीं कर सके। आज जो पानी की कमी महसूस हो रही है उसका कारण है।

(श्री विजयसिंह)

इसका एक और भी कारण है। सभापति महोदय जैसा कि मैं समझता हूं कि पानी की कमी इसलिये महसूस हो रही है कि आजकल दूध के अन्दर पानी मिलाया जाता है, और इस तरह कुछ भाग पानी का दूध के साथ चला जाता है। शराब के अन्दर पानी मिलाया जाता है और कुछ पानी उसके साथ चला जाता है। आज कल सबसे अधिक दवाइयों का उपयोग होने लगा है और दवाइयों में भी काफी पानी मिलाया जाता है तो काफी पानी उसमें चला जाता है। यदि इनमें पानी नहीं मिलाया जावे तो शायद राजस्थान को थोड़ा अधिक पानी मिल सकता है।

पानी की कई किस्म हैं। कहीं गहराई पर है, कहीं ऊंचाई पर है, कहीं मीठा है, कहीं खारा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे मकराना पंचायत समिति का एक रामसिया ग्राम है जिसके पास में 23 ग्राम ऐसे हैं जहां पर पानी पीने से आदमियों के हाथ पैर बल खाने लगते हैं और छोटी उम्र से ही उनके हाथ पैरों में ही नुक्स होने लग जाता है। यह मामूली समस्या नहीं है। कई बार इसके कारण राजस्थान सरकार को भी सतर्क किया गया था।

भारत सरकार के भी बड़े-बड़े अफसर आये और गंगाजल की तरह वहां का पानी शीशियों में भर कर ले गये। पर इसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ। उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो समझते हैं कि राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ पर ज्यों-ज्यों बड़े होने लगते हैं उनका शरीर बल खाने लगता है तो धिक्कार देते हैं। राजस्थान सरकार को जिन्होंने उस एरिया में अच्छे पानी का अभी तक प्रबन्ध नहीं किया। क्या राज्य सरकार वहां के अन्दर गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती ? क्या सरकार के पास साधन नहीं हैं ? क्या सरकार के पास कोई मंत्री या कर्मचारी या अधिकारी ऐसा नहीं जो इसका प्रबन्ध कर सके ?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या बड़ी भयंकर है। इसके लिये सरकार को मुस्तैदी से सोचना होगा। विधान सभा के पांच सात सदस्यों की हर पार्टी के सदस्यों की एक कमेटी होनी चाहिये जो सतर्कता का काम करे और उन अधिकारियों को जो सेक्रेटेरियट में बैठे बड़े पेट में ठंडा कूलर का पानी डाल कर तृप्ति करते हैं, खस-खस के टट्टों में बैठ कर ठंडी हवा खाते हैं उनको महसूस कराया जावे कि गांवों में क्या हालत है।

मैं मकराना की बात कहता हूं। वहां बड़ा उद्योग है पत्थर का। दस लाख करीब साल की आमदनी है। पर अगर पानी की ठीक से व्यवस्था हो जाय तो इस कारोबार से बीस लाख से भी अधिक की आमदनी हो सकती है। परन्तु जो अधिकारी ऐश में ही रहना चाहते हैं और टी. ए., डी. ए. ही उठाना चाहते हैं पानी से अधिक पेट्रोल अपनी गाड़ियों में फूंकते हैं उनको पता नहीं कि राजस्थान में आदमी पानी के बिना किस तरह से तरसता है और पशु पानी के लिये किस तरह तरसते हैं।

मकराने की बात कहता हूं। अगर राजस्थान में ये पानी की समुचित व्यवस्था

(श्री विजयसिंह)

कर दें तो राजस्थान काश्मीर को भी पीछे रख सकता है। काश्मीर मैंने देखा है। वहां पानी बहुत अधिक है पर फिर भी लोग वहां इतने गन्दे होते हैं कि उनके पास से निकलना बैठना मुश्किल होता है, और आज किसी को 12 महीने काश्मीर के एरिया में रहने का मौका मिले तो वह ऐसा मन लेकर आवेगा कि यहां नहीं रहें तो अच्छा है, बड़ी गरीबी भी वहां है। और जहां लोग पानी का उपयोग करना चाहते हैं वहां पानी नहीं है। भगवान भी वहां नहीं भेजेगा। अमरीका के लोग चांद पर पहुंच सकते हैं तो क्या राजस्थान के शासक राजस्थान के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते।

राजस्थान में पानी की कमी वैसे नहीं है। धरती के नीचे बहुत पानी है। बोरिंग से यह साबित है। पर जो अफसर लोग इस काम के लिए गांवों में जाते हैं तो गांव वालों को अपने रहने ठहरने की व्यवस्था के लिए कहते हैं। बेचारे गांव वाले गांवों में उन साहबों के लिए शहरों जैसी व्यवस्था कहां से लावें। और जब उनके अनुकूल व्यवस्था नहीं होती तो अपने बोरियां बिस्तर उठाकर चल देते हैं और जीओलोजिकल रिपोर्ट दे देते हैं कि उन गांवों में तो धरती के नीचे पानी नहीं मिल सकता, वहां तो बोरिंग नहीं हो सकता। उनकी रिपोर्ट में फर्क आ जाता है कहीं कुछ बता देते हैं, कहीं कुछ। और वह मान ली जाती है क्योंकि वे ही फाइनल ओथोरिटी होते है। उन पर कोई चैक नहीं है। उनके कारनामों की जांच नहीं होती। मुझे मालूम है आज के पांच साल पहले जरूरी गांव में पानी की तलाश करने भारत सरकार की ओर से दल आया, पर आज तक वहां पानी नहीं है। मोटरों से वे लोग आये और सारे समय खरगोश का शिकार करने के प्रयत्न में रहे, जगह जगह बन्दूकें लेकर शिकार के लिये घूमते रहे। पानी के लिए उन्होंने कोई महनत नहीं की। कारण वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभावें।

पहले मन्त्री महोदय यह ऐलान करें कि इतने वर्षों में हम पानी की समस्या को हल कर देंगे, पीने के पानी की सारे राजस्थान-वासियों के लिए व्यवस्था कर देंगे और अगर उतने समय में नहीं कर सके तो स्तीफा दे देंगे और इसी तरह सरकारी मशीनरी के अधिकारी जो बड़े बड़े जिम्मेदारी के ओहदों पर बैठे हैं उनसे भी यही कहा जाय और वे भी व्यवस्था न कर सकें तो उनको भी बड़ी से बड़ी सख्ती के साथ सजा दी जाय ताकि वे लोग अपने घरों को भरना छोड़कर राजस्थान के घर को समृद्ध करें। राजस्थान में अगर पानी है तो हर चीज चमक सकती है यहां। हम किसी चीज में पीछे नहीं। उद्योग धन्धों की यहां कमी नहीं। यहां केवल पानी की कमी है। पानी हो तो अधिक पैदावार हो सकती है। बीकानेर जैसलमेर के एरिया में बहुत लम्बी चौड़ी जमीन बंजर पड़ी है वह हरी हो सकती है। अगर पानी हो तो। जैसलमेर बाड़मेर एरिया की जमीन हरी भरी हो सकती हैं, राजस्थान सारा का सारा लहलहा सकता है अगर पानी हो तो। तो पानी की निश्चित व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें। विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी इसकी व्यवस्था करे, इस पर

(श्रीविजयसिंह)

अंकुश रखें ताकि पानी की जल्दी से जल्दी लाने की स्कीम लागू करें।

श्री सभापति : श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई ने रक्खा है, राजस्थान की पानी की हालत को देखते हुए तो यह प्रस्ताव बहुत पहले यहां आना चाहिये था। फिर भी अब आया है तो पश्चिम राजस्थान में पानी की कमी है उसे दूर करने की तरफ तत्काल ध्यान दिया जाय। आजादी के पहले हम लोग यह स्वप्न देख रहे थे कि गांवों को स्वावलम्बी बनाया जावेगा। उस स्वावलम्बी गांव में एक छोटा सा कुआ भी होगा, पाठशाला होगी, सहकारी समिति होगी डाकखाना होगा और आयुर्वेद अस्पताल होगा। ये पांच चीजें होंगी तो वह आदर्श गांव होगा यह हमने आदर्श गांव की परिभाषा मान रक्खी थी। यही गांधी जी का नारा था। इसी उद्देश्य को लेकर आजादी के लिए संघर्ष था। आजादी तो आई। पर इसके बाद क्या परिणाम निकला ? गांव को इस आदर्श के मुताबिक किस सीमा तक स्वावलम्बी बनाया गया ? यह तो आप हम सब को विदित है, और आज के इस प्रस्ताव से भी साबित होता है।

बदकिस्मत है राजस्थान का पश्चिमी इलाका जो ऐसी स्थिति में है वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां अमूमन सूखा रहता है। कभी कभी जब बरसात होती है तो तलैयों में पानी आता है वरना तो कुओं से पानी लाना होता है जो भी बहुत थोड़े हैं और दूर दूर हैं और बहुत गहरे गहरे हैं। पर हालत यह है कि यह सब जानते हुए भी आज दिन तक उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। कहीं थोड़ा बहुत गया भी तो वह नगण्य सा है। करोड़ों रुपया भी खर्च किया है। पर यह खर्चा भी उस राजस्थान के हिस्से में हुआ है जहां अपेक्षाकृत कम कठिनाई है पानी की। राजस्थान में भी इस काम के लिये प्राथमिकता कहां दी जावे। उसको ध्यान में नहीं रखते हुये जो खर्चा किया गया है....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, कोरम का अभाव है।

(गणपूर्ति हेतु घंटी)

श्री रणजीतसिंह : सभापति महोदय, अगर पानी की व्यवस्था के लिये पहले भी जो पैसा खर्च हुआ है वह योजना बद्ध तरीके से होता तो गांवों की यह दुर्दशा नहीं होती। गांव में पानी के लिये आदमी एक लोटे के लिये भी तरसता है और दूसरी तरफ व्यवस्था देखते हैं शहरों की तो घरों में सुबह से शाम पानी आता है–घर घर में पानी आता है। जो पश्चिमी इलाका है वह बिखरा हुआ इलाका है, वहां के आदमी भी बिखरे हुये रहते हैं। जहां संगठन है वहां शक्ति है। जहां शहर है वहां संगठित रूप से व्यक्ति रहते हैं। शहरों के व्यक्ति आन्दोलनों से अपनी बातें मनवा लेते हैं। गांवों में 22 साल की आजादी के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं गांवों में भी मजबूती का संगठन रखना होगा। अभी रघुनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है यह कहीं बहुत बड़ा रूप धारण न कर लें इसलिये जल्दी से जल्दी इस बोर्ड की व्यवस्था हो, जो पैसा आये वह पानी पर खर्च हो–राजनैतिक आधार

(श्री रणजीतसिंह)

पर नहीं हो। पानी ऐसी चीज है जिसमें दलगत राजनीति नहीं आनी चाहिये पानी की जहां आवश्यकता है वहां वह खर्च हो। आज 22 साल की आजादी के बाद भी विधान सभा के जितने सदस्य हैं और वे जितना पलश में पानी डालते हैं उतना भी देहातों में पानी मिल जाय तो हमें खुशी है। अब स्थिति यह है कि व्यवस्था केवल जबान से नहीं हो सकती है–व्यवस्था पैसे से होती है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो पूरे पश्चिमी इलाकों को पानी दे दे यह नहीं हो सकता है। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और इंसान इंसान में जो फरक है, जो भेद है उसको मिटा दें। एक इन्सान तो घर घर में पानी बहा रहा है, यह भेद दूर होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को यह भेद दूर करना चाहिये, राजस्थान सरकार की क्षमता नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा कि जगह जगह ट्यूब वैल्स खोदा जाय। ट्यूब वैल की स्किम बहुत अच्छी है। एकदम ट्यूब वैल का नाम लेते ही पानी घर घर में आ जाय यह सम्भव नहीं है। ट्यूब वैल ऐसी स्कीम है उस ट्यूब वैल के जरिये अगर सरकार को चलाने की क्षमता है और सरकार पानी बाहर निकालकर दे सकती है तब तो ठीक है नहीं तो लाखों रुपया लगाने के बाद भी आज ट्यूब वैल बन्द पड़े हैं क्योंकि सरकार उनको नहीं चला सकती है–सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर गांव वालों को वह दे दी जाय तो वे चला सकते हैं। नल योजना बनी है–एक तरफ तो पानी नहीं मिला है और दूसरी तरफ नल योजनायें बनी हैं। गांवों के अन्दर पाइप लाईन लगे अब पाइप लाइन लगने के बाद बहुत सी जगह वह योजना पंचायत को सुपुर्द कर दी गई तो पंचायतों के पास भी पैसा नहीं है। वह एक-दो साल चला सकती है बाद में वह योजना भी खटाई में पड़ जायगी। बादमें सरकार कहेगी लाखों रुपये लगानेके बाद वह योजना बन्द कर दी क्योंकि वह योजना योजना बद्ध तरीके से नहीं थी। जो 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है वह पानी के लिये तरसे और शहर के 20 प्रतिशत लोग पानी का खूब उपयोग करे।

ट्यूब वैल्स लगाये जायं, बहुत अच्छी बात है। अब वह समय नहीं है जो प्रकृति से सामना नहीं कर सकते हैं। एक तरफ लोग चांद पर उतर सकते हैं तो क्या आप पाताल से पानी नहीं ला सकते। लेकिन इसमें पैसा चाहिये और पैसा नहीं है तो ट्यूब वैल खुदवा दें और फिर कहें गांव वाले यह योजना चलाये इसलिये सरकार इस पर पैसा खर्च करें–सरकार पानी निकालकर खेती के लिये दे, चाहे वहां घास पैदा करना हो तो पानी दें, मवेशियों को पानी पिलाना हो तो पानी दे, कृषि करनी है तो सरकार पानी दे। सरकार साधनों को हाथ में ले तो बहुत अच्छी योजना है, सुन्दर योजना है और जो रघुनाथ जी ने योजना रखी है वह बहुत अच्छी है। एकदम ट्यूब वैल खुद नहीं सकते–पश्चिमी इलाका है उसमें सब योजना एक साथ नहीं आ सकती है आयस्ते आयस्ते आयेगी क्योंकि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है–इसमें केन्द्रीय सरकार जब तक राजी न हो जाय और जब तक विधान सभा के सदस्य केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव न डाले तब तक नहीं हो सकता है। विधान सभा के सदस्य इस बात को केन्द्रीय सरकार के सामने

(श्री रणजीतसिंह)

लायें कि राजस्थान का एक भू-भाग है और वह भाग पश्चिमी इलाका है वहां के आदमियों ने क्या जुर्म किया है जो उनको पीने का पानी नहीं मिलता है और एक तरफ पंजाब का इलाका है जिसमें पानी से कल–कारखाने लगे हुये बिजली की बहुतायत है। एक तरफ कहते हैं बिजली कहां लगायें। हम कहते हैं बिजली नहीं चाहिये। बिजली तो आप उनको दीजिये लेकिन पानी की कमी को पूरा करने के लिये आप कहिये। यह नहीं होता है।

ज्यादा ध्यान सरकार का शहरों की तरफ गया है लेकिन अब समय दूर नहीं है शहरों ने पैसा खींच लिया, अब शहरों को आप दोगे क्या ? लेकिन वे तो फिर भी कहेंगे पाइप लाइन छोटी है आबादी बराबर बढ़ रही है तो वे मांग करते हैं पाइप लाइन बड़ी बनाई जाय। कहीं कचरा फैला हुआ है तो उसके लिए आन्दोलन करते हैं। सरकार आन्दोलन से डरती है। जब आन्दोलन होगा उनकी मांग फिर पूरी होगी लेकिन जब तक देहात वाले मजबूत नहीं होंगे तब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। बोर्ड जो बन रहा है वह बहुत अच्छा है। यह देहाती योजना का बोर्ड है लेकिन ऐसा न हो कि यह शहरों में पड़ा रह जाय और केन्द्रीय सरकार जो दे वह शहरों में ही खर्च हो जाय। यह पैसा अब 80 प्रतिशत जनता के लिए खर्च होना चाहिए, 20 प्रतिशत जनता पर अब खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि फिर सरकार इन 20 प्रतिशत लोगों पर खर्च कर दें नहीं तो यह समस्या बराबर बनी रहेगी और एक दिन वह आ सकता है जब गांवों के आदमियों को वह समस्या अपने हाथ में लेनी पड़े। इसलिए मैं राज्य सरकार को कहता हूं योजनाबद्ध तरीके से बोर्ड के जरिये जो देहातों में पानी की कमी है और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से उतना धन उपलब्ध करा ले जितना धन पश्चिमी इलाके के लिए चाहिए तो उसका पूरा उपयोग इस इलाके के लिए ही होना चाहिये।

राजस्थान में नहर की बात की जाय, वह नहीं आ सकती है। नहर आने से पानी की समस्या सफल हो जायगी लेकिन उतना रुपया राज्य सरकार के पास नहीं हैं फिर उसमें कई वर्ष लगेंगे। एक दिन में कोई नहर नहीं आ सकती है। आबादी बराबर देहातों में भी बढ़ रही है। एक कुआ गांव में खुदवा दिया तो उससे हल नहीं होने वाला है वे कहेंगे आबादी बढ़ रही है और 2–3 कुओं की फिर मांग करेंगे। एक बार देहात में अकाल पड़ जाता है तो वहां का आदमी 5 साल पीछे रह जाता है। इसलिए सब हालातों को देखते हुए सरकार सुव्यवस्था करे तो अति उत्तम यह बोर्ड हैं और इस बोर्ड के माध्यम से भला हो सकता है और जो माननीय सदस्य रघुनाथ जी ने जो बोर्ड की बात रखी उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं दो चार सुझाव देना चाहता था। मैंने कई बार कहा था कि पाली में जवाई कैनाल से पानी देते हैं वह कच्चे रास्तों से देते हैं और उससे बहुत पानी वेस्ट होता है इसलिए वहां पक्की लाइन लगा दी जाये तो पानी आसानी से पहुंच सकता है और पानी वेस्ट नहीं होगा।

दूसरी बात मैंने बताई थी कि आप जगह जगह जल प्रदाय योजनायें क्यों लगाते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं, यह सारा वेस्टेज है। आप केवल एक जगह पनघट रखिये और वहीं पर होद बना कर उसमें पानी भर दीजिए और वहां पर नल लगा दीजिए। मगर आपने घर घर में नल लगा दिए हैं और नालियां वहां नहीं बनी हैं इसलिए वहां गन्दगी रहती है। पनघट एक क्लब है जहां औरतें बातें करती हैं और जलप्रदाय योजना वालों ने उसका सत्यानाश कर दिया। मैं तो बारबार कहता हूं कि महरबानी करके पनघट के क्लब को कायम रहने दें। वहां औरतें आती हैं और दुख दर्द की बातें करती हैं। आपने छोटे छोटे गांवों में जल प्रदाय योजना लगाकर घर घर में टूटियां दे दी यह अच्छी चीज नहीं है। मेरा सुझाव है कि वहां पर पानी निकाल करके पानी होद में भर दें और वहीं पर दस बीस टूटियां लगा दें......

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप 4 अप्रेल को बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि युद्धस्तर पर आप एक काम कीजिए। जिस प्रकार आप फेमिन में कहते हैं कि लोग कुए बनवायें और चन्दा दें। यदि युद्धस्तर पर जलप्रदाय महकमा राजस्थान के धनीमानी और पूंजीपति लोगों से इस बात की मांग करे कि एक एक कुआ वह बनवायें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में सैंकडों कुएं बन सकते हैं। अगर यह तरीका हो तो राजस्थान में कई लोग धर्मशाला बनवाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं तो कुओं के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं। राजस्थान इसमें कदम उठाये और लाखों रुपये इकट्ठा करके गांव गांव में कुए खुदवाने का अभियान शुरू करें तो जो जलप्रदाय महकमा है और सरकार कहती है कि पैसा नहीं है क्योंकि लोग मानते हैं कि कुआ खुदवाने से बड़ा पुण्य होता है उनमें यह विश्वास और भावना है। अगर इसका उपयोग करना है तो जल प्रदाय महकमा है उसमें धनीमानी लोगों से और धनी लोगों से जगह जगह पर कुए खुदवाने का अभियान शुरू किया जाये तो सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि हजारों कुए खुद सकते हैं और आजकल जो लोगों ने पैसा कमाया है वह कुओं में लगाने के लिए तैयार हैं और सारे निर्माण कार्य बन्द करके शहरों में जलप्रदाय योजना नहीं लगाकर सारा पैसा गांवों में डाला जाये क्योंकि ग्रामीणों की आत्मा गांवों में रहती है और अगर वहां के 75 प्रतिशत लोगों को पानी नहीं दिया तो उनकी आवाज पता नहीं जलप्रदाय महकमें को क्या नुकसान पहुंचायेगी। मैं बार बार कहता हूं कि सारा पैसा गांवों में खर्च किया जाये। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर..

श्री देवीदत्त गाड़िया : और पाली

श्री मूलचन्द डागा : बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपया लगाया करते हैं वहां न लगाकर गांवों में लगाया जाना चाहिये।

इसके अलावा जहां खारा पानी है उसका भी उपयोग किया जाये। आप क्या करते हैं गांव, गांव और शहर शहर में कुए थे उनको आपने बन्द कर दिये। उनको आप चालू रखिये। जहां खारी पानी उपयोग हो सकता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। आज सारे संसार में खारा पानी को मीठा पानी बनाने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं। इसलिए

(श्री मूलचन्द डागा)

खारे पानी का भी उपयोग किया जाये। यही मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : श्री शीशराम !

श्री शीशराम (सादुलपुर) : सभापति महोदय, माननीय श्री विश्नोईजी ने जो एक रैज्योल्यूशन रखा है पानी की समस्या को हल करने के लिए विशेष तौर पर पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए जो उन्होंने संकल्प पेश किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

इन्सान के लिए सबसे पहले पानी एक ऐसी वस्तु है कि अगर वह नहीं मिले तो उसके बगैर जिन्दा नहीं रह सकते। वैसे दूसरी चीजों से अनाज के बगैर आदमी जी सकता है दो चार घन्टे, कपड़े के बगैर रह सकता है, मकान के बगैर रह सकते हैं। लेकिन पानी ऐसी चीज है कि अगर 5 मिनट भी नहीं मिले तो हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं। ऐसी चीज और जब हम एक तरफ चलते हैं प्रजातन्त्र में जो जनता के द्वारा राज्य बना है यह सरकार चल रही है उसका फर्ज है कि जनता को और उसकी सहूलियतों को पूरा करे। लेकिन जो सरकार पीने के पानी को नहीं देती है तो उस सरकार को मैं कह सकता हूं कि इस गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिये। खैर हम माँग करते हैं और समय समय पर मांग होती रही है कि राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जिसमें पीने के पानी की बहुत ही समस्या है। दूसरे प्रान्तों में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा या वहां के लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं कि कहीं पर खारा पानी भी होता है। आज से 6-7 साल पहले श्री कामराज बीकानेर आये थे। उन्होंने बीकानेर में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं था कि खारा पानी भी होता है और उसको लोग पीते हैं। याने एक इतने बड़े आदमी को इसी देश में रहने वाले को यह पता नहीं है कि खारा नाम का भी पानी होता है और उसको लोग पीते हैं और उसको पीकर जिन्दा रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि हमारे देश में ऐसा प्रान्त भी है कि जिसमें खारा पानी है और लोग उसकी वजह से बहुत दुख पाते हैं। उसको पीकर जिन्दा रहते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रान्त जैसा भाई हंसराजजी ने बताया कि 6 लाख के करीब ऐसे आदमी हैं जो खारी पानी में रहते हैं और करोड़ों की संख्या में पशु खारी पानी पीते हैं। ऐसे पशुओं की संख्या करीब 70 लाख है। ऐसी सूरत में इस प्रान्त में इस समस्या को हल करने के लिए मैं यह चाहता हूं याने मेरा सुझाव है कि इस सरकार को जो छोटी छोटी योजनायें चलाती हैं जैसे मैं जिला परिषद् का प्रमुख 4 साल तक रहा तो उसमें पंचायत समिति के बजट वगैरह को देखते हैं तो उस पर पानी की समस्या को हल करने के लिए कुछ आंशिक रूप से पैसा रखा जाता है। उसमें मनी का वेस्टेज है। यह मेरा सुझाव है कि इस किस्म का जो मनी का वेस्टेज होता है भिन्न-भिन्न रूप में समाज कल्याण विभाग के द्वारा पानी की समस्या को हल करने के लिए पैसा भेजते हैं या रूरल वाटर सप्लाई के तहत कुछ पैसा भेजते हैं उसको बन्द करके अगर छोटे रूप से आप योजना बनायें जिससे हमेशा के लिए पानी की समस्या हल हो जाये तो मैं उसको अच्छा समझता हूं।

(श्री शीशराम)

अब विशेष तौर पर मैं चूरू जिले के लिए कहता हूं। आप राजस्थान में जहां जहां पानी खारा है वहां कहीं तो नहर की स्कीम है, कहीं नल कूपों की योजना है कहीं बांध बना कर पानी देने की योजना है लेकिन चूरू जिला ऐसा है कि जिसमें न योजना है और न बनने की गुंजाइश है। वह ऐसा जिला है जो वंचित है। राजस्थान नहर पूरी होगी तो भी पानी आने वाला नहीं है और दूसरी योजनाओं से भी नहीं आने वाला है। जैसा थोड़ी देर पहले रामचन्द्रजी ने कहा था कि एक गांव ऐसा है जिसमें 80 साल से खुदाई कर रहे है और वहां पर कुए में मीठा पानी निकला है और बहुत गहरा पानी निकला है....

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

(5 म. प.)

ऐसी हालत में चूरू जिले में उनका इस किस्म का कार्य-क्रम भी हो जिनमें बहुत गहरा पानी हो किन्तु मीठा पानी होता परन्तु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे खोद नहीं सकते और पीने का पानी प्राप्त नही कर सकते। ऐसी सूरत में चूरू जिले में विशेष प्रकार की किसी नहर या इस किस्म की वाटर बेरिंग की स्कीम चलाई जाय जिससे कि उन गांवों को पानी मिल सके। कुछ समय पहले राजगढ़ तहसील में सिधमुख कैनाल नाम की नहर की योजना के पेपर्स चले थे, किन्तु वह अभी कागज में ही है। उस योजना को साकार रूप में, कार्य रूप में परिणत करें। उस नहर से राजगढ़, तारा नगर और चूरू में पानी की समस्या हल हो सकती है। अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। इस इलाके की जमीन बहुत अच्छी है। इसकी आवश्यकता है। वहां पर इतना गहरा पानी नहीं मिलेगा। सिधमुख कैनाल को रखा जाय तो यह काम पूरा हो जाय।

इसके साथ-साथ चूरू जिले में दूसरी तहसीलों में लिफ्ट इरिगेशन बनाकर लिफ्ट से पानी दिया है। डूंगरगढ़ के नजदीक कैनाल स्कीम बनाकर कम से कम और नहीं तो पीने का पानी तो दिया जा सकता है ताकि कम से कम लोग यह महसूस कर सकें कि प्रजातन्त्र की सरकार बनी तो पीने का पानी तो कम से कम दिया है। मेरा यह सुझाव है सरकार को कि चाहे दूसरे कामों को बन्द कर दें, डेवलपमेंट के वर्क्स को रोक दें, लेकिन पीने के पानी की समस्या अवश्य हल करना चाहिए। यह सरकार का फर्ज है। जो सरकार पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकें उस सरकार के लिए मैं क्या कहूं, कुछ कह नहीं सकता। ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिया है इस योजना में कुछ करें, कार्य रूप में उसको परिणत किया जाय तो वहां पर समस्या हल हो सकती है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 18 अगस्त, 1969 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बज कर 2 मिनट पर, दिनांक 18 अगस्त, 1969 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 87 की सूची)

पकड़े गये गल्ले की सूची

क्रम सं.	विक्रय गल्ला	वजन		
		क्विन्टल	किलो	ग्राम
1.	मक्का	109	22	300
2.	गेहूं	0	21	100
3.	ज्वार	2	05	000
4.	जौ	2	16	000
5.	चना	1	32	000
6.	दाल चना	0	53	000
		115	49	400

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची

जिला बूंदी की पंचायत समितियों में गत तीन वर्षों में अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के वेतन भत्ते इत्यादि के लिए स्वीकृत व खर्च हुई राशि का विवरण

पंचायत समिति नैनवा

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि	खर्च हुई राशि
(1)	1966—67	1,76,577)—	2,53,515.49
(2)	1967—68	1 87,531)—	1,71,680.41
(3)	1968—69	2,72,207)—	2,76,410.07

पंचायत समिति हिन्डोली

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि	खर्च हुई राशि
(1)	1966—67	2,39,000)—	2,38,61.629
(2)	1967—68	2,41,248)—	3,01,047.41
(3)	1968—69	4,88,200)—	3,79,732.79

पंचायत समिति केशवरायपाटन

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि	खर्च हुई राशि
(1)	1966—67	2 09,052)—	2,41,711.95
(2)	1967—88	2,19,688)—	3,30,064.52
(3)	1968—69	5,10,700)—	3 91,996.52

पंचायत समिति तालेड़ा

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि	खर्च हुई राशि
(1)	1966—67	3,08,629)—	3,0 ,415.68
(2)	1967—68	2,72,114)—	3,74 742.50
(3)	1968—69	5,19,600)—	4,37,107.86

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

सूची (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 6

1. श्री गोपाल वल्द भैरूलाल अखनावर
2. श्री किशनचन्द वल्द नाथूराम "
3. श्री माधोलाल वल्द भैरूलाल "
4. श्री मांगीलाल वल्द किशनलाल "
5. श्री प्रभूलाल वल्द मन्नालाल लुहार "
6. श्री रामगोपाल "
7. श्री रामगोपाल वल्द बंशीलाल "

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न सं. 97 की सूची

क्रय किये गये कांटेदार तार की सूची

क्र. सं.	वर्ष	सप्लायर	दर	तोल
1.	65-66	मैसर्स नरसिंह दास विट्ठल दास	2279.00 रु. प्रति टन	0.494 टन
2.	,,	राधा बल्लभ एण्ड सन्स	2077/- ,, ,,	1.000 टन
3.	66-67	—	—	—
4.	67-68	अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) जयपुर	2747.33 2809.76	9.735 टन 56.219 टन
			योग:–	67.439 टन

बेचे गये कांटेदार तार की सूची

क्र. सं.	वर्ष	जोब नं	वजन
1.	1965-66	एम. जे. 17	0.146 टन विभिन्न जोब पर दिया गया।
2.	1965-66	एम. जे. 81	0.193 टन एग्रीकल्चर इन्जीनियर अनुसंधान, जयपुर।
3.	1965-66	एम. जे. 98	0.046 टन विभिन्न जोबों पर दिया गया।
4.	1965-66	एम. जे. 100	0.396 टन विभिन्न जोबों पर दिया गया।
5.	1965-66	एम. जे. 29	0.190 टन सहायक कृषि अभियंता भूमि सुधार, जयपुर।
6.	1966-67	एम. जे. 7	0.083 टन एग्रीकल्चर इंजीनियर, कृषि यंत्रालय को दिया गया।
7.	,, ,,	एम. 60	0.224 टन सहायक कृषि अभियंता क्षेत्रीय कृषि यंत्रालय, कोटा को दिया गया।

1	2	3	4
8.	1967-68	निदेशक, पशु पालन विभाग, जयपुर	4.300 टन
9.	,, ,,	सी. ए. आर. ई., जयपुर	1.126 टन
10.	,, ,,	जिला कृषि अधिकारी, बून्दी	2.535 टन
11.	,, ,,	डी. एम. कक्ष पर एक्स मिनिस्ट्रेटिव कौर, जयपुर	0.643 टन
12.	,, ,,	जिला कृषि अधिकारी, टोंक	2.560 टन
13.	,, ,,	उप संचालक पौध संरक्षण, जयपुर	0.258 टन
14.	,, ,,	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, झुन्झुनू	7.652 टन
15.	,, ,,	प्रोजेक्ट ऑफिसर, यूनिट्स, कोटा	2.920 टन
16.	,, ,,	उप संचालक, सघन पशु विकास योजना, जयपुर	8.340 टन
17.	,, ,,	बीकानेर क्वालिटी कन्ट्रोल सं. कृषि मंत्रालय, जयपुर	0.020 टन
18.	,, ,,	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, बीकानेर	3.035 टन
19.	,, ,,	फन्डन डवलपमेंट ऑफिसर, आई. सी. सी. एस., बीकानेर	5.140 टन
20.	,, ,,	असिस्टेन्ट इकोनोमिस्ट, बोटोनिस्ट, कोटा	0.511 टन
21.	,, ,,	असिस्टेन्ट सोयल कन्सरवेशन ऑ. जोधपुर	16.655 टन
22.	68-69	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, बीकानेर	1.740 टन
23.	,, ,,	फार्म मैनेजर, सवाई माधोपुर	0.770 टन
24.	,, ,,	डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर, टोंक	1.120 टन
25.	,, ,,	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, सिरोही	0.334 टन
26.	,, ,,	वन विभाग, अजमेर	0.379 टन
			61.306 टन

कुल क्रय 67.439 टन

कार्य में लिया 61.306 टन

शेष 6.133 टन

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ के विरुद्ध दर्ज मामला

102. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सूरतगढ़ के प्रधान के विरुद्ध 409 का मुकदमा दर्ज हो चुका है ? यदि हां, तो वह मुकदमा कब दर्ज हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस मुकदमें का चालान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक चालान न किया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रधान के विरुद्ध 409 के और भी मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(4) क्या यह सही है कि सूरतगढ पंचायत समिति का प्रधान एक असरदार आदमी है ? इनके विरुद्ध आरोपों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति सूरतगढ के प्रधान के विरुद्ध थाना सूरतगढ में दिनांक 6-4-63 को धारा 409 ता. हि. का मुकदमा नं. 45 दर्ज हुआ है ?

(2) जी हां । इस मुकदमे में एफ. आर. दी गई है ।

(3) जी नहीं । और कोई मुकदमें नहीं चल रहे है ।

(4) जी हां । पंचायत समिति के प्रधान का पद महत्वपूर्ण होता है, और श्री बीरबल भादू प्रधान है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि वह अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं ।

गंगानगर जिले में सैनिकों को भूमि का अलाटमेंट

103. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा वर्तमान सैनिकों को कृषि हेतु भूमि आवन्टन करने हेतु किस-किस क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषणा की गई ?

(2) इस समय कहां कहां और कितनी कितनी भूमि सुरक्षित है ?

(3) कितने सैनिकों को कहां कहां कितनी कितनी भूमि अब तक आवन्टित की जा चुकी है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) गंगानगर जिले में किस किस प्रकार की भूमि किन किन सैनिकों को कितनी कितनी कब कब आवन्टित की गई ? कृपया इनकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) गंगानगर में भूमि प्राप्त करने वाले इन सैनिकों में कौन कौन ऐसे हैं जो फौज में सेवा करते वक्त राजस्थान के निवासी थे और कौन कौन नहीं ?

(स्थगित किया गया)

बारां में लेवी पेड ज्वार का मामला

104. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत करीब दो तीन वर्ष पूर्व मैसर्स नारायण हरिशंकर बारां ने लेवी पेड ज्वार की दो-तीन हजार बोरियों का जमा खर्च अपनी कोटा दूकान व बारां दूकान के नाम से दोहरा इन्द्राज करने के सम्बन्ध में कोटा सप्लाई विभाग एवं जयपुर सप्लाई विभाग के एक एन्फोर्समेन्ट आफिसर द्वारा जांच की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म के मालिक श्री सेठ रामगोपाल ने अपनी सफाई के लिए कोटा सप्लाई विभाग कार्यालय में जिला सप्लाई अधिकारी के सामने जयपुर के जांच अधिकारी एवं एन्फोर्समेन्ट आफिसर से कुछ पूछताछ की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में उक्त अधिकारी द्वारा दिये गये बयानों की प्रतिलिपि एवं कोटा जिला खाद्यान्न वितरण अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) यह सही है कि मै. नारायण हरिशंकर कोटा एवं बारां स्थित फर्मों की जांच खाद्य विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई थी। जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि दिनांक 22-6-65 को 441-75 क्वि. लेवी पेड ज्वार बारां दूकान पर भेजना बतलाया एवं इतनी ही तादाद में दिनांक 19-7-65 को बारां की दूकान से कोटा की दूकान को भेजना बतलाया था। बारां की दूकान से लिए दिनांक 24-6-65 को 446-40 क्वि. ज्वार कोटा की दूकान पर भेजना बतलाया तथा इतनी ही तादाद में कोटा स्थित दूकान से बारां की दुकान को भेजना बतलाया था।

(2) जी हां, यह सही है कि फर्म के मालिक श्री रामगोपाल ने अपनी सफाई के लिए जिला रसद अधिकारी के समक्ष जांच कर्ता प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय, जयपुर से सवाल-जवाब किये थे।

हाई ब्रीड सीड की खरीद

105. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष हाई ब्रीड सीड प्रोड्यूसरों से सरकार ने एन. एस. सी. का एग्रीड बीज पूरा नहीं खरीदकर उसका कुछ प्रतिशत ही खरीदा है ? यदि हां, तो क्यों ? प्रतिशत क्या रखा गया ?

(2) क्या सरकार को विदित है कि काश्तकारों का पूरा बीज सरकार द्वारा नहीं खरीदने की हालत में बाजार में यही बीज सरकार के मुकाबले में बहुत सस्ते भाव पर उपलब्ध हो रहा है और इससे सरकार का बीज पूरा का पूरा पड़ा रह गया है जिससे सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ी है ?

उत्तर

(1) जी हां, 80 प्रतिशत पैदावार राज्य सरकार ने प्रोड्यूसरों से खरीद किया है। 20 प्रतिशत उनके निजी कार्य हेतु छोड़ दी है जिससे वे स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

(कृषि मंत्री)

(2) कुछ स्थानों से इस प्रकार की अवश्य सूचना मिली है कि जहां पर इन काश्तकारों ने राज्य की निर्धारित दर से कम पर बीज बेचा है परन्तु इससे राज्य की वितरण व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। लक्ष्यों के अनुसार बीज का वितरण हुआ है अतः राज्य सरकार को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतापगढ़-मन्दसोर सड़क

106. श्री हरलाल मीणा (श्री माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ मन्दसोर सड़क की हालत बहुत खराब है एवं इसमें बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क पर भारी एवं काफी ट्राफिक रहता है और साथ ही वर्षा काल में तो चौ तरफ के लोगों को आने जाने के लिये केवल यही डामर सड़क है ?

(3) क्या यह सत्य है कि यह सड़क कम चौड़ी है जिससे वर्षा काल में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रास करने में उस काली मिट्टी में फंस जाती है, जिससे मोटर मालिक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क को चौड़ी कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 4 क्षेत्रों को छोड़ कर सड़क को बना रही है।

(2) जी हां।

(3) इस सड़क की चौड़ाई अब इसी प्रकार की सड़कों की भांति 10 फीट है। मोटर मालिकों की हानि की इस विभाग को जानकारी नहीं है। जी नहीं।

प्रधान पंचायत समिति, डीडवाना के विरुद्ध शिकायतों की जांच

107. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डीडवाना के प्रधान के खिलाफ भूतपूर्व विकास आयुक्त श्री आर. डी. माथुर ने कोई जांच राज्य सरकार के आदेश से की थी ? यदि हां, तो कब और किस शिकायत पर और जांच रिपोर्ट में उक्त अधिकारी ने नतीजा क्या दिया तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त फाइल पर राष्ट्रपति शासन के समय कोई आदेश सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो क्या ? और उक्त आदेश की तामिल क्यों नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, विकास अधिकारी पंचायत समिति, डीडवाना तथा समिति के अन्य सदस्यों की शिकायत पर दि. 9-1-64 को श्री आर. डी. माथुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने श्री जैनाराम प्रधान का अपने अधिकारों

(पंचायत मंत्री)

का दुरुपयोग करना, पंचायत समिति के कार्य संचालन में अनुचित हस्तक्षेप करना, राजकीय कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, पंचायत समिति की मेले में की गई नाटक की आय पंचायत समिति कोष में जमा नहीं कराना, स्थाई समिति प्रशासन के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराना, अवैधानिक कार्यवाही करना व अपने पद का दुरुपयोग करना प्रमाणित माना।

राज्य सरकार ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट श्री चैनाराम के स्पष्टीकरण एवं समस्त कार्यवाही पर विचार कर यह निर्णय लिया कि प्रधान द्वारा जो अधिकारों के दुरुपयोग करने अथवा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के आरोप हैं वे केवल ऐसी अनियमितताएं हैं जो तकनीकी व प्रशासनिक ज्ञान के अभाव में साधारणतया होना स्वाभाविक है और श्री चैनाराम ने जो कार्य किये थे वे नेक नियति से किये थे इसलिये उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पंचायत समिति के कार्य में प्रगति नहीं होने और दुर्व्यवहार के आरोप के मूल कारण प्रधान और विकास अधिकारी के बीच सद्व्यवहार न होना था।

जहां तक जीप के दुरुपयोग का सम्बन्ध है सहकारी समिति के काम के लिए जो दौरे किये गये उसके व्यय की राशि, ट्रैक्टर के लिए दी गई धनराशि एवं मेले में नाटक की आय की बकाया राशि श्री चैनाराम से वसूल करने के आदेश दिये गये तथा बीज की खरीद और सड़क निर्माण के मामलों की आगे और जांच कराने का निर्णय लिया गया।

तत्कालीन सलाहकार द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आरोपों को देखते हुए श्री चैनाराम के विरुद्ध फाईन्डिंग रेकार्ड करना ही पर्याप्त नहीं होगा वरन् उसे प्रधान के पद से पृथक् करने की कार्यवाही करना वांछनीय है, जिसके लिये राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 40 (1) व (4) के अनुसार जिला परिषद् की सम्मति मांगी जावे। जिसकी तामील में जिला परिषद् की सम्मति मांगी गई।

मंडी कमेटी कोटा द्वारा प्लाटों का बेचान

108. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मन्डी कमेटी, कोटा ने अब तक कितने प्लाट बेच कर कितना रुपया अर्जित किया है ?

(2) मन्डी कमेटी के निर्माण कार्य पर कहां कहां कब कब अब तक कितना कितना व्यय किया है ?

(3) मन्डी कमेटी ने वर्ष 1967-68 में निर्माण काय पर कितना व्यय किया और इस वर्ष कितना किया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से भी विकास (भूमि) हेतु रुपया प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो कब कब, कितना कितना ?

उत्तर

(1) मण्डी कमेटी, कोटा द्वारा 31-3-69 तक विभिन्न मण्डियों में कुल 1,481 प्लाट बेचे गये हैं तथा कुल रु. 69.46 लाख रुपये अर्जित किये हैं।

(2) मण्डी कमेटी कोटा ने 31-3-69 तक विकास कार्यों पर जो खर्च किया है उसकी सूची संलग्न है।

3. मण्डी कमेटी, कोटा ने 1967-68 में विकास कार्यों पर रु. 1.60 लाख खर्च किए। 1968-69 में रु. 5-35 लाख खर्च किए गए व 1969-70 में 8 लाख रुपया खर्च किया जाने का अनुमान है।

4. यह सही है कि विकास (भूमि) हेतु केन्द्रीय योजना में जीवन बीमा लोन से शीर्षक 52–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत–।।। भूमि अवाप्ति व विकास के तहत रकम प्राप्त हुई है। इस रकम का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

वर्ष	राशि (लाखों में)
1962-63	10.95
1963-64	10.93
1964-65	6.65
1965-66	6.14
1966-67	5.00
1967-68	1.60
1968-69	5.35
योग.....	46.62

नोट:–बाकी रकम स्टेट प्लान से खर्च हुई है।

सूची

मण्डी कमेटी कोटा ने 31-3-69 तक विकास कार्यों पर खर्चा इस प्रकार किया वर्षवार खर्चा (राशि लाखों में)

क्रम सं.	नाम मण्डी	1960-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	योग
1.	कोटा	8.06	5.86	9.30	9.70	5.57	5.58	3.58	1.60	4.04	53.29
2.	बारां	–	0.56	1.35	0.69	.71	0.27	–	–	0.05	3.63
3.	बून्दी	–	0.43	0.30	0.54	0.37	0.29	0.16	–	0.97	3.06
4.	बून्दी रोड	–	–	–	–	–	–	1.26	–	0.29	1.55
	योग :	8.06	6.85	10.95	10.93	6.65	6.14	5.00	1.60	5.35	61.53

जागीर शिमला का मुआवजा

109. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) :

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जागीर शिमला तहसील सरदार शहर कब रिज्यूम हुई ? इसके कौन-कौन जागीरदार कितनी-कितनी जागीर के मालिक थे ?

(2) जागीर के मुआवजे का क्लेम कब किसके द्वारा किया गया ? और कितना मुआवजा मिला ? क्लेम नम्बर और जागीर बाण्ड नम्बर बतलाए जावें जो जागीरदार को वितरित किए गये ? अन्य क्या-क्या सुविधाएं दी गई ?

(3) शिमला के अधिकृत जागीरदार के नाम से शिमला की जागीर में अथवा अन्य जगह कुल कितनी भूमि किस किस खसरे में है ?

(4) क्या यह सही है कि जमाबन्दी सम्वत् 2019 के खाता नम्बर 107, 108 115, 119, 120 में खेत नम्बर 38, 135, 76, 136 में 101 बीघा 431 2361) 2, 49114 और 14414 भूमि खातेदारी में दर्ज है ?

(5) क्या यह सही है कि शिमला जागीर के पांच जागीरदारों को चक नं. 6 एन. डी. राजस्थान कैनाल की तहसील रामसिंह नगर मुकाम सूरतगढ में भूमिहीन मानकर खुद काश्त कमिश्नर ने मुरब्बे अलाट किए हैं जो इस प्रकार हैं:—

नाम अलाटी:—

(1) भीवांसिह पुत्र रामसिंह
(2) सुगनसिंह पुत्र रामसिंह
(3) रतनसिंह पुत्र रामसिंह
(4) अमर सिंह पुत्र रामसिंह
(5) जुगलसिंह पुत्र रामसिंह

गांव:—

शिमला
शिमला
शिमला
शिमला
शिमला

अलाटमेन्ट आदेश की संख्या—

469।का।क. दि. 4-10-66
470।का।क. दि. 4-10-66
471।का।क. दि. 4-10-66
472।का।क. दि. 4-10-66
473।का।क. दि. 4-10-66

(6) क्या यह एलाटमेन्ट सही है ?

(7) क्या जिन व्यक्तियों के नाम भूमि अलाट की गई है वे नाबालिग और अविवाहित हैं ? और संयुक्त परिवार के सदस्य हैं ?

(8) यदि यह अलाटमेन्ट सही नहीं है तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही किन किन के विरुद्ध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1-मुख्य जागीर 29-10-54 को तथा गुजारेदारों की जागीरें 1-7-58 को रिज्यूम की गई। (विवरण पत्र संलग्न है)

(राजस्व मंत्री)

2–मुख्य जागीर का दावा श्री जोरावर-सिंह ने दिनांक 7-2-57 को प्रस्तुत किया, अन्य दावे विभाग द्वारा तैयार किये गये। विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3–श्री जोरावरसिंह के नाम पर शिमला में खसरा नम्बर 135 रकबा 46) । ग्राम खोजरा में श्री सुलतानसिंह पुत्र रामसिंह 1।2 हिस्सा व श्री जोरावरसिंह पुत्र बागसिंह 1।2 हिस्सा खसरा नम्बर 14 रकबा 213) 2 खातेदारी दर्ज हैं।

4–(क) संवत् 2019 की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 38 रकबा 10) 5 जुगलसिंह पुत्र रामसिंह के नाम।

(ख) खसरा नम्बर 135 रकबा 45) श्री जोरावरसिंह पुत्र बाघसिंह।

(ग) खसरा नम्बर 76 रकबा 49) 9 श्री सुलतानसिंह पुत्र रामसिंह के नाम।

(घ) खसरा नम्बर 136. रकबा 144) 4 सर्वश्री सुलतानसिंह, साजनसिंह, उम्मेदसिंह, जुगलसिंह, अमरसिंह, रानासिंह, भीमसिंह, पुत्र रामसिंह व हिस्सा बराबर खातेदारी है।

उपरोक्त चारों खसरे नम्बर संवत् 2018 से खातेदारी में हैं।

5–जी हां।

अलाटमेंट आदेश की संख्या

469।का।क–4-10-66

470।का।क–4-10-66

471।का।क–4-10-66

472।का।क–4-10-66

472।का।क–4-10-66

6–जांच करली जायगी।

7–जी नहीं इनमें दो अविवाहित तथा तीन विवाहित हैं। यह सब संयुक्त परिवार के सदस्य हैं।

8–नतीजा जांच प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही हो सकेगी।

ी

...जागीरदारों को मुआवजा दिया गया उसका विवरण

...तत्कालीन ...किश्तों में दिये गये	शेष देय	बोण्ड्स के नम्बर जो जागीरदारों को दिये गये: 50	100	200	500	1000	5000	10,000	विशेष विवरण
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
...06–00	15398–12/	डी. एम. 0034841	डी. एच. 0034851	डी. एच. 003486	—	—	डी. एच. 003487	डी. एच. 003488	—
200–00	4800–00	—	डी. एच. 003489	डी. एच. 003490	डी. एच. 003491	डी. एच. 003495 / 95	—	—	—
150–06	600–00	—	डी एच 003496	—	डी एच 003497	—	—	—	—
150.00	600–00	—	डी एच 003498	—	डी एच 003499	—	—	—	—
150–00	600–00	—	डी एच 003500	—	डी एच 003501	—	—	—	—
150–00	600–00	—	डी एच 003502	—	डी एच 003503	—	—	—	—
150–00	600–00	—	डी एच 003504	—	डी एच 003505	—	—	—	—
150–00	600–00	—	डी एच 003506	—	डी एच 003507	—	—	—	—
506–00	23798–12								
—	580–50	डी एच 048537	—	—	डी एच 048538	—	—	—	—
—	572–04	डी एच 048539	—	—	डी एच 048540	—	—	—	—
—	39–99	—	—	—	—	—	—	—	—
—	170–57	डी एच 048541	डी एच 048542	—	—	—	—	—	—
—	225–90	—	—	डी एच 291479	—	—	—	—	—
—	84–05	डी एच 291480	—	—	—	—	—	—	—
—	84–05	डी एच 291481	—	—	—	—	—	—	—
—	84–05	डी एच 291482	—	—	—	—	—	—	—
—	84–04	डी एच 29148	—	—	—	—	—	—	—
—	1085–04	डी एच 294284	—	—	—	डी एच 291485	—	—	—
—	148–01	—	डी एच 291486	—	—	—	—	—	—
—	148–01	—	डी एच 291487	—	—	—	—	—	—
—	340–31	—	डी एच 291488	डी एच 291489	—	—	—	—	—
—	378–18	डी च 291490	डी एच 291491	डी एच 291492	—	—	—	—	—
—	378–18	डी एच 291493	डी एच 291494	डी एच 291495	—	—	—	—	—
—	225–36	—	—	डी एच 291496	—	—	—	—	—
—	225–36	—	—	डी एच 291497	—	—	—	—	—

अकाल के कारण भू-राजस्व व अन्य ऋणों आदि की वसूली स्थगित करने के आधार

110. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष अकाल होने से कई तरह की वसूलियां (राजस्व व अन्य ऋण वगैरह) राज्य सरकार द्वारा स्थगित की गई हैं ? अगर हां, तो किस तरह की वसूलियां स्थगित की गई हैं ? वसूलियां स्थगित करने के लिये अकाल वर्ष में साधारणतया क्या क्या आधार देखे जाते हैं ? इस वर्ष वसूलियां स्थगित करने के लिये क्या क्या आधार देखे गये हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्व बकाया के अलावा और कई तरह की वसूलियां करने के राज्य सरकार के आदेश राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं ? अगर हां, तो वे किस प्रकार की वसूलियां हैं ? क्या इस प्रकार की वसूलियां इस भयंकर अकाल वर्ष में होना सम्भव है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? अगर नहीं, तो इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश क्यों जारी हुए हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार सिर्फ लम्बी अवधि वाले ऋणों की किश्तों की वसूलियों के अलावा और अन्य प्रकार की तमाम बकाया की वसूलियां स्थगित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसे आदेश कब तक जारी कर दिए जावेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) अकाल वर्षों में काश्तकारों को राजस्व माफी देने के क्या आधार हैं ? क्या इस प्रकार के नियमों की पालना होती है ? अगर नहीं तो क्या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, संलग्न परिपत्र (परिशिष्ट 1) के अनुसार वसूलियां स्थगित की गई हैं। फसल का खराबा 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर अकाल घोषित किया जाता है। इस वर्ष भी अकाल घोषणा के लिये यही आधार लिया गया है।

(2) (परिशिष्ट–1) नियमानुसार जो वसूलियां स्थगित हो सकती थीं, तथा कुछ और वसूलियां जिन्हें उचित समझा गया उसकी वसूली स्थगित कर परिशिष्ट–1 के अनुसार ही वसूली करने के आदेश प्रसारित किये गये।

(3) इस समय विचाराधीन नहीं है।

(4) अकाल वर्षों में राजस्व की माफी राजस्थान टेनेन्सी एक्ट एवं संलग्न परिपत्र (परिशिष्ट–2) के आधार पर दी जाती है।

सूची–अ

PRIORITY

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (C) DEPARTMENT
ORDER

Jaipur, February 26, 1969

Subject:—Recovery of Land Revenue and other dues from the

Page No. 159

(राजस्व मंत्री)

the realisation of Land Revenue, loans and taccavi etc. shall be made as under:—

1. In areas, declared scarcity affected, by the Famine Relief Deptt:—

(1) The recoverd of land revenue shall remain stayed,

(2) The recovery of all types of a gricultural loans (long medium and short terms) and Taccavi dues of Government as well as of panchayat Samities shall remain stayed except that:—

(i) the instalments and interest on loans for tractors and pumping sets will continue to be recovered.

(ii) the instalments and interest on loans for construction of wells will continue to be recovered provided the welld was used for irrigating current rabi crop.

However in both the above cases only two instalments, will be recovered.

2. The realisations mentioned in para 1 above shall remain stayed for the period mentioned in the Order of Relief Department issue under Sec. 126 of the Rajasthan Tenancy Act.

3. Instalment and interest on Industrial and Minning loans shall continue to be recovered.

4. The recovery of the dues of Cooperative institutions will continue to be made according to the Cooperative Department Rules, which already provide for conversion of short into medium term loan on the occurrence of scarcity conditions.

By Order,
Sd/—
Dy. Secretary (Revenue).

Copy forward for information and necessary action:—

1. All Collectors.
2. Finance Department.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Accounts Officer, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.
5. Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.
6. Private Secretary, Minister/Dy. Minister.
7. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Additional, Development Commissioner, Panchayat and Development Department.
9. Cabinet Secretariat.
10. Commissioner, Relief Department, Rajasthan, Jaipur.
11. Registrar, Cooperative Department, Rajasthan, Jaipur.
12. Director, Agriculture Department, Rajasthan, Jaipur.
13. Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
14. Director of Mines and Geological Department, Rajasthan, Jaipur.
15. Commissioner Colonisation Department, Bikaner.
16. Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.

Sd/-
Dy. Secretary (Revenue).

सूची–ब

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

क्रमांक–एफ. 7 (86) राजा/ग। 67 जयपुर, दिनांक 18 नवम्बर, 67

आज्ञा

राज्य सरकार ने राजस्थान में अकालग्रस्त इलाकों में लगान तकावी आदि की वसूली हेतु निम्न निर्धारित की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी:–

(1) राज्य के किसी भी क्षेत्र में लगान की वसूली किसी अच्छी फसल वर्ष में इस प्रकार की जायेगी कि किसी भी कृषक से दो वर्ष से अधिक का लगान एक साथ वसूल न हो।

(2) यदि किसी क्षेत्र में दो वर्ष लगातार अकाल की स्थिति रहे तथा उसके कारण लगान की वसूली स्थगित होने के पश्चात् तीसरे वर्ष अच्छी फसल हो तो वसूली निम्न प्रकार से होगी:–

(क) लगातार दो वर्षों तक अकाल की स्थिति होकर तीसरे वर्ष फसल अच्छी होने की अवस्था में तीसरे वर्ष का लगान यथावत् वसूल होगा।

(ख) तीसरे वर्ष की लगान वसूली के साथ अकाल के दूसरे वर्ष के लगा की वसूली की जावेगी।

(ग) अकाल के पहले वर्ष के लगान की वसूली माफ करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधीश जांच करके नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) यदि किसी क्षेत्र में तीन वर्ष अकाल रहा हो और उनके कारण लगान की वसूली स्थगित होने के पश्चात् चौथे वर्ष में अच्छी फसल हुई हो तो वसूली निम्न प्रकार से होगी:–

(क) लगातार तीन वर्ष तक अकाल की स्थिति होकर चौथे वर्ष फसल अच्छी होने की अवस्था में चौथे वर्ष का लगान यथ वत् वसूल होगा।

(ख) चौथे वर्ष के लगान वसूली के साथ अकाल के तीसरे वर्ष के लगान की भी वसूली की जायेगी।

(ग) अकाल के दूसरे वर्ष के लगान की वसूली माफ करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधीश जांच करके नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(घ) शेष काल के प्रथम वर्ष के लगान की वसूली स्वतः माफ मानी जायेगी।

(4) तकावी की वसूली के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण किया जायेगा:-

(क) किसी भी अच्छे वर्ष में कृषक से एक साथ दो से अधिक किश्तें वसूल नहीं की जायेंगी। यदि वह स्वेच्छा से किश्त देना चाहे तो उसे राज्य सरकार स्वीकृत करेगी इन व्यक्तियों से दाण्डिक ब्याज (वसूल नहीं किया जायेगा)।

(ख) जिन लोगों में पुरानी तकाबी की वसूली बाकी हो और जिन्होंने बीच में अच्छी फसल आने पर भी उसकी अदायगी नियमानुसार नहीं की हो, उनसे अधिक से अधिक तीन किश्तों की वसूली एक साथ की जावें। ऐसे व्यक्तियों से दाण्डिक ब्याज एक मुश्त वसूल किया जावे।

आज्ञा से,

नारायण चन्द भटनागर,
राजस्व सचिव।

बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के मामले

111. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से पैंडिग हैं? नामावली देते हुए तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) यह सभी मामले पटवारियों के पास कितने दिन तक पैंडिग रहे? प्रत्येक मामले की देरी का विवरण देते हुए सूचना देने की कृपा करें।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भरकर पंचायत में पेश करने के कारण किन किन के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाया गया।

उत्तर

(1) अप्रैल 1969 तक बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के मामले 1,198 पैन्डिग हैं।

तहसील	पैंडिंग नामान्तरण की संख्या
पचपदरा	462
बाड़मेर	199
शिव	14
चौहटन	76
सिवाना	447
	1,198

नामवार सूची बहुत लम्बी है व एक ही प्रति प्राप्त हुई है इसलिये नियमानुसार कार्यालय में देखी जा सकती है।

(राजस्व मंत्री)

(2) कुछ मामलों के अतिरिक्त अधिकांश मामले पटवारी के पास निर्धारित अवधि तक ही रहे हैं। देरी का कारण पंचायतों की बैठक का नहीं होना व लगातार अकाल स्थिति के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों का उपलब्ध न होना है।

(3) जिन मामलों में पटवारी द्वारा अनावश्यक देरी की गई है उनकी जांच करवाई जा रही है।

पाली तहसील में अकाल राहत कार्य

112. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील में अकाल के समय कितने कार्य सिंचाई के, कितने सडक निर्माण के व कितने काम रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा कराये गये? उनकी लागत क्या-क्या रही? पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पाली तहसील में राज्य सरकार ने कितने टांके किस किस जगह पर कितनी कितनी लागत के निर्माण करवाये हैं? पूरी सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने अकाल के समय पाली तहसील में कुओं को गहरा करवाने की भी व्यवस्था की है? यदि हां, तो कुल कितने कुओं को गहरा कराने व उनकी मरम्मत करने में कितना खर्चा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पाली तहसील में सहायता कार्यों के रूप में सिंचाई के 8, सडक निर्माण के 12 व रेवेन्यू एजेन्सी के 44 कार्य कराये गये। उनकी अनमानित लागत 9,90,000 रु. 38-40 लाख रु. एवं 3-58 लाख रु. व्यय होने की सम्भावना है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने सहायता कार्यों के रूप में पाली तहसील में कुओं को गहरा कराने की भी व्यवस्था की है। 20 कुओं को गहरा कराने व मरम्मत कराने में 76,325 रु. व्यय किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 21 देखिये)

सरपचों एवं प्रधानों के विरुद्ध गबन के मामले

113. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा):— क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने सरपंच और प्रधानों पर गबन के केस अदालतों में चल रहे हैं तथा कितने सरपंच और प्रधान मौअत्तिल हैं?

(2) क्या पंचायत समितियों के प्रधानों के खिलाफ जो केस चले हैं उनमें से किसी को सजा भी हुई है? जिनको सजा हो चुकी है उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

जयपुर नगर के आसपास कृषि योग्य पड़त भूमि का आवंटन

114. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) जयपुर नगर के 10 मील के क्षेत्र में सन् 52 से अब तक किस किस तहसील के किस किस गांव में कितनी कितनी सरकारी कृषि योग्य पडत भूमि किस किस कार्य के लिये कब कब सीधे सरकार द्वारा किन किन व्यक्तियों को आवन्टित की है? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें। आवन्टित भूमि में से कौन कौन सी भूमि किस किस नगरपालिका क्षेत्र में आती है?

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में सरकार की किस किस गांव में कितनी कितनी पडत भूमि है? कृपया गांव वार तालिका प्रस्तुत करें।

(ग) इस क्षेत्र में आवन्टन के सम्बन्ध में किन नियमों का पालन किया गया है और किया जाता है।

(घ) किन किन व्यक्तियों ने जिस जिस कार्यों के लिय भूमि का आवन्टन किया था उसके विपरीत कार्यों में उसका उपयोग किया है?

उत्तर

(क) इसकी सूची (क) संलग्न है।

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में, तहसीलवार पड़त भूमि की सूची (ख) संलग्न है।

(ग) ये आवंटन भू-राजस्व अधिनियम 1956 की संबंधित धाराओं के तहत किये गये हैं।

(घ) इसकी सूची (ग) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

टौंक में डी. एम. एच. ओ. का पद

115. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई)--क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या टौंक में डी. एम. एच. ओ. का पद कायम करने का सरकार का विचार है जिससे जनता को इलाज में सुविधा हो?

(2) क्या यह सही है कि प्रान्त में कोई छोटी छोटी जगहों पर डी. एम. एच. ओ. की पोस्टें हैं? यदि हां, तो फिर टौंक में यह पद क्यों नहीं है?

(3) सरकार कब तक टौंक में डी. एम. एच. ओ. का दफ्तर कायम करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) योजना सीमा में धनराशि उपलब्ध होने पर टौंक में ही नहीं वरन् अन्य स्थानों के लिये भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्थान जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में परिवर्तित करने का विचार है?

तहसीलदारों का निलम्बन

116. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाडमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में गत दस सालों में कितने तहसीलदारों को सस्पेन्ड किया गया?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कितने बहाल हुए और कितनों को सजायें मिलीं ? उसकी सूची भी तहसीलवार प्रस्तुत करें।

(3) विभागीय जांच में कितना कितना समय लगा था ? विवरण प्रत्येक तहसीलवार देते हुए प्रस्तुत करें।

(4) क्या राज्य सरकार विभागीय जांच में होने वाले विलम्ब को दूर करने का कोई इरादा रखती है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) सन् 1958 से अब तक कुल 106 तहसीलदारों को सस्पेन्ड किया गया है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) उनमें से 31 तहसीलदार बहाल हुए और 46 को सजायें मिलीं। प्रस्तुत सूची में वर्णित है।

(3) प्रस्तुत सूची में प्रत्येक तहसीलदार का विवरण दिया गया है।

(4) विभागीय जांच, नियमों के अन्तर्गत होती है जिसमें विपक्षी को सुनने तथा प्रमाण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है इस कारण से विभागीय जांच में समय लगता है अन्यथा नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

तहसील सांचौर में चारे की व्यवस्था

117. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचौर में पर्याप्त मात्रा में अभी तक चारा नहीं पहुंचा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि चारे के अभाव में कांकरेज प्रसिद्ध नस्ल की मवेशी मर रही हैं ? अगर हां, तो इस बारे में सम्पूर्ण व्यवस्था कब तक करदी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचौर के तमाम चारा डिपोज पर अभी तक बिल्कुल चारा नहीं पहुंचा है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अगर नहीं, तो किस किस डिपो पर कितना कितना चारा कब कब पहुंचा है ?

(4) किस किस डिपो पर अब तक कितना चारा पहुंच पाया है ? सब डिपोज पर कब तक पर्याप्त चारे की व्यवस्था करदी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

तहसील लाडपुरा में भूमि का आवंटन

118. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में सन् 67 व 68 में भूमि का आवंटन किया गया है ? अगर हां, तो सूची मय नाम देने का कष्ट करें।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(2) क्या यह सही है कि आलनिया प्रोजेक्ट क्षेत्र में भी भूमि का आवन्टन किया गया है ? अगर हां, तो कितनी कितनी व किस किस को कब कब दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि आलनिया प्रोजेक्ट में भूमि का आवन्टन नहीं किया जा सकता ? अगर हां तो उक्त एलाटमेन्ट क सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

बीज वितरण कार्य

119. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1954–55 में बीज वितरण का धन्धा शुरू किया ? यदि हां, तो उस धन्धे में राज्य सरकार को अब तक कुल कितन रुपयों का लाभ या घाटा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अभी तक भी लाभ हानि खाता अब तक भी तैयार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इसी प्रकार राज्य सरकार ने गल्ले का व्यापार सन् 1963-64 में प्रारम्भ किया था ? यदि हां, तो भाग (1) व (2) में चाही गई सूचना इसके सम्बन्ध में भी देने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने बीज वितरण का कार्य 52–53 से आरम्भ किया। 55–56 तक के हिसाब की जांच हो चुकी है। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) हिसाब बनाया जा रहा है। 56-57 तक पूर्ण हिसाब बन चुका है तथा कुछ जिलों के बीज योजना के लेखे 67-68 तक संकलित किये जा चुके हैं।

(3) यह प्रश्न खाद्य विभाग से संबंधित है।

सूची

कृषि विभाग द्वारा वितरित रबी व खरीफ बीज के लाभ हानि का ब्यौरा

वर्ष	लाभ	हानि
1952-53 से 1955-56 तक	रु. 1,83,472/-/-	रु. 11,389/13/3
शुद्ध लाभ	रु. 1,72,082/2/9	

तहसील नोहर में खातेदारी हकूक के इन्तकाल खारिज करने के मामले

120. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर जिला श्री गंगा नगर में कितने ग्रामों के काश्तकारों को मिली हुई खातेदारी हकूक के इन्तकाल खारिज किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत बरमसर, वल्लू, भादासर, बिसरासर, नईयास

Page No. 166

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के क्षेत्र के ग्रामों में राजस्थान नहर की स्कीम नहीं है ?

(3) यदि हां, तो काश्तकारी कानून की धारा 15 के तहत दी हुई खातेदारी भूमि के इन्तकाल खारिज क्यों किये गये हैं ?

(4) कुल गांव—वाइज काश्तकारों की तादाद बताई जावे कि कितने इन्तकाल खारिज किये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र से बाहर जो इन्तकाल खारिज किये हैं उनको दुबारा काश्तकारों के नाम इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) तहसील नोहर जिला गंगानगर के 12 ग्रामों के 781 काश्तकारों के राजस्थान टैनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत मिली खातेदारी हकूक के इन्तकाल खारिज हुए थे।

(2) जी हां।

(3) इन्तकाल कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किये जाते हैं।

(4) ग्राम वाईज जो इन्तकाल खारिज हुए उसकी सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं, कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत इन्तकाल हकूक खातेदारी तस्दीक किये जाते हैं।

—सूची—

क्र. सं.	नाम ग्राम	तादाद इन्तकाल खारिज हुये हैं
1.	बिसरासर	209
2.	बरमसर	177
3.	केलनिया	68
4.	धमनियासर	51
5.	मालासर	48
6.	पूर्वसर	47
7.	लाडम	41
8.	ननियासर	40
9.	स्वरूपदेसर	35
10.	बींझासर	31
11.	रैख धनियासर	23
12.	शोखबूलिया	19

अलवर जिले में सरसों की फसल पर दवाई छिड़कने पर व्यय

121. श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस वर्ष अलवर जिले में सरसों की फसल पर हवाई जहाज से कीड़े मारने की दवाई छिडकी गई ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

(2) क्या इस प्रकार दवाई छिडकने का कार्य करने से पूर्व कृषि विभाग के टैक्नीकल एडवाईजर्स से राय ली गई थी ? यदि हां, तो यह राय किसने दी थी ?

(3) क्या यह सच है कि फसल के पकने पर दवा छिडके जाने का कीडों पर कोई प्रभाव नहीं होता है और अलवर जिले में जब सरसों की फसल पक गई तब दवाई छिडकी गई ?

(4) यह दवा किस माह में कौनसी तारीख से कौनसी तारीख तक छिडकी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

झालावाड़ में भूदान में प्राप्त भूमि

122. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड में सन् 63 में भूदान यज्ञ की जमीन किन्हीं किसानों को दी गई थी ? यदि हां, तो कहां कहां किस किस को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इन किसानों को अभी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है ? अगर हां, तो क्या वजह है ?

उत्तर

1—इस जिले में सन् 1963 में भूदान की भूमि निम्न प्रकार काश्त को एलाट हुई थी ।

1—पिडावा	48	199.2	एकड़
2—पचपहाड़	12	20.80	,,
3—झालरापाटन	30	79.26	,,
4—अकलेरा	39	53.20	,,
5—गंगधार	43	102.2	,,
6—खानपुर	27	66.74	,,
	199 व्यक्ति	521.04	एकड़

2—199 काश्तकारों में से 35 आदमियों को कब्जा नहीं मिल पाया है । जिन कारणों से कब्जा नहीं मिला सूची संलग्न है ।

(राजस्व मंत्री)

—सूची—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	व्यक्तियों की संख्या	कब्जा न मिलने के कारण
1.	पचपहाड	9	दो व्यक्ति गांव छोड़कर चले गये। सात व्यक्तियों को मूल व्यक्तियों द्वारा जमीन से दखल न छोड़ने के कारण।
2.	पाढन	5	मूल व्यक्तियों द्वारा जमीन से दखल न छोड़ने के कारण ।
3.	अकलेरा	18	भूमि पर वन विभाग का कब्जा होने से।
4.	खानपुर	3	दो व्यक्तियों को भूदान बोर्ड से रोक देने के कारण। एक व्यक्ति को खसरा नम्बर भू-दान द्वारा ठीक न लिखने के कारण।

सारथल पंचायत की चारागाह की भूमि

123. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छबड़ा सब-डिवीजन में यहां के राजस्व अधिकारी ने सारथल पंचायत की चारागाह की भूमि को चारागाह से किस्म बदल कर बंजड़ में दर्ज की है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या उक्त जमीन के एवज में अन्य कोई भूमि चारागाह में दी गई है? यदि हां, तो कौन सी?

उत्तर

यह सही है कि ग्राम सारथल में खसरा नम्बर 560 की 83 बी. 8 बिस्वा चारागाह भूमि की किस्म परगना अधिकारी छबड़ा के आदेश से बंजड़ में परिवर्तित की गई है। ऐसा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण करने पर उक्त ग्राम में चारागाह भूमि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उक्त चरागाह की एवज में भूमि चारागाह के लिए काफी मौजूद है। जिसका रकबा

(राजस्व मंत्री)

925 बीघा से अधिक है। कुल चारागाह वहां के मवेशियों की संख्या से बहुत अधिक है। इसके अलावा जानवरों के चरने के लिए जंगल भी हैं।

भूतपूर्व जैसलमेर स्टेट की कस्टम ड्यूटी की राशि

124. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के समय जागीरदारों को स्टेट की कस्टम ड्यूटी का कुछ हिस्सा दिया जाता था और स्टेट के मर्जर के समय 18000/- की राशि बाकी थी और वह राजस्थान सरकार में आज भी बाकी है? अगर हां, तो आज तक राज्य सरकार ने जागीरदारों को भुगतान क्यों नहीं किया और भविष्य में कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

(2) क्या राज्य सरकार भुगतान के समय इन बीस वर्षों से पड़ी राशि पर ब्याज देने की भी व्यवस्था करेगी? अगर नहीं, तो क्या कारण हैं?

(स्थगित किया गया)

मृत, अपाहिज एवं लापता सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता

125. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने यह आदेश प्रसारित किये हैं कि मृत, अंग-भंग व लापता सैनिकों के परिवार वालों को जो आर्थिक सहायता दी जावे उस समय क्षेत्र के विधायक और प्रधान पंचायत समिति को भी बुलाया जावे? यदि हां, तो क्या हर जिले में इस आदेश का पालन हुआ है? टौंक जिले में किन किन को यह सहायता कब कब दी गई? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। करीब सभी जिलों में इन आदेशों का पालन हुआ है। टौंक जिले में जिनको सहायता दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

तालिका

प्रश्न संख्या 22।रा. म. के सम्बन्ध में जिला टोंक में मृत सैनिकों को दी गई सहायता का विवरण

क्रम सं.	नाम व रेंक व नं.	आश्रित का नाम	सहायता जो दी गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	ए. एस. सी. रेकार्ड बंगलौर नं. 7 श्री नारायण कारपेन्टर निवासी आवां नं. 6350158	श्रीमती नन्दू बेवा	1–नकद 1000-00 2–डिफेंस सर्टिफिकेट 1000-00 3–असिंचित भूमि 25 बीघा	
2.	देवा स्वीपर नं. 8005791	श्रीमती शान्ती बेवा	1–नकद 500-00 2–डिफेंस बोन्ड्स 1000-00	जिला टोंक छोडकर चली गई।
3.	किशनलाल सिपाही नं. 2948355	श्रीमती पारी माता	1–नकद 500-00 2–डिफेंस बोन्ड्स 1000-00 3–असिंचित भूमि 15 बीघा	

राजस्थान सरकार

राजस्व (सैनिक-कल्याण) विभाग

जयपुर, दिनांक 29 अक्टूबर, 1965

क्रम संख्या 75। डी एस.। एस. एस. ए.।65

विषय:—सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत ।

समस्त जिलाधीश,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत जो आर्थिक सहायता मृत, अपंग व लापता सैनिकों के परिवार के निकटतम सम्बन्धित को प्रत्यक्ष भेंट की जावे इस अवसर पर यह व्यवस्था भी अवश्य की जाय कि उस क्षेत्र के सम्बन्धित विधान सभा सदस्य तथा पंचायत समिति के प्रधान भी इस मौके पर उपस्थित रहें—इसकी व्यवस्था करदी जावे ।

ह :

(शिवराम जैन)

उप-सचिव राजस्व (भूमि सुधार) विभाग

संख्या जयपुर, दिनांक अक्टूबर, 65

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:—

(1) समस्त विधान सभा के सदस्य

(2) समस्त प्रधान पंचायत समितियां

ह :

(शिवराम जैन)

उप सचिव राजस्व (भूमि सुधार) विभाग

अलवर जिले में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि

126. श्री गंगासहाय कोली : क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को एक लाख एकड़ भूमि कृषि के लिये देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या यह भूमि सैनिकों को दी जा चुकी है ? यदि नहीं दी गई तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सैनिकों को 25 से 40 बीघा तक भूमि देने की बात थी? यदि हां, तो फिर 2 से 5 बीघा तक भूमि ही

(श्री गंगासहाय)
अलवर जिले में कई सैनिकों को क्यों दी गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं

भूमि उपलब्ध होने की स्थिति को ध्यान रखते हुए भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जाता है।

तहसील बून्दी के ग्रामों की भूमि पर भीलों को आबाद करने के आदेश

127. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री बृज सुन्दर शर्मा ने लिखित आदेश तहसील बून्दी के ग्राम कछाल्या, लक्ष्मीपुरा, कल्याणपुरा और माराडी के दरम्यान की सांपखाल्या की चरागाह पर भीलों को आबाद करने का दिया था?

(2) यदि हां, तो गत वर्ष किस किस ने यह चरागाह आबाद की और क्या इनकी फसल भी नष्ट कराई गई थी? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) यह चरागाह किस विभाग के अधीन है?

उत्तर

1. जी नहीं

2. प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

3. चरागाह ग्राम की ग्राम पंचायत के अधीन है।

कमाण्ड एरिया की गोचर भूमि

128. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि समस्त गोचर भूमि जो कि कमान्डेड एरिया में आती है उसे काश्त के लिये रखी जावेगी? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस निर्णय से ग्रामों में गोचर भूमि की कमी महसूस होगी? यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी?

उत्तर

1. जी नहीं, यह सही नहीं है।

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. स. 128 की सूची)

पंचायत समिति पाली के सदस्यों में बकाया की सूची

क्र.सं.	नाम सदस्य	किस्म बकाया	बकाया का वर्ष जब से चली आ रही है	मूल	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भुवानी सिंह वल्द आईदानसिंह डिगाई	पम्पिंगसेट	1960–61	3900–00	2957–50	6857–50
	प्रधान	भेड पालन	,,	1000–00	325–00	1325–00
		पशु पालन	,,	1730–00	1108–73	2838–73
		बीज	1963–64	2756–87	886–34	3643–21
		खाद	,,	7383–50	1330–08	8713–58
		खाद	1967–68	39336–81	—	39,336–81
			योग	56,107–18	6,607–65	62,714–83
2.	श्री हरिसिंह वल्द रामसिंह सरपंच डिरी	बेरा	1962–63	500–00	302–50	802–50
		बेरा	,,	500–00	327–71	827–71
		पम्पिंग सेट	,,	2000–00	975–00	2,975–00
			योग	3,000–00	1,605–21	4,605–21

1	2	3	4	5	6	7
3.	श्री वुद्धसिंह वल्द लालसिंह सरपंच गिरादरा	पम्पिंग सेट	1962–63	800–00	265–00	1,065–00
		खाद	1963–64	985–50	78–30	1,063–80
		खाद	1966–67	1,122–96	—	1,122–96
			योग	2,908–46	343–30	3,251–76
4.	श्री घीसूलाल सरपंच गुडाएन्दला	पम्पिंग सेट	62–63	2,025–00	1,759–[illegible]2	3,779–52
5.	श्री रमजान खां भू. पू. सरपंच लाम्बियां	कुआ	62–63	650–00	376–80	1,026–80
		पम्पिंग सेट	63–64	4,000–00	—	4,000–00
		खाद व बीज	63–64	207–00	37–12	244–12
			योग	4,857–00	413–92	5,270–92
6.	श्री कुन्दनसिंह सरपंच खरावास	खाद व बीज	63–64	96–25	15–52	111–77
		पक्की नालियां	67–68	150–00	530–00	680–00
			योग	246–25	546–52	791–77
7.	श्री मोतीसिंह भू. सरपंच सोनाई माजी	खाद व बीज	63–64 योग	79–50	13–50	93–00

8.	श्री भवानीसिंह वल्द बद्रीदान चारण सरपंच स्यापावास	खाद	63–64		7053–80	497–20	7,551–00
		बैरा	68–69		200–00	202–50	402–50
		खाद	66–67		4,924–52	–	4,924–52
				योग	12,178–32	699–70	12,878–02
9.	श्री भिशनसिंह वल्द नाथूसिंह सरपंच सोडावास	खाद	63–64	योग	301–88	20–88	322–18
10.	श्री बल्देवसिंह वल्द कल्याणसिंह राजपूत भविरी सरपंच	बैरा	63–64	योग	1,125–00	641–16	1,766–16

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 129 की सूची)

पंचायत समिति पाली द्वारा खरीदे गये बीज का विवरण

क्र. सं.	नाम जिससे बीज खरीदा गया	बीज जो खरीदा गया क्विन्टल	किलो	ग्राम	दर
1	2	3	4	5	6
	रबी बीज 1968				
1.	श्री सायरचन्द डागा, पाली	65	00	000	92)–
2.	,, सायरचन्द डागा, पाली	35	00	000	92)–
3.	,, भूरसिंह गुरडाई	162	00	000	92)–
4.	,, परमानन्द, पाली	22	00	000	92)–
5.	,, फतेहराज, पाली	30	00	000	92)–
6.	,, भवानीसिंह, डिगाई	195	93	100	92)–
7.	,, चम्पालाल, गुन्दोज	60	00	000	92)–
8.	,, महिपतचन्द, भण्डारी	8	00	000	92)–
9.	,, भवानीसिंह रूपावास	50	00	000	92)–
		627	93	100	कुल कीमत 59148)–
	रबी बीज (1967)				
10.	श्री भूरसिंह गुरडाई	100	00	000	86)–
11.	,, दीपसिंह गिरादरा की ढाणी	140	00	000	86)–
12.	,, मंगाराम वल्द भगनाराम कीरों की ढाणी	40	00	000	86)–
13.	,, भीमाराम वल्द भैराराम भानपुरा की ढाणी	85	00	000	86)–
14.	,, महीपतचन्द भन्डारी गिरादरा	100	00	000	86)–
15.	,, भूरसिंह फार्म मैनेजर गुरडाई फार्म	40	00	000	86)–

1	2	3	4	5	6
16.	श्री भवानीसिंह वल्द बद्रीदान रूपावास	100	00	000	86/-
					कुल कीमत
		605	00	000	52030/-
	सुनेरा (1967)				
1.	श्री नारायण वल्द मनरूप भांबी मण्डली खुर्द	13	00	000	115/-
2.	,, सवाईसिंह माललाव	62	00	000	116/-
3.	,, बुद्धसिंह पुनायता	14	00	000	115/-
4.	,, राजेन्द्रसिंह वल्द हरीसिंह	21	00	000	115/-
					कुल कीमत
		110	00	000	676/-

सन् 1969 में इस समय तक कोई बीज नहीं खरीदा

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. स. 132 की सूची)

पंचायत समिति नोखा में कुओं के अधूरे निर्माण कार्यों की सूची

क्रम संख्या	गांव का नाम
1.	गजरूप देसर
2.	मूधड
3.	साठीक
4.	कक्कू आयून
5.	मादला ढाणी
6.	जंगला
7.	हंसासर
8.	हियादेसर
9.	वगसेऊ
10.	घटट्ट
11.	नाथूसर जाटान
12.	नाथूसर हरिजन
13.	दावा
14.	बीकासर
15.	सोवा
16.	रोडा
17.	राजसुख देशर
18.	सोभाना
19.	साधूना
20.	साईसर
21.	जोरावरपुरा
22.	बन्धाला
23.	सीलवाविसवो की ढाणी
24.	सरूपडा सुथारो की ढाणी
25.	नोखा गांव
26.	अणखीसर
27.	चरकडा
28.	लालमदेसर
29.	चिताना सिद्धो की ढाणी

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. स. 149 की सूची)

Statement showing the Trespassers casses in Ganganagar District.

Sl. No.	Name of Tehsil	No. of case pending
1.	Ganganagar	56
2.	Karanpur	37
3.	Padampur	10
4.	Raisinghnagar	23
5.	Anupgarh	146
6.	Hanumangarh	216
7.	Suratgarh	74
8.	Tibbi	325
9.	Sadulshahar	12
10.	Sangaria	127
11.	Nohar	471
12.	Bhadra	60
		1557

Page No. 180

परिशिष्ट 10

(प्र. प्र. स. 152 की सूची) —ए—

फहरिस्त ग्राम बिसरासर तहसील नौहर में सिवाय चक भूमि पर गलत इन्द्राज खातेदारी किया जाकर परचे वितरण किये गये जिनकी आसामीवार सूची निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	नाम आसामी जिसका सिवाय चक भूमि पर गलत इन्द्राज खातेदारी दर्ज किया गया।	वि. विवरण
1	2	3		5
1	119	10	मेरा वल्द खींया कौम जाट साकिन देह खातेदार।	
2	375	1512	कालू वल्द जस्सू कौम ढोली साकिन देह खातेदार।	
3	422	3012	खमाराम वल्द पदमा कौम जाट साकिन देस खातेदार।	
4	749	22111	केसारा वल्द डूंगर कौम जाट साकिन देह खातेदार।	
5	818	30	पीरिया वल्द मोला बक्स कौम छीपा साकिन देह खातेदार।	
6	869	2011	मौटा वल्द देराज कौम जाट साकिन देह खातेदार।	
7	911	29114	मालनाथ वल्द सुल्तान नाथ कौम नाथ साकिन देह खातेदार।	
8	1239	8111	बीरू वल्द काना कौम नाई साकिन देह खातेदार।	
9	1323 1470 247	1512 11	मेघाराम वल्द आदू कौम सिथद साकिन देह खातेदार।	

Page No. 181

1	2	3	4	5
10	1239	8111	बीरू वल्द काना कौम नाई साकिन देह खातेदार।	

जोरावरसिंह सान्दू,
भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर।

गैर-खातेदारी —बी—

1	193	21111	चन्दनसिंह वल्द अर्जुनसिंह कौम सिख साकिन देह गैर खातेदार।	
2	748	2114	पदमा वल्द मोटा कौम मेघवंशी साकिन देह गैर खातेदार।	
3	927	613	भीया वल्द सिरदारा कौम सुथार साकिन देह गैर खातेदार।	
4	928	2713	गणपत वल्द कालू कौम जाट साकिन देह गैर खातेदार।	

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. स. 153 की सूची)

मुकद्मात की सूची जो नियमित किये गये

क्र. सं.	मुकदमा संख्या	पक्षकार जिनके पक्ष में नियमन किया गया	तारीख नियमन
1.	442।68	अन्ता पुत्र दीला जाट ओडीट	24–1–69
2.	449।68	रामू पुत्र लादु दरोगा	24–1–69
3.	453।68	उदाराम पुत्र पेमा जाट लुखास	24–1–69
4.	175।68	रामचन्द्र पुत्र भुगाना सुनारी	16–1–69
5.	430।68	झूमर पुत्र नाथ रताऊ	15–1–69
		बोयताराम पुत्र प्रभूराम	,,
		मुकनसिंह	,,
		मेघसिंह	,,
		रामचन्द्र	,,
		रेखाराम	,,
6.	459।68	धापी बेवा लादू सिलनवाद	24–1–69
7.	407।68	शिवकरण पुत्र मगा	,,
8.	463।68	जेठा पुत्र मोमा	,,
9.	470।68	परतु पुत्र लादू आसजी की ढाणी	,,
10.	490।68	हेमा पुत्र गुला बालसमद	16–1–69
11.	403।68	लिखमा पुत्र रामु ,,	,,
12.	605।68	पेमदास पुत्र घासीदास भीडासरी	,,
13.	507।68	सूरजीया पुत्र जीवण घालीया	,,
14.	573।68	मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दुल गफूर सिलनवाद	15–7–69
15.	535।68	मोहना पुत्र मेघा बालसमद	28–1–69
16.	543।68	जगुडा पुत्र काना, सीवा पुत्र रूपा	,,
17.	562।68	लादू पुत्र चतरा बादेड	,,
18.	565।68	लादू पुत्र बीरमा वाकलियां	,,
19.	642।68	धन्नाराम पुत्र मोतीराम अनेसरीया	,,

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. स. 155 की सूची)

Copy of letter No. F. 1 (88) Rev/D. 57 dated 10-12-59 from the Asstt. Secretary, Revenue 'D' Deptt. Jaipur to the Commissioner, Jodhpur.

Sub.—Selling Hawala Building at Jaswantgarh.

With reference to your Memo No. F. 14 (5) Rev/59/24573 dated 20-8-59 on the subject mentioned above, I am directed to convey sanction of the Governor to the sale of the Hawala Building Jaswantgarh to the Jaswantgarh Hitkarini Sabha, Jaswantgarh, for a sum of Rs. 2,600/- (Rupees two thousand and six hundred) only as cost for building. The cost of land may be realised separately at the 'Parta' rate prevailing for this locality.

This sale is meant for construction of a public-library and Children's Recreation Centre by the Public on the condition that this building and land should be sued for the specific purpose of a public library and Children's Recreation Centre failing which the sale transaction will become ineffectual.

The relevant papers are returned.

No. F. 14(5) Rev/59/1333 Dated 18-1-60

Copy with relevant papers, forwarded to the Collector, Nagaur, with reference to his letter No. M/3485 dated 6-12-56 for taking necessary action in the matter.

Sd/-
Commissioner.

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. स. 157 की सूची)

तहसीलवार विवरण

नाम तहसील	पंचायत समिति का ऋण	तकावी	योग
चूरू	—	1,470	1,470
सरदार शहर	—	3,150	3,150
रतनगढ़	10697	3,051	13,748
सुजानगढ़	11871–20	286	12,057–20
डूंगरगढ़	3081	8,770	11,851
राजगढ़	—	—	—
तारानगर	—	—	—
योग:	25,549–10	16,727	42,276–20

TOP PRIORITY

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (C) DEPARTMENT

ORDER

No. F. 7 (78)Rev.C/68. Dated Jaipur, the 23rd Feb. 1969.

Sub:—Recovery of Land Revenue and other dues from the cultivators.

In supersession of this department Order No. F. 7 (78) Rev. C/68, dated the 30th November, 1968, the realisation of Land Revenue, loans and taccavi etc. shall be made as under:—

1. In areas, declared scarcity affected, by the Famine Relief Department:—

(1) The recovery of land revenue shall remain stayed,

(2) The recovery of all types of agricultral loans(long, medium and short terms) and Taccavi dues of Government as well as of Panchayat Samitis shall remain stayed except that:—

(i) the instalments and interest on loans for tractors and pumping set will continue to be recovered.

(ii) the instalments and interest on loans for construction of wells will continue to be recovered provided the well was used for irrigating current rabi crop.

However in both the above cases only two instalments, will be recovered

2. The realisation mentioned in para 1 above shall remain stayed for the period mentioned in the Order of Relief Department issue under Sec. 126 of the Rajasthan Tenancy Act.

3. Instalments and interest on Industrial and Mining loans shall continue to be recovered.

4. The recovery of the dues of Cooperative institutions will continue to be made according to the Cooperative Department Rules, which already provide for conversion of short into medium term loan on the occurrence of scarcity conditions.

By Order

Sd.

Dy. Secretary (Revenue)

Copy forwarded for information and necessary action:—

1. All Collectors.
2. Finance Department
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Accounts Officer, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.
5. Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.
6. Private Secretary, Minister/Dy. Minister
7. Director, Public Relations Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Additional Development Commissioner, Panchayat and Development Department.
9. Cabinet Secretariat.
10. Commissioner, Relief Department, Rajasthan, Jaipur.
11. Registrar, Co-operative Department, Rajasthan, Jaipur.
12. Director, Agriculture Department. Rajasthan, Jaipur.
13. Chief Engineer Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
14. Director of Mines and Geological Department, Rajasthan, Udaipur.
15. Commissioner, Colonisation Department, Bikaner.
16. Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.

Sd-
Dy. Secretary (Revenue).

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 159 की सूची)

भूमि उपलब्ध नहीं उन ग्रामों की सूची

1–बाली 2–सेसली 3–करनवा 4–पोयणा

5–चाकदड़ा 6–सल्तगढ़ 7–केरापुरा 8–बीतीया

9–नवाखेड़ा 10–भैन्पुरा 11–कोटड़ा 12–ढोला (खासका)

13–कानपुरा

सूची उन ग्रामों की जिनकी मवेशी जंगलात पुरिया में चरती है

1–कुंडाल 2–पोपला 3–गांरिया 4–सांवरवाडा

5–अरठवा 6–कोरवा 7–खेतरली 8–कोलवाड़ा

8–मीमाणा 10–कूरत 11–कोयलवाव 12–ठंडी बेरी

13–काकिरागो 14–दानवरडी

उन ग्रामों की सूची जिनके मामल उप–जिलाधीश के पास विचाराधीन हैं

1–सीन्दारागांव 2–पेरवा 3–रोजड़ा 4–नेतड़ा

परिशिष्ट 15

(अ. प्र. सं. 169 की सूची)

तहसील जयपुर

क्र.सं.	नाम मुकदमा	नाम ग्राम	ख.नं.	ता. रजू	वर्तमान स्थिति
1.	रामनाथ बनाम ग्यारसीलाल	नांगल जैसा बोहरा	115	23-11-68	वास्ते सबूत
2.	गोविन्दराम सेडूराम बनाम मोरीलाल, नाथूराम वगैरा	सन्तोष सागर	150-151	26-11-68	,,
3.	बिशना भूरिया वगैरा बनाम नगर परिषद्, जयपुर	नाहरगढ़	गन्दे नाले का पानी खुलने हेतु।	23-1-69	,,
4.	मंगलाराम वगैरा बनाम रामसहाय छीतर	निवारू	412-413	3-2-69	,,
5.	गोपाल पुत्र गोरीलाल बनाम रामसुख ग्यारसीलाल	झोटवाड़ा	967, 968, 975 992 से 94	10-3-69	,,

Page No. 189

परिशिष्ट 16

(अ. प्र. सं. 170 की सूची)

LABOUR COURT.

7. (1) The appropriate Government may, by notification in the official Gazette, constitute one or more Labour Courts for the adjudication of industrial disputes relating to any matter specified in the Second Schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act.

(2) A Labour Court shall consist of one person only to be appointed by the appropriate Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a Labour Court, unless—

(a) he is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) he has, for a period of not less than three years, been a District Judge or an Additional District Judge; or

(c) he has held the office of the chairman or any other member of the Labour Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950 (48 of 1950) or of any Tribunal, for a period of not less than two years);

(d) he has held any judicial office in India for not less than seven years; or

(e) he has been the presiding officer of a Labour Court constituted under any Provincial Act or State Act for not less than five years.

DISQUALIFICATIONS FOR THE PRESIDING OFFICERS OF LABOUR COURTS, TRIBUNALS AND NATIONAL TRIBUNALS.

7 C. No person shall be appointed to, or continue in the office of the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal, if,—

(a) he is not an independend person; or

(b) he has attained the age of sixty-five years;

परिशिष्ट 17

(अ. प्र. सं. 185 की सूची)

क्र. सं.	कैडर पोस्ट	कर्मचारी का नाम	पदोन्नति या नियुक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	सहायक कृषि अभियन्ता	श्री एच. एल. मलहोत्रा	10–7–67	वरिष्ठता सूची के आधार पर जूनियर इन्जिनियर
2	,,	,, एन. सी. गोयल	20–10–67	,,
3	,,	,, आर. के. सूरी	1–3–68	,,
4	,,	,, वाई. के. लम्ब	1–5–68	,,
5	,,	,, एस. बी. राय	17–2–69	,,
6	,,	,, एन. के. जैन	17–2–69	,,
7	जूनियर इन्जिनियर	,, आर. एस. उदय	31–9–69	नियुक्त
8	सिनियर चार्जमैन	,, बी. के. चड्ढा	11–4–67	पदोन्नति सिनियरटी के आधार पर
9	,,	,, लब्धिसिंह	,,	फोरमैन
10	,,	,, एस. एन. दुबे	3–4–67	नियुक्ति विज्ञापन

1	2	3	4	5
11	सिनियर चार्जमैन	श्री मुकन्दसिंह	6—5—67	नियुक्ति विज्ञापन
12	,,	,, महादेव प्रसाद	24—6—67	पदोन्नति
13	जुनियर चार्जमैन	,, बी. एस. बैंडा	1—3—67	,,
14	,,	,, एस. सी. माथुर	21—2—67	नियुक्ति विज्ञापन
15	ट्रैक्टर फोरमैन	,, गोविन्दसिंह	15—7—67	पदोन्नति
16	फोरमैन	,, एस. पी. गुप्ता	26—12—67	नियुक्ति विज्ञापन
17	लेथमैन कम इलेक्ट्रीशियन	,, अनवर हुसैन	2—5—67	एम्पलायमेन्ट
18	मैकेनिक अटेन्डेन्ट	,, मूलचन्द	7—3—67	,,
19	वरिष्ठ लिपिक	,, महेशकुमार	1—11—66	पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक
20	,,	,, रामगोपाल तिवाड़ी	20—3—67	स्थानान्तर एवं पदोन्नत
21	,,	,, अमरनाथ	1—4—67	पदोन्नत
22	,,	,, के. के. जोशी	5—5—67	,,
23	,,	,, रामलाल	26—8—68	स्थानान्तर जी. ए. डी.

24	,,	,, जगदीश प्रसाद	9-1-68	पदोन्नति सिनियरटी से कनिष्ठ लिपिक
25	,,	,, पी. एस. एन. शर्मा	1-6-68	,,
26	,,	,, कैलाशचन्द्र	,,	,,
27	,,	,, बाबूचन्द	,,	,,
28	,,	,, लक्ष्मणदास	17-6-68	,,
29	,,	,, परसराम	7-8-68	,,
30	कनिष्ठ लिपिक	,, ब्रजभूषण श्रीवास्तव	1-7-67	फिल्डमैन के पद से
31	,,	,, जितेन्द्र कुमार	4-3-67	नियुक्ति एम्पालयमैन्ट
32	,,	,, नन्दकिशोर	4-3-67	पदोन्नत हैल्पर
33	,,	श्रीमती एम. रूबेका	21-3-67	नियुक्ति एम्पलायमेन्ट
34	,,	सुश्री ज्योति अरोड़ा	6-4-67	नियुक्ति वर्कचार्ज से
35	,,	श्री मूलसिंह शेखावत	22-8-67	,,
36	,,	,, परवतसिंह	14-10-68	,,

37	कनिष्ठ लिपिक	श्री शिवचरण वर्मा	14—10—68	नियुक्ति वर्क चार्ज से
38	,,	,, मोहम्मद हलीम	,,	,,
39	,,	,, थानसिंह	,,	,,
40	,,	,, पी. के. जैन	,,	,,
41	,,	,, रामचन्द्र	7—1—69	पदोन्नत हैल्पर से
42	मैकेनिक	,, प्रेमसिंह	24—1—68	पदोन्नत ड्राईवर
43	,,	,, के. मैथ्यू	6—1—68	फिटर
44	,,	,, बाबूलाल खत्री	5—11—68	सीनियरिटी
45	,,	,, एम. के. हावा	18—5—67	,,
46	,,	,, देवेन्द्रसिंह	3—7—68	,,
47	,,	,, एम. डी. शैयद	19—2—68	,,
48	,,	,, लालचन्द	3—7—68	,,
49	,,	,, देव शर्मा	,,	,,
50	,,	,, [illegible]		,,

1	2	3	4	5
51	मैकेनिक ओवरसियर	श्री एस. सी. मैनी	14–3–67	नियुक्त
52	मैकेनि क ड्राफ्टमैन	,, एस. सी. पोपली	1–3–67	पदोन्नत सहायक ड्राफ्ट मैन
53	स्टेनोग्राफर	,, गोरधनदास खुटेटा	7–12–67	नियुक्त
54	वैल्डर-कम-फिटर	,, नन्हे खां	3–7–68	एम्पलायमेन्ट
55	ब्लैक-स्मिथ-कम-मैकनिक	,, लाल राम	14–10–68	पदोन्नत
56	लैथमैन ग्रेड प्रथम	,, अनवरूद्दीन	4–5–67	एम्पलायमेन्ट
57	,,	,, अब्दुल हमीद	,,	,,
58	,,	,, नारायण लाल	11–3–67	,,
59	,	,, बृजमोहन	29–10–68	पदोन्नत सीनियरिटी
60	ब्लैकस्मिथ	,, मदनलाल वर्मा	3–6–68	,,
61	वैल्डर ग्रेड प्रथम	,, राधेश्याम	जनवरी 69	,,
62	,,	,, सोलत खां	,,	,,
63	,,	,, खलील अहमद	,,	,,

64	मोलडर ग्रेड प्रथम	श्री कन्हैयालाल	1–11–68	पदोन्नत सीनियरिटी
65	फिटर	,, बृज मोहन	1–3–67	,,
66		,, बाबूखां	13–2–68	पदोन्नत हैल्पर से
67	,,	,, जगदीश सिंह	17–8–69	,,
68	ड्राईवर	,, रिछपाल सिंह	1–5–68	नियुक्त एम्पलायमेन्ट
69	,,	,, देवीसिंह	4–4–68	,,
70	,,	,, देवीसिंह	7–2–69	पदोन्नत हैल्पर
71	बुलडोजर ओपरेटर	,, जगदीश प्रशाद	15–5–67	पदोन्नत वरिष्ठता
72	,,	,, मुरलीधर	,,	नियुक्त विज्ञापन
73	,,	,, कमोद सिंह	18–5–67	,,
74	,,	,, नजीर अहमद	19–5–67	,,
75	,,	,, शेख मिया जान खां	26–5–67	,,

	2	3	4	5
76	बुलडोज़र ओपरेटर	श्री मूलसिंह	1–1–69	पदोन्नत हैल्पर
77	„	„ मुरली	„	पदोन्नत ड्राईवर से
78	„	„ श्यामलाल	„	„
79	सर्विस मैन	„ आनन्द प्रकाश	25–2–67	पदोन्नत मैकेनिक
80	सहायक ड्राफ्टसमैन	„ प्रकाश चन्द पंजाबी	14–12–66	नियुक्ति एम्पलायमेन्ट
81	„	„ मनवर सिंह	1–4–67	पदोन्नत ट्रैसर

परिशिष्ट 18

(अ. प्र. सं. 144 की सूची)

कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल सिंचाई परियोजना, कोटा । बारां मण्डी क्षेत्र में विक्रय किए गए भू-खंडों की तालिका

क्र.सं.	प्लाट नम्बर	नाम खरीददार	प्लाट का क्षेत्रफल वर्ग फुट में	प्लाट की दूरी प्रति वर्गफुट	तादाद रकम	कितनी राशि जमा हुई	तारीख नीलाम
1.	51	श्री महेशचन्द भारद्वाज	2700	0.60 पैसे	1620.00	पूरी राशि	29–12–61
2.	52	श्री योगेन्द्रकुमार	2700	0.75 "	2025.00	पूरी राशि	28–12–61
3.	53	श्री प्रकाश	2700	0.75 "	2079.00	पूरी राशि	28–12–61
4.	54	श्री मूलचन्द	2700	0.81 "	2187.00	पूरी राशि	28–12–61
5.	55	श्री दिनेशकुमार	2700	0.77 "	2079.00	पूरी राशि	28–12–61
6.	56	श्री देवीलाल शर्मा	2700	0.90 "	2430.00	पूरी राशि	28–12–61
7.	57	श्री सुन्दरलाल	2700	1.02 "	2754.00	पूरी राशि	28–12–61

परिशिष्ट 19

(अ. प्र. स. 194 की सूची)

परिशिष्ट (क)

सूची सदस्य उदासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., उदासर, तं. नोखा

क्र. सं.	नाम सदस्य
1	2
1.	श्री मूलसिंह
2.	,, खेमाणसिंह
3.	,, हरीसिंह
4.	,, मोहनदास
5.	,, डूंगरसिंह
6.	,, घेवरचन्द
7.	,, लूणाराम
8.	,, तुलसीराम
9.	,, तेजाराम
10.	,, सुगणसिंह
11.	,, खेमगर
12.	,, मुलतान
13.	,, प्रताप
14.	,, सेठ
15.	,, सेवाराम
16.	,, मूलसिंह
17.	,, गफूर
18.	,, पुरखाराम
19.	,, नत्यूराम
20.	,, हरखीराम
21.	,, गोविन्दराम
22.	,, चतकराम
23.	,, शिवनाथ
24.	,, आसाराम
25.	,, बालूसिंह
26.	,, पेमसिंह
27.	,, तेजसिंह
28.	,, पुरखाराम

Page No. 199

1	2
29.	श्री आनन्दसिंह
30.	,, कल्याणसिंह
31.	,, उद्दाराम
32.	,, सावलसिंह
33.	,, पावदानसिंह
34.	,, जुगलसिंह
35.	,, गोकलराम
36.	,, किशनसिंह
37.	,, बीजाराव
38.	,, गुलामखां
39.	,, चेनाराम
40.	,, आशाराम
41.	,, भैराराम
42.	,, लालसिंह
43.	,, रामचन्द
44.	,, मूलराम
45.	,, गंगाकिशन
46.	,, जेठाराम
47.	,, भैराराम
48.	,, श्री तरसीराम
49.	,, भवानीसिंह
50.	,, मूला

परिशिष्ट 20

(अ. प्र. सं. 141 की सूची)

सूची केटल केम्पस की

क्र.सं. 1	नाम जिला 2	सरकारी 3	गैर सरकारी 4	धन राशि जो दी गई 5	तहसील 6	सं. 7
1.	बाडमेर	–	2	28,786.86	बाडमेर	1
					शिव	1
2.	चूरू	–	9	1,41,012.95	चूरू	3
					सरदारशहर	1
					सुजानगढ	3
					डूंगरगढ	2
3.	जयपुर	–	2	52,248.40	सांगानेर	2
4.	जैसलमेर	–	3	96,066.02	पोकरण	1
					जैसलमेर	2
5.	जालोर	–	6	82,186.47	जालोर	2
					भीनमाल	3
					सांचोर	1
6.	जोधपुर	–	3	8,55,734.87	फलोदी	5
					जोधपुर	2
					गोयाला	1
7.	नागौर	–	2	1,34,922.39	नागौर	1
					जायल	1
8.	सीकर	–	1	24,525.00	नीमकाथाना	1
9.	सिरोही	–	2	कोई सहायता नहीं दी गई	सिरोही	2
10.	उदयपुर	–	3	1,09,776.00	गिरवा	1
					नाथद्वारा	1
					वल्लभनगर	1

1	2	3	4	5	6	7
11.	पाली	–	4	1,34,422.39	पाली	3
					रायपुर	1
12	बीकानेर	–	19	10,11,633.83	बीकानेर	13
					कोलायत	5
					नोखा	1
13.	गंगानगर	3 सूरतगढ	४	5,20,000.00	सूरतगढ	1
					हनुमानगढ	5
					पदमपुर	1
					नोहर	1
					करणपुर	1
					गंगानगर	2

परिशिष्ट 21

(ता. प्र. सं. 112 की सूची)

सूची उन टांकों की जो तहसील पाली में सहायता कार्यों के रूप में करवाये गये

काय जो पूर्ण हो चुके हैं

1.	गावांई टांका चेण्डा	15,000) रु.
2.	गावांई टांका बींचा	15,000) रु.
3.	बांवा टांका सोनाई लाखा	15,000) रु.
4.	गावांई टांका लीगरा	15,000) रु.

जारी कार्य

5.	गावांई टांका मीलों की ढाणी	15,000) रु.
6.	,, ,, बलदा की ढाणी	20,000) रु.
7.	गावांई टांका खायी	20,0(0) रु.
8.	गावांई टांका सांली	15,000) रु.
9.	गावांई टांका टावर	15,000) रु.
		85,000) रु.

महायोग:– 1,45,000) रु.

सूची उन कुओं की जो पाली तहसील में सहायता कार्यों के रूप में गहरे करवाये गये एवं उनकी मरम्मत करवाई गयी।

क्रमांक	नाम	राशि
1.	कुलगाना की सरहद में अनुखिया नाडा में स्थित कुए का गहरा कराना	2,000)
2.	मांवरी	10,200)
3.	सरवडा की ढाणी	5,500)
4.	भिंडर	6,751)
5.	चाटेलाव	2,500)
6.	सरदारपुरा की ढाणी	6,000)
7.	प्रतापगढ	1,200)
8.	हेमावास	7,800)
9.	सोनाई भाजी	4,000)
10.	खावास माटा की ढाणी पीचका	1,000)
11.	केनपुरा पीचका	1,000)
12.	सेवरिया पीचका	1,000)
13.	तुकरलाई	1,000)
14.	गांवाई पीचका दिवान्ची	6,500)
15.	गांवाई पीचका भावनगर	500)
16.	भंडिया	7,000)
16.	कान्वडा	4,350)
18.	ढंदरा	600)
19.	देवाण	6,500)
20.	सोडावास	925)
		76,325) रु.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 16 अगस्त, 1969)

क्रम संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	अन्तिम से 6	श्री विट्ढल प्रसाद शर्मा	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
3	1, 10, 3 व 26	श्री विटटल ंसाद शर्म	श्री विटठल प्र ।ः शर्मा
3	3	0	10
,,	17	श्री ामदेव सिंह	श्री राम देव सिंह
6	अन्तिम से 4 व 3	नान-गजेटे कर्मरियों का होम डस्टट से स्थाना तरण	नान-गजेटेड कर्मचारियों का होम डिस्ट्रक्ट से स्थानान्तरण
7	15	श्री वगलाल बाढदार	श्री दुर्गालाल बाढदार
9	16	थे	हैं
16	अन्तिम से 11	मठेंपानी	मीठे पानी
25	7	यह-यह	यह
52	3	खण्ड	खण्ड 3
,,	10	मह	यह
,,	अन्तिम से 9	श्री रघुाथ विशेई	श्री रघुनाथ विश्नोई
54	,, 2	श्री ध्य	श्री अध्यक्ष
59	5	इनकान्िसटेन्ट	इनकन्सिस्टेन्ट
,,	अन्तिम से 10	अतरांक् प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
65से	112 तक शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
69	अन्तिम से 13	द्वरा	द्वारा
68	11	ेकासी	निकासी
76	4	तारकल	तारकोल
84	1	ग्राम ुडवा जिला ना ा ै में डेयरी के ि ये	ग्राम गुडवा जिला नागौर में डेयरी के लिये
95	1	तहसीलार	तहसीलदार
89	अन्तिम से 11	श्री जुझा सिंह	श्री जुझार सिंह
101	4	दरख्र्वास्तों	दरख्वास्तें
113	2	द	दिनांक
114	5	वन एक्सट शन	भवन एक्सटेन्शन
115	7	तां	हां
128	3 व 4	प्रकाशि पुस्क	प्रकाशित पुस्तक
,,	13	पुस्ति ा	पुस्तिका
129	शीर्षक	तारांकित प्रनोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
130	10	कितन	कितनी
131	7	ब तने	बताने
132	अन्तिम से 7	वरिठता	वरिष्ठता
133	12	क	का
134	अन्तिम से 10	श्री हरजीराम बुररक्क	श्री हरजीराम बुरडक

1	2	3	4
135	अन्तिम से 9	श्री दलत राम सरण	श्री दौलतराम सारण
138	7	बजारग श्रमिक ठका	बजरग श्रमिक ठेका
,,	अन्तिम से 12	पा	कृपा
,,	,, 5	जा	जाति
139	,, 8	सची	सूची
142	,, 13	ध्क्ष महोय	अध्यक्ष महोदय
,,	11	र म्बध	सम्बन्ध
,,	10	ह ा रित	हस्ताक्षरित
,,	4	माधोपर के 8 वृषकों	माधोपुर के 8 कृषकों
144	8	इ	इस
,,	11	सस्या	सदस्यों
,,	18	निर्स्ट	निर्दिष्ट
,,	अन्तिम से 3	का	की
145	,, 4	व पस	वापिस
146	न्तिम से 12	शतियों	शक्तियों
,,	,, 4	रह ,	रहे
148	2	जो	जाने
,,	अन्तिम से 14	क	के
150	,, 16	क	को
163	2	स्थगन प्रस्तुत	स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत
164	9	भी इस	भी है कि इस
165	10	जावेगा	लावेगा
,,	अन्तिम से 9	श्री हीरालाल देवरा	श्री हीरालाल देवपुरा
,,	,, 4	कार्यवाहियां हुई तो	कार्यवाहियां अगर हुई तो
167	,, 6	मीशन	कमीशन
170	8	उसकी	उसको
174	शीर्षक	-19-यवक्तव्या-	1969, सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य
175	18	दया	दिया
186	अन्तिम से 7	प्रगर	अगर
178	अन्तिम	दुरस्ते	दुरुस्त
194	12	बोड	बोर्ड
,,	17	ाहिये	चाहिये
,,	अन्तिम से 6	मोदय	महोदय
195	8	ोजनायें	योजनायें
,,	अन्तिम से 14	आपको	आपके
197	5	वि	कि
,,	अन्तिम से 12	लि	लिये
193	,, 13	गवों	गावों
,,	,, 3	गेस्ट्र-एन्ट्राइटीन	गेस्ट्रा-इन्टेस्टाइन
199	4	चाहुगा	चाहूंगा

1	2	3	4
200	18	जैसे	जैसी
201	19	मनोहर्सि	मनोहर सिंह
202	अन्तिम	बोर्ड	बोर्ड
204	5	मलचन्द्र	मूलचन्द
206	13	बियारी	बीमारी
208	16	गड्डों	गढ्ढों
212	अन्तिम से 2	इफ	इसका
215	1	श्रीगोकुल प्रतादशम	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
216	6	श्री गकुल प्रसाद शम	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
,,	8	बच	बीच
217	अन्तिम से 7	श्री देवीदत्त ग ा यिा	श्री देवीदत्त गाडिया
221	19 व 29	शिड्ल्ड	शिड्यूल्ड
223	14	गोर	और
225	11	स्व स्थ्य	स्वास्थ्य
,,	15	आजद	आजाद
226	23	सरकर	सरकार
,,	अन्तिम	चर	चार
227	12	वस्टिग	ब्लास्टिंग
229व	1	(श्रीमतीमदन कंवर)	(श्रीमती मदन कौर)
231	,,	,,	,,
233	3	ाहिये	चाहिये
,,	10	पनी	पानी
235	10	गुच्धी पुर	गच्छीपुरा
,,	अन्तिम	ा लत	हालत
239	9	श्री गरधन सोनी	श्री गोरधन सोनी
241	12	लियां	रियां
244	18	लग	लोग
245	शीर्षक	मपेयजल	में पेय जल
247	9	ामो	कामों
252	अन्तिम से 12	भ ो	झूठी
262	3	लाते	लाके
270	अन्तिम से 8	भू ा ोल	भगोल
273	1	छे	पीछे
274	8	चहा	चाहता
277	21	स्किम	स्कीम
278	15	अप ा	अपन
286	अन्तिम से 6	कार्यवाहो	कार्यवाही
298	19	क रवाता	के रवाता
302	6	gricultural	agricultural
,,	14	welld	well
,,	20	\ inning	mining
303	7	प्रभव	प्रभाव

4

1	2	3	4
306	5	जयगरायण	जयनारायण
308	17	कितन	कितने
313		टोंक	ट क
323	12	खमाराम	खेमाराम
326	15	sued	used